राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 33वां दिवस [संख्या 25

शुक्रवार

दिनांक 30 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

तारांकित प्रश्नोत्तर

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हरजीराम बुरड़क।

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत श्रमिकों का बकाया अनाज

694. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि काम के बदले अनाज योजना में अभी तक श्रमिकों को मजदूरी के बदले अनाज देना अभी भी बाकी है ? यदि हां, तो किस किस जिले में कितना कितना ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अनाज कब से कब का बकाया है ?

(3) उक्त बकाया अनाज को कब तक दे दिया जायेगा ?

(4) इस योजना का आगे क्या स्वरुप होगा तथा किस सीमा तक नये कार्य हाथ में लिए जायेंगे ?

(5) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के क्या क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं ? सम्पूर्ण निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक जो जो आदेश प्रसारित किये हैं उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की मेज पर रखने की कृपा करें।

पंचायत मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसमें काफी लम्बी चौड़ी सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी इसलिए इसको स्थगित करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, अभी तक हजारों व्यक्तियों की मजदूरी का

(श्री हरजीराम बुरड़क)

पेमेंट होना बाकी है। अभी तक हजारों मजदूरों की मजदूरी का पेमेंट नहीं हुआ है। इसलिए मंत्री महोदय कम से कम इतना तो आश्वासन दे दें कि 31 तारीख तक उन्होंने पेमेंट करने का कमिटमेंट किया था उसके अनुसार पेमेंट जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल ही मैंने कहा था कि जितनी मजदूरी बाकी रही है अभी तक, हम सबका चुकारा जल्दी ही कर रहे हैं।

श्री अयूब खां (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, हजारों मजदूरों का पैसा बकाया है। उन्होंने अपना खून पसीना बहा कर काम किया है। अभी तक मजदूरों को पेमेंट क्यों नहीं किया गया ? मंत्रीजी यह तो बता दें कि अब मजदूरों की मजदूरी का चुकारा जल्दी से जल्दी कब तक करा देंगे ?

श्री बजरंग लाल (बनीपार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अजीब बात है कि जिन मजदूरों ने अपना खून पसीना बहा कर काम किया, आज तक उनको मजदूरी नहीं दी गई है........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अभी तो इस प्रश्न को स्थगित करता हूं। मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है, मुझे आशा है कि वे पेमेंट करा देंगे।

श्री अयूब खां : लेकिन मजदूर कब तक भूखे रहेंगे ? क्या वे भूखों नहीं मर जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नहीं मरेंगे।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक तारीख को तनख्वाह मिलती है तो मजदूरों को पेमेंट क्यों नहीं होता है ? उनको मजदूरी नहीं मिलती है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या इस तरह से मजदूर भूखों नहीं मरेंगे ?

श्री रामनारायण (डूंडी) : मंत्री जी यह तो बता दें कि कब तक चुकारा करवा देंगे ?

प्रश्न संख्या 695

श्री अध्यक्ष : श्री नवलराय बच्चाणी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री बालकृष्ण थानवी।

फलौदी तहसील में आयुर्वेदिक औषधालय

696. **श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)** : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फलौदी तहसील (जोधपुर) में कितने और कहां कहां आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? सूची सदन की मेज पर पंचायत समितिवार रखने की कृपा करें।

(2) वित्तीय वर्ष 1979-80 में पंचायत समिति फलौदी एवं पंचायत समिति, बाप क्षेत्र (जिला जोधपुर) में कितने कितने और कहां कहां नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री भैरव लाल काला बादल) :

(1) तहसील फलौदी जिला जोधपुर में 12 औषधालय संचालित हैं। पंचायत समितिवाइज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1979-80 में पूरे राज्य में कुल 66 नवीन औषधालय खोलने की योजना है। स्थानों का चयन अभी नहीं किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट I देखें)

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बतायें कि राजस्थान में कितने यूनानी कालेज हैं ? मेरी जानकारी के अनुसार अभी जयपुर में जो कालेज है उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : यह आयुर्वेद का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद औषधालयों का चयन किस आधार पर किया जाएगा ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : आवश्यकतानुसार चयन किया जायेगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग ने यह तय किया है कि जिन पचायत समितियों में दस से कम आयुर्वेदिक औषधालय हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री भैरोंसिंहशेखावत : इस पर विचार चल रहा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अभी तक निर्णय क्यों नहीं किया ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन कांस्टीट्यूएन्सीज में पिछले दो सालो में कोई औषधालय नहीं खोला है, जिन कांस्टीट्यूएन्सीज में एक भी औषधालय नहीं खोला है, क्या वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी ?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से....

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्त्ता।

श्री कौशल किशोर जैन : यह जानकारी चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले प्रश्नकर्त्ता को पूछ लेने दें।

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा अभी यहां बताया गया कि आयुर्वेदिक औषधालय स्थानों का आवश्यकतानुसार चयन किया जावेगा, मगर कुछ अर्से पहले ही माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी का विधायकों को जो पत्र मिला था उसमें यह लिखा था कि जहां की दो हजार की आबादी है और जहां पर आयुर्वेदिक औषधालय पहले से नहीं खुले हुए हैं तथा जिस पंचायत समिति में 10 आयुर्वेदिक औषधालय पहले नहीं खोले हुए हैं वहां पर खोले जायेंगे। हमारे क्षेत्र में जहां पर कि बहुत बिखरा हुआ क्षेत्र

(श्री बालकृष्ण थानवी)

है, ढाणियां हैं और आबादी बिखरी हुई है, वहां की जनता को इस नीति से कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि आवश्यकतानुसार आयुर्वेदिक औषधालय खोले जायेंगे। उसके लिए तो हम मुख्य मंत्री महोदय के शुक्र गुजार हैं। और उम्मीद है कि हम जो सूची दें उसके अनुसार आयुर्वेदिक औषधालयों की व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि आपने क्रमोन्नत करने के बारे में क्या मापदण्ड तय किया है? जहां पर आयुर्वेदिक औषधालय "सी" श्रेणी में हैं उनको "बी" श्रेणी में करने के लिए और "बी" श्रेणी से "ए" श्रेणी में करने के लिए क्या मापदण्ड तय किया है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अलग से ...न है। आप अलग से पूछिये।

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेगिस्तानी क्षेत्र में आबादी बहुत बिखरी हुई है, ढाणियों में लोग रहते हैं। तो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एक नीति अलग से रखी है, उसी तरह इस बारे में भी आबादी का क्राइटेरिया नहीं रखें और मरु क्षेत्र में इसका आप ध्यान रखकर प्राथमिकता दें। क्या इस पर मुख्य मंत्री जी प्रकाश डालेंगे?

श्री समरथलाल (राजगढ़) : क्या यह सही है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष आयुर्वेदिक औषधालय सबसे कम हैं, सबसे कम औषधालय खोले जा रहे हैं और सबसे कम पैसा खर्च किया जा रहा है? क्या यह भी सही है कि गांवों के अन्दर ग्रामीणों, जो इस आयुर्वेदिक सिस्टम से चिकित्सा कराते हैं, की घोर उपेक्षा की गई है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर दूं....

श्री नूरा (मसूदा) : मैं निवेदन कर दूं पहले, आपने बहुत अच्छी बात कही है....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बीच में खड़े होने की आदत छोड़ दीजिए।

श्री नूरा : मैं बीच में नहीं खड़ा हुआ। आप से पहले खड़ा हुआ हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि इस सरकार की आय बढ़ाने के प्रस्तावों का आप जितना समर्थन करेंगे, आयुर्वेद औषधालयों की संख्या और बढ़ जायेगी।

श्री नूरा : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आवश्यकतानुसार खोल दिये जायेंगे, यह आपने कहा है, तो क्या जितनी आवश्यकता है इसी साल पूर्ति कर दी जायेगी?

श्री समरथलाल : आपकी आय का सबसे ज्यादा असर आयुर्वेद पर ही पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरिकृष्ण।

Page No. 5

(5)

श्री अयूब खां : प्रश्न सं० 695 का जवाब नहीं आया है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं हैं।

श्री अयूब खां : तो क्या हुआ, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिकृष्ण।

विदेशी नागरिकों की राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां

697. **श्री हरिकृष्ण (नदबई)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विदेशी नागरिकों की राज्य के विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न पदों पर स्थाई नियुक्ति दिये जाने की क्या नीति निर्धारित की हुई है ?

(2) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याख्याता तथा छात्र परामर्श केन्द्र के निदेशक पदों पर स्थाई रूप से दो विदेशी व्यक्ति कार्यरत हैं ?

(3) इन्होंने कब और किस सन्दर्भ में भारत की नागरिकता स्वीकार की है ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें भारतीय माना गया ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री महबूब अली) :

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में विदेशी नागरिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है लेकिन साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम में विदेशी नागरिकों को रखने पर कोई स्पष्ट प्रतिबन्ध भी नहीं है।

सरकारी शिक्षण संस्थाओं में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार कोई विदेशी नागरिक स्थायी सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भारतीय नागरिक या कुछ अपवादों में भारतीय मूल का होना आवश्यक है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। ये भारतीय नागरिक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री हरिकृष्ण : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती उनीथान हॉलैण्ड की रहने वाली हैं और श्रीमती दया कृष्ण अमेरिका की रहने वाली हैं। दोनों ही विदेशी नागरिक हैं। इसके सम्बन्ध में राजस्थान विश्वविद्यालय सलाहकार समिति के जो मैम्बर हैं, उन्होंने भी कहा है, पत्र संख्या एफ-2/79/यू०/13। राजस्थान विश्वविद्यालय सलाहकार समिति में पहले डा० हरिसिंह थे और अब हमारे यातायात मंत्री हैं, वे इस सलाहकार समिति में थे। उन्होंने पहले यह सवाल उठाया था कि ये किस आधार पर रखी हुई हैं और क्या इनकी कोई विशेष योग्यता है,

(श्री हरिकृष्ण)

जिसके कारण इनको इस पद पर रखा गया है या इनके ऊपर सरकार को विश्वास है ? इसके बारे में आपकी क्या मान्यता है ?

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : एक भारतीय से शादी करने वाली विदेशी महिला क्या भारतीय मानी जायेगी ?

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों पर कुठाराघात नहीं है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहूंगा....

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों की नियुक्तियां कब की गयीं और क्या सरकार इनको उचित समझती है ? क्या कानून में परिवर्तन इस सम्बन्ध में किया गया है, क्योंकि जो विदेशी नागरिक हैं उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि इनको स्थायी नियुक्तियां नहीं दी जा सकती हैं । यह मंत्री महोदय के उत्तर में लिखा हुआ है परन्तु इसके बावजूद उन्होंने यह कहा है कि दोनों महिलाओं की स्थायी नियुक्तियां की हुई हैं । अब प्रश्न यह है कि जो विदेशी नागरिक हैं, उनको भारत में स्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी पार्टीकुलर यूनिवर्सिटी के स्टेच्यू से वे डील होती हैं या इस सम्बन्ध में भारतीय कानून है, विदेशी नागरिकों का भारत में रहने का ताल्लुक है, उसके तहत इसका निर्णय होगा । इस सम्बन्ध में मेरा दूसरा यह निवेदन है कि जब मंत्री महोदय स्वयं यह मानते हैं कि स्थायी नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं, फिर इनको स्थायी नियुक्ति किस आधार पर, कैसे दी गई है और इस जानकारी के बावजूद राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? उससे इस सदन को मंत्री महोदय अवगत करायेंगे ?

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि भारतीय से विवाह करने वाली विदेशी महिला क्या भारतीय नहीं गिनी जाती है ?

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों महिलाओं के नाम से ही यह स्पष्ट हो जायेगा कि ये भारतीय नागरिक हैं या नहीं हैं ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में यह स्पष्ट कहा है कि विश्व विद्यालय की कोई इस प्रकार की नीति नहीं है । लेकिन इसका प्रतिबन्ध भी नहीं है कि किसी विदेशी नागरिक को न रखा जाए । ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है । प्रश्न इस बात का है कि रेसिप्रोकल व्यवस्था है । बहुत से भारतीय नागरिक अमेरिका और दूसरे देशों के अन्दर, यूनिवर्सिटीज के अन्दर स्थायी नियुक्तियों पर हैं । उसी प्रकार से हमारे यहां भारतवर्ष के अन्दर भी बहुत कम संख्या में विदेशी नागरिक स्थायी नियुक्तियों पर काम कर रहे हैं । यदि राजस्थान सरकार या भारत सरकार इस विषय में कोई एक्शन

(श्री महबूब अली)

लेती है तो दूसरे देशों में काम कर रहे भारतीयों पर भी इसका असर पड़ता है। यह एक नीति का प्रश्न है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मिसेज दया कृष्ण 1-9-64 से हैं और दूसरी महिला 2-1-62 से नियुक्त की हुई हैं। इनके बारे में अनेक बार बात आई है। प्रश्न यह है कि विदेशी नागरिकों को यहां पर लिया जाता है तो वह रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के आधार पर ही लिया जाता है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वे एक भी ऐसा रेसिप्रोकल, अरेन्जमेंट, एग्रीमेंट, कोविनेन्ट, जो भारत सरकार और दूसरी सरकारों के बीच में हुआ है, वह कृपा कर सदन में रखने की कृपा करेंगे और उसकी जानकारी देंगे। मंत्री महोदय ने यह आधार बताया है कि इस तरह के रेसिप्रोकल अरेन्जमेंट के अन्तर्गत भारतीय नागरिक भी विदेशी विश्व विद्यालयों में परमानेन्ट नियुक्त हैं और विदेशी नागरिक भारतीय विश्व विद्यालयों में स्थायी रूप से नियुक्त होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन को सही जानकारी दी जाए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा है कि जब कोई सदस्य प्रश्न कर रहा हो तो उसको बीच में त्रास किया जाये दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा। अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि क्या इस तरह का कोई रेसिप्रोकल अरेन्जमेंट हुआ है? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की स्थिति में क्या मंत्री महोदय हैं? या मन्त्री महोदय को कोई जानकारी है कि किस वर्ष में कोई अरेन्जमेंट, एग्रीमेंट भारत सरकार का दूसरे देशों के बीच में हुआ है? मंत्री महोदय, आपने स्वयं ने यह माना है कि बहुत बार यह प्रश्न उठा है। तो क्या इस प्रश्न के बार बार उठने के बावजूद सरकार इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति पर नहीं पहुंच सकी है? यह स्पष्ट है कि सरकार किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच सकी है बावजूद इसके कि बार-बार यह प्रश्न उठा है। जो विदेशी नागरिक भारतीय सेवा में हैं, उनके सम्बन्ध एक स्पष्ट नीति निर्धारित की जानी चाहिए। नीति निर्धारित नहीं हो पाई है तो क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इसके बीच में क्या बाधायें हैं?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, यह जो दोनों महिलाओं का प्रश्न है, कि ये विदेशी नागरिक हैं और किस आधार पर इनकी नियुक्तियां की गई हैं? मैं यह बताना चाहता हूं कि जो भी विदेशी नागरिक भारत में आते हैं वे वीसा के आधार पर रहते हैं और समय समय पर उनके वीसा का समय बढ़ाया जाता है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का लिखित में एग्रीमेंट नहीं है। परन्तु यह एक कन्वेन्शन है कि भारतीय लोगों को विदेशों में भी सर्विस में लिया जाता है और कुछ विदेशी नागरिकों को भारत में नियुक्त किया गया है। परन्तु इस सम्बन्ध में इसका कोई लिखित में किसी प्रकार का एग्रीमेंट या अरेंजमेंट नहीं है। इस प्रकार की स्थिति नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या मुख्यमन्त्री महोदय एक भी भारतीय का नाम बताने स्थिति में हैं कि किसी भी विदेशी सेवा में वह स्थाई रूप से नियुक्त किया गया है ? क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : ईरान में है। दांता के दो डाक्टर वहां पर हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : वे स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हैं। उनको वहां पर दो साल के लिये लिया जाता है। स्थायी नियुक्त नहीं किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मुख्य मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे एक भी ऐसे भारतीय का नाम बताने की कृपा करें जो विदेशी सेवा में स्थायी रूप से लिया गया हो ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वर दयाल।

श्री बजरंगलाल शर्मा : परमानेन्ट सर्विस में किसी भी भारतीय को विदेशों में नहीं लिया गया है। यह हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक है कि गोरी चमड़ी को देख करके, किसी भी कीमत पर, चाहे कानून की सपोर्टिंग हो या न हो, उनको ले लिया जाता है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने पूछा था, क्या आप यह बता सकते हैं कि किस आधार पर आप इनको परमानेन्ट रूप से ले सकते हैं ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये दोनों व्यक्ति जो राजस्थान विश्व विद्यालय में नियुक्त हैं, यह राजस्थान के गांवों में अपनी विदेशी एजेन्सी जो है, उसको जन्म देते हैं ? साथ ही यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि मिसेज युनिनायन चौमूं क्षेत्र में, हस्तेड़ा ग्राम के अन्दर सन् 1964 के अन्दर अपनी विदेशी एक्टीविटिज लागू करने के लिए वहां पर हस्तेड़ा ग्राम में 15 दिन तक नहीं रहीं ?

श्री हरि कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि वीसा बढ़ाया जाता है। तो क्या इनकी जो नियुक्ति की गई है, वे वीसा पर भारत में रह रही हैं ? और क्या वीसा पर रहने वाले विदेशियों को मुस्तकिल नियुक्ति देने का कोई कानून है ?

श्री मंजूर अली (सवाईमाधोपुर) : अगर कोई एग्रीमेंट हो, और एग्रीमेंट सामने आ जाय तो जिम्मेदारी फिक्स की जा सकती है....

(व्यवधान)

वह हो तो नेता महोदय बताने का कष्ट करें, अगर कोई एग्रीमेंट है तो....

(व्यवधान)

श्री हरि कृष्ण : ऐसी जानकारी....

(व्यवधान)

(श्री हरिकृष्ण)

मैम्बर रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा है, और लिखा है तो किस आधार पर लिखा है और अभी तक उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री लालचंद : दूसरी तरफ विचार करना चाहिये....

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राज्य सरकार....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : जो भी भारतीय विदेशो में स्थाई रूप से बसे हुए हैं, क्या उन्होंने वहाँ की सिटिजन-शिप स्वीकार कर ली है ?

श्री शंकरलाल : क्या सरकार यह उपयुक्त नहीं समझती कि विदेशों में स्थाई नियुक्ति देने के विरुद्ध....

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ भी देखने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और सभी माननीय सदस्यों की तरफ देख रहा हूं। सप्लीमेंट्री की झड़ी लग गई। उत्तर आये कैसे ? अगर यह महिलाएं आपत्तिजनक हैं तो सदन चर्चा करे लेकिन गणतन्त्र के अन्तर्गत कन्वेन्शन हो तो मेरे ख्याल से कानून पर भी तरजीह दे सकते हैं। महिलाओं का होना आपत्तिजनक है तो सप्लीमेंट्री पूछिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : We are subject to rule of law, not subject to whims.

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। अगर इस तरह का कन्वेन्शन है तो पूंजीवादी लोगों की महिलायें ही क्यों ? माननीय श्योपतसिंह जी देर से आये, उनके ध्यान में नहीं आया, सिर्फ पूंजीवादी महिलाओं का प्रवेश ही क्यों ? और अगर है तो उसे माननीय केदार जी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : साम्यवादियों को छूट है क्या ?

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : भारतीय संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाय यह आर्टिकल 5 में है। परन्तु विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति को स्थाई रूप से नौकरी देकर भारतीय संविधान की....

(व्यवधान)

अगर विश्वविद्यालय में स्थाई नौकरी देते हैं तो इसका मतलब यही है कि जब तक सेवामुक्त नहीं होंगे तब तक काम करेंगे तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 का उल्लंघन हुआ है तो कांग्रेस सरकार के

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

समय में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कार्यवाही की है, क्या सरकार रेक्टिफाई करेगी ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, अभी बजरंगलाल जी ने केदार जी का नाम लिया। क्या आप भी संतुष्ट नहीं हैं ? आप भी विदेशी लाकर रख लेंगे तो हमें क्या एतराज है ?

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जिसको नागरिकता नहीं दी गई उस आदमी को....

(व्यवधान)

स्थाई नौकरी नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री हरिकृष्ण : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्पष्ट नहीं आया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक एक करके पूछिये।

श्री हरिकृष्ण : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का अभी स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है। न पूरक प्रश्नों का उत्तर मिला है। कृपया दिलाने का कष्ट करें।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : इस संबंध में भारतीय संसद में भारी आलोचना हुई है। यह खेद का विषय है कि हमारी राजस्थान विधानसभा में विदेशी महिलाओं के बारे में ऐसी बात कही जाय कि केदार जी के पास रह जाय या फलां के पास रह जाय। यह बात बड़ी खेदजनक है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, यदि उनको पता नहीं है कि भारतीय नागरिक कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं की है किन्तु वे वहां पर स्थाई रूप से नियुक्त हैं। यदि किसी के नाम याद हों तो बताने का कष्ट करें। अगर नाम याद न हो तो प्रश्न को स्थगित करवावें।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : प्रो० केदार का नाम माननीय बजरंगलाल जी ने अंकित किया, उसको निकालें साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न के संबंध में कई प्रकार की शंकायें व्यक्त की हैं उनमें यह बात मुख्य रूप से आई है जिस विदेशी महिला को नागरिकता नहीं है उनकी स्थाई नियुक्ति किस प्रकार की गई। या स्थाई नियुक्ति के साथ साथ कानून का उल्लघन हुआ है या नहीं। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि नियुक्ति तो 1962–64 में हुई....

एक माननीय सदस्य : उससे क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय जब यह नियुक्ति हुई, उस समय भारत सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के क्या नियम थे, स्थाई नियुक्ति, जो नागरिक नहीं हैं उनको स्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है या नहीं। जहां तक मुझे याद है सरकारी पदों पर किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं लिया जा सकता, लेकिन यूनिवर्सिटी, जो एक ग्राटोनोमस संस्थान है, उसमें यह नियम लागू है या नहीं, या भारत सरकार के क्या निर्देश हैं? यह सारी चीजें तो अध्ययन करने के बाद अगर किसी प्रकार के नियमों का उल्लंन हुआ है तो हम उस कमी को पूरा करने की चेष्टा करेंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। पूरा प्रश्न स्थगित किया जावे। यह निश्चित रूप से गाइड लाइन बनी हुई है कि किसी भी विदेशी को स्थाई नियुक्ति नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि सरकार को जानकारी नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रश्न को स्थगित किया जाय। तब तक मुख्य मंत्री जी बात कर लें, गाइड लाइन जुड़वालें, लेकिन प्रश्न का उत्तर सदन में मुकम्मिल तरह से दें।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न को स्थगित करता हूं। श्री मीणा।

गींगला (सलूम्बर) में डकैती की घटना

698. **श्री गम्भीरलाल मीणा (सराड़ा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।:–

(1) क्या तहसील सलूम्बर के गांव गींगला, जिला उदयपुर के श्री कालूलाल जैन पिता श्री मोड़जी के घर पर दिन दहाड़े गांव में ढोल बजाकर लोगों ने डाका डाला था तथा उसकी पत्नी को चौराहे पर नंगा करके मारा गया था?

(2) क्या इसके सम्बन्ध में कुछ मुल्जिमों को पकड़ा गया एवं उनसे कुछ माल भी बरामद किया गया? यदि हां, तो मुल्जिमों के नाम एवं माल की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या प्रार्थी ने उक्त जांच से असन्तुष्ट होकर अधीक्षक, उदयपुर को समय-समय पर प्रार्थना-पत्र पेश किये? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन्वेस्टीगेशन ब्रांच को केस सौंप कर जांच करवायेगी?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी नहीं। कालूलाल के ग्राम के कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके मकान में जबरन घुसकर उसकी औरत व उसके साथ मारपीट करने व तोड़-फोड़ कर जेवरात आदि ले जाने की रिपोर्ट मौके पर उपस्थित थाना प्रबन्धक सलूम्बर को दी गई थी। यह सही नहीं है कि उसकी औरत को पीटा गया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : नंगा करके।

श्री सम्पतराम : (2) जी हां। मुल्जिमान के नाम व बरामद माल की सूची संलग्न है।

(3) जी हां, पुलिस अधीक्षक द्वारा इस अभियोग की तफतीश मुस्तगीस की इच्छा पर कई अधिकारियों से करा ली है। जिसमें मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और अन्वेषण पूर्ण है। अत:

(श्री सम्पतराम)

अब इन्वेस्टीगेशन ब्रांच को तफतीश देने का कोई औचित्य नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

कई माननीय सदस्य : पहले प्रश्न कर्ता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री गम्भीरलाल मीणा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि केस दायर हुए कितने दिन हो गये हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने सूची दी है और जिन धाराओं के अन्तर्गत यह केस बनाये गये हैं और केस का जो तरीका है, जो अपराध उन्होंने किया है, डकैती की है, उसकी औरत को पीटा गया तो डकैती की धारा नहीं, चोरी की धारा नहीं, तो बरामदगी किस आधार पर की है ?

दूसरा, यह है कि उसकी पत्नी को नंगा करके चौराहे पर मारा है तो उसका केस किस दिन रजिस्टर्ड हुआ है और किस दिन इसका चालान किया ?

इसी तरह से क्या यह सच है कि इन डीवाई० एस० पी० ने जान बूझकर धाराएं बदलकर अपराध की जो मात्रा थी, जो गहनता थी उसको समाप्त किया, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे सप्लीमेंट्री....

कई माननीय सदस्य : जवाब आने दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री बार-बार कह रहे है अपराध के बारे में तो इस अपराध को वे क्यों स्वीकार नहीं करते हैं कि एक महिला को नंगा करके पीटा गया है और कानून को चुनौती दी गई है। आज भी वह अपराध कायम नहीं किया गया है और डीवाई० एस० पी० ने सारे मामले में गफलत की है। उसको सींखचों में बुलायें। आप क्या व्यवस्था करेंगे ? इस बात का जवाब दें। एक जैन समाज की महिला के साथ अन्याय हुआ है और हम यह अन्याय होने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री लालूदास।

श्री लालूदास (फलासिया) : क्या यह समझते हैं कि सलूम्बर के अन्दर एक व्यक्ति हीरा पटेल का ही राज है ? मंत्री महोदय ने यह बताया कि वह डाका नहीं है। वह व्यक्ति डाकू है और वह औरतों को पीटता है। वहां पर औरत को नंगी करके पीटा है। तो जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि कार्यवाही नहीं हुई तो उसके खिलाफ अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई, और इस आदमी के साथ में कार्यवाही कब तक करेंगे ?

श्री मावजी भाई (सलूम्बर) : हमने सूचना बहुत पहले दी है और 5–5 दफा एप्लीकेशन्स दी रजिस्ट्री से। उसकी रसीदें मौजूद हैं। माननीय मुख्य मंत्री साहब को भी दी है। इस मामले में इस तरह करते हैं तो यह राज्य कैसे चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : द्रोपदी के कपड़े उतारने पर महाभारत का युद्ध हो गया और यहां पर एक औरत को नंगा कर दिया और इस सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री लालूदास : आपने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय; योजनाबद्ध तरीके से एक षड़यन्त्र करके यह आक्रमण किया गया है और मारा गया है तो इस पर जो धारा लगती है 307 की वह धारा नहीं लगाई गई है।

श्री अध्यक्ष : मेजर फतहसिंह।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : अपराध किया गया है और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि चोरी की है तो गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिन में बलपूर्वक चोरी करते हैं और चोरी करने वालों की संख्या पांच या उससे अधिक है तो क्या यह डकैती की परिभाषा में नहीं आता ? यह डकैती का केस रजिस्टर होना चाहिए, 397 में।

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : यह मामला 354 और 457 में आता है या नहीं, दोनों केसेज....

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : 354 और 397 दोनों में होगा।

श्री मावजी भाई : यह घोटाला है, डी० एस० पी० ने पैसा खाया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या आवाजें आ रही हैं, अध्यक्ष महोदय, सदन में ?

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 3–4–78 की घटना है। मूल प्रश्न आपने पूछा है उसका जवाब देने के पहले मैं इस केस की हिस्ट्री के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। दो व्यक्तियों में आपस में सिविल कोर्ट में झगड़ा था और सिविल कोर्ट ने एक कमीशन कायम किया था जो 5 तारीख को यह देखने के लिए आ रहा था कि मकान पर उसका कब्जा है या दूसरे का है। तो उस दौरान कालू ने यह प्रयत्न किया कि जब तक कमीशन आये मैं अपना कब्जा दिखा दूं। तो उसने 100-100 रुपये में आदमी बाहर से बुलाये और बुलाकर हमला करके दूसरी अपोजिट पार्टी के मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके कारण रोष पैदा हुआ और गांव के लोगों ने काफी तादाद में प्रवेश किया कालू के मकान में और वहां पर मारपीट की, तोड़-फोड़ की

(श्री सम्पतराम)

श्रौर उसकी पत्नी को बाहर लाये श्रौर उसके साथ मार-पीट की ।

श्रभी उदयपुर से श्राने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया कि टेक्निकली वह श्राफेन्स नहीं बना तो उस तरह की मन्शा नहीं थी कि डाकू बाहर से श्राये हों या लूटकर चले जाते हों तो धारा 147 श्रौर 380 लगा दी जाती । तो मैं समझता हूं वह काफी सख्त है, श्रौर बाकि इसको श्रौर एग्जामिन कर सकते हैं । यदि श्रौर कोई धारा बनती हो तो श्रौर भी देख लेंगे । चालान इस प्रकार दिनांक 7–8–78 को जो किया गया है वह धारा 147, 325, 323 श्रौर 341 के श्रन्दर 6 व्यक्तियों का चालान किया गया है । इसके श्रलावा 12 व्यक्तियों का चालान 452, 380, 323, 461 श्रौर 427 के तहत किया जा रहा है । केस करीब करीब मुकम्मल है । मैंने डी० श्राई० जी० से व्यक्तिगत रूप से बात की थी । उन्होंने कहा कि केस बाकायदा मुकम्मल है श्रौर चालान करना चाहते हैं लेकिन प्रार्थी ने स्वयं ने पेश होकर कहा कि मुझे मौका दें श्रौर सी० श्राई० डी० से जांच कराना चाहते हैं इसलिए वह केस रुका हुश्रा है । पुलिस विभाग की जांच मेरे सामने है जिसमें केस काफी तरीके से इन्वेस्टीगेट हो चुका है श्रौर चालान की स्टेज पर है श्रौर पुलिस चालान 2–3 दिन में कर देगी ।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रध्यक्ष महोदय, यह जो सूची दी है....

श्री श्रध्यक्ष : कटारिया ।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय श्रध्यक्ष, मैं दो बार खड़ा हो चुका हूं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस सूची में 380 का हवाला नहीं है । इस सूची में, जो दी गई है उसमें 147, 149, 325, 341, 327 हैं श्रौर जो मुख्य बात थी कि दिन में डाका डाला गया है श्रौर ढोल बजाकर घर को लूटा है श्रौर 40 हजार का सामान ले गये हैं वह किसी धारा से कवर नहीं होता है ।

दूसरा, श्रापने बताया कि 3–4–78 को घटना हुई थी तो उसके बाद उसने, कितने विधायकों, कितने लोगों ने एस० पी० को कितनी बार श्रप्रोच किया उसकी सूची बतायें श्रौर एस० पी० ने कब कब, क्या क्या कार्यवाही की, उसकी सूचना दें ।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मुझे श्रवसर दें बोलने का....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : श्रध्यक्ष महोदय, मैं श्रापके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री मदनसिंह दांता : यह कानूनन घर किसका था जिसमें माल चला गया, किस के डाका हो गया, यह समझ में नहीं बैठी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह महिला का मामला है। बहुत गम्भीर मामला है। गृह मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए। महिला को ढोल बजाकर नंगा करके मारा गया। स्टेटमेन्ट सदन में आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : महिला को पीटा गया है और उसका सामान लेकर चले गये।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि 6, 7 तारीख को ही यह मामला हमारे पास आया, उसी दिन जिन लोगों ने हमला किया, एक डकैती का केस रजिस्टर हुआ और उसके गिरफ्तारी के वारण्ट निकले। ऐसे मामले में जान-बूझ कर क्या सरपंच उस व्यक्ति को बचाना चाहते हैं? उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? डी० एस० पी० ने उस केस को बिगाड़ा है। वह मामला डकैती में दर्ज नहीं किया गया। उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, और वह यह है कि क्या आज से पहले आपकी जानकारी के मुताबिक, पुलिस रिकार्ड के मुताबिक इस प्रकार से महिला को चौराहे पर नंगा करके पीटा गया? यदि नहीं, तो इस शर्मनाक घटना के कारण क्या आपका जमीर यह नहीं कहता कि लोकतन्त्रीय परम्पराओं का पालन करते हुए इस जघन्य अपराध के कारण गृह मन्त्रीजी, गृह मंत्रालय छोड़ दें? द्रोपदी के बाद यह दूसरा मामला है और माननीय गृह मन्त्रीजी 147 और 149 से अपनी तृप्ति करते हैं। कृष्ण कन्हैया ने द्रोपदी के चीर को लम्बा कर दिया था, गृह मन्त्रीजी चीर नहीं देते, चीर हरण करवाते हैं, क्या उनका जमीर गृह मन्त्रालय छोड़ने के लिए नहीं कहता?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या यह पुलिस की तफतीश में आ गया है कि औरत को नंगा करके पीटा गया?

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह तो तब उन्होंने सूचित किया जब·······

(व्यवधान)

श्री हरिकृष्ण (नदबई) : क्या इस केस में मन्त्री महोदय को भ्रष्टाचार की बू नहीं आती?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आना चाहिए, बहुत इम्पार्टेन्ट है ।

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष मोहदय, यह जो घटना हुई उसके बारे में अभी बताया और जो कार्यवाही हुई वह भी मैंने अभी बतायी ।

(व्यवधान)

आप सुनिये, आप लोग सुनना पसन्द नहीं करते हैं । सुनिये तो सही । मैं अर्ज कर रहा हूं, अब तक जो पुलिस की कार्यवाही हुई है उससे भी अवगत कराया है ।

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : आप उस बारे में सन्तुष्ट हैं क्या ?

श्री सम्पतराम : जो कुछ हुआ मैंने सदन के सामने निवेदन किया, माननीय सदस्यों ने भी बहुत जानकारी दी । मैं यह समझता हूं कि इसको मैं सी. आई. डी. को देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : क्या मामला अभी तक मन्त्री महोदय की नॉलेज में नहीं आया था ?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जो आरोप लगाये गये हैं, उनके बारे में.......

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : डी. एस. पी. को सस्पेण्ड किया जाय, उसकी गलती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब इस पर काफी चर्चा हो चुकी है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी है और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको लेकर सी. आई. डी. से इन्वेस्टीगेशन करवा लेंगे । मैं आश्वासन देता हूं कि किसी ने भी गलती की है तो निश्चित रूप से उसको दण्ड मिलेगा । किसी के साथ पक्षपात करने का या किसी को बचाने का कोई दृष्टिकोण नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर हैं माननीय सदस्य.......

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि क्या पुलिस रिकार्ड के मुताबिक पहले भी ऐसी घटना हुई है ? यदि नहीं हुई है, तो मन्त्री महोदय जो लापरवाही बरतते हैं इसलिए इनको पद से इस्तीफा देना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : जब बहुत से मान-

(श्री गुल मोहम्मद)

नीय सदस्य गृह मन्त्रीजी से इस केस के बारे में मिले, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी समझ में नहीं आता इसके पहले आपको क्या हो गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कई सदस्यों ने गृह मंत्री जी को इस मामले की जांच के लिए कहा तब उनकी उपेक्षा की गई, जांच नहीं कराई। यह माननीय सदस्यों का अपमान नहीं सदन का अपमान है और सदन का अपमान है तो, माननीय अध्यक्ष, आपका अपमान है। इन्हें माफ नहीं किया जाये। उनके खिलाफ आज तक क्यों नहीं एक्शन लिया ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री बजरंगलाल : श्री रामेश्वरदयाल स्थान ग्रहण करें। मुख्य मन्त्री के वक्तव्य के पश्चात् अब कोई गुंजाइश नहीं रही है बोलने की।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : गुंजाइश है।

श्री अध्यक्ष : मुझे स्थगित प्रश्न लेने दीजिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : गृह मंत्री ने जो सदन में लिखित में तथ्य दिए थे, उसके विरुद्ध यह जवाब दिया है। पहले वाले जवाब में कहा था कि इनके विरुद्ध चालान पेश किया गया है। अब कहते हैं कि सी. आई. डी. से इन्क्वायरी करवायेंगे।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : सदन में इस तरह से गलत बयानी करना, अध्यक्ष महोदय, आपके साथ गलत बयानी करना है।

श्री भंवरलाल ऐरन : डीवाई. एस. पी. को सस्पेंड किया जाए, 391 में केस दर्ज किया जाए, उसके बाद यह इन्क्वायरी की जाए।

श्री मदनसिंह दांता : विदाउट इंक्वायरी उनको सस्पेंड कैसे करेंगे ? यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मुख्य मन्त्री जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो कुछ आरोप विधायकों ने लगाए हैं, वे कई बार गृह मन्त्री से मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की तो क्या मुख्य मन्त्री इस बात की जांच करायेंगे कि गृह मन्त्री ने क्या कार्यवाही की, और अगर नहीं की, तो क्यों ? जनता पार्टी के विधायकों के कहने पर भी कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(व्यवधान)

अगर ऐसी घटना हुई है और गृह मंत्री ने कोई कार्यवाही की, सी. आई. डी. से जांच नहीं करवाई तो गृह मन्त्री की गम्भीर भूल है। अभी गृह मन्त्री ने कहा कि डी. आई. जी. से मालूम किया तो डी. आई. जी. ने कहा कि चूंकि प्रार्थी ने मांग की कि सी. आई. डी. से जांच कराई जाए इसलिए कोर्ट केस पेश नहीं किया गया। विधायकों के

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

कहने पर भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की। दोषी लोगों को दण्ड तो कोर्ट देगी। He is guilty of not doing his duty faithfully. He is guilty and should be punished. Otherwise what is this democracy ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : क्या गृह मंत्री कहेंगे कि विधायक उनके पास नहीं आए ? क्या माननीय सदस्य ने गलत कहा ? अगर आपसे मिले तो आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्षजी........

श्री सोहनलाल बंसीवाल (डूडू) : गृह मन्त्री ने कहा है कि सी. आई. डी. को देंगे। अभी कुछ दिन पहले....

श्री अध्यक्ष : सदन की परम्परा तो निभायें। विरोधी दल के नेता जब खड़े हुए हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : ये तो डीवाई. एस. पी. व थानेदार को सस्पेंड कराना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोहनलाल बंसीवाल : केस अगर सी. आई. डी. को दिया जाता तो मालूम हो जाता कि गलत है या सही, आज तक नहीं दिया........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्यों ने जो इस प्रश्न पर चिन्ता व्यक्त की है उसका मूल कारण यह है कि सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य केस के इन्वेस्टीगेशन के सम्बन्ध में गृह मन्त्री से मिले। मैं पिछले सप्ताह से चुपचाप सुन रहा हूं कि जब भी गृह मन्त्री से किसी केस के अनुसंधान के बारे में पूछा जाता है और जो जवाब मिलते हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता रहा है कि अपराधी पुलिस के कन्फ्यूजन में है और गृह मन्त्री लीपापोती कर रहे हैं....

श्री सम्पतराम : गलत बात है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने कहा सी. आई. डी. को देने का औचित्य नहीं। माननीय सदस्य बार बार सी. आई. डी. की मांग कर रहे हैं। जब लोकल पुलिस में विश्वास नहीं रहा तो गृह मन्त्री से निवेदन किया कि इसकी जांच निष्पक्ष एजेन्सी से करवाई जाए। उसके जवाब में कहा कि औचित्य नहीं है। इससे सदन को ऐसा आभास मिलता है कि गृह मन्त्री जिस प्रकार तथ्य सदन के सामने पेश करते हैं उन तथ्यों को बिना जांच कराए वैसे ही यहां रख देते हैं। He is a prisoner in the hands of the police. यह टेन्डेंसी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उसके साथ साथ मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पुलिस के किसी निष्पक्ष अधि-

(श्री परसराम मदेरणा)

कारी को भेज कर जांच करायें। क्योंकि अगर ब्राड डे लाइट में यह अपराध किया है तो 380 का केस है, 379 का। उसी मुल्जिम के खिलाफ 304 का एक और केस रजिस्टर हो गया। ऐसे सन्दर्भ में जो कुछ भी जांच करायें तो निष्पक्षता से करायें। पुलिस अधिकारी इस तरह का वातावरण बना रहे हैं जिसको आपको रेजिस्ट करना चाहिये, डेमोक्रेसी में जो मन्त्री बैठे हुए हैं, उन पर दायित्व है, अधिकारियों पर नहीं है।

श्री डूंगरराम पंवार (टी० वी०) : डीवाई एस. पी. को सस्पेंड किया जाए....

श्री मोहम्मद जहूर (कांमा) : डीग थाने के अन्तर्गत एक गांव में घटना हुई, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। एक व्यक्ति मारा, उसमें एक को नीचे से लेकर कमर तक जलाया गया। मैंने मुख्य मन्त्री को लिखित में दिया है। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है। ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विरोधी दल के नेता ने जो कुछ कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष अधिकारी से जांच करवायेंगे और इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी ने, किसी अधिकारी ने कहीं पक्षपात किया है या अपराधियों को बचाने की कोशिश की है तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। हम किसी अधिकारी को बचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से सदन के प्रति रेस्पान्सीबिल हैं। कोई भी दोष करेगा तो उसको दण्ड मिलेगा, हम किसी की धमकियों में आने वाले नहीं हैं। जो अन्याय करेगा, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री नूरा : पहले जो मिले थे फिर क्या कार्यवाही हुई ? देरी क्यों हुई ? इसका उत्तर नहीं दिया गया। मन्त्री महोदय ने कहा था कि जांच करायेंगे तो अब तक जांच नहीं होने का क्या कारण है ?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। विधायकों ने आकर गृह मन्त्रीजी से आग्रह किया और उनकी सूचना में लाये तो गृह मन्त्रीजी ने इसके बारे में उस समय क्या कार्यवाही की ? फिर क्या यह जरूरी है कि हाउस में ही सवाल पूछें उनके ऊपर ही कार्यवाही होगी ? अगर किसी इलाके के विधायक गृह मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हैं तो उस समय उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की ? मुद्दा यह है। विधायक ने आकर सूचित किया तो गृह मन्त्री जी ने क्यों नहीं कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गुप्ता, मैं आपका नाम पुकारूंगा।

स्थगित प्रश्न

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न लें उसके पहले एक बात कह दूं........

Page No. 20

(20)

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय मेरा नाम पहले पुकारा गया था। प्रश्न संख्या 599।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान गृहण करें।

I will have to name you.

मेरी बर्दाश्त के बाहर मामला पहुंच गया है। इतना होने के पश्चात् दो बार मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया। निष्पक्ष जांच जरूरी होगी।

अब स्थगित प्रश्न। श्री कौशल किशोर जैन।

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, 699 रह गया है मेरा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपके आचरण पर मुझे सख्त आपत्ति है। मैं आपको सख्त वार्निंग देता हूं। आप आसन का खिलवाड़ करते हैं। Sit down, please.

श्री कौशल किशोर जैन।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2-?-79)

राज्य की सहकारी संस्थाओं के चुनाव

79. **श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने गत 2 वर्षों में कितनी सहकारी संस्थाओं के चुनाव कब कब कराये हैं ?

(2) राज्य में किन किन सहकारी संस्थाओं में नौकरशाही प्रशासक का कार्य-भार संभाले हुए है ?

(3) राज्य में सम्पूर्ण सहकारी संस्थाओं के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल):

(1) राजस्थान में गत दो वर्षों में 1376 सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराये गये हैं, जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) राज्य की 635 सहकारी संस्थाओं में राजकीय अधिकारी प्रशासक का कार्य कर रहे हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर है।

(3) राज्य की 19 वर्ग की सहकारी संस्थाओं में चुनाव कराने के आदेश जारी हो चुके हैं, शेष में शीघ्र ही चुनाव कराये जायेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड (1) के उत्तर में कहा है कि 1376 समितियों के चुनाव हो गए हैं, तो कुल राजस्थान में कितनी सहकारी समितियां हैं ? दूसरे जिन समितियों में चुनाव हुए हैं उनमें ग्राम सेवा

(श्री कौशल किशोर जैन)

सहकारी समिति तथा कृषि ऋण दात्री समितियां कितनी हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूची मुझे दी है जिन संस्थानों की, ऐसा लगता है कि सहकारी संस्थान जितने राजस्थान में हैं उनमें से किसी में भी चुनाव नहीं हुए हैं दो साल से। मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि क्या आप व्यवस्था करेंगे कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त करेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके लिए निवेदन है कि राजस्थान में 18705 सहकारी समितियां हैं और 18705 सहकारी समितियों में से 3731 सहकारी समितियों का अवसायन हो चुका है। अवसायन में जो सहकारी समितियां हैं इनको निकालने के बाद शेष 14974 सहकारी समितियां रहती हैं। इन 14974 सहकारी समितियों में से 8787 सहकारी समितियों के चुनाव कराने के आदेश जारी हो चुके हैं। चुनाव सारे राजस्थान में धीरे धीरे, जो हमारे पास आफिशियल मशीनरी और दूसरे साधन हैं उससे कराये जा रहे हैं और उन आदेशों के तहत 1376 सहकारी समितियों के चुनाव कराये गए हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसमें प्राथमिक कृषि ऋण दात्री समिति और ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं क्योंकि इनके नये बायलाज बनकर तैयार हो चुके हैं और इनके ढांचे की पुनर्रचना कर रहे हैं। उसकी चर्चा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के साथ चल रही है। उस चर्चा के परिणाम आने हैं और वह परिणाम आने के बाद जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार शीघ्रातिशीघ्र यह चुनाव भी करा दिये जायेंगे।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि जब तक चुनाव पूरे नहीं होते तब तक नौकरशाही के हाथों में सहकारी समितियों को सौंपा हुआ है और उनकी जगह सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त करेंगे क्या ? इसका जवाब और दिला दें।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, भूमि विकास बैंक....

श्री अध्यक्ष : श्री माधोसिंह कछवाह।

श्री माधोसिंह कछवाह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जिन सहकारी समितियों के चुनाव हो गए हैं उनमें से क्या कोई कोआपरेटिव बैंक है ? अगर नहीं है, तो कोआपरेटिव बैंक के चुनाव कब तक करवाने की सम्भावना है ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी लेना चाहूंगा कि सहकारी समितियों को पैसा भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंकों के माध्यम से मिलता है और सहकारी बैंकों में और भूमि विकास बैंकों में सब जगह आपने प्रशासक राजकीय अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है। तो सबसे

(श्री शंकरलाल)

पहले आप चुनाव सहकारी बैंकों के और भूमि विकास बैंकों के कराने का इरादा रखते हैं या नहीं जिससे कि सहकारी आन्दोलन को जन आन्दोलन बनाने में मदद मिले वरना पूरा आन्दोलन सरकारी आन्दोलन बना हुआ है।

श्री सुखलाल सेणचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी आन्दोलन आज शिथिल प्रायः हो गया है। गाँवों में मार्केटिंग सोसायटी और कोआपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंकों के चुनाव नहीं हो रहे हैं और यह जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं यह भी शिथिल पड़ी हैं और सारा काम सरकारी मशीनरी के मार्फत हो रहा है। जबकि करोड़ों रुपया राज्य सरकार रिजर्व बैंक, सहकारी समितियों के मार्फत किसानों को दे रही है और आपकी ट्रेनिंग की कोई योजना नहीं है और रुपया दे रहे हैं। इस आन्दोलन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस सारे मूवमेंट का बंटाधार कर दिया है इस गवर्नमेंट ने।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से बताया कि नये बायलाज बन रहे हैं तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पिछले एक साल से इन बायलाज को एग्जामिन किया जा रहा है और नये बनाने की बात की जा रही है और एक साल से लगातार आप सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त करते जा रहे हैं और वह काम कर रहे हैं। और जहां प्रशासक काम नहीं कर रहे हैं वहां समितियां डिफेक्ट होती जा रही है और मेरा मंत्री महोदय पर स्पष्ट आरोप है कि इनकी सहकारिता में आस्था नहीं है और किसी न किसी कारण से इन चुनावों को टालते जा रहे हैं। अगर आपका प्रजातन्त्र में विश्वास है तो आपको जल्दी से जल्दी चुनाव कराने चाहियें, क्या आप ऐसा करायेंगे ?

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन (नवलगढ़) जो प्रजातंत्र पर आधारित है और प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं। प्रजातन्त्र के नियमों को तोड़ने के लिए आपने प्रशासक नियुक्त कर दिये हैं। सहकारिता में विश्वास करने वाले लोग इन प्रशासकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके प्रशासकों ने सहकारिता को पंगु बना दिया है। आपको निवेदन करूं न बैंक से ऋण मिलता है, न बैंक की ठीक प्रकार से व्यवस्था चलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए तत्काल चुनाव कराने की घोषणा करेंगे ?

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता का दिवाला निकल गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। दूसरी बात है कम से कम 95 प्रतिशत सहकारी समितियों में गबन घोटाले हैं। काश्तकार परेशान हो रहे हैं। वर्षों से घोटाले हैं। बड़े बड़े लोगों में रकमें चली आ रही हैं। जिन लोगों में हजारों रुपये चले आ रहे हैं, प्रशासन में बैठ कर आपने वसूलियां नहीं की, क्या वसूलियां करके फिर चुनाव करायेंगे ? जिन्होंने गबन कर रखे हैं, उनके खिलाफ

(श्री रतनलाल वर्मा)

पुलिस में केस किये जायें। वसूलियों का अभियान चलाइये।

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ये सभी माननीय सदस्य मंत्रियों से निवेदन कर रहे हैं। क्या यह हाउस मन्त्रियों से निवेदन करने के लिये है या जवाब तलब करने के लिये है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : जिस प्रकार से आपने पंचायतों के चुनावों की घोषणा की थी, सहकारिता समितियों के चुनावों की भी घोषणा करें।

श्री परसराम मदेरणा : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह दांते कमेटी की सिफारिश थी कि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक का एमलगेशन कर दिया जाये? क्या इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और अगर इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है तो इन दोनों बैंकों के एमलगेशन की वजह से भूमि विकास बैंक के जो सदस्य हैं किस प्रकार ग्रामीण सहकारी बैंक के सदस्य बन सकते हैं? क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि बैंक्स के एमलगेशन का निर्णय ले रहे हैं, या लेने जा रहे हैं, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बैंकों के चुनावों के पूर्व यह जो प्राथमिक लोक तन्त्रीय संस्थायें हैं, इनके चुनाव कराने में आपके सामने क्या डिफिकल्टी है?

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : माननीय हरजी राम जी अभी अयूबखां ने क्या कहा है? सदन मंत्रियों के सामने गिड़गिड़ाने के लिए है या जवाब लेने के लिये? यदि जवाब नहीं आता है तो गिड़गिड़ाहट नहीं चलेगी। आप मंत्री को पिन पाइंट कैसे कर सकते हैं? जब तक कि जवाब नहीं आये? आप जनतंत्र को नहीं भूलें माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जितने पूरक प्रश्न पूछे गये, अलग-अलग तो अब समय नहीं रहा। कुल मिलाकर जो स्थिति सामने आई है, कुछ मुद्दों पर सदन निश्चित जानकारी चाहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, विरोधी दल के माननीय नेता ने पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है। दांते कमेटी की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि सी.सी. बैंक और एल. डी. बैंक को एमलगमेट किया जाये और इस सिफारिश को स्वीकार करने के बाद हमने, जैसा विरोधी दल के नेता को मालूम होगा कि किसी भी बैंक को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की पूर्व स्वीकृति के बिना भंग नहीं कर सकते। इसलिये एक बार मैं स्वयं भी रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर से बात कर पाया हूं। कुछ जानकारी और चाही है। राज्य सरकार ने और जानकारी भेजी है और उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं।

और प्रश्न पूछे गये हैं। कि जिस तरह से ग्राम पंचायतों के चुनाव हमने करवा दिये और उस समय एक स्पष्ट घोषणा की थी। अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश फाइनल होने के बाद चुनाव किये गये। आज ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नये

(श्री कैलाश मेघवाल)

बायलाज हम स्वीकार कर चुके हैं और उनके अनुसार हम चुनाव करा सकते हैं। लेकिन हम यह देख रहे हैं क्योंकि उसके बाद सी. सी. बैंक के चुनाव होंगे तो चुनाव कराने के बाद अगर टाइम ज्यादा रह गया तो आपकी आलोचना का पुनः शिकार बनना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आवश्यक ढ़ांचा बन जाये और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव पहले ही करा लें। इसलिए विलम्ब हो रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायेंगे।

माधोसिंह जी ने जो पूछा है किसी सहकारी बैंक के चुनाव नहीं हुए हैं, प्रशासक लगे हुए हैं। प्रशासक अगर लगाये जायेंगे तो केवल राजकीय अधिकारी ही लगाये जा सकते हैं या अन्य नामीनेटड बोर्ड कायम किया जा सकता है। प्रशासक लगाना इसलिये उचित समझा गया, हम उम्मीद करते थे कि चुनाव जल्दी से जल्दी करा लेंगे। शीघ्र चुनाव करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कुछ चिंता व्यक्त की गई कि मैं असहकारी हूं, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। जिन्होंने कहा, इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहकारिता की मांग पर चर्चा नहीं हुई अन्यथा इस सदन को मैं बताता कि सहकारिता में कितना विश्वास रखता हूं। रतनलालजी ने जैसा कहा, सहकारी समितियों में 95 प्रतिशत भ्रष्टाचार वर्षों से है। हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे स्तर पर कहीं जांच में कहीं हो, नीचे विलम्ब हो सकता है, मैं मानता हूं। सारे सदस्य जो देख रहे हैं, चार्ज शीट जो हो रही है, अगली बार सारा खाता रख दूंगा। कई जांचें पूरी तैयार होकर आ रही हैं....

श्री सुखलाल सेंगचा : केवल जांच ही करते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे पास आई हुई है, उस सहकारी समिति की भी जांच होगी ....

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि काई मंत्री महोदय इतने अर्से से....

श्री श्योपतसिंह मकासर : निवेदन नहीं जवाब तलब करना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री टीकमचन्द कांत (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : एक भी प्रश्न अब नहीं पूछा जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आधा मिनट का समय चाहता हूं। मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं....

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

उम्दतुल हुक्मा डिग्री को मान्यता

695. श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजपूताना यूनानी कालेज की उम्दतुल हुक्मा डिग्री की मान्यता 1968 से समाप्ति के आदेश सन् 1976 में व डिप्लोमा (तिब्बती फाजिल) की मान्यता सन् 1970 तक के समाप्ति के आदेश 1977 में निकाले गये हैं जब कि आयुर्वेद विभाग में सन् 1972 में उत्तीर्ण डिग्री स्नातकों को 1976 तक उत्तीर्ण डिप्लोमाधारियों को नियुक्तियां दी हैं ? ऐसा पक्षपात क्यों किया गया जब कि यूनानी की शिक्षण संस्था राजस्थान में इसके अतिरिक्त नहीं है ?

(2) क्या राजपूताना यूनानी कालेज जयपुर को प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली अनुदान राशि में चलाया जाना सम्भव है ? अगर हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था सोची है ?

(3) क्या विभाग में 25 हकीमों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो 20 उत्तीर्ण स्नातक राजपूताना यूनानी तिब्बी कालेज जयपुर के बेरोजगार क्यों बैठे हैं ? उनको नियुक्तियां क्यों नहीं दी जाती ?

(4) राजस्थान में आयुर्वेद का वार्षिक कितना बजट है ? इसके अधीनस्थ चलाई जाने वाली प्रत्येक चिकित्सा पद्धति यूनानी, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा योगासन पर पृथक-पृथक कितनी राशि व्यय की जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1972 में उत्तीर्ण डिग्रीधारियों को वर्ष 72 तथा 73 में तथा उत्तीर्ण डिप्लोमाधारियों को वर्ष 1976 में नियुक्ति दी गई थी। चूंकि मान्यता का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था और मान्यता के मामले पर निर्णय 1976 में हुआ और नियुक्तियां पूर्व में ही हो गई थीं। अतः नियुक्तियों में कोई पक्षपात नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। कालेज केवल अनुदान राशि से ही नहीं चलाया जा सकता इसके लिए अधिकांश राशि संस्था को अपने स्तर से प्राप्त करनी होती है। इसकी व्यवस्था के बारे में मामला विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। हकीमों के 23 पद रिक्त हैं। विभाग द्वारा पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था जिसके सन्दर्भ में 20 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जिन पर चयन कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले में सरकारी भवनों हेतु स्वीकृत राशि

845. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत 10–12 वर्षों में बाड़मेर जिले में सरकारी भवन आवास/कार्यालय निर्मित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से कितनी धनराशि दी गई ?

(2) क्या जो धनराशि दी गई उसका अधिकांश ही नहीं लगभग सारा धन बाड़मेर नगर में ही व्यय किया गया ?

(3) क्या बालोतरा, बाड़मेर जिले का महत्वपूर्ण कस्बा है और जहां सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास की भयंकर समस्या बनी हुई है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस वर्ष बालोतरा में सरकारी आवास हेतु भवन निर्माण कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) गत दस वर्षों में बाड़मेर जिले में सरकारी आवास तथा कार्यालय निर्मित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से रुपये 5.94 लाख की धनराशि दी गई है।

(2) जी नहीं। दी गई राशि में से 5.02 लाख बाड़मेर नगर तथा रुपये 0.92 लाख बालोतरा कस्बे के लिये व्यय हुए हैं।

(3) जी हां। बालोतरा जिले का महत्वपूर्ण कस्बा है जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की समस्या भी है।

(4) इस समय जिला मुख्यालयों पर ही लगभग सात हजार व्यक्ति आवासीय सुविधा के आवंटन की प्रतीक्षा में हैं। फिर भी समस्या की महत्ता तथा उपलब्ध धनराशि को देखते हुये इस सम्बन्ध में यथा सम्भव विचार किया जायेगा।

नोखा मंडी में महाविद्यालय

847. **श्री उदाराम हटीला** (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के नोखा मंडी कस्बा में दस लाख की लागत से महाविद्यालय बनाया गया है तथा अन्य सुविधायें भी जुटाई जा सकती हैं ?

(2) राज्य सरकार इस मंडी में कालेज क्यों नहीं खोल रही है ? यदि खोलने जा रही है, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) भारत सरकार एवं यू. जी. सी. की सिफारिशों के अनुसार उच्च शिक्षा के गुणात्मक विस्तार पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, सख्यात्मक पर नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर में सड़क के किनारों पर लगे हुए पेड़

848. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर में सड़क के दोनों ओर कई स्थानों पर जयपुर स्वच्छ नगर संस्था द्वारा पत्थरों के पेड़ लगाये हुए हैं ? यदि हां, तो किन के आदेश से किन शर्तों और नियमों के अन्तर्गत ?

उत्तर

जी हां । राज्य सरकार की स्वीकृति से । यह स्वीकृत इस शर्त पर दी गई थी कि होर्डिंग्स का निर्माण सड़क की मध्य रेखा से कम से कम 18 मीटर के फासले पर होगा । स्वीकृति राज्य सरकार के सामान्य अधिकारियों एव परिषद् के विज्ञापन सम्बन्धी उपनियमों के अन्तर्गत दी गई थी । जो होर्डिंग्स बगैर स्वीकृति के हैं, उनके लिए नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये नगर परिषद् को आदेश दे दिये गये हैं ।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का नवीन वेतनमान में स्थिरीकरण

849. **श्री मागीलाल** (जायल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कितने राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारी हैं जिनका नवीन वेतनमान, 1968 तथा 1976 के अनुसार स्थिरीकरण नहीं हुआ है ? यदि नहीं हुआ, तो क्यों, तथा अब कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी जिनका स्थिरीकरण नहीं हुआ है, की स्थिति निम्न प्रकार है:—

वेतनमान	राजपत्रित	अराजपत्रित
1968	1	16
1976	26	461
योग	27	477

उपरोक्त कर्मचारियों के स्थिरीकरण अवशेष रखने का मुख्य कारण पंचायत समितियों से शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित होने पर पूर्व के स्थिरीकरण न होने तथा सेवा अभिलेख प्राप्त नहीं होना है ।

निदेशालय द्वारा दिनांक 31-3-79 तक बकाया सभी स्थिरीकरण प्रकरण निपटाने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को पूर्व में ही आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं । इस प्रकार विभाग समस्त अवशेष स्थिरीकरण प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रयत्नशील है ।

जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर के अधीन रिक्त पद

850. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस सत्र में सीकर जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन किस किस ग्रेड के कितने कितने स्थान रिक्त थे व कितने नये पदों की राज्य सरकार से स्वीकृति मिली ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

(2) क्या उपरोक्त विभिन्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी गई ? यदि हां, तो किस आधार पर व इन पदों पर लगाये गये अध्यापकों की कब कब व कहां कहां नियुक्ति की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इस सत्र में सीकर जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन सत्रारम्भ में कोई पद रिक्त नहीं था । 82 पद द्वितीय वेतन श्रृंखला के नवक्रमोन्नत विद्यालय हेतु मिले व 35 पद तृतीय वेतन श्रृंखला में मिले । 35 पद तृतीय वेतन श्रृंखला के द्वितीय वेतन श्रेणी में पदोन्नति से रिक्त हुए । सूची संलग्न है।

(2) जी हां। पदोन्नति, स्थानान्तरण एवं नवीन नियुक्तियों द्वारा इन पदों की पूर्ति की गई। इन पदों पर लगाये गये अध्यापकों की सूची साथ में संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

काली बेरी सूरसागर एवं भगत की कोठी के मिडिल स्कूल

851. **श्री नरपतराम बरबड़** (सूरसागर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि काली बेरी सूरसागर में करीब 15 हजार की आबादी होते हुए भी वहां के मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया गया ? अगर हां, तो क्यों नहीं किया गया व इस वर्ष काली बेरी मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत किया जावेगा अथवा नहीं ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि भगत की कोठी जोधपुर व ग्राम केरु तहसील जोधपुर में भी घनी आबादी होते हुए भी वहां की पाठशालायें क्रमोन्नत नहीं की गई हैं ? अगर हां, तो इस वर्ष भगत की कोठी व ग्राम केरु की पाठशालायें क्रमोन्नत की जायेंगी या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) आबादी का आधार केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही रखा गया था । यह शहरी क्षेत्र में है। उसके करीब 4 किलोमीटर की परिधि में राजकीय माध्यमिक विद्यालय विद्याशाला जोधपुर स्थित है। अगले वर्ष नये विद्यालय खोलने की नीति विचाराधीन है।

(2) जी हां। खण्ड 1 के अनुसार।

गंगरार क्षेत्र के स्कूलों को क्रमोन्नत करने का मामला

852. **श्री मांगीलाल** (जायल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के ग्राम पुठोली, रूद, हिन्डोली, नगरी के उच्च प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में कब तक क्रमन्नोत कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

अगले सत्र विद्यालय क्रमोन्नत की नीति विचाराधीन है।

राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

853. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र कहां कहां चल रहे हैं और इनमें कौन-कौन से कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? केन्द्र अनुसार सिखाये जाने वाले कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रत्येक केन्द्र पर प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की जाती है और कितनी राशि प्रतिवर्ष वापस प्राप्त हो जाती है ? कृपया गत पांच वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या प्रत्येक केन्द्र में निर्मित सामान को बेचने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या इस आमदनी का लाभ सामान निर्मित करने वाले केन्द्र को प्राप्त नहीं होता है ?

(4) प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश लेने की शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित है और वर्तमान में प्रवेश के लिए क्या मापदण्ड हैं ?

(5) क्या प्रत्येक केन्द्र पर अध्ययन पारी बढ़ाये जाने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

(6) क्या राज्य सरकार गांवों के छात्रों और महिलाओं को विशेष तौर पर औद्योगिक ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में जहां जहां औद्योगिक-प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं तथा उनमें जिन जिन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी सूची संलग्न है–परिशिष्ट (ग)।

(2) प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर गत पांच वर्षों में जितनी धनराशि व्यय की गई है तथा जितनी राशि प्रतिवर्ष वापस प्राप्त हुई है उसकी सूचना परिशिष्ट (ख) में संलग्न है।

(3) हां। संस्थान द्वारा निर्मित सामान बेचने की व्यवस्था है। नहीं।

(4) प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश लेने की शैक्षणिक योग्यता परिशिष्ट (ग) में दर्शाये अनुसार निर्धारित है। प्रवेश के लिए योग्यता क्रम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर है।

(5) हां।

(6) गावों के छात्रों के लिए विशेष तौर के प्रशिक्षण हेतु कुछ केन्द्र वर्ष 79-80 में खोले जाने के प्रस्ताव हैं तथा ऐसे केन्द्र अगले सितम्बर तक खोले जाने की सम्भावना है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राज्य के संस्कृत विद्यालय

854. **श्री आर. डी. यादव** (चौमू) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संस्कृत शिक्षा (निदेशालय) पर चालू वर्ष में राज्य सरकार ने कितनी बजट की राशि आवंटित की थी ? राज्य में कितने सरकारी विद्यालय हैं और सहायता प्राप्त कितने विद्यालय हैं ? सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रति वर्ष कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है ?

(2) चालू वर्ष में कितने संस्कृत विद्यालय क्रमोन्नत किए गए ? क्या राज्य सरकार के पास संस्कृत विद्यालय चौथवाढ़ी, जिला जयपुर को उपाध्याय स्तर तक क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या संस्कृत के पढ़े लिखे छात्रों को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त राज्य सरकार व अन्य विभागों में सरकारी सेवा में लिया जाता है ? यदि हां, तो किस किस विभाग में ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में निदेशालय हेतु चालू वर्ष में 4-15 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है । राज्य में राजकीय 44 विद्यालय हैं तथा 73 सहायता प्राप्त विद्यालय हैं । इन्हें लगभग 3 लाख रुपये की राशि आवंटित की जाती है ।

(2) चालू वर्ष में कोई विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया । छठी पंचवर्षीय योजना में राजकीय विद्यालय चौथवाड़ी को उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(3) ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है । राज्य सरकार द्वारा संस्कृत की विभिन्न परीक्षाएं सामान्य परीक्षाओं के समकक्ष ही मान्यता प्राप्त हैं ।

शिक्षा विभाग के पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

855. **श्री नाथूराम** (बागीदोरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्या परिभाषा है ? 31-12-77 को कुल कितने पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बांसवाड़ा जिले में किस किस शाला में कार्य कर रहे थे तथा उनको कितना कितना वेतन मिल रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के निर्णय के अनुसार पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियमित रिक्त पद पर नियुक्त करने के निर्देश प्रसारित हुए थे उनमें वेतन के अनुसार पार्ट टाइम का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था ? यदि नहीं, तो कृपया सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह भी सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, बांसवाड़ा ने कार्यरत पार्ट

(श्री नाथूराम)

टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित रिक्तियों पर लगाने के निर्णय की अवहेलना होने दी है और कई क्रमोन्नत शालाओं में कर्मचारियों को बेरोजगार किया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो 1978 में जिले में कार्यरत कितने पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कहां कहां लगाया गया ? कितने स्थान रिक्त हुए ? कितनों को नियमित नहीं किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वे हैं जिन्हें कुछ ही समय के लिए विद्यालय में आकर पानी भरना या सफाई का कार्य करना पड़ता है।

बांसवाड़ा जिले में 31-12-77 को कुल 84 पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 150/– रुपये स्थिर वेतन पर कार्यरत हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। उन सब पार्ट टाइम कर्मचारियों को एक समान ही स्थिर वेतन मिलता है। अतः वेतन के अनुसार वर्गीकरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। 1978 में कार्यरत पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

पंचायत समिति क्षेत्र कोलायत के स्कूल

856. **श्री रामकृष्णदास गुप्ता** (कोलायत): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोलायत पंचायत समिति में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या क्या है ?

(2) इस पंचायत समिति में ऐसे कितने गांव हैं जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ?

(3) इन गांवों की निकटतम विद्यालय से औसतन कितनी दूरी हैं ?

उत्तर

(1) कोलायत पंचायत समिति में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 69 एवं उच्च-प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 14 है।

(2) इस पंचायत समिति क्षेत्र में 22 गांव ऐसे हैं जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं।

(3) इस पंचायत समिति के पूर्वी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की औसतन दूरी 3 से 5 किलोमीटर है। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की दूरी 10 से 20 किलोमीटर तक है।

हाउसिंग बोर्ड द्वारा नाहरी का नाका में निर्मित मकान

857. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या

Page No. 32

(32)

(श्री मूलचन्द डागा)

नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि हाउसिंग बोर्ड के नाहरी का नाका क्षेत्र में निर्मित मकानों की संरचना सम्बन्धी दोष व घटिया स्तर के मैटीरियल इस्तेमाल करने की हजारों मौखिक व लिखित शिकायतें प्राप्त होने और आवासन मन्त्री की इस विषयक सदन में स्पष्ट स्वीकारोक्ति की दृष्टि से पिछले 4–5 माह पूर्व इस क्षेत्र के सहायक अभियन्ता (वर्तमान स्थलीय अभियन्ता) श्री शिवहरे से सभी मकानों का सर्वेक्षण कराया गया था। जिसमें आमतौर पर निम्न खामियों की ओर काबिजों द्वारा ध्यान आकृष्ट कर तत्स्थलीय निरीक्षण कराया गया था–

(क) सरचना सम्बन्धी दोष।

(ख) कारपेन्ट्री मैसनरी, सैनीटेशन, ज्वाईनरी व वर्कमेनशिप घटिया स्तर की होना।

(ग) फर्श (चिप्स फ्लोर सहित) में टूट फूट होना और ढलान सम्बन्धी दोष।

(घ) अधिक बरसात होने पर छतों से पानी चूना, सीलन आना।

(ड़) शौचालय, स्नानागार की फ्लोरिंग साउन्ड नहीं होने और पानी के निकास की अत्यन्त दोषपूर्ण और चालू व्यवस्था होने के कारण कमरों के कोनों में शाश्वत सीलन रहना जो कि एक खतरनाक स्थिति है और अविलम्ब निराकरण की अपेक्षा करती है।

(च) कमरों के कोने झड़ना, प्लास्टर उखड़ना

(छ) नींव गहरी नहीं होना अथवा खोखली होना जो काबिजों के लिए घातक है। इस स्थिति से स्थानिक अभियन्ता व बोर्ड के अध्यक्ष महोदय सुपरिचित हैं।

(ज) मकान के सम्मुख दिखाई गई पत्थरों की कागजी निकाशकारी (स्टोन-मैसनरी) का खोखली होना। जिससे कमरों में बरसात के दिनों निरन्तर सीलन का व्याप्त होना।

(झ) उपरोक्त प्रमुख दोषों के अतिरिक्त अन्य कमियां जो सर्वे के लिए निर्धारित रिकार्ड में अंकित हैं।

(2) घटिया मकान बनाकर काबिजों के कड़े श्रम की कमाई को लूटने के जिम्मेदार ठेकेदार और तत्कालीन पर्यवेक्षण अधिकारी और संधारण के लिए जिम्मेदार वर्तमान अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करना उपयुक्त समझती है?

उत्तर

(1) विधान सभा के गत सत्र में यह उत्तर दिया गया था कि नाहरी का नाका क्षेत्र में निर्माण कार्य संतोषप्रद स्तर का नहीं है। तथा इससे आंवटियों में असन्तोष है। आंवटियों को किस किस प्रकार की शिकायतें हैं उनका ब्यौरा तैयार करवाने हेतु मंडल के कर्मचारियों, अभियन्ताओं को नियुक्त किया गया है। जैसे जैसे वाजिब शिकायतें पायी जा रही हैं, उनके निराकरण का प्रयास जारी है।

( ) कथित विषय के सम्बन्धित तथ्य इकट्ठे किये गये हैं व अग्रिम कार्यवाही जारी है।

Page No. 33

33

राज्य में उर्दू विषय के शिक्षक एवं प्राध्यापक

858. **श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 22 जून, 77 से 16 फरवरी, 79 तक कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उर्दू की कक्षाएं प्रारम्भ की गई हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि 10 विद्यार्थियों द्वारा उर्दू विषय की मांग करने पर उर्दू विषय खोल दिया जाता है ? यदि हां, तो सन् 1977-78 व 1978-79 में इस आधार पर कहां-कहां उर्दू विषय प्रारम्भ किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य में इस समय विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उर्दू के कितने शिक्षक एवं प्राध्यापक हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सीकर जिले में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर किये गये स्थानान्तरण

859. **श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस सत्र में कितने स्थानान्तरण किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सीकर जिले में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अपना स्थानान्तरण किस किस अध्यापक ने चाहा था ? इनमें से किस किस अध्यापक का स्थानान्तरण अभी तक नहीं किया गया, ऐसा क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस सत्र में तृतीय वेतन श्रृंखला में कोई भी स्थानान्तरण नहीं किया गया। द्वितीय वेतन श्रृंखला में दो स्थानान्तरण 1. श्री मदनलाल शर्मा स० अ० रा० मा० वि० गुरारा, 2. श्री मोहनलाल स० अ० रा० उ० प्रा० वि०, कल्याणपुरा (थोई) में किये गये हैं।

(2) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर जिन अध्यापकों ने स्थानान्तरण चाहा था, उनकी सूची संलग्न है। तथा जिन अध्यापकों के स्थानान्तरण नहीं हुए, कारण अध्यापक के नाम सम्मुख अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

Page No. 34

34

राज्य में चल रहे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

860. **श्री बजरंग लाल शर्मा** (बनीपार्क जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में प्रौढ़ शिक्षा हेतु कितने केन्द्र चलाये जा रहे हैं और वे कहां–कहां चलाये जा रहे हैं ?

(2) उक्त केन्द्र किन के द्वारा संचालित हैं ?

(3) उक्त केन्द्रों पर कुल कितना व्यय हो रहा है ?

(4) कुल व्यय का कितना प्रतिशत देहाती इलाकों पर व्यय किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 3023 केन्द्र चलाये जा रहे हैं। सूची संलग्न है।

(2) ये केन्द्र स्वेच्छिक संस्थाओं, नेहरू युवक केन्द्र, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

(3) उक्त केन्द्रों के संचालन के लिए रु० 49,90,740,91 व्यय का प्रावधान है।

(4) कुल व्यय का अधिकांश भाग देहाती इलाकों पर व्यय किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सीकर जिले के अन्य जिलों में कार्यरत अध्यापक

861. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले के अन्य जिलों में कार्यरत अध्यापकों के सीकर जिले में स्थानान्तरण के लिये किस किस के प्रार्थना-पत्र आये ? मय उनके, अन्य जिलों में पदस्थापन की तारीख व वर्ष के विवरण के, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से किस किस को कब कब व कहां कहां सीकर जिले में स्थानान्तरित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सीकर जिले में अन्य जिलों से अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु 93 आवेदन प्राप्त हुए। अन्य जिलों में कार्यरत अध्यापकों की सूची पदस्थापन तिथि सहित संलग्न है।

(2) उपरोक्त सूची में से कुल सात अध्यापकों के स्थानान्तरण सीकर जिले में किये गये हैं। स्थानान्तरित अध्यापकों के पदस्थापन स्थान व दिनांक सहित सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

थाना चौमूं में भैंस की चोरी के दर्ज मामले

863. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर जिले के थाना चौमू में इस वर्ष भैंस की चोरी के मुकदमें दर्ज हुए हैं ? अगर हां, तो कब कब, कहां कहां के ?

(2) क्या यह सही है कि कालाडेरा भैंस चोरी के मामले में एस. पी. अलवर की नयी जीप बिना पंजीकरण के जाने पर पकड़ी गयी थी? अगर हां तो जीप दुर्घटना में कितना नुकसान हुआ है तथा मरम्मत व्यय का किसने भुगतान किया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जीप एस.पी. अलवर के निर्देश से गयीथी ? अगर हां, तो क्यों व किस कार्य के लिए ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) जी नहीं।

राज्य में फांसी की सजा को समाप्त करने हेतु केन्द्र सरकार को भेजे गये सुझाव

864. **श्री ईश्वर चन्द्र भटनागर** (पिड़ावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रान्त में 22 जून, 77 से 10.2.79 तक कितने अपराधियों को फांसी पर लटकाया गया ? पूरी सूची मय नाम वल्दियत के फांसी की तारीख दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में मृत्यु दण्ड प्राप्त कितने अपराधियों को क्षमादान दिया गया व फांसी पर नहीं लटकाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य ने फांसी की सजा खतम करने का सुझाव केन्द्र को भेजा है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 22 जून, 1977 से दिनांक 10–2–1979 तक की अवधि में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के एक मृत्यु दण्डित बन्दी करम सिंह पुत्र चमन सिंह जाति जाट सिख, निवासी ढ़ाबा, थाना सांगरिया, जिला श्री गंगानगर को दिनांक 9–1–78 को फांसी पर लटकाया गया था।

(2) राजस्थान राज्य के बनने से अब तक राज्य में किसी भी मृत्यु दण्डित बन्दी को पूर्ण क्षमादान नहीं दिया गया है। अपितु महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा 10 बन्दियों के मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास के दण्ड में परिणित किया गया है। इन दस बन्दियों के नामों की सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। आवश्यकता नहीं समझी गई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राज्य की जेलों में सजायापता नाबालिग व्यक्ति

865. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (वनीपार्क, जयपुर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में कोई नाबालिग उम्र के व्यक्ति सजायापता होकर जेलों में हैं ? यदि हां, तो कितने हैं और किस समूह के हैं ? लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं ?

(2) क्या राज्य की जेलों में कोई नाबालिग उम्र के व्यक्ति अन्डर ट्रायल हैं ? यदि हां, तो वे कितने हैं, किस उम्र समूह के हैं और कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं ?

(3) क्या उक्त प्रकार के कैदियों की रिहाई का राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है और कब लिया है ?

उत्तर

(1) राज्य के बाल बन्दी सुधारगृह में 20 नावालिग उम्र के बन्दी सजायापता होकर सजा भुगत रहे हैं, जिनकी आयु समूह का विवरण निम्न भांति है—

	आयु समूह				
	10 वर्ष से कम	10 से 14 वर्ष	14 से 16 वर्ष	16 से 18 वर्ष	कुल योग
लड़के	–	–	9	11	20
लड़कियां	–	–	–	–	–

(2) राज्य के विभिन्न कारागृहों में 27 नावालिग उम्र के लड़के व लड़किया विचाराधीन बन्दी की हैसियत से हैं, जिनका आयु समूह का विवरण निम्न भांति है—

	आयु समूह				
	10 वर्ष से कम	10 से 14 वर्ष	14 से 16 वर्ष	16 से 18 वर्ष	कुल योग
लड़के	–	5	5	11	21
लड़कियां	–	–	2	4	6

(3) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राज्य के पुलिस स्टेशनों पर उपलब्ध वाहन सुविधा

866. **श्री आर. डी. यादव (चौमूं)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने पुलिस स्टेशन हैं और कितने पुलिस स्टेशनों के पास वाहनों की सुविधाएं मौजूद हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण अंचल में पुलिस स्टेशनों के पास वाहनों की सुविधा मुहैया नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार वाहन विहीन पुलिस स्टेशनों को साधन मुहैया कराने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या ग्रामीण अंचलों में स्थित पुलिस स्टेशनों पर ऊंट रखे जाते हैं ? प्रत्येक ऊंट के लिए राज्य सरकार मासिक खर्च की राशि कितनी देती है ? कितने पुलिस स्टेशनों के पास ऊंटों के साधन हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इस वर्ष राज्य सरकार ने कुछ ग्रामीण थानों पर वाहन उपलब्ध कराये हैं ? अगर हां, तो जिलेवार सूची सदन के मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 558 थाने हैं। वर्तमान में 62 थानों में वाहनों के साधन उपलब्ध हैं ।

(2) ग्रामीण अंचलों के 30 थानों में वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । आर्थिक कारणों से अभी सभी थानों में वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है । प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मध्य नजर रखते हुए समुचित धन की व्यवस्था होने पर शेष थानों में प्राथमिकता के आधार पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ।

(3) जी हां । प्रत्येक ऊंट के लिये 80/– रुपये मासिक ऊंट भत्ते की राशि सुतर सवार को दी जाती है । जिलेवार सूचना संलग्न है ।

(4) जी नहीं ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

ग्राम पंचायत कोलपुर के सरपंच का मामला

867. **श्री समरथलाल (राजगढ़)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 17–2–79 को ग्राम पंचायत कोलपुर खेड़ा जिला अलवर के सरपंच एवं कुछ व्यक्तियों को अनाज के बदले काम योजना के गेहूं, बांदीकुई मंडी में बेचते हुए पुलिस बांदीकुई ने पकड़ लिया ?

(2) क्या यह सही कि उक्त मामले को पुलिस रफा दफा करने की कोशिश कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । अनुसंधान जारी है ।

राज्य की पुलिस और उनको मिलने वाली सुविधाएं

868. **श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पुलिस के सिपाहियों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक सिपाही को कुल वेतन कितना मिलता है ?

(2) पुलिस के खोजी कुत्तों के दल कितने है और कहां-कहां हैं तथा प्रत्येक कुत्ते पर महीने में कितनी राशि खर्च की जाती है ? खोजी कुत्तों ने अपराध अनुसंधान में कितने मामलों में सहयोग दिया है ?

(3) पुलिस के सिपाही से कितने घंटे ड्यूटी ली जाती है ? क्या अतिरिक्त ड्यूटी अलाउन्स दिया जाता है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) पुलिस के सिपाही को साल में कितनी ठंडी व गर्म वर्दियां दी जाती हैं ? प्रतिवर्ष राज्य सरकार कितनी राशि वर्दियों पर खर्च करती है ?

उत्तर

(1) राज्य में पुलिस के सिपाहियों की संख्या 31,720 है। सिपाहियों का वेतनमान 250–4–270–6–300–8–340–10–360 है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं। न्यूनतम वेतन पर महंगाई भत्ता रु० 28/– मिलता है। वर्दी रख रखाव के लिये रु० 6/– मिलता है। जिन लोगों को शहरी भत्ता एवं मकान किराया देय है उनकी दरें क्रमशः 6/– रु० एवं 20/– रुपये हैं। इसके अतिरिक्त सिपाहियों को मेस भत्ता भी मिलता है। मेस भत्ते की दरें :—

1. थाने एवं चौकी के सिपाहियों के लिए 15/– रु०
2. पुलिस लाइन में सिपाहियों के लिए 22/– रु० (एपी व सीपी)
3. आर. ए. सी. में सिपाहियों के लिए 33/– रु०

(2) राज्य में 2 पुलिस खोजी कुत्ते है, जो जयपुर में हैं। प्रत्येक कुत्ते पर एक माह में करीब 330/– रुपए खर्च होता है। खोजी कुत्तों ने 6 माह में 12 अपराधों के अनुसंधान में सहयोग दिया है।

(3) पुलिस कान्स्टेबल को हर समय ड्यूटी पर तैयार रहना पड़ता है व आवश्यक ड्यूटी करनी होती है। अतिरिक्त ड्यूटी अलाउन्स का कोई प्रावधान नहीं है। नियमित ड्यूटी में कार्य करने के लिए अतिरिक्त अलाउन्स देने की आवश्यकता भी नहीं है।

(4) सिपाहियों की वर्दी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्केल के अनुसार दी जाती है। पूर्ण सूचना सूची में अंकित है। एक सिपाही की वर्दी पर प्रति वर्ष करीब 300/– रुपये खर्च होते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पाली व जोधपुर ज़िले की चूने के पत्थर की लीजेज

869. **श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पाली जिले व जोधपुर जिले में चूने से पत्थर की लीजों में से क्षेत्र कम किया है ? यदि हां, तो कितने-कितने वर्ग किलो मीटर का क्षेत्र कम किया व किस किस तारीख से ?

(2) क्या प्रश्न के भाग 1 में बताये गये क्षेत्र का अप्रधान खनिज रियायती नियमों के अन्तर्गत खुला घोषित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? विज्ञप्ति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त विज्ञप्ति में सरकार ने उक्त क्षेत्र को फिर से पट्टे पर देने हेतु आवेदन-पत्र मांगे हैं ? क्या सरकार की नीति है कि योजनाबद्ध खनन पट्टे दिये जायं व योजनाबद्ध तरीके से खनन कार्य हेतु खनन क्षेत्र के प्लाट्स बना कर उनके पट्टे हेतु आवेदन पत्र मांगे जायं ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में प्लाट नहीं बनाने का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार प्रश्न के भाग 4 की कार्यवाही कर नये सिरे से विज्ञप्ति जारी करेगी ?

उत्तर

(1) हां। जिन पट्टाधारियों द्वारा जिस तिथि को क्षेत्र कम किया गया उसकी तालिका संलग्न है।

(2) हां। प्रश्न के भाग 1 में बताये गये क्षेत्र जिन विज्ञप्तियों से खुले घोषित किये गये उनकी प्रतिलिपियां संलग्न है।

(3) हां। खुले किये गये क्षेत्र पट्टे से देने हेतु आवेदन पत्र मांगे गये हैं। विभाग द्वारा उन्हीं क्षेत्रों में प्लाट बनाये जाते हैं जिनका सर्वे कर लिया गया है व जिनमें खनिज की उपलब्धता विदित हो जाती है। छोड़े गये क्षेत्रों में सर्वे नहीं होने से प्लाट बनाना सम्भव नहीं हो सका।

(4) सम्भवत: इसका तात्पर्य प्रश्न 3 से है। प्रश्न 3 के उत्तर में बताई गई स्थिति में नई विज्ञप्ति जारी करना सम्भव नहीं है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राज्य में भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

870. **श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़)** : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में भूमिहीन किसानों की कितनी संख्या है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में जून 1977 के बाद कितने भूमिहीन किसानों को स्थाई भूमि का आवंटन किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No. 40

(40)

उत्तर

(1) राज्य में भूमिहीन किसानों की संख्या दिनांक 31-12-78 तक 2,98, 618 है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) राज्य में जून, 1977 के बाद दिनांक 31-12-78 तक नॉन कमाण्ड क्षेत्रों में 1,33,483 व्यक्तियों तथा कमाण्ड क्षेत्र में 30,932 भूमिहीन किसानों को भूमि का आवंटन किया गया। आवंटति तथा आवंटित भूमि की जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों में छूट

871. **श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती कमला कुमारी वेवा ठा. भागीरथ सिंह तथा श्रीमती सुनीति राठौड़ जयपुर की देवी निवास चौमूं हाउस कालोनी, सरदार पटेल मार्ग स्थित 14593 वर्ग गज भमि को राज्य सरकार ने 29 अप्रेल, 1978 के बजट नोटिफिकेशन के द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों से छूट दे दी है ?

(2) क्या यह सही है कि इस नोटिफिकेशन के पेरा नं. 2 में यह कहा गया है कि उक्त भूमि अब अगर उक्त अधिनियम के तहत आवंटित की जाती है, तो प्रार्थियों को अनुचित कष्ट होगा ?

(3) वर्तमान बाजार दर से उक्त भूमि की प्रति वर्ग गज क्या दर है ?

(4) यदि नगर विकास न्यास उक्त भूमि को अधिग्रहण कर इस भूमि को नीलाम करे तो अनुमानतः उसे कितनी आय होगी ?

(5) क्या इस भूमि को नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम) अधिनियम, 1976 के तहत अवाप्त करने में सरकार कानूनी दृष्टि से सक्षम नहीं है ?

(6) प्रार्थियों के अनुचित कष्ट को कारण मानकर राज्य सरकार ने अब तक ऐसे कितने भू-खण्ड स्वामियों को उक्त अधिनियम के उपबन्धों से छूट प्रदान की है ?

(7) क्या यह सही है कि एक व्यक्ति विशेष के अनुचित कष्ट को देख कर राज्य सरकार द्वारा दी गई इस छूट से राज्य सरकार को लाखों रुपयों की हानि हुई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। आवंटन के बजाय अवाप्त करने में अनुचित कष्ट होने का उल्लेख है।

(वित्त मंत्री)

(3) विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बाजार मूल्य।

(4) आवासीय भू-खण्ड 80.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। औद्योगिक भू-खण्ड 120.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

(5) अनुमान लगाना कठिन है।

(6) जी नहीं। छूट देने के पश्चात् लोकहित में सरकार यदि आवश्यक समझें तो अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत छूट समाप्त कर भूमि को प्रावहित प्रणाली अपना कर अवाप्त कर सकती है।

(7) अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत छूट प्रदान किये गये भू-खण्ड स्वामियों का ब्यौरा निम्न है :—

जयपुर	198
अजमेर	17
जोधपुर	1
	216

जी नहीं।

ग्राम बड़ौड़ा के वैद्य का रिक्त पद

872. **श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)** : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कांग्रेस सरकार के समय बड़ौड़ा गांव में आयुर्वेद अस्पताल खोला गया था एवं एक वैद्य भी बड़ौड़ा गाँव जिला जैसलमेर में पदस्थापित था ?

(2) क्या अभी मौजूदा स्थिति में वहां कोई वैद्य नहीं है ? वैद्य नहीं होने के क्या कारण हैं ? क्या आयुर्वेद अस्पताल बन्द कर दिया गया है ? अगर नहीं, तो वैद्य की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? निश्चित तारीख बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वैद्य का परिवर्तन नागौर जिले में हो जाने से वर्तमान पद रिक्त है। किन्तु औषधालय चालू है। शीघ्र ही वैद्य की नियुक्ति करने की कार्यवाही की जावेगी।

न्यायिक सेवाओं को और सुविधायें

874. **श्री र ुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं के लिए, विशेषकर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स के लिए आवास सुविधाओं व वेतनमानों के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो अब तक क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ? मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट्स, सिविल जजेज एवं सत्र न्यायाधीशों को दी जाने वाली सुविधाओं की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्वतन्त्र

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

निष्पक्ष एवं स्वच्छ न्याय प्रणाली के लिये मौजूदा न्यायिक सेवाओं के वेतन मानों में परिवर्तन करना आवश्यक है ? अगर हां, तो कब तक क्या-क्या परिवर्तन किए जावेंगे अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि न्यायिक सेवाओं के वेतनमान कम होने, उनकी आवास सुविधाओं के अभाव एवं अन्य कठिनाइयों के कारण न्यायिक सेवाओं के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा कब तक क्या क्या कदम उठाये जावेंगे ?

उत्तर

(1) न्यायिक सेवा की सुविधायें व उनके वेतनमानों का प्रश्न अन्य सेवाओं की सुविधायें एवं वेतनमानों से जुड़ा हुआ है। राजकीय आवास आवंटित करने के नियम बने हुए हैं। आवासीय समिति हर जिले में गठित है जिसका अध्यक्ष जिलाधीश होता है। यह समिति आवास गृह आवंटित करती है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के वेतनमान अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के बराबर हैं। न्यायिक अधिकारियों के लिये अलग से कोई सुविधाएं नहीं होकर राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार अन्य सेवाओं के समकक्ष विशिष्ट सुविधाओं की सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) वेतनमानों के विषय मे विचार करने हेतु वेतन आयोग गठित किया जा रहा है। इसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर न्यायिक सेवा के लिये विचार कर कार्यवाही की जावेगी।

(3) न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों का उनके कम वेतन पाने अथवा आवासीय सुविधा के लिये अभाव से अथवा अन्य कठिनाइयों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। वेतनमानों के सम्बन्ध में खण्ड (2) में उत्तर दिया जा चुका है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

समाज कल्याण विभाग में कार्यरत कर्मचारी

875. **श्री जयनारायण सालोरिया (निवाई)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में समाज कल्याण विभाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं और उनमें अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने कर्मचारी हैं ? श्रेणीवार व जिलेवार पूर्ण आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या नियुक्तियों व प्रमोशनों में रोस्टर प्रणाली को काम में लिया जाकर, अनुसूचित जाति व जनजाति का रिजर्व कोटा हर श्रेणी में पूरा किया गया या नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जो नाम-मात्र के कर्मचारी अनुसूचित जाति व जन-जाति के हैं उनको भी परेशान करने की

(श्री जयनारायण सालोदिया)
दृष्टि से बार बार ट्रान्सफर करके नौकरी से त्यागपत्र देने तक को मजबूर किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि विभाग अनुसूचित जाति के लोगों के संवैधानिक व कानूनी प्राप्त हकों की रक्षा के लिये बनाया गया है ? यदि हां, तो जब विभाग में हक सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही अब तक की है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग में श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों की संख्या की दिसम्बर, 78 की स्थिति निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	कर्मचारियों की श्रेणी	पद संख्या	संख्या अनु० जाति	संख्या अनु० जन जाति
1.	प्रथम श्रेणी	11	–	1
2.	द्वितीय श्रेणी	407	79	32
3.	तृतीय श्रेणी	242	35	15
4.	चतुर्थ श्रेणी	708	248	119

जिलेवार सूची दिए जाने में असमर्थता है क्योंकि स्थानान्तरण आदि के कारण स्थिति हर समय बदलती रहती है।

(2) जी हां। रोस्टर प्रणाली का पूरा ध्यान रखा जाता है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कोटा पूरा है। शेष श्रेणियों में वांछित योग्यता के प्रत्याशी उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूरा नहीं होता है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रथम उप खण्ड – जी हां।

द्वितीय उप खण्ड – जी नहीं। किसी के खिलाफ कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट पाॅल व हैप्पी स्कूल की बसों का मामला

876. **श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुस्कर)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यातायात निरीक्षक को बिना किसी प्रकार की रसीद दिये किसी भी वाहन के कागजात हस्तगत करने का अधिकार है? क्या बिना रसीद दिये कागजात रखना नियम विरुद्ध नहीं है? क्या कागजात कुछ दिनों बाद लौटा देना अनावश्यक रूप से परेशान करना नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि सेन्ट पाॅल व हैप्पी स्कूल अजमेर की बसों के मामलों में यातायात विभाग अजमेर की बसों के अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध अनावश्यक रूप से परेशान किया गया। जिसकी दिनांक 27–10–78 को मैंने परिवहन आयुक्त को लिखित रूप में शिकायत की? यदि हाँ, तो उस पर अभी तक उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त विषय में दिनांक 26–12–78 को परिवहन आयुक्त ने अजमेर में जिला परिवहन अधिकारी से ही बात कर उनकी बातों के आधार पर इस विषय पर किसी प्रकार की कार्यवाही करना आवश्यक प्रतीत नहीं बताया? यदि हां, तो क्या यह उचित है? क्या उक्त शिकायत की जांच के समय स्कूल के व्यवस्थापकों या प्रतिनिधियों को परिवहन आयुक्त ने बुलाया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त विषय में 10 जनवरी, 1979 को परिवहन आयुक्त को पुन: पत्र लिखकर एक प्रति आपको प्रेषित की गयी थी जिसमें तथ्यों को अधिक स्पष्ट किया गया था? यदि हां, तो अब तक उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी तथा अब इस विषय में क्या किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी नहीं। बिना रसीद दिये वाहन के कागजात रखना नियम विरुद्ध है। जांच के लिए किसी वाहन के कागजात लेना तथा जांच के उपरान्त कोई मामला नहीं बनने पर कागजात लौटा देना परेशान करना नहीं माना जा सकता।

(2) जी नहीं। सेन्ट पाॅल व हैप्पी स्कूल अजमेर की बसों की नियमानुसार चैकिंग की गयी थी। विधायक महोदय से शिकायत प्राप्त होने पर जिला परिवहन अधिकारी से वस्तुस्थिति की जानकारी की गयी। उन्होंने सूचित किया कि इन स्कूल बसों के कागजात चैकिंग बाद लौटा दिये गये थे।

(3) दिनांक 26–12–78 को जिला परिवहन अधिकारी अजमेर से लिखित रिपोर्ट प्राप्त हो गयी थी कि इन बसों के कागजात चैकिंग के बाद लौटा दिये हैं। इन स्कूलों के व्यवस्थापकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। और उन्हें बुलाकर सुनना भी आवश्यक नहीं था।

(4) जी हां। विधायक महोदय को पूर्व में यह सूचित कर दिया गया था कि

(यातायात मंत्री)

बसों के कागजात लौटा दिये गये हैं एवं पुन: उन्हें 19–3–79 को यह सूचित कर दिया गया है कि इस मामले में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

राज्य पथ परिवहन निगम की बसें

877. **श्री करतारसिंह (किशनगढ़)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कुल निगम की कितनी बसें हैं तथा निगम द्वारा किराये पर ली गई बसें कितने हैं ? कृपया डिपोवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) निगम की इन बसों में से कुल कितनी बसें ऑन रोड हैं तथा कितनी बसें वर्कशाप में रिपेयर हेतु पड़ी हैं ? कृपया खराबी का विवरण, मॉडल, रजिस्ट्रेशन न. मेन्यूफेक्चरिंग वर्ष आदि बताते हुये वर्कशाप वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) ये बसें रिपेयर हेतु कितनी अवधि से वर्कशापों में पड़ी हैं तथा इनके इतने लम्बे समय तक रिपेयर हेतु वर्कशाप में पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि वर्कशापों में रिपेयर हेतु बरती जाने वाली बेपरवाही से न केवल निगम को ही लगातार हानि हो रही है अपितु समय समय पर बसों के ब्रेक डाउन होने से यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(5) यदि हां, तो निगम इस व्यवस्था को सुधारने के वास्ते निकट भविष्य में क्या कदम उठाने जा रहा है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 1806 बसें ऑन रोड हैं तथा 276 बसें मरम्मत हेतु आफ रोड हैं। वाहनों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) वाहनों की यथा समय मरम्मत नहीं होने का कारण क्रिटकल स्पेयर पार्टस की कमी तथा प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की कमी है।

(4) जी हां। बसों के ब्रेकडाउन होने के कारण यात्रियों को परेशानी न हो, इस हेतु निर्देश है कि पीछे आने वाली वाहनें ऐसे यात्रियों को उठायें।

(5) भण्डार विभाग के कार्य को अधिक दक्ष बनाने हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं। जिनमें तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मुख्यालय स्तर पर तथा क्षेत्रीय, संभाग एवं आगार स्तर पर क्रय समितियों का गठन भी सम्मिलित है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी की पूर्ति हेतु अजमेर में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जो मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फलोदी तहसील के नल कूप

878. **श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी)**: क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री बालकृष्ण थानवी) फलौदी

(1) फलौदी तहसील में कहां कहां कितने-कितने नलकूप हैं तथा उनमें से कितने नलकूप कहां-कहां अपूर्ण पड़े हैं एवं कितने नलकूप कहां कहां चालू हैं ? तथा किस किस नलकूप से कौन कौन से ग्राम जुड़े हुए हैं ? सूची सदन की की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) वित्तीय वर्ष सन् 1977–78 एवं सन् 1978–79 की अवधि में अब तक बमुकाबिलें फलौदी तहसील के लिये स्वीकृत नये नलकूपों की संख्या के फलौदी तहसील क्षेत्र में कितने नलकूप खोदकर तैयार किये जा चुके हैं ?

(3) फलौदी तहसील क्षेत्र के लिये स्वीकृत कौन कौन से नलकूप अब तक खुदाई की इन्तजार में हैं एवं नलकूपों को कितनी रिगें लगाकर कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ?

(4) लोहावट में खोदे जाने वाले नलकूप का कार्य कब से शुरू किया गया उसकी खुदाई कब से एवं किस कारण से बन्द है ? खुदाई बन्द होने के कारण को दूर करने के लिये इस लम्बे अर्से में क्या क्या कार्यवाही की गई और उसका परिणाम क्या निकला ? तथा लोहावट के इस नलकूप की पूर्ण खुदाई, अब कब तक सम्पूर्ण कर दी जायेगी ?

(5) क्या यह सही है कि फलौदी तहसील के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लिये स्वीकृत नये नलकूपों के अधिकांश स्थानों पर पानी संग्रह हेतु टकियां कभी की बनवा दी गई थीं पर नलकूप न खोदे जाने के कारण जलाभाव में ये सीमेंट की टंकियां विनिष्ट हो रही हैं ? कहां कहां कब कब पानी की टंकियां बनवाई गई थीं ?

(6) फलौदी तहसील के अन्तर्गत आये हुए नमकरिण मलार एवं नमकरिण वाय में पाइप लाइन कब बिछाई गई थी और वहां कितनी क्षमता की कितनी टकिया कब और कहां बनाई गई थीं ? एवं उनमें कब से जल पहुंचाया जा रहा है ? अगर इतने वर्षों बाद भी नमकरणों में (कार्यरत करीबन 20000 मजदूरों व अन्य लोगों को) पीने का पानी नहीं पहुंचाया जा सका है, तो इसका दोषी कौन है और अब वहां के लोगों की पूरी प्यास बुझाने हेतु पूरा जल पूरे नमकरिण में पाइप लाइन का विस्तार करके कब तक पहुंचा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) वर्ष 77-78 एवं 78-79 में 17 नलकूप भू जल विभाग द्वारा खोले जाने थे । भू जल विभाग द्वारा अभी तक कोई भी नलकूप पूर्ण नहीं किया गया है ।

(3) फलौदी तहसील में लोहावट के नलकूप का कार्य भू जल विभाग द्वारा शुरू किया गया था । जो अभी अपूर्ण है एवं शेष नलकूपों का कार्य भू जल विभाग द्वारा पूर्ण किया जाना है । नलकूपों का विवरण संलग्न है ।

(4) लोहावट के नलकूप का कार्य 14 मार्च, 1978 को प्रारम्भ किया गया था ।

Page No. 47

(47)

(श्री बालकृष्ण यानवी)

इस स्थल का स्ट्राटा बहुत सख्त होने के कारण 90 मीटर खुदाई की जा सकी व उसके बाद मशीन की खराबी के कारण इस कार्य को बन्द कर देना पड़ा। भू-जल विभाग के पास इस समय पर्याप्त मात्रा में रोटरी बीट्स उपलब्ध नहीं है, अतः यह कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। रोटरी बीट्स की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि होने पर यह कार्य भू-जल विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया जावेगा।

(5) जी हां। ढेलावा तथा भाकरी में टंकियों का निर्माण किया गया जो कि अच्छी हालत में है। इन टंकियों का निर्माण वर्ष 78–79 में हुआ है।

(6) ग्राम मलार एवं रिण में पाइप लाइन वर्ष 70–71 में बिछाई गई थी। व 10,000 गैलन क्षमता की टंकी रिण व बाप में वर्ष 70–71 में बनाई गई थी। वर्ष 72 से ही ग्राम मलार को जल पहुंचाया जा रहा है। धन की उपलब्धि के अनुसार पाइप लाइन का विस्तार हो सकेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

राज्य में चल रहे आटो रिक्शा

879. **श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर) श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :** क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में किराए पर चलने वाले आटो रिक्शा (तीन पहिए वाले दो तीन सवारी वाले) को मीटर लगाना अनिवार्य है? क्या सबने लगा रखे हैं? न लगाने वालों के खिलाफ क्या किया जाता है? पिछली जनवरी, 78 से अब तक कितने आटो रिक्शा बिना मीटर वाले किस शहर में पाये गये एवं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या प्रायः सभी शहरों में यह आम शिकायत है कि आटोरिक्शा वाले मीटर के हिसाब से पैसे न लेकर मनमाने तरीके से पैसे मांगते हैं तथा नहीं देने पर इकट्ठे होकर झगड़ा एवं मारपीट तक कर लेते हैं या चलने से इन्कार कर देते हैं?

(3) क्या जयपुर रेल्वे स्टेशन व रोडवेज बस स्टेशन से कोई रिक्शावाला कभी मीटर से चलने को तैयार नहीं होता? क्या वहां ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं होने से ही ऐसा होता है?

(4) क्या ऐसी सभी जगहों पर जहां एकदम भीड़ का या मुसाफिरों का आना होता है, वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि पुलिस सख्ती से आटो रिक्शावालों से यातायात कानून के नियमों का पालन कराने हेतु आटो रिक्शा को लाइन में खड़ा करें एव जैसे ही मुसाफिर आये, चाहे कहीं जाने वाला हो मीटर चलाये बिना किसी हां हुज्जत के चले ताकि जनता को वास्तविक सुविधा प्राप्त हो सके एवं आटो रिक्शा वालों की ज्यादती व मनमानी पर रोक लगाई जा सके?

(5) क्या राज्य सरकार यह अथवा ऐसी ही अन्य कोई व्यवस्था करने में सक्षम

Page No. 48

(४८)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

है ? अगर हां, तो क्या ? व्यवस्था कब से लागू करने का विचार रखती है ?

(6) क्या इसी प्रकार जोधपुर में आटो रिक्शा वालों की ज्यादती व मनमानी के खिलाफ पूर्व में सदन में यह मामला उठा था ? अगर हां, तो फिर राज्य सरकार अब तक चुप क्यों है ?

उत्तर

(1) जी हां। नियमानुसार मीटर लगना अनिवार्य है। मीटर सभी ने लगा रक्खें हैं। मीटर न लगाने वाले वाहनों की चैकिंग होने पर उनका अनुज्ञा-पत्र रद्द करने की कार्यवाही मोटर गाडी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत की जाती है। तथा मीटर न लगा होने पर उन्हें यान्त्रिक फिटनेस नहीं दी जाती है। जनवरी, 78 से अब तक 358 आटो रिक्शा चालकों का चालान बनाया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर।	86 (79 का निर्णय किया जाकर 7900/- की वसूली की गई।)
2. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर।	85
3. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर।	16
4. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोटा।	40 (8 चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए व 32 को धारा 60 का नोटिस दिया गया।)
5. जिला परिवहन अधिकारी अजमेर।	131 (12000/- जुर्माना वसूल किया गया।)
योग	358 चालान

(2) शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। दोनों स्थानों पर निरीक्षण दल की चैकिंग आयोजन के अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर ने भी निरीक्षण किया है तथा नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। ट्रैफिक पुलिस का सम्बन्ध पुलिस विभाग से होने के कारण उनसे इस विषय में पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

(4) यह जनहित का प्रस्ताव है। और कार्यवाही किये जाने योग्य है।

(5) समय समय पर उपलब्ध ट्रैफिक पुलिस द्वारा वांछित कार्यवाही की जायगी।

(6) 1. जी हां। जोधपुर में आटो रिक्शा वालों की चर्चा सदन में होने के

(यातायात मन्त्री)

पश्चात् निम्न कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की गई। मीटर लगाने का अभियान चलाया गया एवं माह अगस्त में मीटर सील करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सितम्बर, 78 तक सील करने का कार्य सम्पादित किया गया।

2. 85 चालान आटो रिक्शा वालों के विरुद्ध बनाए गए जिनमें से 9 चालान बिना मीटर के चलने वालों के खिलाफ, 49 मीटर की दर से नहीं चलने और 27 चालान मीटर के सील नहीं होने के कारण किए गए।

3. 11 आटो रिक्शा के फिटनेस निरस्त किए गए।

ग्राम भाद्राजून की सरफेस टंकी

880. **श्री गोपालसिंह (आहोर)** : क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्य ग्राम भाद्राजून में जलदाय विभाग द्वारा बनाई गई सरफेस टंकी किस जगह पर स्थित है?

(2 क्या उस टंकी तक पानी लेने जाना व लेकर आना सम्भव है? अगर नहीं, तो क्या ग्राम के चौराहे पर सार्वजनिक नल लगवाकर ग्रामवासियों को पानी लेना सम्भव करवाया जायेगा? यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू करवाया जायेगा?

उत्तर

(1) ग्राम भाद्राजून की सरफेस टंकी पहाड़ी पर स्थित है।

(2) टंकी से पानी लाना कठिन है। श्रम की उपलब्धि के अनुसार चौराहे पर सार्वजनिक नल लगाकर पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

शाहबाद किशनगंज क्षेत्र की विचाराधीन जल प्रदाय योजना

881. **श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)** : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शाहाबाद, किशनगंज विधान सभा क्षेत्र की कौन कौन सी नल योजना राज्य सरकार के विचाराधीन हैं?

(2) वर्ष 1978–79 में किस किस नल योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है?

(3) वर्ष 1979-80 में कौन-कौनसी नल योजना को हाथ में लिया जावेगा? प्रत्येक नल योजना पर प्रस्तावित लागत खर्च का विवरण क्या क्या है?

उत्तर

(1) शाहाबाद एवं किशनगज तहसीलों के 6 ग्रामों के लिये जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्ताव भेजे गए हैं। धन की उपलब्धि एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार योजनायें चयन की जा सकेंगी।

(2) वर्ष 78–79 में जो योजनायें स्वीकृत की गई उनमें से पम्प एवं टैंक योजना भंवरगढ़ का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(3) धन की उपलब्धी एवं तकनीकी

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

उपयुक्तता के आधार पर एवं जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों पर नई योजनायें स्वीकृत की जा सकेगी।

तहसील सुजानगढ़ की जल प्रदाय योजनायें

882. **श्री रावतराम (सुजानगढ़)** : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांव मूंदड़ा, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू की जल योजना कब स्वीकृत की गई थी और इस योजना में कितने गांव शामिल हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त योजना के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत है और अब तक कितनी खर्च की जा चुकी है तथा योजना की अभी तक क्या प्रगति है ?

(3) उक्त योजना के लिये वाटर सोर्स कहाँ से लिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना के लिये गांव कानोता के पास जो ट्यूब वैल है, उसे लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह योजना कब तक पूरी हो जावेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम मूंदड़ा, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू की क्षेत्रीय जल योजना वर्ष 76-77 में स्वीकृत की गई थी। इस योजना मे 7 ग्राम शामिल हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई थी।

(2) उक्त योजना की स्वीकृत लागत 16 लाख रु० है। और अब तक योजना पर कुल रु० 0.92 लाख दिसम्बर, 78 तक खर्च किया जा चुका है। योजना में लिये गये मूंदड़ा ग्राम में कुए पर कोठा बनाकर ग्राम में पानी देना शुरू किया जा चुका है।

(3) उक्त योजना के लिए वाटर स्रोत कानोता ग्राम में भू-जल विभाग द्वारा खोदे गये नलकूप को लिया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। भूजल विभाग द्वारा खोदे गये नलकूप को लिया जाना प्रस्तावित है अभी जलकूप की विवरण एवं रासायनिक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। योजना का कार्य निर्माणाधीन है। स्रोत फाइनल होने पर एवं जल की उपलब्धि पर योजना को पूर्ण करने में 2 से 3 वर्ष की अवधि लगने की सम्भावना है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट : 8 देखें)

राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में फर्स्ट एड बॉक्स पर खर्च

883. **श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़)** : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें चल रही हैं ?

(2) क्या प्रत्येक बस में प्राथमिक

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

चिकित्सा सामग्री रखी जाती है ? यदि हां, तो प्रत्येक बस पर इसका कितना खर्च प्रति वर्ष आता है ?

उत्तर

(1) दिनांक 8–3–79 को निगम के विभिन्न आगारों में संचालन हेतु 1962 वाहनें आवंटित थी, जिनमें से 225 वाहनें आफ रोड थी। इसमें 108 निजी वाहनें, जो निगम द्वारा अनुबन्ध पर ली गई हैं, शामिल नहीं हैं।

(2) समस्त नई वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स मय औषधियों के भेजे जा रहे हैं। जहां तक पुरानी वाहनों का सम्बन्ध है यह सही है कि ऐसी सब वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के साथ औषधियां नहीं भेजी जाती हैं। आवश्यकतानुसार औषधियां क्रय करने की कार्यवाही जारी है। तथा तदनुसार आगारों को सप्लाई कर दी जावेगी। प्रत्येक बस में प्राथमिक चिकित्सा सामग्री रखने पर प्रतिवर्ष लगभग 45/– रुपये (मय बाक्स की कीमत) खर्च आता है।

जयपुर शहर में लगे हुए पानी के मीटर

884. **श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार)** : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में पानी के कुल कितने मीटर लगे हुए हैं तथा उनमें कितने बन्द पड़े हैं और कितने कार्य कर रहे हैं ? जो मीटर बन्द हैं वे कितने समय से बन्द हैं ? क्या राज्य सरकार बन्द मीटरों का रेट वसूल करती है ?

(2) क्या राज्य सरकार, प्राइवेट मीटरों के लिए उपभोक्ता को दबाकर, मीटर सरकारी बना लेती है ? यदि वह मीटर चोरी चला जाता है तो मीटर सरकार का गया या प्राइवेट व्यक्ति का गया ?

(3) जब मीटर सरकारी बना दिया गया है तो प्राइवेट आदमी को दूसरा मीटर लाने के लिए बाध्य क्यों किया जाता है ? अगर वह मीटर लाकर नहीं देता है तो उसका कनेक्शन क्यों काट दिया जाता है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में मार्च, 78 तक 52560 मीटर युक्त जल सम्बन्ध दिए गए हैं। इनमें से करीब 40% मीटर बन्द पड़े हुए हैं एवं शेष कार्य कर रहे हैं। मीटर बन्द होने पर सूचना मिलते ही बदलने की कार्यवाही की जाती है। अतः किस जल सम्बन्ध का मीटर कितने समय तक बन्द रहा, कहा नहीं जा सकता। बन्द मीटरों पर मीटर शुल्क लिया जाता रहता है क्योंकि मीटरों की मरम्मत आदि का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

(2) जी हां। मीटर चोरी चले जाने की स्थिति में उपभोक्ता ही जिम्मेदार होता है क्योंकि मीटर उसके संरक्षण में रहता है।

(3) मीटर चोरी चले जाने पर उपभोक्ता की जिम्मेदारी होने के कारण उनसे

(श्री गुलमोहम्मद)

दूसरा मीटर लाने के लिये कहा जाता है। मीटर की क्षतिपूर्ति न करने पर जल सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री शंकरलाल व नूरा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान सैकण्डरी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व 60 व 70 रुपयों में बिक जाने की घटना के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी मिलने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) सर्वश्री वृद्धिचन्द्र जैन व खेतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर जिलों में पथ परिवहन निगम की बसों में अधिक भीड़ होने व टिकट नहीं मिलने के विषय में।

(3) श्रीमती सुमित्रासिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत हरनोद, पंचायत समिति दूदू, जिला जयपुर के सरपंच द्वारा सार्वजनिक कुओं से लगी हुई कृषि भूमि को अनियमित तरीके से बेच देने की घटना के विषय में।

(4) सर्वश्री रणमलसिंह व रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत काटीपुरा ग्राम सीसोला तहसील टौंक के हरिजन परिवारों को आवंटित भूमि पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव के कारण कब्जा नहीं दिये जाने के विषय में।

(5) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से कविता बेनिफिट व किशोर ट्रेडिंग चिटफण्ड कम्पनी द्वारा जनता की धनराशि का गोलमाल करने के विषय में।

(6) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य के शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों का गत 15 रोज से धरना चल रहा है, इस विषय में।

(7) श्री मूलचन्द डागा सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में एक अप्रेल से शराबबन्दी लागू करने के विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्णय न लेने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

नीति सम्बन्धी तारांकित प्रश्न, जो समयाभाव के कारण सदन में न पूछा जा सका, पर चर्चा

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम : मैं आसन से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आसन का मेरे आचरण के प्रति ऐसा क्या रुख है

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे आपके आचरण के प्रति बहुत आपत्ति है। और वह आपत्ति यह है कि आप अप्रासंगिक रूप से कभी भी उठ करके अपनी मनमानी करते हैं, बोलते हैं। बराबर मेरे संकेत पर आप मेरी तरफ देखना भी पसन्द नहीं करते और आप अपने मुंह को मोड़ करके जो कुछ चाहें, बोलते हैं। अब मेरी भी सहनशीलता की पराकाष्ठा आने पर कभी भी मुझे मजबूर होकर मेरी भावनाएं व्यक्त करनी पड़ती हैं। अगर आप मेरी अवहेलना करें तो मुझे आपत्ति नहीं है। मैं भी विरोधी पक्ष में बैठा हूं, मैंने भी तरह-तरह की बातें सुनी हैं लेकिन इन बातों को सुनने के पश्चात् अजीर्ण तो नहीं हो। आसन की गरिमा निभाने, सदन की कार्यवाही को सुचारु ढंग से चलाने में आसन का सहयोग करना आपका पुनीत कर्तव्य है। अगर आप कर्तव्यच्युत होते हैं तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं क्योंकि मेरा यह कर्तव्य है। मैं आशा करूंगा कि आयन्दा आप पूर्ण ध्यान देंगे और आसन के संकेत को ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे।

श्री डूंगरराम : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे क्वेश्चन के बारे में मेरा नाम पुकारा था। अध्यक्ष महोदय, उसमें मेरा नाम था, 699 प्रश्न था लेकिन आप गुस्से में थे और मेरे को लपेट में ले लिया। मैं तो सप्लीमेंट्री कर रहा था। आपने नाम पुकारा था, मैंने नम्बर भी बोल दिया था····

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य का प्रश्न संख्या 699 है वह अन्त्योदयी परिवारों से सम्बन्ध रखता है। इनका प्रश्न आने ही वाला था और ये बोलना चाहते थे····

(व्यवधान)

बोलने के लिए स्पीकर ने काल कर लिया था लेकिन प्रश्न नहीं आ सका तो कम से कम राज्य सरकार यह बता दे कि जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 8 किलोमीटर सिंचित क्षेत्र में आती है उसकी कीमत बढ़ा दी है। इससे जो हरिजन बीस-बीस सालों से पजेशन में थे, उनके सामने विषम स्थिति खड़ी हो जायेगी। आप केवल आवंटन करेंगे, गरीब आदमियों को मिलेगी नहीं। यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। चाहे आधा घण्टे की चर्चा रख लें। माननीय सदस्य आप से आपके चैम्बर में मिल लेंगे। इस पर आप कृपापूर्वक विचार करें।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता के सुझाव को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। माननीय सदस्य मुझे चैम्बर में मिलें। मैं नियमों के अन्तर्गत आपको मौका दूंगा, इस बारे में आप अपने विचार व्यक्त करें।

अकाल की स्थिति व ओलावृष्टि पर चर्चा का समय निर्धारण

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि आपने व्यवस्था दी थी, पहले राजस्थान में अकाल की स्थिति और ओलावृष्टि की स्थिति पर एक दिन मुकर्रर करने के लिए सरकार से बात करूंगा, तय कराऊंगा, यह आपने फर्माया था लेकिन अभी तक कोई सूचना सदन में नहीं आई है। हमने इसी आधार पर अपने एडजोर्नमोशन भी दिये थे जिस पर हम नहीं बोले। इस रूप में पहले मोशन नहीं रखे थे। आपने मुख्य मंत्री से भी कह दिया था। उसके आधार पर हम तैयार हुए थे कि अपने मोशन नहीं रखेंगे। परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार ने कोई समय निर्धारित नहीं किया है। इस पर दो तीन घण्टे तक चर्चा होनी चाहिए, यह बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। आप मन्त्रिमण्डल से, सरकार से बात करने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसका निर्णय करायें। अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में जो हमको जानकारी मिली है उसके अनुसार यह अभी तक बिजनेस आया नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का आगे का कार्यक्रम तय हो चुका है परन्तु उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में सरकार से बात करें कि इसके लिए कुछ समय रखा जायेगा या हम भिन्न-भिन्न तरीके से चर्चा उठायें। इस पर आप कुछ व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

तारांकित प्रश्नोत्तर पर अनुपूरक प्रश्न

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक निवेदन करूंगा। यह प्रश्नकाल का जो समय है इसका जितना लाभ सदन को मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलता है। इसका मूल कारण यही है कि प्रश्नकर्ता पूरक प्रश्नों की भरमार कर देते हैं और एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे सदस्य खड़े होते रहते हैं जिससे इसका महत्व नहीं रहता और जितने प्रश्न आने चाहिये वह नहीं आते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एक प्रश्न पूछ लें, उसका उत्तर मिल जाय फिर दूसरा प्रश्न ले लिया जाय।

(व्यवधान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो माननीय सदस्यों ने मेरे सामने सुझाव दिए हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनका मैं उत्तर दे दूं, उसके बाद माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। चार-चार, पांच-पांच आदमियों के साथ-खड़े होने पर मैं उत्तर नहीं दे सकता।

माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई ने जो संकेत किया उसके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कल हुई। मैं ओलावृष्टि और अकाल की स्थिति को प्राथमिकता देता आ रहा हूं और दूंगा। बिजनेज एडवाइजरी कमेटी ने अभी पूर्णतया इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया है। यह समस्या महत्वपूर्ण है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय जो भी होगा बिजनेस एड-वाइजरी कमेटी का उसकी सदन को सूचना

(श्री अध्यक्ष)

दी जावेगी । मुझे आशा है कि सदन की कार्यवाही अगर कुछ दिन तक बढ़ानी भी पड़े तो उस काम में सम्भवतः मेरी जो इच्छा है उसके अनुकूल व्यवस्था हो सकेगी, ओलावृष्टि और अकाल के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्य श्री रतनलाल ने जो संकेत किया उसके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है । मैं सभी माननीय सदस्यों को करबद्ध यह निवेदन करना चाहता हूं चाहें लोक सभा को देखें, लोक सभा में एक घटे में, एक ही प्रश्न आवे, सवाल यह है जनता की सभा है, उसमें गुस्सा भी हो सकता है और रोष आक्रोश भी । वह तो सब आसन को सहन करना पड़ता है । लेकिन एक बात असहनीय है । जैसा माननीय सदस्य अयूब खां ने कहा, मेरे मन में भी यह दुःख है और मुझे बार बार दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है जब सप्लीमेंट्री आवे प्रश्नकर्ता प्रश्न रखें । प्रथम सप्लीमेंट्री प्रश्नकर्ता की ओर से हो जाय, एक या दो सप्लीमेंट्री और हो जायें । टकटकी लगा कर मंत्री की ओर देखना चाहिये, अगर नहीं उठे तो कहें उठो, मौन व्रत धारण करके क्यों विराजमान हैं ? यह सकेत होना चाहिये तब तो ट्रेजरी बेन्चेज टिपटोप रहेगी । उन्हीं को ज्यादा उठ-बैठ करायें तब तो प्रश्नकाल का महत्व है अन्यथा यह सब समय नष्ट होने की प्रक्रिया है । इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । जो माननीय सदस्य ट्रेजरी बेन्चेज के हैं आप उनसे जवाब तलब कर सकते हैं और जवाब संतोषप्रद नहीं है तो रोष प्रकट कर सकते हैं, अपना आक्रोश दिखा सकते हैं – इस्तीफा दें, कुछ भी दें लेकिन यह समय देने के पश्चात ही हो सकता है, मौका देने के पश्चात ही हो सकता है, इतना ही मेरा निवेदन है ।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले दिन आया था तब तो कुछ जानता नहीं था, समझता नहीं था लेकिन अब मैं जान गया, समझ गया तो मैं शत प्रतिशत आपकी आज्ञा का पालन करता हूं ।

व्यवस्था
शून्य काल की अवधि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को एक और बात भी निवेदन करनी है, माननीय सदस्य विरोधी पक्ष के खास तौर से । स्थगन प्रस्ताव विरोधी पक्ष से आते हैं, उनको मैं एडमिट करता हूं लेकिन सब चीज की सीमा होती है । शासन पक्ष से ध्यानआकर्षण प्रस्ताव आते हैं, उनको भी मैं स्वीकार करता हूं लेकिन जीरो आवर कब तक चले । आपके सहयोग से ही जीरो आवर चल सकता है । अकेला आसन कुछ नहीं कर सकता है । तो यह आसन की ओर से सुझाव है, विनम्रता पूर्वक सुझाव है कि जीरो आवर एक बजे तक चले, दो बजे तक चले, आपका सदन है, चला सकते हैं लेकिन ढाई ढाई बजे तक, तीन – तीन बजे तक चलावें तो आसन का क्या कसूर है । कोई मानता ही नहीं है । फिर सरकारी काम काज नहीं होता है । यह सदन आगस्ट बाडी है, माननीय सदस्य मुझे संकेत दें किस प्रकार चलाऊं । दो बजे चर्चा समाप्त हुई, मैं कहूं और आप सब बैठ जायें तो सदन चल

(श्री अध्यक्ष)

सकता है । मैं दस दस बार हाका मार मार कर कहूं कि चर्चा समाप्त हुई, चर्चा समाप्त हुई, उसके बाद चर्चा समाप्त होना सम्भव है या असम्भव, यह सब आप पर है ।

(व्यवधान)

दोनों तरफ से ज्यादती होती है ।

श्री मूलचन्द डागा : महरबानी करके समय निर्धारित कर दें, पांच मिनट से ज्यादा एक माननीय सदस्य को नहीं मिले ।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : गींगले का प्रश्न, उसका सरपंच और उसकी लुगाई सब तय हो गया, पिटाई हो गई । सदन का आक्रोश है वह ठीक है । मैं स्वयं ऐसे मौके पर जानता हूं । आक्रोश है, कर लेने दो और चुप रहता हूं । स्थगन प्रस्ताव ले लिया तब भी कोई व्यवस्था नहीं रहे तो यह तो सब दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं स्पष्टतया यह भी सुझाव दूंगा, कोई भी माननीय सदस्य आसन पर विराजमान हों, आसन की क्या दशा होती है, यह भी तो देखना चाहिए । आखिर आसन भी तो मनुष्य है ।

श्री मदन सिंह दांता : एक घंटा आसन पर सभापति बना दें । I think, I will teach them.

श्री अध्यक्ष : यह सुझाव भी सदन के समक्ष रखूं कि ठाकुर साहब को यहां आसन पर विराजमान करावें और मैं रामकृष्ण दास जी की बगल में जाकर बैठूं तो मुझे भी जरा मजा आवेगा ।

श्री मदन सिंह दांता : यह आदर्श की बात होगी । I think, I will be able to teach them.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य निर्दलीय भी हैं, उपयुक्त भी हैं । मैं इसे सदन पर छोड़ता हूं । मेरी आज तक न तो कोई महत्वाकांक्षा है, न रहेगी और न रही है ।

श्री राम नारायण चौधरी : माननीय सदस्य दांता जी ने जो कुछ कहा है उसे अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है रिकार्ड पर नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि यह आसन पर रिफ्लेक्शन है ।

आज तो, अध्यक्ष महोदय, आपने ट्रेजरी बैन्चेज को भी खूब लताड़ा और हमको भी खूब डांटा । आज तो आपकी डांट से बड़ा आनन्द आया ।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत दें तो मैं स्थगन प्रस्ताव पर बोलूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने 7–8 मार्च को भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था चिड़ावा

(श्री दूलाराम)

कालेज के बारे में लेकिन समय न होने से मेरा प्रस्ताव नहीं आ सका। कल भी मैंने इसलिये दिया है कि वहां की जनता में काफी असन्तोष है।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे चैम्बर में मिलें। माननीय सदस्य, यह भी मैंने व्यवस्था देने का निर्णय ले लिया है कि एक बात जो सदन में आ जाय वह बार बार नहीं आनी चाहिये।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप मिल लें, मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, निवेदन है मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मेरे नाम के बजाए आपने शायद रघुनाथ जी विश्नोई का नाम पुकार लिया था। वह स्थगन प्रस्ताव मेरा था जिस पर आपने व्यवस्था नहीं दी है एवं रह गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा नहीं था। मेरी जगह राम रघुनाथ जी का था। मैं तो चुप ही बैठा था।

श्री अध्यक्ष : माननीय राम रघुनाथ जी और माननीय रघुनाथजी, दोनों ही महान सम्माननीय सदस्य है। अगर मैंने नाम पुकारने में गलती की है तो मुझे क्षमा करें। मैं तो दोनों को ही अच्छी तरह बोलता हूं।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने कल एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था और कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए हैं लेकिन एक भी नहीं आया है और न ही राज्य सरकार का जवाब आया। हम न तो स्थगन प्रस्ताव दे सकते हैं और न ही हमारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का सरकार से रिप्लाई आता है। इसलिए हमें आश्वस्त कीजिए कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देवें या नहीं देवें या स्थगन प्रस्ताव देवें। राज्य सरकार का रिप्लाई नहीं आता है तो हमें क्या करना चाहिए। इस पर मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि क्या करना चाहिये या यह कहिये कि स्थगन प्रस्ताव देना शुरू कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैं समय दूंगा आपको। सरकार की जानकारी हेतु ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भेजता हूं। उत्तर नहीं आता है तब भी मैं आपको समय दूंगा।

श्री मोहन लाल : अध्यक्ष महोदय, डाइरेक्टर लोकल बाडीज का मेरा भी एक प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : याद नहीं आपने कब भेजा है, देखूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखा है। वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान के सैकड़ों ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि हजारों विद्यार्थियों के भावी जीवन से यह सम्बन्धित है। मैं शिक्षा

(श्री शंकरलाल)

मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपके विभाग और आपके प्रति एक बहुत ही खेदजनक घटना है, शोचनीय घटना है।

अध्यक्ष महोदय, आज हमने अखबारों में इस बात को पढ़ा कि राजस्थान की संकन्डरी परीक्षा के पर्चे, जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के पर्चे बाजार में 60 रुपये, 70 रुपये में बिकने लगे हैं और अधिकारियों ने इसकी जानकारी नहीं दी। इसकी जानकारी मिलने पर सर्वप्रथम फ्लाइंग स्क्वाड ने, माणक चौक हायर संकन्डरी परीक्षा केन्द्र पर जाकर परीक्षार्थी की तलाशी ली तो जो छात्र परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने वाले थे, उनके पास गणित का प्रश्न पत्र था, हूबहू उस परीक्षार्थी के पास पहले से ही पाया गया। राज्य सरकार के अधिकारियों को यह पता नहीं है। लेकिन स्कूल में किसी कारणवश विद्यार्थियों की तलाशी ली गई और एक की जेब से गणित का पर्चा, गणित की परीक्षा नहीं हुई थी, उसका हूबहू, पर्चा कैसे मिला, मालूम किया गया तो पता पड़ा कि यह प्रश्न पत्र बाजार में 60-70 रुपये में बिक रहा है। यह प्रश्न पत्र बाजार में बिका है। मुझे बड़ा आश्चर्य है, अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले हमारे सदन के अन्दर आर. जे. एस, राजस्थान न्यायिक सेवा की परीक्षा का पर्चा आउट होने की बात इस सदन में आयी थी। उसी समय हमारे मुख्य मन्त्री जी और हमारी सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि कुछ ही दिनों में, चार दिन में, मुझे यह स्मरण है, इसकी जांच कर, वे सदन को अवगत करायेंगे। अध्यक्ष महोदय, वह जांच अभी तक नहीं हो पाई है। इसके बारे में सदन के अन्दर कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह दूसरा उसी प्रकार का दूसरा घपला, उसी प्रकार का घोटाला, उसी प्रकार की भयंकर घटना हमारे सामने आ गई है। अध्यक्ष महोदय, आर. जे. एस. का इम्तिहान इतने व्यक्तियों से सम्बन्धित नहीं होता है लेकिन यह जो राजस्थान की संकन्डरी परीक्षा है, इम्तिहान है, अध्यक्ष महोदय, यह सैंकड़ों के ही नहीं, हजारों विद्यार्थियों के भविष्य से सम्बन्धित है। इस बारे में शिक्षा मन्त्री जी बतावें कि क्या उनको यह मालूम पड़ा है ? नहीं पड़ा है तो क्या कारण है ? क्या परीक्षा का यह प्रश्न पत्र बाजार में बिका है ? अगर वे यह बात रखते हैं, और उनको यह पता नहीं लगा है तो मैं समझता हूं कि उनको इस विभाग को सम्भाले रहने और इस पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, केवल यह कह देना काफी नहीं है कि इसके बारे में जांच करा ली जायेगी। इतना ही कह देने से पार नहीं पड़ेगी। आज जब परीक्षा होने वाली है तो मान लें अगर परीक्षाएं रोक देते हैं, स्थगित कर देते हैं और इसकी जांच करा देते हैं तो क्या आपने सोचा है कि जो हजारों गरीब विद्यार्थी हैं, उन पर क्या असर होगा ? जिन विद्यार्थियों ने समय पर परीक्षाएं दी हैं, जिनका पर्चा आउट नहीं हुआ है, किसी प्रकार गरीब होते हुए भी बड़ी मुश्किल से वे परीक्षा देने परीक्षा केन्द्र गये हैं, किसी प्रकार वे परीक्षा में बैठे हैं, उनका क्या होगा ? आप परीक्षाओं को स्थगित

(श्री शंकरलाल)

कर देंगे, जांच करा लेंगे परन्तु क्या यह उन विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा ? मैं साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि कुछ विद्यार्थियों पर कोई असर नहीं है और कुछ विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं हुई हैं परन्तु जिनको भारी दिक्कत हुई है, जो गरीब हैं उनको मुआवजा देना पड़ेगा। यह राजस्थान सरकार का फर्ज है कि नियमित रूप से परीक्षाए हों और नहीं होती हैं, पर्चे आउट होते हैं, बाजार में बिकते हैं तो यह आपकी सरकार पर धब्बा है। हजारों विद्यार्थि सेकन्डरी परीक्षाएं, अध्यक्ष महोदय केवल शहरी ही नहीं देते हैं, बल्कि गांव के लोग भी देते हैं, दूर दूर गांवों से आकर देते हैं, उन गरीब विद्यार्थियों को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। Legally they are entitled to compensation from the Government Department.

मैं आपसे चाहूंगा, शिक्षा मन्त्री जी, आप इन दोनों के बारे में घोषणा करें। साथ ही यह कहना चाहूंगा कि जो लोग इसके प्रति जिम्मेवार हैं, उन जिम्मेवार लोगों को आप तुरंत सस्पेन्ड करें। सस्पेन्ड करके एक्शन लीजिए। आज ही घोषणा कीजिए और यह पता लगाइये कि जो पर्चा आउट हुआ है गणित का, वह गणित का प्रश्न पत्र किसने बनाया था ? फिर वह प्रेस में गया होगा। प्रेस से आने के बाद वह कैसे आउट हो गया ? इससे जो भी सम्बन्धित अधिकारी है उनको भी आप सस्पेन्ड करिये। उनका कोई उत्तरदायित्व नही होगा तो वे रि-इन्सटेट हो जायेंगे। इस प्रकार की कार्यवाही करने पर शिक्षा जगत में राजस्थान के विद्यार्थियों के अन्दर और आम जनता के ऊपर यह असर होगा कि ऐसा घोटाला करने वालों के विरुद्ध यह सरकार सख्त से सख्त कदम उठायेगी। यही कारण है कि आर. जे. एस. का पर्चा आउट हो गया और आपने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया।

यह दूसरा घोटाला है। इसमें भी आप जांच करते रहेंगे और दूसरा घोटाला और हो जायेगा। तो इस प्रकार से सरकार द्वारा लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा। आप कह देंगे राजनीति से प्रेरित होकर बात कह रहे हैं। मैं यह बात राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कर रहा हूं। यह आपको स्वीकार करना चाहिये। यह आपके माथे पर लगने वाला धब्बा है, यह आपके लिए कलंक की बात है। यह एक ऐसी घटना है जिसके ऊपर आप अविलम्ब एक्शन लें और एक्शन ले नहीं सकते हैं तो अपने पद से त्यागपत्र दें।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय,

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी विषय पर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री नूरा (मसूदा): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव परीक्षा का पर्चा आउट होने के सम्बन्ध में है। आज दैनिक नवज्योति में यह समाचार पढ़ने को मिला हैं कि दसवीं कक्षा का पर्चा आउट हो गया है। यह बात उसमें छपी है। पहले भी विधान सभा में पर्चों के आउट होने के बारे में चर्चा हुई है। जो हमारे समाचार पत्र हैं वे कभी कभी

(श्री नूरा)

ऐसी बातों को प्रकाश में लाते हैं और उससे ये समाचार आम लोगों की जानकारी में आते हैं। यह जो पर्चा आउट हुआ है, मैं शिक्षा मन्त्री जी, आपको कहना चाहूंगा कि इससे जो गांवों में रहने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं और मेहनत करके परीक्षा में बैठते हैं, उनके पास यह पर्चा नहीं गया है, केवल शहर मे जो विद्यार्थी है उनके पास यह पर्चा आउट हो गया है। ये शहर के विद्यार्थी इम्तिहान में इसके जरिए से नकल करके अच्छे परिणाम पा लेते हैं। यह एक दुखद घटना है। हजारों बच्चों ने इस समाचार को पढ़ा होगा। इससे उनके दिमाग पर असर पड़ा है। हमने मेहनत की और दूसरे लोग, विद्यार्थी पर्चा पार कर ले, आउट कर ले। अ अधिकारियों से मिलकर प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार वे अपना परिणाम अच्छा दिखा देते हैं। इसका क्या नतीजा होता है? आप आश्वासन दें कि इस तरह से बार बार पर्चे आउट होते हैं तो उस पर आप क्या विचार रखते हैं, क्या एक्शन लेंगे? जैसा कि अभी माननीय शंकरलाल जी ने बताया है आप परीक्षा को स्थगित कर देते हैं तो उन बच्चों का क्या होगा, जिन्होंने महनत की है? उनको भी दुबारा परीक्षा देनी होगी। वैसे का वैसा पर्चा जो इम्तिहान का है बाजार में 60–70 रुपयों में बिकता है। इसके द्वारा उन विद्यार्थियों को ही मदद मिली है जो इसको खरीद सकते हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि जिसने यह पर्चा बनाया है, उसने पैसा कमाने के लिए ही यह पर्चा आउट कराया है। उस अधिकारी के विरुद्ध एक्शन लें, सख्त से सख्त कदम उठावें ताकि भविष्य में ऐसी गलती न हो, नहीं तो यह शिक्षा एक मखौल हो जाएगी। जिन्होंने यह पर्चा आउट किया है. वह सामने आना चाहिए। आप इस पर दुबारा विचार करें। वह सामने नहीं आता है तो यह सारा मखौल बन कर रह जाएगा। इस प्रकार पर्चा आउट करके जो परीक्षा में पास हो जाता है जो समझ उसकी परीक्षा के लिए होनी चाहिए, वह नहीं होती है और अच्छा परिणाम वह प्राप्त कर लेता है। इससे वह अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर लेता है। तो जीवन में उसको जो जिम्मेवारी मिलेगी, उसमें भी वह धोखा देगा। यह सारी धोखा देने की बात है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सख्त से सख्त कदम उठावें और जो पर्चा आउट हुआ है. इसको प्रकट कर देने वाले जो अधिकारी हैं उन पर ऐसी कार्यवाही करें कि आगे ऐसी गलती न हो। जिस अधिकारी की गलती से यह चर्चा का विषय बना हुआ है....

श्री अध्यक्ष : अब इस बारे में चर्चा हो गई है अब दुबारा चर्चा....

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा अलग से ध्यानाकर्षण था....

श्री अध्यक्ष : क्या 50-50; 60-60 रुपयों में पेपर्स के बारे में?

श्री रघुनाथ विश्नोई : हां, हां। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस बारे में ध्यानाकर्षण के जरिये सरकार से जानकारी चाही थी। अब सारे मामले में स्थगन प्रस्ताव उठाया गया है इसलिये मैं चाहूंगा कि मुझे भी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

चर्चा में भाग लेने दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में अजमेर बोर्ड के सचिव को शिक्षक संघ ने सूचना दी और उनको यहां बुलाकर माणक चौक मल्टीपर्पज हायर सैकण्डरी स्कूल में छात्रों के पास प्रश्न पत्र छपे हुए पाये गये और उनको बताया गया कि सारे पर्चे आउट हो गये हैं। और उनको लड़कों ने भी कहा कि हमने 50-50, 60-60 और 70-70 रुपयों में इन पर्चों को खरीदा है। तो अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी गम्भीर घटना है। सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी परीक्षाओं के पर्चे कैसे आउट हुए और प्रतिदिन हो रहे हैं, यह एक बड़ा भारी घपला है। इस बारे में जांच होनी चाहिये। यह मामला मामूली नहीं है शिक्षा मन्त्री जी, यह बड़ी गम्भीर घटना है। इसकी इमिजियेटली जाच होनी चाहिये। पहले भी ऐसा मामला हुआ था। उस बार में सरकार ने कह दिया कि हम जवाब बाद में देंगे, सो अब तक हमारे ध्यान आकर्षण विचार नहीं कर रहे हैं पूरा मामला अध्ययन करने के बाद भी सरकार का जवाब नहीं आया। फिर भी हम सरकार के जवाब का अभी तक इन्तजार कर रहे हैं। इस मामले में भी हम ध्यानाकर्षण आपका करना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है परीक्षाएं हों उससे पहले ही पर्चे आउट हो जावें। अब ये परीक्षायें 11 अप्रैल तक चलेंगी और सारे के सारे पर्चे आउट होंगे यह मैं आपको आगाह कर रहा हूं। कुछ लड़कों के लिये, योजनाबद्ध तरीके से यह मामला, कौन ऐसा कर रहा है? सारे पर्चे आउट हो गये, और आगे होंगे। लड़के रात रात भर पैसे जेब में लेकर, पर्चे खरीदने के लिये फिरते रहते हैं। यह कैसा मामला है। शिक्षा मन्त्री जी से मैं चाहूंगा वे बतायें, वे इस बारे में क्या व्यवस्था कर रहे हैं? लाखों रुपयों की लूट-खसोट हो रही है, इसका शीघ्र जवाब दें शिक्षा मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, थोड़े दिन पहले इस सदन में इस प्रकार की एक और घटना राजस्थान लोक सेवा आयोग के पर्चे आउट हुए, उसके बाद अब बोर्ड के पर्चे आउट हुए हैं। दोनों ही ऐसी संस्थायें हैं जिनसे उम्मीद की जाती हैं कि उनके पर्चे आउट नहीं होंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा, अभी गृह मन्त्रीजी से बात की जाकर किसी सीनियर आफीसर को लगाया जावे ताकि शाम तक इस मामले में, यह बहुत ही खतरनाक मुहिम है, और इस प्रकार की बहुत गम्भीर घटना है। आज यह घटना एक अखबार के जरिये जिन विद्यार्थियों ने देखी जिनके पास पर्चे आउट नहीं हुए, जिन्होंने साल भर तक मेहनत की, उनका कितना ह्रास हुआ होगा। इससे जी लगाकर मेहनत करने वाले विद्यार्थी, वे तो पीछे रह जाते हैं और इस प्रकार के लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। इस प्रकार की घटना, अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री जी को सूचित करना चाहता हूं, जोधपुर यूनिवर्सिटी में मास कोपिंग हुआ। उसका परिणाम यह हुआ जो बी० ए० में थर्ड थे वे एम० ए० में फर्स्ट हो गये और जो फर्स्ट थे वे थर्ड हो गये। मेहनत करने वाले अध्ययनशील बच्चों का भविष्य इससे खराब हो जायेगा इसलिए इसमें अविलम्ब कोई कार्यवाही की जाय नहीं तो सरकार जो बाद में

(श्री परसराम मदेरणा)

इन्वेस्टीगेशन करती रहती है, कुछ परिणाम नजर नहीं आता, लीपापोती हो जाती है। इसलिये पुलिस के बहुत सीनियर अफसर से जाँच कराई जानी चाहिए और सदन को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिये कि जांच का क्या परिणाम निकला।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा जगत में, जहां पर एक आस्था होती है लोगों की, वहां पर चन्द भ्रष्ट लोग अपने चंद स्वार्थ, मात्र अपने स्वार्थ के लिए कि उनका जीवन सुखी रहे, बाकी चाहे कुछ हो, ऐसा करते हैं यह निहायत शर्म की बात है राजस्थान प्रदेश के लिये। बच्चे साल भर तैयारी करके जाते हैं परीक्षा देने के लिये, जहां प्रतिभा की परीक्षा होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्या के प्रति, परीक्षा के प्रति जो कल्पना रहती है, विद्यार्थियों के हृदय में जो भावना रहती है, उसको 60-70 रुपयों में बेच दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा चरित्र के पतन का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, क्या होगा जांच से ? जांच की घोषणा हो जाती है और सरकार वापस अपने पुराने ढर्रे पर चलती रहती है। इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है, इसमें तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता है। जिससे विद्यार्थियों को ऐसा अनुभव हो कि सरकार उनके प्रति जागरूक है। नहीं तो, आज विद्यार्थियों में भी भावना होती जा रही है, विद्यार्थी स्पष्ट रूप से कहने लगे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को पनपा रही है। विश्वविद्यालयों के रोज इतने मामले आते हैं। एक एम. ए. का छात्र विश्वविद्यालय की एक मार्कशीट में फेल होता है और दूसरी में पास किया जाता है। ये जो ओछे हथकण्डे चल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इन पर जल्द से जल्द कार्यवाही करें ताकि सरकार विद्यार्थियों से विश्वास प्राप्त कर सके। जिनके साथ इतना धोखा हुआ है, मैं कहना चाहता हूं जो विद्यार्थी एक साल मेहनत करते हैं और परीक्षा देने जाते है उस मेहनत का मूल्य लेने के लिये वहां पर ऐसी हरकत होती है। बोर्ड के सचिव स्वयं घटनास्थल पर आये। अध्यक्ष महोदय, बिहार के राज्य शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की कि मैं परीक्षा के लिए पुलिस के जवान लगाऊंगा। राजकीय महाविद्यालय कोटा में परीक्षाएं होती हैं तो पुलिस लगानी पड़ती है। इनसे तो छोटे छोटे स्कूलों के अध्यापकगण, जो परीक्षा के पूर्व अपना पेपर निकालते हैं, अच्छे हैं। यह जो बुराई है इसको रोकना पड़ेगा। कई अध्यापक ट्यूशन करते हैं तो जो विद्यार्थी ट्यूशन पढ़ते हैं उनके तो सैमेस्टर में मार्क्स बढ़ा दिये जाते हैं और जो ट्यूशन नहीं करते उनको मार्क्स नहीं दिये जाते। इसलिए मेरा निवेदन है ट्यूशन सरकार की ओर से बन्द कर दी जानी चाहिये। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा निवेदन है कि तुरन्त कार्यवाही की जाय नहीं तो आपको इतनी जबरदस्त बुराई मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपका निर्णय शिरोधार्य समझता हूं। मैं चाहता था कि इस पर बोलूं मगर फिर ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न पत्र

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ग्राउट होने का ग्राया है यह घटना ग्रगर सही है............

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्रगर सही है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : तो बड़ी खेदजनक है ग्रौर बड़ी लज्जाजनक है । जो माननीय सदस्यों ने ग्रपने विचार व्यक्त किये हैं इस सम्बन्ध में मैं भी ग्रपने विचारों को उनके साथ जोड़ता हूं, इसकी जांच के लिए मैंने ऐसा सोचा है ....

एक माननीय सदस्य :जांच होगी क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसकी जांच किसी बड़े ग्रधिकारी से कराई जायेगी ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह तो ग्राउट हुए हैं । यह ग्रापके पास इन्फार्मेशन पहुंची कि नहीं कि ग्राउट हुए हैं पर्चे ?

श्री मदनसिंह दांता : Have you got any report from your deparment ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ग्रखबारों में सूचना ग्राई है । जब सूचना ग्राई तो ग्रापने क्या किया ?

श्री मदनसिंह दांता : ग्रापके डिपार्टमेंट ने ग्रापके पास इस तरह की रिपोर्ट भेजी या नहीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे डिपार्टमेंट से कोई ग्रधिकृत सूचना मेरे पास नहीं ग्राई ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : शेम, शेम ।

श्री मदनसिंह दांता : इस स्थगन प्रस्ताव के ग्राने के बाद ग्रापने जानकारी करने की कोशिश की कि इसकी ग्रापके पास कोई सूचना क्यों नहीं ग्राई ? हो सकता है कि जिन लोगों को सूचना देनी चाहिए....

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यह ग्रापके विभाग की कितनी ग्रकर्मण्यता है कि ग्रापको इसके बारे में सूचना नहीं दी जब कि ग्रखबारों में खबर ग्रा गई कि पेपर ग्राउट हुग्रा है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ग्रापके मंत्रालय की शिथिलता, निष्क्रियता ग्रौर ग्रकर्मण्यता का यह ग्रसर है कि ग्रखबारों में चर्चा ग्रा गई ग्रौर माननीय शिक्षा मन्त्री जी, जिनके पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, को खबर तक नहीं है । यह ग्रापकी सरकारी पद्धति का दोष है । यह पर्चे ग्राउट हुए हैं इसमें ग्रापका कहीं न कहीं हाथ है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 26 तारीख को पेपर ग्राउट हुए हैं, इसके बारे में मेरे पास एक लेटर ग्राया । उन्होंने लिखा है कि धड़ल्ले से यह कर रहे हैं, बाकायदा इनकी खरीद-फरोख्त हो रही है, ग्रौर खूब पैसा लूटा गया है । ग्रखबारों में ग्रा गया । शिक्षक संघ के ग्रध्यक्ष शेखावत ने स्टेटमेंट दिया है । उन्होंने कहा कि यह बहुत ही बुरा हुग्रा है, ग्रौर शिक्षा मंत्रालय के पास इस प्रकार की कोई खबर नहीं है । यह ग्रौर भी खतरनाक बात है ग्रौर शिक्षा मंत्रालय के लिए शर्म की बात है ।

Page No. 64

(64)

श्री नूरा : आपके पेपर मिलने के पूर्व ही आउट हो गये। इसकी आपके डिपार्टमेंट को सूचना होनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जरूरी नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव दिया तो उसके साथ ही साथ मन्त्री महोदय उत्तर दें। यह इतना कन्फ्यूज्ड रिप्लाई सरकार की ओर से दे रहे हैं। आप शाम को 4-5 बजे रिप्लाई दे दें। यह 5 लाख लड़कों के भविष्य का प्रश्न है। आपको पता ही नहीं कि घटना भी हुई कि नहीं। गवर्नमेंट का रिप्लाई क्या रिप्लाई है ? व्हाट दी रिप्लाई इज गोइंग ओन ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप पूरी जानकारी प्राप्त करके जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : माननीय मन्त्री जी की जानकारी के लिए बताऊं जैसा कि पत्र में है कि 27 तारीख को बोर्ड के सचिव ने दरबार हायर सैकन्डरी स्कूल में पूरे दिन रह कर तथ्यों की जानकारी ली है। इसका मतलब यह है कि बोर्ड के सचिव ने 27 को ही इन्क्वायरी कर ली और आज 30 तारीख है। बोर्ड वालों ने आपकी अवहेलना की है कि आपको इत्तिला नहीं दी। इसका मतलब यह है कि यह आज की घटना नहीं है। इसके बारे में बोर्ड इन्क्वायरी कर चुका है और आपके यहां मंत्रालय में और मन्त्री महोदय को इसकी इत्तिला नहीं है तो आप उनके कान खींचे कि क्यों नहीं इत्तिला दी ? आपने स्वयं इत्तिला नहीं लेनी चाही इस कारण से इसका पूरा जवाब नहीं देकर अधूरी बात कहते हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो आगे क्या है ? अभी तक तो आपको पता ही नहीं है। यह आप पहले जानकारी कर लें और उसके बारे में क्या एक्शन लेना चाहते हैं, फिर जवाब दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच दिन पहले की घटना है और बोर्ड के सचिव ने आकर स्कूल के अन्दर उसकी जानकारी की। उनको जानकारी मिली हो, ऐसा अखबारों की बात से लगता है। आज आपने भी पढ़ा होगा कि बोर्ड के सचिव के द्वारा इस प्रकार की इन्क्वायरी हुई है तो एजूकेशन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एजूकेशन सेक्रेटरी, डाइरेक्टर आफ एजूकेशन ने आपको इन्फार्म नहीं किया या आपने जानने की कोशिश नहीं की ? सदन में आने के पूर्व जैसी कि व्यवस्था है और खास तौर से माननीय गृह मन्त्री जी अच्छी तरह से जानते हैं, वह सूचना प्राप्त कर लेते हैं, मेरे डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन से एड जेर्नमेंट मोशन माननीय सदस्यों ने मूव किये हैं। स्थगन प्रस्ताव के बाद भी आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है तो मैं शिक्षा मन्त्री जी से कहूंगा कि तथ्यों की जानकारी करें। अगर हैं से काम नहीं चलने वाला है। यह बहुत सीरियस मैटर है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो स्टेटमेंट देने से पहले जानकारी प्राप्त कर लें। आज 4-5 बजे तक सत्र में एप्रोप्रियेशन बिल चलेगा

(श्री परसराम मदेरणा)

उस वक्त सुविधा के अनुसार यह वक्तव्य दे दें। अगर यह बात है तो यह हो जायगा, अगर यह है तो वह हो जायगा, नहीं चलेगा। आप जानकारी कर लें। अखबारों में आ गया है और साफ है कि सैकन्डरी एजूकेशन बोर्ड के सचिव को कम्प्लेन्ट हुई है और उसके बाद किसी सैन्टर पर गये हैं। यह बात सदन से छिपी हुई नहीं है। तथ्य सदन के सामने हैं। लैटर लिखा है लोगों ने कि यह पेपर आउट हो गया है और इस प्रकार से कर रहे हैं। बोर्ड का सचिव पहुंच जाता है एक्जामिनेशन सेन्टर पर और राजस्थान के शिक्षा मन्त्री उससे अनभिज्ञ हैं। उनको जानकारी भी नहीं है, तो यह बड़ी खेदजनक स्थिति है। मैं निवेदन करूंगा कि वक्तव्य दें। आपको मालूम नहीं है जिन प्रश्नों को उसमें उठाया गया है उनके बारे में मैं पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूं कि स्थगन प्रस्ताव की सरकार के पास सूचना नहीं है तो सूचना लेकर स्टेटमेंट दें। आज नहीं तो कल दे सकते हैं। यह आवश्यक है इसलिए आज शाम तक आपको वक्तव्य दे देना चाहिए। उसकी सूचना आप टेलीफोन से मंगा लें।

श्री मदनसिंह दांता : मुझको मालूम है। मन्त्री महोदय, अगर यह बात सही है तो यह समझिये कितने भी कमिश्नर वगैरह हैं दे शुड बी चक्ड आफ। नहीं है तो क्यों नहीं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह आउट हुए हैं और नकलें हुई हैं। लोगों ने पैसा बटोरा है और थ्रू आउट राजस्थान हुआ है। इस जयपुर का सवाल नहीं है।

श्री शंकरलाल : मेरे ख्याल से मन्त्री जी कन्फ्यूज्ड हैं। मन्त्री जी का वक्तव्य पूरी जानकारी के बाद होना चाहिए। इस तरह से कन्फ्यूज्ड रिप्लाई है उनका।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह नहीं कि जांच करा लेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : आज नहीं तो कल दे दें, लेकिन पूरे फैक्ट्स के साथ दें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : आपके पी. ए. और सैक्रेटरी बैठे बैठे क्या करते हैं? उनको चाहिए था कि यह खबर आपके नोटिस में लाते और पूरी जानकारी करके आप सदन में पधारते।

श्री मदनसिंह दांता : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री नूरा : सरकार पहले खुलासा कर लें कि सही बात है।

श्री मदनसिंह दांता : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री मदनसिंह दांता : I want to speak on point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप पाइन्ट ऑफ ऑर्डर कहिये।

श्री मदनसिंह दांता : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि ऐसा हुआ है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, मन्त्री महोदय

(श्री मदनसिंह दांता)

कह गए कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। चौधरीजी ने जो पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। या तो मन्त्री महोदय यह बोलें कि ऐसा नहीं हुग्रा, ग्रौर हुग्रा तो इसमें क्या तथ्य हैं? इस समय ग्राप बोलेंगे तो मिसगाइड करेंगे।

श्री ग्रौंकारलाल चौहान : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इसकी सबको जानकारी है। ग्रखबारों में ग्रा गया है, ग्रौर मन्त्री महोदय कहते हैं कि इसकी जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

इस प्रकार की बात ग्राती है तो–

(व्यवधान)

मैं ग्रापकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जानकारी करके वक्तव्य दें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, इस बारे में सारे तथ्यों की जानकारी करके मैं हाउस में दूंगा, यही मेरा विचार था ग्रौर है भी। केवल एक ही प्रश्न है जो विरोधी दल के माननीय नेता ने रखा ग्रौर दूसरे माननीय सदस्यों ने भी बताया, मामला बहुत गम्भीर हैं ग्रौर इसमें देर कर दी तो ग्रपराधी बच सकते हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि तथ्यों की जानकारी के बिना कुछ कहना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन इसी बीच में माननीय मदेरणा साहब ने सुझाव दिया कि ग्रपराधी बच जायेंगे, इसलिए मैंने निवेदन किया था कि मैं पुलिस द्वारा भी जांच करवाने के लिए माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा ग्रौर जो कुछ भी तथ्य सामने ग्रायेंगे वह मैं सदन को बताऊंगा।

श्री नूरा : इसका मतलब यह हुग्रा कि ग्रखबार वाले ग्रापके ग्रधिकारियों से ज्यादा समझ रखते हैं। तीन दिन पहले की घटना है ग्रौर ग्रापके ग्रधिकारियों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। सूचना के ग्राधार पर ही ग्राप जानकारी देंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, चार दफा यह मामला ग्रा चुका है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस पर्चे के ग्राउट होने की खबर मिल गई इसलिए ग्राप जाँच करवा लेंगे। कुछ दिन पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे ग्राउट होने का जिक्र ग्राया था, थोड़े दिनों पहले एक ग्रौर पर्चा ग्राउट हुग्रा था ग्रौर उसको दुबारा छापा गया, मेरा निवेदन है कि इतनी चोरियां होती हैं, लोग पकड़े जाते हैं, रिपोर्ट ग्राती है, पर्चे ग्राउट होने की बीमारी है, इम्तिहान में नकल मारने की बीमारी है, यह बढ़ती जा रही है। इसलिए इसका तो ग्राप उत्तर देंगे कि क्या कार्यवाही करेंगे, मगर ग्राप यह भी बतावें कि ग्रागे पर्चे ग्राउट नहीं हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं ग्रौर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षकों में भारी ग्रसन्तोष है चाहे यूनिवर्सिटी के शिक्षक हों, चाहे हायर सैकण्डरी के हों या कालेज के हो।

(श्री मथुरादास माथुर)

हमारे पास कई डेपुटेशन आते हैं, डिमान्स्ट्रेशन होते है। शिक्षकों को विश्वास नहीं रहा, इससे पर्चे आउट होना और नकल की इजाजत देना स्वाभाविक है। गार्जियन के नाते हम यह महसूस कर रहे हैं कि यह बीमारी अगर नहीं रोकी गई तो बच्चों का भविष्य बेकार हो जायेगा। इस बारे में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ताकि यह बीमारी न फैले।

श्री परसराम मदेरणा : अभी, शिक्षा मन्त्री, माननीय सदस्य, जो सांचौर से आते हैं, ने भी कहा कि ऐसा हो गया है। 22 तारीख से सैकण्डरी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और तभी से रोजाना पर्चे आउट हो रहे हैं। इनसे मैंने पूछा तो कहा कि पर्चे आउट हो गए। इसलिए शिक्षा मन्त्रीजी, आप जांच करने से पूर्व मालूम करें कि पेपर सेंटर कौन थे, और कौन से सैन्टर पर ऐसा हुआ, कैसे हुआ, बोर्ड से हुआ या सैन्टर से हुआ, यह कहां पर बेईमानी हो रही है। एक पर्चे को तो दुबारा करवाया गया क्योंकि वह तो साबित हो गया, दूसरों के बारे में क्या होगा? इसका बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पढ़ने वाले तो मारे गए और जिन्होंने पर्चे आउट कर लिये, वह नहीं पढ़ने वाले भी उनसे आगे हो जायेंगे। आप निश्चित जानिए कि भ्रष्टाचार है, पैसा दिया है, इसमें पेपर सेंटर शामिल होना चाहिए। इस मामले में आप जांच करवायें। उसके बाद स्टेटमेंट दीजिये।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि बोर्ड के बड़े-बड़े अधिकारियों का इसमें हाथ था, शिक्षा मन्त्रीजी इसको भी ध्यान में रखें। 22 तारीख से लगातार आज तक पर्चे आउट होते रहे हैं और फ्लाइंग स्क्वेड ने पर्चे पकड़े हैं विद्यार्थियों की जेब से। 60 रु. और 70 रु. में बाजार में बिके हैं। यह सारी बात हो जाने के बाद कोई बात ऐसी बाकी नहीं रह जाती।....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तीन-चार दफा खड़े होकर बोल चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी माननीय शिक्षा मन्त्री जी को देना चाहता हूं कि गणित का पर्चा नोहर के अन्दर आउट हुआ है और प्रिन्टेड 'की' के रूप में बाजार में आया है। कितनी तारीख को एग्जाम हुआ, यह आप देखिए। वह बिका है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं तो माननीय मंत्री को विनम्रतापूर्वक यही निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय, आप अभी इस सम्बन्ध में कोई उत्तर न दें और उत्तर जब भी दें तो अगर-मगर में न दें। यह समाज और जनहित का प्रश्न है और इसमें प्लान्ड करप्शन, योजनाबद्ध भ्रष्टाचार निहित है। उसके

(श्री अध्यक्ष)

साथ साथ सरकार की प्रेस्टिज का भी, सरकार की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए दृढ़तापूर्वक उत्तर इस सदन के समक्ष आज दें या कल दें, समय निर्धारित करके, जानकारी प्राप्त करके दें नहीं तो बड़े भारी फ्रस्ट्रेशन, करप्शन और सरकार की प्रेस्टिज का भी सवाल है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय....

श्री शंकरलाल : जवाब कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी प्राप्त कर लें, आज नहीं तो कल परसों दें, लेकिन जानकारी करके उत्तर दें।

श्री मूलचन्द डागा : बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

श्री शंकरलाल : शिक्षा मन्त्री कुछ कहने की स्थिति में हैं कि कब तक जवाब देंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : जो भी बातें रखी गई हैं उनके आधार पर जानकारी ले लेंगे और जानकारी प्राप्त होने पर सदन के समक्ष रखी जायगी।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यातायात मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर जिलों में रोडवेज निगम की ओर से जो बसें चल रही हैं उनकी व्यवस्था इस प्रकार की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों में बड़ा असन्तोष है। बाड़मेर जिले में बहुत से स्थानों पर बाड़मेर से शिव, बाड़मेर से चौहटन, बाड़मेर से गडरा रोड जितनी बसें चल रही हैं उनकी छतों पर भी सवारियों की भीड़ रहती है। कन्डक्टर्स 150 सवारियां बिठाते हैं। 25 सवारियों के टिकट काटते हैं और 125 टिकटों का पूरी तरह से घोटाला कर रहे हैं। इसलिए निगम की आय में भी अन्तर पड़ रहा है। मैं जनरल मैनेजर व डिपो मैनेजर के ध्यान में लाया और आपके ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि यह व्यवस्था काफी बिगड़ गई है और उसके निरीक्षण के लिए जो व्यवस्था है, वह बिलकुल ही अपर्याप्त है। मजिस्ट्रेट वहां पर आते हैं तो दो तीन महीने में एक या दो दिन का कार्यक्रम बनाते हैं, वह पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यह क्षेत्र दूर-दूर फैला हुआ है और वहां पर मजिस्ट्रेट नहीं जाते हैं। वहां पर उड़न दस्ता नहीं जाता है इसलिए उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ लोग जो यूनियन के अधिकारी हैं, वे कुछ कार्य नहीं करते और दादागिरी करते हैं, करप्शन को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

सरकार ने इमर्जेंसी में अच्छा कार्य किया था, जिन कन्डक्टर्स के खिलाफ विदाउट टिकट सवारियां बिठाने की शिकायतें थी उनको नौकरी से निकाल दिया था परन्तु आपने सभी को वापस नौकरी में ले लिया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आपका निरीक्षण विभाग, उड़नदस्ता व मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, तो बाड़मेर जिले में कितने लोगों को बिना टिकट

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पकड़ा ? सूचना दीजिए । जैसलमेर व जोधपुर जिलों में बिना टिकट कितने लोगों को पकड़ा ? निगम को जो घाटा हो रहा है, वह इसी कारण हो रहा है, आपकी अव्यवस्था के कारण हो रहा है । सुविधा बिल्कुल नहीं है । आप व्यवस्था नहीं करते हैं । इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस समस्या को गम्भीरता से लें और यात्रियों की सुविधा के लिए जल्दी से जल्दी प्रवन्ध करें, अधिक बसों की व्यवस्था करें ।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

बाड़मेर जिले में बसों की स्थिति यह है कि उनकी 50 प्रतिशत बसें आफ रूट हैं, टायर्स नहीं हैं, उनकी रिपेयर्स की व्यवस्था न होने से पड़ी हुई हैं । राजस्थान में सबसे खराब गाड़ियां बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में भेजी जाती हैं, उनकी बुरी हालत है, दुर्घटनायें हो रही हैं । पहले सरकारी सेवाओं में अगर किसी भी अधिकारी को दण्ड देना होता था तो जैसलमेर व बाड़मेर में उसको भेजा जाता था । तो दण्ड स्वरूप वहां ऐसी गाड़ियां भेज रहे हैं ताकि जनता कष्ट पाये । इस स्थिति को हम बरदाश्त नहीं कर सकते । मैं चाहता हूं कि इस मामले में मन्त्री महोदय कठोर कदम उठायें और नागरिकों के लाभ के लिए उचित कदम उठा कर अधिक बसों की व्यवस्था करें । टायर्स व स्टेपनी की कमी को पूरा करें, गाड़ियों की कन्डीशन को ठीक करें । जैसलमेर जिला मुख्यालय पर वर्कशाप है उसकी दुर्दशा है । कोई रिपेयर्स की व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए बुरी स्थिति है । स्थिति यह है कि बाड़मेर, जैसलमेर दोनों के जो बस स्टैंड्स हैं, उनके टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर हैं, पक्का मकान नहीं, शौचालय नहीं पेशाब-घर नहीं, प्याऊ नहीं । आपने सीमावर्ती जिलों की घोर उपेक्षा कर रखी है जिससे नागरिकों में भयंकर असन्तोष है । इसलिए मैंने इन समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है कि आप इनका शीघ्र हल करें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जैसे बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी यातायात मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया है, मैं भी उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में भी ऐसी ही अव्यवस्था है । हर वर्ष शहर के बीच से जब बसें निकलती हैं सोजती गेट के सामने से निकलती हैं, पावटा चौराहे से निकलती हैं तो ओवर क्राउडेड होती हैं, अन्दर सवारियां, ऊपर भी सवारियां और लटकती हुई सवारियां दिखाई देती हैं । इतना ही नहीं ड्राइवर जो बैठता है उसके कैबिन में भी सवारियां भरी हुई रहती हैं । मैंने दो बार इन बसों से ट्रेवल किया । मैं ईमान से कहना चाहता हूं कि इतनी परेशानी में टूर करना पड़ा कि लिमिट नहीं । आपके कन्डक्टर्स व ड्राइवरों का आचरण बहुत गन्दा है । वे जिस तरह आम नागरिकों से पेश आते हैं, वह बहुत ही बुरा है । प्राइवेट बसों का स्टाफ ढंग से पेश आता है लेकिन आपके ड्राइवर्स व कन्डक्टर्स परवाह नहीं करते । जो बसें जोधपुर से शेरगढ़, जोधपुर से पोकरण, जोधपुर से फलोदी जाती हैं,

(श्री खेतसिंह राठौड़)

उनमें, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, 120 सवारियां बिठाते हैं और केवल 40 सवारियों के टिकट काटते हैं बाकी के नहीं काटते। सारा पैसा ड्राइवर्स व कन्डक्टर्स आपस मे बांटते हैं, चैकिंग नहीं है। मैंने पुलिस थानेदार से कहा कि आपका थाना बीच में आता है, आप इन बसों की चैकिंग क्यों नहीं करते? उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि ये सरकारी बसें हैं इसलिए हम इनको चैक नहीं कर सकते। आपने विधायकों को अधिकार दिए कि आप चैक करें। मैंने एक दिन हिम्मत करने की कोशिश की, मुझे बताया गया कि बुढ़ापे में दुःख पाओगे क्योंकि बस में 3–4 आदमी ऐसे रहते हैं जो चैकिंग करने वाले को धक्का देकर बेइज्जत करते हैं। वे दादा लोग है। आपके निगम में जैसे उस दिन बात आई सांड छोड़ रखे हैं वे सांड इसी काम में लगाए हुए हैं कि बांट कर अपना चौथा हिस्सा वसूल करते हैं। इस तरह ड्राइवर्स, कन्डक्टर्स व अधिकारी मिले हुए हैं। मुख्य मन्त्री जी आपने कभी स्वयं ने दौरा किया होगा तो आपने भी देखा होगा कि किस तरह बसों की दुर्दशा है. किस तरह बसें भरी हुई जाती हैं, ओवरलोडेड चलती हैं। इससे सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है, आमदनी जाती है और ओवर लोडिंग के कारण बसों के टायर व मशीनरी खराब होती है। जनता भी परेशान होती है। राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ दिन पहले एक स्थगन प्रस्ताव रखा था तो आपने जवाब में फर्माया था कि मैं कोई हिमालय से ईमानदार स्टाफ लाऊंगा क्या? सारा समाज ही ऐसा है. कुएं में भांग पड़ी है। तो मैं मानता हूं कि कुएं में भांग है फिर भी कोशिश कीजिए। इस प्रकार के उत्तर से आप छूटेंगे नहीं। अगर आपने कोशिश नहीं की तो निश्चित मानिए कि इस विभाग में मांग है और करोड़ों रुपये के घाटे में चला गया है और घाटे में जाएगा। इससे तो अच्छा है कि नेशनलाइजेशन को हटा दीजिए। प्राइवेट बसेज को मौका दीजिए वह चलायें और सुविधायें दें। बसेस की कमी है तो प्राइवेट ओनर्स से बसेस किराये पर लेकर चलायें लेकिन ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जिससे सुचारु रूप से व्यवस्था चले और लोगों को अधिक सुविधायें मिलें। कन्डक्टर्स, ड्राइवर्स और आपके उच्च अधिकारी मिल कर पैसा खा रहे हैं इसकी रोकथाम होना आवश्यक है। तभी जाकर सही रूप में यह बात बैठेगी। खास तौर से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हमारे वहां दो बसेस थीं। डिपार्टमेन्ट ने इसलिए कम कर दी कि वह कहते है कि रेवेन्यू कम आती है। रेवेन्यू कम आने का कारण तो मैंने आपको बताया है कि कन्डक्टर्स, ड्राइवर्स और अधिकारी लोग मिल कर पैसे खा जाते हैं और टिकट कम काटते हैं। शेरगढ़ से चावा जो गांव पड़ता है उसके तो टिकट काटते ही नहीं हैं और आपका डिपार्टमेन्ट पैसे हजम करता जाता है। मैंने आपके आफिसर्स की बात बताई। मैं समझ गया कि सारे लोग मिले हुए हैं और कहते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं होती। मेरा निवेदन है कि आप कोई फ्लाइंग स्क्वैड का इन्तजाम कीजिए। थानों को मौका दिया जाये कि वह चैक करें और वह देखें कि कितनी सवारियां हैं और कितनी नहीं हैं। आपने जो एम० एल०

(श्री खेतसिंह राठोड़)

ए० को अधिकार दिया हुआ है इससे वह कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पुलिस का उनको प्रोटेक्शन नहीं हो।

श्री हरिसिंह (यातायात मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वृद्धिचन्द जी जैन ने, खेतसिंहजी ने चलने वाली बसों के बारे में, ओवर लोडिंग के बारे में, कडक्टर्स और ड्राइवर्स द्वारा टिकट नहीं काटने के बारे में, सब बातें बताई। खास तौर से खेतसिंह जी ने कहा है मैंने पिछली बार कहा था कि कुएं में भांग पड़ी है और क्या आदमी हिमालय से लायें। तो मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था कि वह भी इस समाज के अंग हैं और इसी समाज में रिक्रूटमेन्ट करते हैं। सबके बिहेवियर की रेस्पान्सिबिलिटी सोसाइटी पर है There are no foreigners here. All are citizens of Rajasthan and India.

इस रूप में मैंने कहा था। यह सब अव्यवस्थायें जो उन्होंने बताई हैं। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस रूप में एफीशियेन्सी के साथ रोडवेज की व्यवस्था होनी चाहिए और जिस तरह से पब्लिक को सुविधायें मिलनी चाहिए ट्रान्सपोर्टेशन में रोडवेज के द्वारा वह पूर्णतया नहीं मिल रही हैं। हम इस बात से सचेत हैं और उचित कदम उठा रहे हैं। खासतौर से बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य जब जनरल मैनेजर से मिले और मुझ से भी मिले, हमने उचित कार्यवाही की है। हमारे फ्लाइंग स्क्वेड बढ़े हैं और 7 दिनों में 8 ऐसे केसेस पकड़े हैं। रेगुलर फ्लाइंग स्क्वेड ज्यादा करने पड़ेंगे और रेगुलर चैकिंग करनी पड़ेगी, वह व्यवस्था हमने कर दी है।

जहां तक ओवर लोडिंग चलने का सवाल है हमने दो-दो ट्रिप फिलहाल बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। 15-4-79 से आदेश दिये हैं और बाड़मेर-चौहटन, बाड़मेर-जैसलमेर, बाड़मेर-सांचौर, बाड़मेर-बालोतरा-जोधपुर, जैसलमेर-जोधपुर और जोधपुर-पोकरण और एक बस खास तौर से जैसलमेर से जोधपुर एक्सप्रेस चला दी है। तो यह सारी समस्यायें हम जानते हैं। एक बात उन्होंने और बताई कि रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वह काम नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में हम जागरुक हैं। उन कर्मचारियों से काम लेंगे। जो भी कर्मचारी स्टेट की किसी भी अण्डरटेकिंग में हैं और जितना पैसा वह लेता है या जिस तनख्वाह में हम रखते हैं वह उस तनख्वाह का काम करे। यह मैं मानता हूं। यह सैद्धांतिक रूप से सही बात है। तो हम यह व्यवस्था करेंगे कि जो आदमी तनख्वाह लेता है उसको काम करना चाहिए।

एक बात एम० एल० ए० के लिए बताई गयी कि वह चैकिंग नहीं कर पाते और जो शिकायत करते हैं उस पर कार्यवाही नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है हरएक एम० एल० ए० से तो नहीं कहा हो लेकिन काफी एम० एल० एज० से कहा कि आपके चैकिंग करते समय अगर मारपीट की रिस्क से कुछ कार्यवाही नहीं हो सकती है तो मुझको तो लिख कर दे सकते हैं।

(श्री हरिसिंह)

मैं खुलासा कहना चाहता हूं कि वह बतायें कि वह फलां जगह गये और यह अनियमितता पाई। अगर वह बतायेंगे तो हम उस पर एक्शन लेंगे। अगर किसी भी एम. एल. ए. ने स्पष्ट रूप से लिखा है तो हमने कार्यवाही की है। जो नहीं लिखते हैं और अपने में ही सोच कर बैठ जाते हैं कि यह अनियमिततायें हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय विधायक जिम्मेदार हैं और पब्लिक के प्रति जिम्मेदारी सब की है, सदन की है, सदन के हर सदस्य की है तो इस मामले में वह कोग्रापरेट करें इस व्यवस्था ठीक करने में और जहां पर भी जायें, बसों में अगर अनियमिततायें हैं, खराबी हैं तो वह हमारे ध्यान में लायें, मेरे ध्यान में पत्र के द्वारा लायें या मिल कर लायें या टेलीफोन से लायें, मैं उस पर कार्यवाही करूंगा। हमारी सरकार का कोई इरादा नहीं है कि रोडवेज नहीं चले। हम इस मामले में कमिटेड हैं कि ट्रान्सपोर्ट पब्लिक की सुविधा के लिए हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप एक्सप्रेस बसेस तो नहीं दें। नाइट बसेस जो डीलक्स बसें हैं वह तो अच्छी दें। जोधपुर सांचौर बस पुरानी क्यों है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या• नाइट बसेस में ओवरलोडिंग के कारण बाड़मेर से जयपुर तक खड़े-खड़े आना पड़ता है ? इस व्यवस्था को सुधारेंगे ?

श्री सूरजपालसिंह : डीलक्स बस जो जयपुर से जोधपुर चलती है उसमें दो आदमी बैठ ही नहीं सकते। जोधपुर तक आदमी की हालत जाते-जाते खराब हो जाती है। आप सुपर डीलक्स बस के 12 रुपये ज्यादा लेते हैं। एक साइड में 3 सीटें हैं और आदमी वहां बैठ नहीं सकते। तो सुपर डीलक्स, जिसका आप ज्यादा किराया लेते हैं, स्थिति सुधारें।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सुपर डीलक्स और एक्सप्रेस बसों के बारे में बात उठाई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोडवेज की काफी बसें एक्सप्रेस और सुपर डीलक्स की बाडी बिल्डिंग को भेज दी गयी हैं। हमने काफी बसेस बढ़ाई हैं। आपकी सूचना के लिए हर डिपो में फिलहाल दो तीन महीनों से काफी बसें चल रही हैं। हम और भी बसेस एक साथ नहीं चला सकते। जैसे-जैसे साधन हमारे पास होंगे वैसे ही और बसेस बढ़ायेंगे।

श्री सूरजपाल सिंह : आप प्राइवेट बसों के लिए कान्ट्रेक्ट तीन महीने का करते हैं। वह सुविधायें नहीं दे सकते। आप जब सुपर डीलक्स बस चलाते हैं तो उसमें दो आदमी बैठ नहीं सकते। आप बैठ कर स्वयं भी तो देखिये। स्पेस इतनी कम है कि दो आदमी ईजीली बैठ नहीं सकते। आप मुसाफिरों को उनसे ज्यादा पैसा लेकर भी कम्फर्टेबली बैठने की सुविधा नहीं दे सकते।

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यातायात मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मन्त्रीजी ने और पूर्व मन्त्री श्री

(श्री बालकृष्ण थानवी)

केदार जी ने लोहावट कस्बे के भीतर पूर्ववत बसें ले जाने के दो बार आदेश दे दिये। लेकिन कन्डक्टरों ने अपनी मर्जी से रोडवेज बसें लोहावट के भीतर ले जाना बन्द कर दिया है जिसकी वजह से मुसाफिरों को भारी तकलीफ होती है। फलोदी से जैसलमेर जाने वाली प्रथम बस और जैसलमेर से वापिस फलोदी आने वाली आखिरी बस वाया भादरिया होकर, इसका आदेश भी भूतपूर्व एवं वर्तमान यातायात मन्त्री महोदय ने दिया था। लेकिन इसकी क्रियान्विति भी आज तक नहीं हुई। जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने कहा है कि हम जिन डीलक्स बसों में जयपुर आते हैं और जो जोधपुर से 9 बजे रात्रि में चलती है उसमें बैठने की जगह इतनी कम है कि हमारे पैर भी सीधे नहीं हो सकते हैं अतः आप इसकी भी ठीक व्यवस्था करवाइयेगा एवं जहां–जहां बसें नगरों, कस्बों व ग्रामों में नहीं जाती हैं वे भीतरी भाग में जायें ताकि यात्रियों को सहूलियत रहे, ऐसा आदेश भी मन्त्री महोदय दें।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ...

श्री अध्यक्ष : एक मिनट के लिये, स्पष्टीकरण करने के लिये जो कुछ कहना हो, कह दीजिये।

श्री एच. एन. शर्मा : पहले सदन में काफी गर्म चर्चा हुई थी कि वहां की यूनियन के पदाधिकारियों को काम न करने के अतिरिक्त जो सुविधाएं दी गई हैं क्या उसी प्रकार की सुविधाएं दूसरी यूनियन के अधिकारियों को देना चाहते हैं? या जो सुविधायें दी गई हैं उनको राज्य सरकार निरस्त करने का विचार रखती है, इस बारे में मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पंचायत समिति दूदू, ग्राम पंचायत हरनोद में एक कुआं है जिसकी मरम्मत के लिये समय समय पर सरकारी कोष से पैसा दिया जाता रहा है। गांव में केवल एक ही कुआं है जो लोगों के पीने के पानी के लिये इस्तेमाल किया जाता है और जहां पर पशुओं को भी पानी पिलाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत के सरपंच ने उस कुएं को भवानी सिंह पुत्र भीम सिंह को 4 महीने के लिए 100 रुपये के ऊपर काश्त करने के लिये, सिंचाई करने के लिए ठेके पर दे दिया। कायदे से जो सार्वजनिक कुएं हैं उनको ग्राम पंचायत भी, चाहे उसका बहुमत हो, सार्वजनिक कुएं को कृषि प्रयोजनार्थ नहीं दे सकती। यह पंचायत एक्ट में प्रावधान है। उसके बाद भी ग्राम पंचायत ने उस कुएं को भवानी सिंह को, सिंह के राज में अनियमित तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दे दिया है....

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप भी सुमित्रा सिंह हो....

श्री किशनसिंह भाटी : यह हरिसिंह, यह सुमित्रा सिंह ....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जब ग्राम पंचायत के लोगों ने इस बात का एतराज किया और यहां तक कि जिलाधीश, जयपुर से मिले तो उन्होंने अविलम्ब इसका कब्जा वहां से हटाने और कृषि प्रयोजन के लिये कुएं को न देने के आदेश प्रदान कर दिये और अतिरिक्त विकास अधिकारी ने भी कर दिये। जिलाधीश ने साम्भर के एस. डी. ओ. को लिख दिया। सब कुछ लिखने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंह के राज में सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिये चार महीने बीतने के बाद गांव वाले पीने के पानी के लिए तकलीफ पा रहे हैं। गांव वालों के पशु पानी पीने के लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन अभी भी वहां के भवानी सिंह पुत्र भीमसिंह ने सार्वजनिक कुएं के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है। लोगों के आने जाने का रास्ता रोक दिया। लोगों को पानी पीने से रोक दिया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जनता पार्टी जो अपने को कल्याणकारी होने की घोषणा करती है, कल्याणकारी राज की बात करने वाली पार्टी से पूछना चाहती हूं कि सार्वजनिक कुएं से पानी लेने के अधिकार से वंचित क्यों कर दिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत, माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी को चेतावनी देना चाहती हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह एक अहम् मसला है। गांव में सार्वजनिक कुएं का प्रश्न है। लोगों को पीने के पानी की समस्या है। पशुधन को जिन्दा रखने की समस्या है। दूसरी तरफ कृषि के प्रयोजन के लिये कुएं को मात्र 100 रुपये में 4 महीने के लिये दिया है। उससे अविलम्ब लेकर....

श्री दिग्विजय सिंह : सरपंच का नाम क्या है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरपंच का नाम नहीं जानती।

एक माननीय सदस्य : वह भी कोई सिंह होगा।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य कोई लाजमी नहीं है।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे हिन्दुस्तान में महिलाएं अपने पति के नाम के अलावा सब का नाम लेती हैं। इनको सरपंच का नाम लेने में क्या कठिनाई है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे क्या आपत्ति है? मैं तो पति का नाम भी ले लेती हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिस माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा है, वहां की जनता रो रही है जिन्होंने इनको भेजा है। जिस सदस्य में यह दिमाग नहीं हो, सवाल कैसे पूछा जा सकता है ....

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सार्वजनिक कुएं से लोग सिंचाई का काम करने लग जायेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब आपका पक्ष शासन पक्ष में था, हम बराबर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव रखते थे तो मंत्री महोदय जवाब देने के लिये उठते तक नहीं थे। इस शासन ने जवाब देने की व्यवस्था तो की है। वह जवाब पर्याप्त नहीं हो सकता। एक क्षण में जवाब कैसे दिया जा सकता है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : उनकी मर्जी होगी तो देंगे। मंत्री महोदय, अगर उत्तर देना हो तो दीजिये। लाजमी तो है नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्या ने जो कहा कि उस सार्वजनिक कुएं को ग्राम पंचायत के सरपंच ने भवानी सिंह को 100 रुपये में चार महीने के लिये दिया है, वह किस प्रकार से दिया है ? ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार दिया है, वह सब जानकारी कर लूंगा, उसके बाद कार्यवाही की जायेगी। आखिर जन-प्रतिनिधि वे भी हैं....

श्री श्योपत सिंह मकासर : जन प्रतिनिधि कुएं के पानी को नहीं रोक सकते....

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल (हिंडौन) : ग्राम पंचायत की आय को बढ़ाने के लिये दिया हो ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पीने का पानी रोक कर आय नहीं बढ़ा सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

जब हम वहां पर बैठते थे, कांग्रेस की सरकार थी, इधर से बोलने वाले माननीय सदस्य कोई मुद्दा उठाया करते थे, हो सकता है उनका जवाब संतोषजनक तरीके से न दिया जाता हो या कई बार टालमटोल की गई हो लेकिन आसन की तरफ से सरकारी पक्ष को बचाने के लिए प्रोटेक्शन कभी नहीं दिया। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय: जो आपने रखा है....

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह आसन पर आरोप है।

(व्यवधान)

यह कैटेगरिकल कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय और यह बिल्कुल आरोप है।

श्री रामनारायण चौधरी : आरोप का प्रश्न ही नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे अपनी बात तो पूरी करने दी जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या ने आसन के प्रति कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने यह कहा है आसन को, कोई मंत्री को संरक्षण, प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। यह बहुत माइल्ड आरोप है। लेकिन मन्त्रियों को हमेशा उत्तर देना आवश्यक नहीं है। जब माननीय सदस्या मंत्री थी तब तो उत्तर देने की बहुत कम चेष्टा किया करती थीं। कभी-कभी दिये के नीचे अन्धेरा हो जाय तो वह क्षम्य है।

(श्री अध्यक्ष)

श्री रणमल सिंह ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अपनी सफाई के लिए समय दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं यह भी करबद्ध निवेदन करूं, कभी जीरो आवर दो बजे तक नहीं चलता है यह गरिमा और महिमा आपके दल की है । इस परम्परा को आप कुछ न कुछ कम करिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप समय देख लीजिए, किस सदस्य ने कितना कितना समय लिया है ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : अगर टाइम देखेंगे तो हमारा ज्यादा टाइम जीरो आवर का सत्ता पक्ष वाले खराब कर देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब चलिये, रणमल सिंह जी ।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्योपत सिंह जी ने कहा है ... जीरो अवर ....

(व्यवधान)

सत्ता पक्ष के लोग खराब करते हैं ..

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है हम किसी बच्चे को स्कूल में भेजें तो वह भी दो साल में दो कक्षा पास कर लेता है मगर ये तो सब × × × निकल गये जो दो साल में एक कक्षा भी पास नहीं की ।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बुद्धि का खजाना ये ही तो लेकर नहीं आये हैं....

श्री कौशल किशोर जैन : ये श्योपत सिंह जी × × × हैं जिन्होंने × × × का परिचय दिया है ।

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक पुरानी कहावत है–

× × × पढ़ गया चारों वेद
अन्त समझाया समझ्या नहीं, × × ×

(व्यवधान)

श्री दूला राम : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हरिजनों पर प्रहार किया है, हरिजनों का अपमान किया है....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल देना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : जो बिल्कुल × × × हैं उनके लिये है, ये तो बिना मतलब ही ले रहे हैं....

× × × शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : एक वर्ग विशेष का अपमान है ...

(व्यवधान)

ये देखो इनके मुंह से नहीं निकलेगा....

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : मैं अब भी कहता हूं जो × × × होते हैं ...

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपंज किया जाय, एक वर्ग विशेष की बात है ।

(व्यवधान)

श्री दूला राम : सत्ता पार्टी के सदस्यों का रवैया देख लीजिए ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह दर्पण है, जनता पार्टी के लीडरों का....

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : सदन का समय बर्बाद करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह....

श्री मूल चन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, कई झगड़े हुए हैं, कई बार एम. एल. एज. को फटकारा गया है । मंत्रीगण ने भी आपत्ति की है और यह आपत्ति-जनक शब्द हैं....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : ये सदन से बाहर जाकर कहें, ये रतन लाल जी, मूंछ साफ कर देंगे....

(व्यवधान)

ये जो अपमान जनक शब्द कहे हैं, बाहर आकर कहें तो इनको मूंछें नहीं रहेंगी । लोग इनकी मूंछों को उखाड़ लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य....

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं खेद व्यक्त करता हूं....

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : सुनिये सुनिये....

श्री श्योपतसिंह मकासर: या तो ये शब्द वापस लें....

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब इनकी पार्टी के लोग बारबार हमको × × × कहें, उस समय कोई बोलता । मैंने तो यह कहा था कि बहुत पुरानी कहावत चली आ रही है और मैंने किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया है....

(व्यवधान)

मैंने किसी पर आक्षेप नहीं लगाया, मैंने किसी सदस्य पर आरोप नहीं लगाया । कोई जो पुरानी कहावत है उसको कहा है ।

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

Page No. 78

(78)

(श्री रतन लाल वर्मा)

जब इस कहावत पर इतने नाराज होते हैं....

(व्यधान)

ये जो चाहें सो बोल सकते हैं, जो चाहें सो ग्राक्षेप लगा सकते हैं, इनको कभी कोई कुछ नहीं कहता। पहले इनको ग्रपनी जुवान पर लगाम लगानी चाहिए। पहले ग्रपनी जुवान पर लगाम लगावें....

(व्यवधान)

श्री नूरा : बड़ी बुरी बात ग्रापने कही है, ग्राप ग्रपने शब्द वापस लो।

श्री रतन लाल वर्मा : मैंने किसी पर ग्रारोप नहीं लगाया है....

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह सारे राजस्थान की हरिजन जाति का ग्रपमान किया है....

श्री मूलचन्द डागा : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर....

श्री श्योपतसिंह मकासर : हरिजनों का ग्रपमान किया है....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ...

श्री ग्रध्यक्ष : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर....

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : हम इनको नहीं बोलने देंगे....

श्री रामनारायण चौधरी : इन्होंने राजस्थान की महान जाति का ग्रपमान किया है।

श्री ग्रध्यक्ष : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, माननीय डागा का पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है।

श्री मूलचन्द सामरिया : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है।

श्री रामनारायण चौधरी : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर से पहले माननीय रतनलाल ग्रपने शब्द वापस लें। ये राजस्थान की महान् जाति का ग्रपमान है। जब तक सदन में माफी नहीं मांगते हैं कोई पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं उठ सकता। नो पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर....

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : एक मिनट सुनिये। मेरा भी पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है, मैंने भी पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर रेज किया है....

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : इन्होंने सदन का ग्रपमान किया है, हरिजनों के साथ ग्रन्याय किया है....

श्री ग्रलवाराम : ग्रध्यक्ष महोदय,

(श्री अलवाराम)

यह दूलाराम हरिजनों का अपमान कर रहा है, ये हरिजनों का अपमान कर रहे हैं बारबार उसको कह कर। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दूलाराम को सदन से निकाल दिया जावे। ये सदन में अव्यवस्था कर रहे हैं।

श्री दूलाराम : मैं नहीं तुम कर रहे हो। हम इसको सहन नहीं कर सकते....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह पहला मौका है, मान्यवर, जनता पार्टी का राज कायम होने के बाद में आज हरिजनों से ऐसा व्यवहार किया गया है। खुल्लमखुल्ला उनको × × × कहा गया है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय। सुनो तो सही....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। यह क्या हुआ ? माननीय सदस्य श्री रतनलाल ने कहा क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : × × × कहा था।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : इन्होंने कहा कि × × × ही रहा। चाहे कितनी ही शुद्धि करो वह × × × ही रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये शब्द माननीय रतनलाल सदन के बाहर कह दें तो रतनलाल जी की मूंछें गायब नहीं हो जायेंगी। अब भी बीमा करवा लो अपनी मूंछों का....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : रतनलाल ने यह कहा....

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर विरोधी पक्ष में से एक माननीय सदस्य खड़े हो करके कहें कि उन्होंने कहा क्या तो मैं सुनूं तो सही।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्योपतसिंहजी ने जो कुछ कहा उसके प्रत्युत्तर में, वे कुछ भी कह सकते थे। माननीय श्योपत सिंह जी को कह सकते थे × × × कह सकते थे। उन्होंने कह दिया, रतनलाल वर्मा ने यह कहा, × × × उसको पढ़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह पढ़ा नहीं, रहा वह × × ×। × × × की आदत होती है, बस × × × है....

(व्यवधान)

सुनिये। उसको पढ़ाने की कोशिश की कि वह × × × नहीं दे। लेकिन

× × × यह शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामनारायण चौधरी)

नहीं पढ़ सका और फिर वही करता रहा। फिर अन्त में कहा कि रहा ××× । ××× अनुसूचित जाति में भी होता है....

श्री टीकमचन्द कान्त : यह शब्द नहीं है ...

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : तब किस को कहते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : इन्होंने ××× कहा....

श्री वृद्धिचन्द जैन : अनुसूचित जाति में एक बहुत छोटी जाति होती है जिसको ××× कहते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : ××× नाम की कोई जाति नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मारवाड़ के अन्दर कहते हैं।

श्री बालचन्द आर्य : अनुसूचित जाति में ××× जाति होती है....

(व्यवधान)

यह अनुसूचित जाति पर कलंक लगा रहे हैं। लोगों को ××× कहते हैं, उनको ××× कहते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री बालचन्द आर्य : जो लोगों का खून चूसते हैं, उनको ××× कहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जनता पार्टी के शासन में हरिजनों को आज ××× कहा गया है। वह जमाना अब नहीं रहा, आप नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। यदि माननीय श्री रतनलाल ने ××× या ऐसे शब्द का प्रयोग किया है तो वह अनपालियामेंट्री है और उसको निकाल दिया जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : For this he should be penalised .

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की बात है। हम देखते हैं कि सदन से बाहर कैसे जाते हैं ? यह एक जाति का अपमान है कि वह ××× रहा। ये बाहर जाकर कहें, रतनलालजी तो पता लगेगा कि क्या तमाशा होता है ? पता लग जायगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रतन लाल जी को माफी मांगना चाहिये ...

श्री अध्यक्ष : ऐसी किसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है तो वह अनपालिया-मेंटरी है....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह प्रयोग जान बूझकर किया गया है।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री मूलचन्द डागा : यह घोर आपत्तिजनक है। इन्हें माफी मांगनी चाहिये।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय श्योपत सिंह जी जानबूझ कर जनता पार्टी के लिए, × × × × × × जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : वह अलग है।

(व्यवधान)

श्री दूला राम : यह गलत है। × × × यह नहीं कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण : यह हरिजनों के लिए कहा जाता है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य हैं, उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। यह उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं प्रोसीडिंग्स देखूंगा। अगर प्रोसीडिंग्स में कोई आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया है तो मैं माननीय सदस्य को बुला कर कहूंगा कि वे रिग्रेट एक्सप्रेस करें।

श्री मूलचन्द डागा : आप पांच मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दें। प्रोसिडिंग्स देख लें।

श्री अध्यक्ष : मैंने कुछ नहीं सुना है, माननीय सदस्य। मैं क्या व्यवस्था दूंगा? पहले मुझे कोई निर्णय पर तो आने दीजिए। आपकी आपत्ति से मेरी सहानुभूति है। यदि कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है, असंसदीय है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री डूंगर राम पंवार : आपको सीधी माफी मांगनी होगी। यह अपमानजनक शब्द है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माफी मांगनी चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह जाति विशेष के सदस्यों के लिए प्रयुक्त किया गया है। यह अपमान है, उस वर्ग विशेष का जो सदियों से शोषित हुआ है...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी जाट को खोता कह दो, वह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी राजपूत को लेन्दा कह दो, वह बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात पर तो कतल हो जाते हैं। यह देशी भाषा में गाली मानी जाती है। इससे तो झगड़े हो जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचायी

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

Page No. 82

(82)

(श्री रतन लाल वर्मा)

है, किसी पर कोई आक्षेप नहीं किया है। यह तो एक पुराना मुहावरा चला आ रहा है, उस पर मैंने कहा है····

(व्यवधान)

पूरी बात सुन लीजिए। आप हल्ला करके मेरी बात को नहीं सुनना चाहते हैं। यह आपकी मर्जी है ?

(व्यवधान)

मैंने एक मुहावरा कहा है।

(व्यवधान)

मेरी बात को सुन लीजिए। पूरी सुनियें। मेरी पूरी बात को सुन लीजिये उसके बाद कहिये....

श्री दूलाराम : यह गलत है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, इस घटना को एक घण्टा होने आया। शर्म आनी चाहिये ....

श्री रतनलाल वर्मा : मैंने किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाई है ..

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय रतन लाल जी सीधी तौर से माफी मांग लीजिए ...

श्री डूंगर राम पंवार : सदन में आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं, चाहे वह मुहावरा हो। यह अपमान है।

श्री लाल चन्द : अध्यक्ष महोदय, पहले भी सदन में एक माननीय सदस्य द्वारा ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया था, उस पर उन माननीय सदस्य को सदन से माफी मांगनी पड़ी थी। वह नफरत से भरा हुआ शब्द था, यह गलत है। नफरत से भरे हुए शब्द का प्रयोग करने के कारण उनको हाउस से माफी मांगनी पड़ी थी। आपको भी माननीय सदस्य, सदन से माफी मांग लेनी चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह गाली है।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं कह रहा हूं वह सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, आप पूरी बात सुनिए····

श्री सूरजपाल सिंह : आप सीधी तरह से माफी मांगिये यही हल है।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचायी है; अगर कोई सदस्य यह समझते हैं कि मुझे ठेस पहुंची है····

(व्यवधान)

सुनिये, पूरी बात को सुनिये। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैंने किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाई है। मैंने किसी पर आक्षेप नहीं किया है ..

श्री रामनारायण चौधरी : कोई क्या

(श्री रामनारायण चौधरी)

समझता है, यह सवाल नहीं है। यह तो आक्षेप है....

श्री रतनलाल वर्मा: अगर आक्षेप मानते हैं, तो मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूं, अगर किसी की आत्मा को कष्ट हुआ है तो उसके लिए मुझे भी पश्चाताप है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैंने प्रोसीडिंग्स मंगवा कर देखी है और प्रोसीडिंग्स में दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग माननीय सदस्य रतनलाल वर्मा ने किया है। उन्होंने × × × का × × × यह शब्द कहा है। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करता हूं कि आप खड़े होकर खेद व्यक्त करें।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है, यह मैंने पहले ही कह दिया है कि किसी की आत्मा को ठेस पहुंची है तो, यह तो एक मुहावरा है....

(व्यवधान)

मैं खेद व्यक्त करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : This is no apology. Is this an apology ?

श्री डूंगर राम पंवार : इनको सीधी तरह से माफी मांगनी चाहिये।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं खेद व्यक्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खेद व्यक्त कर दिया है। इस विषय को खतम किया जाय।

श्री ईश्वर चन्द्र : गलती हर इन्सान करता है पर मूर्ख उस पर अड़ा रहता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुहावरा तो यह भी है मालजादी। तो किसी भी माननीय सदस्या को आप मालजादी नहीं कह सकते हैं। यह मुहावरा नहीं होता है, यह तो गाली है। किसी जाट को खोता कह दो वह झगड़ा करने लगता है। राजपूत को लेन्डा कहते ही झगड़ा हो जाता है। यह गालियां हैं हमारी, मारवाड़ी भाषा में गालियां हैं। यह विशेष जाति के लिए कही गई है। यह कहते ही झगड़ा हो जाता है। यह गालियां दी हैं आपने।

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय सदस्य ने इनके लिए खेद व्यक्त कर दिया है।

श्री भंवरलाल गिरन : क्षमा मांग ली है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया झगड़ा न बढ़ावें। माननीय सदस्य खड़े होकर कह दें, मुझे खेद है।

श्री रतनलाल वर्मा : मुझे खेद है।

श्री रणमल सिंह (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहा था, बीच में रतनलाल जी ने दो चार शब्द कहकर सारा टाइम ले लिया। इनको तो पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। पहले ही मांग लेते तो अच्छा था।

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रणमल सिंह)

अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव यह है, अन्त्योदय, जो समग्र क्रांति का पहला सोपान है, उसके सम्बन्ध में मैंने यह आपके सामने रखा है। अध्यक्ष महोदय, इसका प्रचार पूरे भारतवर्ष में किया गया है। जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान में, अन्त्योदय को बताया गया है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि सिसोदा गांव में जो ग्राम पंचायत काशीपुरा के अन्दर है, दो हरिजन परिवारों को जो बैरवा जाति के हैं, एक श्री शिवनारायण और दूसरा श्री केसरराम है, इनको 3 बीघा 14 बिस्वा., और 4 बीघा 10 बिस्वा. जमीन 8 महीने पहले दी गई थी लेकिन वे जनता पार्टी से क्या उम्मीद करें। ये उनको कैसे जमीन देंगे ? क्या प्रोपेगण्डा करने के लिए, अखबार बाजी करने के लिए, कि हमने इतने अन्त्योदयी परिवारों का उद्धार कर दिया, इतनों को जमीनें दे दीं। यह महज प्रचार, प्रसार, अखबार बाजी और रेडियो बाजी इन्होंने बहुत की। लेकिन 8 महीने हो गए। अभी तक कब्जे नहीं दिये गये। यह जिला टौंक की घटना है और वे हरिजन जयपुर के बहुत नजदीक हैं। लेकिन राज्य सरकार ने 8 महीने तक नींद नहीं खोली कि उन गरीबों को कब्जे दे दिये जायें। तो इस प्रकार की जमीने देने का क्या लाभ ? उनको जमीन मिली नहीं, वे मारे-मारे फिरते रहे। क्या केवल अलाटमेंट करने पर, अलाटमेंट की लिस्टें बनाने पर उन गरीबों का भला हो जायेगा ? अगर यही प्रक्रिया हरिजनों को ऊंचा उठाने की रही तो वे तो ऊंचा उठ गये।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं दोहराऊंगा नहीं, केवल दो मिनट मे समाप्त कर दूंगा। जो तथ्य माननीय सदस्य ने दिये, ये हरिजन जिलाधीश के पास गये और जिलाधीश के आदेशों को बी. डी. ओ. के पास लेकर गये। विकास अधिकारी ने उनसे कागज तो ले लिये लेकिन लेने के बाद फाड़ दिये और कहा कि ऐ, चमारो, भाग जाओ। तुम किसी चमार मिनिस्टर के पास जाओ। मान्यवर, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा, जमीन दी सो दी उलटे गरीब हरिजनों के दो सौ तीन सौ और खर्च हो गये। बी. डी. ओ. उसको फाड़ देता है और फाड़ कर कहता है भाग जाओ, चमारो, किसी चमार मिनिस्टर के पास जाओ। यह कोई बात है। भगवान् के नाम पर रहम खाओ, अधिकारियों से ताण्डव नृत्य करवा रहे हैं, ऐसे अधिकारी नगा नाच कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाओ। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अधिकारी जवाब तो ठीक दें।

श्री अजतीसिंह (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, हुआ यह कि हरिजनों को जो जमीन अलॉट की थी उसकी बजाय वे दूसरी जमीन चाहते थे और जो जमीन चाहते थे उस पर किसी दूसरों का कब्जा है, सो दूसरी जमीन पर गये तो वह कब्जा देना नहीं चाहते। पार्टी से उनको कब्जा दिलाया जा नहीं सकता। जैसे पुराने तरीके कांग्रेस सरकार के थे जिनसे बेदखल करके दिलाई जाय, तो यह सम्भव नहीं हो सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे झगड़े में फंसे ही क्यों अन्त्योदयी ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अब तो कब्जा दिलाया जा सकता है। माननीय राजस्व मन्त्री जी जानते हैं टिनेंसी एक्ट में अमेंडमेन्ट करने के बाद धारा 56 "ए" या बी डाली है उसका अभिप्राय यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स की भूमि पर कोई भी कब्जा चाहे सिवाय चक हो चाहे सीलिंग या खातेदारी की जमीन, सब प्रकार की जमीनों पर जो हरिजनों के पास में हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के पास में हैं उनको सम्मरी तौर पर कब्जा तुरन्त दिलाया जा सकता है। यह तो कानून बन गया है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्षजी, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि इस प्रकार से नियम बनाये गये हैं। यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसा मामला हुआ है, मुझे पता नहीं लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जमीन पहले से ही दूसरों के कब्जे में थी तो उसको नियमानुसार अलाट नहीं किया जाना चाहिये था। खाली जमीन को करना चाहिये था। सुनिये, सुनिये, सुनो तो सही भाई, मैं भी थोड़ा कानून जानता हूं। इसमें इस धारा को इन्वाल्व किया जा सकता है तो जरूर किया जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह बात नहीं है, माननीय सदस्य ने कहा है........

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन को अलाट किया और उसमें पहले से ट्रेस पासर्स बैठे हुए थे तो यह जमीन किसकी है ? उस एडवाइजरी कमेटी का चैयरमैन कौन था ? तहसीलदार वहां बैठे थे या नहीं ? आपने अलाटमेंट राजस्व अभियान के दौरान किया है या नहीं ? आपके अधिकारियों को पूछिये। आप कह रहे हो कि आवंटन नहीं करना चाहिये था, तो क्यों किया आवंटन ?

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अजीत सिंह जी ने कहा है कि जो जमीन अलाट हुई उसको लेना नहीं चाहते और दूसरी जमीन लेना चाहते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह नहीं है, जो रकबा अलाट किया गया वह न देकर दूसरा दिया जा रहा है जो लेना नहीं चाहते हैं। आपके अधिकारियों ने....

(व्यवधान)

श्री रावत राम : जिलाधीश ने आदेश दिये थे जिस प्रार्थना पत्र पर उनको कब्जा दिलाने के लिये, वे जिलाधीश का पत्र लेकर बी. डी. ओ. के पास गये और बी. डी. ओ. ने उन एप्लीकेशंस को फाड़ दिया ...

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन। अध्यक्ष महोदय, ऐसी

(श्री मदनसिंह दांता)

बात नहीं है जैसा कि अजीतसिंहजी ने कहा है वे जमीन दूसरी जगह लेना चाहते हैं ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं, नहीं । यह नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री शिवकरण बुहाड़िया (फागी) : अध्यक्ष महोदय, जिनको अलाट की उनको सरकार कब्जा दिलायेगी लेकिन श्री राम नारायणजी ने साफ कहा है कि चमारो भाग जाओ । अगर विकास अधिकारी ने ऐसा कहा है तो क्या सरकार उसकी जांच करायेगी ? अगर यह बात नहीं कही है तो रामनारायणजी को माफी मांगनी चाहिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो कहता हूं जो हरिजनों ने लिख कर दिया है उस पर हरिजनों के हस्ताक्षर हैं । मैं साबित करूंगा । अगर साबित नहीं हुआ तो मुझे एतराज नहीं लेकिन अगर साबित होगा तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कहूंगा ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में थोड़ा सा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको समाप्त करें तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले लें ।

(व्यवधान)

आप सहयोग दें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दो, दो मिनट ही बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : तो फिर माननीय सदस्य ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह हरिजनों से सम्बन्धित है । उनकी दयनीय स्थिति है । कलेक्टर के आदेश को फाड़ दिया है । रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बतायें कि क्या वह उनको कब्जा दिलायेंगे ? सरकार की क्या मन्शा है ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अगर यह शब्द कहे तो इसकी जांच कराऊंगा । जो यह कहा जाता है कि यह उन्होंने एस. डी. ओ. या बी. डी. ओ. ने....

श्री रामनारायण चौधरी : कलेक्टर का आदेश लेकर आये तो बी. डी. ओ. ने फाड़ कर फैंक दिया कि मिनिस्टर साहब के पास जाओ ।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायणजी मिनिस्टर भी रहे हैं लेकिन इनको पता नहीं है कि विकास अधिकारी का क्या काम है और रेवेन्यू से उसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : अन्त्योदय योजना में लोगों को कर्जा दिलाने का काम विकास अधिकारी का है । यह उसकी ड्यूटी है ।

श्री श्रवणलाल : यह तहसीलदार का काम हो सकता है, एस. डी. ओ. का काम

(श्री श्रवणलाल)

हो सकता है विकास अधिकारी का काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, कविता बेनीफिट एवं किशोर ट्रेडिंग (चिट फण्ड) कम्पनी, अहमदाबाद, गुजरात स्टेट की एक कम्पनी है जो कि अहमदाबाद में रजिस्टर्ड है, और उसका वहां पर हैड आफिस है। इसके मालिकों ने 1972 में जयपुर और उदयपुर में ब्रांच कार्यालय खोले। और खोलने के बाद उन्होंने यहां पर सदस्य बनाये। इस कार्य हेतु कई ग्रुप बनाये और प्रत्येक ग्रुप में 30 हजार सदस्यों की सीमा रखी जिसमें प्रति मैम्बर से 10 रुपया प्रति माह के हिसाब से लेना उन्होंने शुरू किया।

अध्यक्ष महोदय, यह उन्होंने पांच साल का कार्यक्रम बनाया जिसमें एक महीने में 30 हजार और पूरे साल में 3,60,000 होता है एवं पूरे 5 वर्ष में प्रति ग्रुप (30 हजार व्यक्तियों से) 18,00,000 रुपया वसूल किया। इस तरह से गरीब लोगों से 10 रुपये प्रति महीने के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपया वसूल किया जो ग्रुप बनाये हुए थे, उन्होंने। यह कम्पनी मान्यवर, 31 दिसम्बर, 1977 को अचानक अपने दफ्तर में ताला लगाकर यहां से गायब हो गई और उसके सारे अधिकारी न जाने कहां गये। 24 दिसम्बर, 1977 को माननीय मुख्य मन्त्री, राजस्थान, को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। यहां पर एक संघर्ष समिति बनाई गई और वह संघर्ष समिति मुख्य मन्त्री से मिली, और मिलकर निवेदन किया कि कम्पनी के सारे अधिकारी गायब हो गये, लिहाजा कार्यवाही की जाय। उसके बाद पुन: 16-5-78 को माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले और मिलकर पुन: निवेदन किय कि अभी तक कोई कार्यवाही आपने नहीं कराई इसलिए आप तुरन्त कार्यवाही करें। लाखों रुपयों की रकम गरीबों से इकट्ठी करके ले गये हैं वह हड़प जायेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया कि जांच पुलिस को दे दी गई है, इसकी माकूल जांच हो जायगी।

उसके बाद में, मान्यवर, 16-6-78 को इस संघर्ष समिति के लोगों ने पुलिस थाना अशोक नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके साथ ही 3-6-78 और 5-6-78 को राजस्थान के गृह मन्त्रीजी से मिले तथा उनसे निवेदन किया कि इस कम्पनी ने इतना पैसा इकट्ठा किया और ताला लगाकर रुपया हड़प कर चली गई। गृह मन्त्रीजी ने विश्वास दिलाया कि एकदम कार्यवाही की जायगी। लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। निरन्तर यह लोग माननीय मुख्य मन्त्रीजी और गृह मन्त्री जी से मिलते रहे। इसके साथ ही उन्होंने कई पार्लियामेंट के मैम्बर्स से भी निवेदन किया, राज्य वित्त मन्त्री श्री अग्रवाल साहब को भी पत्र भेजा, भारत के गृह मन्त्रीजी को भी एक पत्र भेजा। उन्होंने भी उनको विश्वास दिलाया कि राजस्थान सरकार को लिखेंगे और अविलम्ब कार्यवाही होगी। राज्य वित्त मन्त्रीजी ने राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखा। पत्र क्रमांक 4919 एम. एम., दिनांक 27-6-78. उसमें लिखा है कि अवि-

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

लम्ब इस कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

यह जो संघर्ष समिति बनी हुई थी वह निरन्तर मुख्य मन्त्रीजी को यह कहती जा रही थी कि इसका मुख्य कार्यालय अहमदाबाद में है। उनके खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिए और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाय और इनकी जितनी प्रापर्टी, चल और अचल, राजस्थान में है उसको कुर्क करने की कार्यवाही की जाय।

अशोक नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया और वह निरन्तर कहते रहे लेकिन थाने की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई और आज तक वैसे ही पड़े हुए हैं। यह हड़प की गई धनराशि गरीबों को वापस दिलाने की कार्यवाही कराई जाय और इस मामले को सी. आई. डी. के सुपुर्द कर दिया जाय। इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मजबूरन उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा। इन्होंने माननीय श्री नाथूरामजी साहब को एक पत्र लिखा और उन्होंने श्री मुरारजी साहब को पत्र लिखा उनके पत्र के उत्तर में प्रधान मंत्रीजी ने जवाब दिया—

"कविता बेनीफिट एवं किशोर ट्रेडिंग (चिट फण्ड) कम्पनी द्वारा बहुत अधिक मात्रा में धन का गबन किये जाने के सम्बन्ध में आपका 15 अगस्त का पत्र मिला। मैं इस शिकायत को राजस्थान सरकार को उचित कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं।

—मुरारजी देसाई"

यह 2 दिसम्बर, 1978 को मुरारजी साहब ने लिखा है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतना बड़ा फ्राड जिसमें निश्चित तौर से लाखों रुपये हड़पे हैं और करोड़ों की धनराशि इन्वाल्व्ड है, संघर्ष समिति गृह मन्त्रीजी और माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मिलती रही और उन्होंने बार बार निवेदन किया कि आप किसी आला आफिसर से जांच करायें या सी. आई. डी. से जांच करा लें। जिन अधिकारियों ने पैसा इकट्ठा किया उनको गिरफ्तार किया जाये और उनके खिलाफ मुकद्मे दर्ज किये जाएं। इसकी जांच कर, जो इनकी चल व अचल सम्पत्ति है उसको कुर्क किया जाय ताकि इन गरीब लोगों का जो पैसा है वह पैसा उनको वापिस लौटाया जाय। यह गुजरात की कम्पनी थी और वहां अहमदाबाद में इसका रजिस्टर्ड आफिस है। यहां के गरीब लोगों से पैसा जमा करवाया इस लोभ में कि यह पैसा सूद सहित वापस मिल जायगा, धीरे धीरे एक बड़ी धनराशि एकत्रित हो जायेगी और बीच बीच में लाटरी सिस्टम से छोटी मोटी उपहार की चीजें मिल जायेंगी उनसे फायदा होगा, यह प्रलोभन देकर छोटे छोटे लोगों से 10–10 रुपया मासिक जमा कराया। सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई इस प्रकार की कम्पनी पर जो धोखा देकर, धोखा धड़ी से इसके अधिकारी लाखों रुपया लेकर भाग गये, अविलम्ब कार्यवाही की जाय और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाय। उनकी सम्पत्ति को कुर्क करके जिन लोगों से पैसा लिया है उन लोगों को पैसा वापस लौटाया जाय। अध्यक्ष महोदय, संघर्ष समिति के लोग गृह मन्त्रीजी से बार बार मिले हैं फिर

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए मैं राज्य सरकार से आश्वासन चाहता हूं ताकि सैंकड़ों लोगों को विश्वास हो सके कि हमारे गृहमन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी उस पर कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। जिससे इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके और गरीबों से जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है वह वापस मिल सके। माननीय प्रधान मन्त्रीजीने इस बात पर काफी खेद प्रकट किया है, और कहा है कि मैं इसके लिए राज्य सरकार को पुनः लिखूंगा, वह तुरन्त कार्यवाही करेगी।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इसलिए मैं दो मिनट चाहूंगा।

जयपुर और उदयपुर में 1972 के अन्दर कविता बेनीफिट एवं किशोर ट्रेडिंग (चिट फण्ड) कम्पनी ने अपने ब्रांच आफिसेज खोले। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इनका रजिस्ट्रेशन गुजरात में हुआ है और अहमदाबाद में इसका हैड आफिस है। मेरा यह कहना है कि 72 से 77 तक करीब 5 साल तक, 12 ग्रुप योजनायें चलाकर इस कम्पनी ने गरीब लोगों से 10–10 रुपये इकठ्ठा करके, गरीब आदमियों को इस प्रलोभन से कि एक मुश्त पैसा मिल जायगा और इस कम्पनी ने वायदा किया था कि कम ब्याज में कुछ ऋण देगी और दूसरा प्रलोभन यह दिया था कि लाटरी सिस्टम से इनामी योजना खोलेंगे। उसमें कुछ न कुछ इस प्रकार से पंखा आदि छोटी मोटी वस्तुएं निकाल कर प्रारम्भ में 4–6 महीने इस प्रकार से करके राजस्थान में जयपुर और उदयपुर के अन्दर इन्होंने गरीबों से करोडों रुपया इकट्ठा किया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा गृह मन्त्रीजी से केवल इतना ही निवेदन है कि 77 के अन्दर यह लोग फरार हो गये और 77 से लेकर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जाय। प्रधान मन्त्रीजी ने भी इस बारे में चिन्ता प्रकट की है। इस प्रकार से चलाई गई बोगस कम्पनियों का बहुत बड़ा मामला हो चुका है और विशेषकर जयपुर में संघर्ष समिति बनी है, उदयपुर में इसका आफिस सूरजपोल के पास है। मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर लाखों रुपयों का फ्राड हुआ है उसके बारे में उचित कार्यवाही करें और जयपुर में और दूसरी जगह जो इसकी सम्पत्ति है उसको जब्त करें। अहमदाबाद में इसका केन्द्रीय आफिस चल रहा है, इसकी जांच की जाय और जिनका भुगतान बकाया है उनका भुगतान कराया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कविता बेनीफिट कम्पनी ने कोटा में भी लाखों रुपयों का घोटाला किया है, जब इसकी जांच करवाई जाय तो मन्त्री महोदय कोटा नगर को भी ध्यान में रखें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव पी. टी. आइज. के बारे में है जो विधान सभा के बाहर 15 रोज से धरणा देकर पड़े हुए हैं। उनकी मांग है, इस सरकार से कोई पैसा नहीं

Page No. 90

(90)

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

मांग रहे हैं, एक ही बात उनकी है कि हम केन्द्रीय सरकार से आए हैं, पैसा केन्द्रीय सरकार देगी इन लोगों को जो 550 पी. टी. आइज. हैं इस समय शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। सन् 76 में आपातकाल के समय आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके उनको तीन महीने का नोटिस दिया गया और केन्द्रीय सरकार के आदेश से इनको राजस्थान सरकार की सर्विसेज में लिया गया लेकिन ये लोग 62–63 में सर्विसेज में आए और जब केन्द्रीय सरकार ने उनको राज्य सरकार को सौंपा तो एक फैसला हुआ, एक कण्डीशन लगाई उसका रेफरेन्स, जो नोटिफिकेशन 72 का है, उसकी एक धारा को मैं पढ़कर आपके सामने सुना रहा हूं, उसमें लिखा है – "The expenditure met out by the State Government on the pay and allowance of these NDSIs so long as they remain in State service will be reimbursed in full by the State Government." जो कुछ भी है आप इनको तय कीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इनकी बदनसीबी है कि जो ड्रेस इनकी प्रेस्क्राइब की गई, इस ब्लेजर का रंग रेड, और इनका झंडा भी रेड। शायद शिक्षा मन्त्रीजी को लाल रंग से एलर्जी है, इसलिए उनसे कोई बात नहीं की गई। उनको चपरासी की तनख्वाह मिल रही है, 62 में वे सर्विस में आए हैं, आपने उनको लिया 76 में सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय करें। मैं एक ही निवेदन करूंगा कि बाकी पी.टी.आइज. को भी आप प्रमोशन देते हो, उनको इन्क्रीमेंट देते हो, उनकी तनख्वाह बढ़ती है, आपने इनको थर्ड ग्रेड में लिया, 15 साल पहले भी ये थर्ड ग्रेड में थे, क्वालीफाइड हैं, अच्छी शिक्षा है और ट्रेनिंग करके आए हैं। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना के तहत इनको स्कूलों में लगाया और केन्द्रीय सरकार के आदेश से राज्य सरकार ने इनको लिया है किसी की प्राइवेट दुकान से या बनिये की दुकान से नहीं आए हैं। केन्द्रीय सरकार की सर्विसेज में थे और राजस्थान सरकार की सर्विसेज में आए हैं, हालांकि इनको आपातकाल में लिया है, बाकी के जो गलत काम हुए उनको तो आपने दुरुस्त कर दिया, फिर इसको क्यों नहीं किया ? इसमें 6 (सी) क्लोज जो है, उसमें एक शर्त रखी गई थी कि हमेशा थर्ड ग्रेड में रहेंगे, इसलिए आप मेहरबानी करके इनकी बात को सुनकर उचित निर्णय लीजिये, 15 दिनों से बैठे हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अगर आप इनका फैसला नहीं करेंगे तो इनके नेता आमरण अनशन पर जाने वाले है और इसका नतीजा भयंकर निकलेगा। आपके राजस्थान की पी.टी. आइज. की जो एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि अगर आप इनको तरक्की देते हो तो हमको कोई एतराज नहीं है। पैसा आपको देना नहीं पड़ता, इनकी न्यायोचित मांग है इसका आपको समाधान करना चाहिए। ये आपके पार्ट एण्ड पार्शियल हैं। पैसा कुछ आपसे लेते नहीं, आप इसको तय कर दीजिये। प्रमोशन के लिए रिजर्व करते हैं, इसलिए आप तय कीजिये जिससे ये लोग सड़क पर नहीं आवें। बहुत कीमती लोग

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

हैं जो बच्चों में अनुशासन पैदा करते हैं और शारीरिक शिक्षा देते हैं। ऐसे पुनीत काम में लगे लोगों के साथ न्याय होना चाहिए।

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एन.डी.एस.आई.,पी.टी.आई. का जो सवाल उठाया है, यह सही है कि ये लोग भारत सरकार की सेवाओं में थे।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

76 में यह हुआ कि या तो स्टेट सर्विसेज में आ जाओ या घर जाओ, जिसने जो आप्शन दिया उसके अनुरूप ही उसको सेवा में लिया गया। अब विवाद यह है कि जो पुराने सर्विसेज के लोग हैं उनसे इनको सीनियर माना जाय या नहीं। अगर इनको पूर्व सेवा में माना जाता है तो जो लोग पहले से राज्य सेवा में हैं वे जूनियर हो जाते हैं। इसलिए यहां के अध्यापकों ने आपत्ति की कि यदि इनको पूर्व सेवाओं में माना जाता है तो हमारे हितों का नुकसान होगा। इसलिए इनकी सेवाओं को मर्ज होने की तिथि से माना जावे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वे लोग केन्द्रीय सरकार से आए हैं, डेट ऑफ जोईनिंग मानना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सुनिये तो सही, यह तो कोई तरीका नहीं है, आप पूरी बात सुन लीजिये। राज्य सरकार के समक्ष वरीयता दी जाय या नहीं, यह सवाल आया। अगर उनकी पुरानी सर्विसेज को मान लिया जाता है तो कई लोग जूनियर हो जायेंगे। इनमें सीनियर पोस्टें भी हैं। माननीय माथुर साहब ने सुझाव दिया था और बातचीत भी हो रही है। सरकार का कहना है कि अगर वे अलग से सीनियोरिटी कायम रखना चाहते हैं तो सात पोस्टें उनके लिए रिजर्व की जा सकती हैं और उनकी इनमें ही सीनियोरिटी रहेगी। और आपके चान्सेज सात पदों पर प्रमोशन के रहेंगे। अगर जनरल सर्विसेज के साथ मर्ज करते हैं तो यहां चान्सेज अलग हैं। इस प्रकार की बातचीत हुई थी और अभी भी यही कहा गया कि आप तय कर लीजिये कि जनरल सर्विसेज के साथ रहना चाहते हैं या केवल जो एन. डी. एस. आई. हैं उनकी ही वरीयता सूची बनाकर रहना चाहते हैं। उसमें रहेंगे तो सात पोस्टें उनके लिए प्रमोशन की रहेंगी। अभी उनका कोई मानस नहीं बना है और बातचीत चल रही है। अगर यह तय हो जाता है तो इसका कानूनी पक्ष भी देखा जायगा। संगठन ने लिखकर दिया है कि आपत्ति नहीं है लेकिन इससे जिस किसी इण्डिविजुअल का राइट इन्फ्रिन्ज होगा उसका क्या परिणाम होगा ? इन सब बातों को जांच कर कोई रास्ता निकाला जायगा। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। यदि वे सारी सर्विसेज के साथ जुड़ाना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं।

वे कहें कि हमारी सर्विसेज अलग रखी जाए तो वह भी विचार किया जा सकता है। जैसा वे मानस बनायेंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री मथुरादास माथुर : 550 आदमी हैं कुल। जब इनका इन्टीग्रेशन राजस्थान

(श्री मथुरादास माथुर)

में हुआ और जब इनकी सर्विसेज राजस्थान में ट्रांसफर की गईं, उस समय उनके हाथ में कोई चारा नहीं था। इमर्जेंसी के अन्दर जितने भी स्थगन आदेश दिए जाते थे, हाई कोर्ट्स, के सब बेकार हो गए। इनको नोटिस दिया गया कि राजस्थान की सर्विसेज में आ जायं या अपने घर जायं। तो बेचारा उन दिनों अपनी नौकरी छोडकर गरीब आदमी कहां जाता ? आपने राजस्थान सर्विस रूल्स में 6 सी क्लाज एड किया। आप उनको सीनियोरिटी 1973 से दे रहे हैं तो इनकी 12-12 साल की नौकरी बेकार हो गई। अब जितने आदमी हैं, कोई सैकिण्ड ग्रेड में नहीं आ सकेगा। इतना राजस्थान सर्विसेज का स्टाफ सीनियर है पहले से। आप उनको 7 पद प्रमोशन के देने को तैयार हैं इनमें से। आपके लिए यह भी मुश्किल हो जाएगा कि राजस्थान की सेवा में पहले से ही लगे हुए कर्मचारियों की सीनियोरिटी को मार करके इन लोगों को चांस दें। इसलिए मैं चाहता हूं कि 7 पद तो इन्हीं में से दो। भारत सरकार पैसा देती है, अगर भारत सरकार को और लिखें कि जो अपने यहां पर प्रमोशन कोटा का पर्सेंट है, वह 7 के अलावा इन 550 में से दे दें तो भारत सरकार पैसा दे दे, राज्य सरकार का कुछ पैसा नहीं जाएगा। 7 आदमी सैकिण्ड ग्रेड में रहेंगे। मेरा सुझाव है कि इन लोगों के लिए प्रमोशन के पर्सेंटेज का कोटा इन 550 में से ही लगा दिया जाए ताकि राजस्थान सर्विसेज पर इसका अफेक्ट न आए, आपके फाइनेन्सेज पर भी अफेक्ट न पड़े और उनका पर्सेंटेज 7 से बढ़ाकर 25 कर दें तो भारत सरकार आपकी बात मान जाएगी। तब इन लोगों के लिए प्रमोशन के चांसेज भी होंगे और रास्ता भी निकल आएगा, काम ठीक हो जाएगा। बाकी डिसिप्लिन और दूसरे विषयों में ये अध्यापक आपके तहत रहेंगे और प्रमोशन के लिए उनका अलग कोटा रहेगा। बाकी 7 को तो अभी आप प्रमोशन दे देंगे।

एक माननीय सदस्य : जब स्टेट में मर्ज हुए तो सैंटर के साथ में....

श्री उपाध्यक्ष : यह 1976 की समस्या है जिसका निराकरण शिक्षा मन्त्री करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाहर टैक्सी व ट्रक वाले प्रदर्शन करने आए हैं। इस बारे में कल स्थगन प्रस्ताव मैंने भी दिया था। परन्तु प्रदर्शन कल नहीं था, आज प्रदर्शन लेकर आए हैं। यातायात मन्त्री यहां बैठे हैं, वे उनको सुन लें। पूरे राजस्थान में आज प्रदर्शन है, कल भी डिस्कशन किया था। माल व यात्री कर आपने बढ़ाकर बिल पास किया था जिसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बहुत लोग बाहर से आए हैं। मैं खास तौर से यातायात मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री हरि सिंह (यातायात मन्त्री) : मैं तो दो घंटे पहले जाने वाला था लेकिन आपका स्थगन प्रस्ताव था। आप मुझे मुक्त कर दें तो अभी चला जाऊं।

श्री रामनारायण चौधरी : उनकी मांग को सुनिए, ट्रेफिक जाम हो गया है....

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मन्त्री जा रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : सारे राजस्थान का ट्रैफिक जाम हो जाएगा, जन जीवन ग्रस्त-व्यस्त हो जायेगा, ग्राप काबिल मन्त्री हैं।

श्री गुल मोहम्मद : मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था, यू. ग्राई. टी. कोटा द्वारा वक्फ की जमीन नीलाम करने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री गुल मोहम्मद : ग्रध्यक्ष महोदय ने कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप उनसे चैम्बर में मिलें।

श्री गुल मोहम्मद : ग्रध्यक्ष महोदय ने इजाजत दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप उनसे जानकारी ले लें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्ता की राजनीति किस तरह से खा जाती है, यह नंगा नाच राजस्थान विधान सभा में हुग्रा है। यह कोई बजट ग्रधिवेशन नहीं है, यह शराबबन्दी ग्रधिवेशन है। सारे राजस्थान में पहले माननीय गोकुल भाई भट्ट ने एलान किया कि यदि सारे राजस्थान में एक ग्रप्रेल, 1979 से शराबबन्दी नहीं की जाएगी तो मैं ग्रामरण ग्रनशन करूंगा। हमारे सदन के नेता, मुख्य मन्त्री ने कहा कि यदि ऐसा हुग्रा तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा ग्रौर मैं श्रद्धेय गोकुल भाई से कहूंगा कि वे प्राणों की बाजी न लगायें। हमारे मास्टर ग्रादित्येन्द्र, जो पक्के ईमानदार, देशभक्त हैं, उन्होंने ग्रपनी प्रतिज्ञा ले ली थी कि यह राजस्थान की भूमि है, यहां राणा प्रताप हुए हैं, प्रतिज्ञा लेने के बाद ...

मेजर श्री फतहसिंह : जो कुछ हो रहा है, जयपुर की धरती का ग्रसर है मेवाड़ का नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : यह मुख्य मन्त्री का नाटक है ग्रौर इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी उत्तम है। ग्रापकी जनता पार्टी में फूट डालने की कोशिश की है, वह ग्रपना राज करना चाहते हैं। यह सवाल कैसे पैदा हुग्रा ? हमारा बहुमूल्य समय, हमारी बहुमूल्य शक्ति विधान सभा के ग्रन्दर इस ग्रोर गई। राजस्थान में कोने-कोने में प्रचार पैदा हुग्रा कि राजस्थान में एक ग्रप्रेल, 1979 से शराबबन्दी लागू कर देंगे। माननीय नवरंगसिंह ने सदन की मेज पर पत्र रखा ग्रौर कहा कि 103 विधायकों ने सदन के नेता को चिट्ठी लिखी है। हमारे वयोवृद्ध नेता श्री भंवरलाल ऐरन ने ग्रामरण ग्रनशन करने की प्रतिज्ञा घोषित कर दी। उसके साथ श्रीमती उजलाजी जो केन्द्रीय नशाबन्दी समिति की सदस्या हैं, राजस्थान में भी सदस्या हैं, 28 तारीख को यहां ग्राई....

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी, श्रद्धेय नेता ने

(श्री मूलचन्द डागा)

विरोधी दल वालों का पूरे दिल से समर्थन किया ग्रौर बार बार राज्य सरकार का ध्यान दिलाया। हमारे वित्त मन्त्री इस बात पर दृढ़ रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, न बजट भाषण

(व्यवधान)

में बात कही, न उन्होंने जो 28 तारीख का भाषण दिया, उसमें कुछ कहा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उन्होंने कहा एक दो दिन में तय हो जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह दबाव की राजनीति है, तानाशाही की नीति है, स्वार्थपरस्त नेताग्रों की राजनीति है। यह स्वार्थपरस्त नेतागिरी ग्रौर राजनीति जनता पार्टी में चली। यह जनता पार्टी का सवाल नहीं था, यह राजनैतिक प्रश्न नहीं था, सामाजिक प्रश्न था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि मुझे एक घन्टे के लिए भी राज मिल जाएगा तो बिना मुग्रावजा दिए सारे देश में शराब की दुकानें बन्द कर दूंगा ग्रौर उसकी समाधि पर जनता संसद सदस्यों ने शपथ ली है। 13 जिले तो पहले ही ग्रापने बन्द कर दिए थे ग्रौर 7 जिलों के लिए घोषणा कर दी कि कर देंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : कोई विधान सभा में घोषणा नहीं हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : तीन जिलों में ग्रौर करनी है। प्रश्न यह नहीं था। प्रश्न यह था कि सदस्यों की गरिमा, इस सदन की गरिमा कैसे घटाई जाए? जिस सदन में बहुमत हो ग्रौर बात हो कि शराबबन्दी की जाए, यह बुराई है, लेकिन श्रीमान, सिद्धान्तों के नाम पर ...

श्री कौशलकिशोर जैन : ग्रापके तीस साल में बन्द हुई क्या?

श्री मूलचन्द डागा : ग्राप तो घटकवाद में फंस गये।

श्री कौशलकिशोर जैन : ग्रापने पहले कब समर्थन किया, इस बात को बता दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कदम हमारे सदन के नेता ने लिया है उस कदम से ग्रापका कोई ग्रपमान नहीं हुग्रा है। सारे सदन की गरिमा को उन्होंने खंडित कर दिया है। उन्हें चाहिए था कि जहां इतने जिलों में शराबबन्दी कर दी है तो ग्रौर भी कर देते। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ग्रौर टीकारामजी पालीवाल का ग्रखबारों में स्टेटमेंट ग्रा चुका था कि जितना वित्तीय नुकसान होगा उसकी पूर्ति केन्द्रीय सरकार करेगी। हमारे सदन के मुख्य मंत्री नाटक करने वाले हैं ग्रौर डेढ़ महीने तक सारे सदन का ध्यान काम की तरफ नहीं रहा, सारे सदस्यों का ध्यान ग्रपने क्षेत्रों की समस्याग्रों की ग्रोर नहीं रहा ग्रौर दिन रात शराबबन्दी में लगे रहे....

श्री कौशलकिशोर जैन : ग्रापने तो गोकुलभाई को जेल में डाल दिया था इस बात के ऊपर।

(श्री कौशलकिशोर जैन)

(व्यवधान)

आज आप सहानुभूति दिखा रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जोर जोर से मत बोलिये। अपने पापों को छिपाने के लिए जोर से आवाज मत करो।

श्री रघुनन्दन व्यास : गोकुल भाई के नाम पर कब तक खिचड़ी पकाओगे।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : इतने बड़े सर्वोदयी नेता को आपने जेल में सड़ाया उस समय सहानुभूति कहां गई थी ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : डूब मरो।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : डूब आप मरो, जिन्होंने उनको जेल में डाल दिया।

श्री राम नारायण चौधरी : आपने उनको जीते जी मार दिया।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय डागा साहब इस प्रस्ताव के ऊपर बोल रहे थे और बीच बीच में माननीय सदस्यों का टोकना उचित नहीं है।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय सदस्य, आप उपदेश किस को दे रहे हैं ?

श्री गुल मोहम्मद : आप सदन में इस तरह नहीं बोल सकते। आप उपाध्यक्ष महोदय को एड्रेस करें।

श्री मूलचन्द डागा : यह घटकवाद बोल रहा है।

श्री गुल मोहम्मद : बीच बीच में इस तरह से टोकना उचित नहीं है। अगर माननीय सदस्य अपनी भावनायें व्यक्त करना चाहते हैं तो करने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है ? देखिये, कितना समय हो गया है। 3 बज गये हैं। अभी तक जीरो आवर चल रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस तरह के शब्द आप सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दाऊदयालजी और माननीय कौशलकिशोर जी, माननीय डागा साहब के बीच में इन्ट्रप्शन नहीं करें। आपने इन्ट्रप्शन पहले ही काफी कर लिया है। मैं डागा साहब से कहूंगा कि इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है आप संक्षेप में ही अपने विचार रखें।

श्री मूलचन्द डागा : यह विधान सभा के सदस्यों का अपमान है। सारे सदन का अपमान हुआ है और इसकी जिम्मेदारी हमारे इस सदन के नेता है, उनकी है। हमारे वित्त मन्त्रीजी ने मुंह तक नहीं खोला है। आपको उन्होंने कहा था कि मैं अपनी

(श्री मूलचन्द डागा)

बात पर अड़ा हुआ हूं लेकिन रात को बड़े बड़े मन्त्रियों ने दावत दी और अलग-अलग मैम्बर्स को इकट्ठा किया....

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी भी वित्त मन्त्रीजी अपने निश्चय पर अड़े हुए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हम अपने मकानों में सो नहीं पाते हैं। विधान सभा के मन्त्री गाड़ियां लेकर आते हैं और रात को जगाते हैं। भगवान जानता है कहां ले जाते हैं और सुबह दो तीन बजे वापिस लाकर छोड़ते हैं। मैं बराबर इस नाटक को देख रहा हूं। फिर इनकी मीटिंग होती है। कल भी अखबारों में पढ़ा और रोज चर्चा होती है। यह सामाजिक बुराई है। यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है। यह सामाजिक और नैतिक प्रश्न है। यह तो घटकवाद है और हमारे मुख्य मन्त्रीजी चाहते हैं कि वह आपस में लड़ते रहें ताकि वह शासन में रहें। उन्हें मालूम है कि शासन में अक्षमता आ चुकी है। उन्हें मालूम है कि हमारी हालत बिगड़ रही है। उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए यह नाटक रचा गया है। मैं समझता हूं कि श्री टीकाराम जी ने पहले स्टेटमेन्ट दिया है कि केन्द्रीय सरकार, जो भी वित्तीय संकट होगा और जो भी घाटा होगा उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। मैं सारे विरोधी पक्ष की ओर से कहता हूं कि हमारे सब सदस्य इस बात का समर्थन करेंगे, वह यदि कोई छोटा मोटा टैक्स लगाना चाहें तो लगा दें और एक तारीख से शराब बन्दी के लिए हिम्मत से घोषणा कर दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की कार्यवाही स्थगित की जाये और इस पर चर्चा की जाये और वित्त मन्त्रीजी हिम्मत के साथ, ताकि एप्रोप्रियेशन बिल पेश हो सके, घोषणा कर दें कि सारे राजस्थान में एक अप्रेल से नशाबन्दी लागू होगी। मास्टर जी इस बात से आपका ऊंचा चरित्र हमेशा बना रहेगा 'प्राण जाये पर वचन न जाहिं' यह सब लोग कहते हैं। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं 'रघुकुल रीति सदा चली आई' राणा प्रताप की भूमि और गौरवशाली परम्पराओं को बदनाम मत होने दो वरना जनता पार्टी की छवि और धूमिल हो जायेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इस संबंध में दिया है। महाभारत में शुक्राचार्य ने कहा है:

'यो ब्रह्मणोद्यप्रभृतिह कश्चिन्मोहात्
सुरां पास्यति मन्द बुद्धि।
अपेत धर्मा ब्राह्मणाचैव सस्याद्-
स्मिल्लोके गर्हित स्यातपरेच ।।

यह महाभारत के संभव पर्व 76 का श्लोक 67 वां है। महाभारत में शुक्राचार्य ने इस श्लोक के जरिये कहा है कि ब्राह्मणों को भी मैं कहता हूं कि वह आज से शराब नहीं पीयेंगे और जो उनका शिष्य कच्छ था, उसको बुलाया। उसने कहा कि गुरुदेव मैं आपके उदर में हूं। मदिरा के जिस पेय से मेरा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कितना पाप हुआ उन्होंने इसका निषेध किया। यह आदि काल से कहा जा रहा है कि सुरा नहीं पीनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह कहा गया है कि मद्य असल में मल का असर है। मदिरा बुद्धि को नष्ट करती है। मद्य निषेध प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। इसलिये निवेदन करना चाहती हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक तरफा बात कैसे हो गई ?

"लुत्फे मय तुमसे क्या कहूं जाहिद।
हाये कमबख्त तूने पी ही नहीं।।"

श्री दाऊ दयाल जोशी (टोंगोद) :
"विधिना मात्रया काले हिते रचेयथा बलम्।
प्रदृष्टों मः पिवेदमद्य तस्य स्याद ग्रमृतोपम।।"

शराब के लिए कहा गया है कि विधि से उचित मात्रा में मद्य का सेवन करते हैं तो वह मद्य नहीं है, वह अमृत है।

(व्यवधान)

भांग तो बहुत दूर की बात है....

श्री पदमसिंह राठौड़ : जो जहर हलाहल है वह अमृत है लेकिन मालूम नहीं तुमको पीने का अन्दाज भी नहीं।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो ईश्वरचन्दजी ने शराब के मामले में शेर सुनाया, उन्होंने कम्बख्त को मालूम नहीं उसका स्वाद क्या है ? यह बहनजी के ऊपर कहा गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान जिसकी शपथ लेकर यहां बैठे हैं उस भारतीय संविधान की धारा 47 का उल्लेख करना चाहती हूं। "राज्य अपनी जनता के पोषक भोजन और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया स्वास्थ्य के लिये हानिकारक मादक पेयों और औषधियों के औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त उपभोग का निषेध करने का प्रयास करेगा।" यह हमारे भारतीय संविधान की धारा 47 का उल्लेख है जिसकी हम शपथ लेकर यहां आये हैं। हमारे राष्ट्र पिता गांधी ने कहा था। मैं निवेदन करना चाहूंगी जो राष्ट्र शराब की आदत का शिकार है, उसके सामने विनाश मुंह बाये खड़ा है। इतिहास में इसके कितने ही प्रमाण हैं कि इस बुराई के कारण कितने ही साम्राज्य मिट्टी में मिल गये। जिस पराक्रमी जाति में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वह इस बुराई के कारण नष्ट हो गई। रोमन साम्राज्य के पतन का कारण निःसन्देह यह भयंकर बुराई मद्यपान ही थी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी यह जो मैंने बात बताई श्रीमान्, यह हमारे वित्त मन्त्री जी की लिखी हुई पुस्तक है "मद्य निषेध क्यों" यह इसमें है। यह जो भारतीय संविधान की धारा 47 का उल्लेख किया। यह माननीय श्री मोरारजी देसाई द्वारा लिखित "नशाबन्दी एक बुनियादी बात है" उसमें उद्धरण दिया हुआ है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मेरा गला खराब है, मेरे गले में आपरेशन हुआ है, निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहती हूं, मैंने जो आपको बताया, यह पुस्तक नशाबन्दी मण्डल की तरफ से लिखी गई है। समाज में चेतना आने की बात बराबर चल रही है और दूसरी ओर हमारे यहां हठधर्मी चल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, जब हमारे यहां राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, हम देख रहे थे कि इस बारे में घोषणा होगी। 26 जनवरी हमारे लिए पवित्र दिन होता है····

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

हम चाहते थे उस दिन आप घोषणा करते। जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, हमारी आंख लगी हुई थी शराब बन्दी के बारे में····

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनको मौका मिलना चाहिए। 1 तारीख से भूख हड़ताल पर हैं। एक दिन के मेहमान हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 26 जनवरी को हम चौपड़ पर बैठे। राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से हम मिले और ज्ञापन दिया। वित्त मन्त्री जी को ज्ञापन दिया। हमने बताया, हमारी भावनायें क्या हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यही कहा कि जल्दी ही हम घोषणा कर देंगे। यह बजट भाषण जब मास्टर साहब ने प्रस्तुत किया उस समय भी हमारे लोगों के सामने यह प्रश्न था कि हमारी बात का उत्तर आयेगा। कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर केवल मिला, दो एक दिन में आपको उत्तर दे दूंगा। जब बजट की आम बहस का उत्तर या उसके उत्तर में भी माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा कि दो एक दिन में घोषणा करने वाला हूं। अभी भी सम्मुख खड़ी हुई हूं। पहली तारीख की बात थी। आज 30 तारीख है कोई उत्तर नहीं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, इस बीच में समाचार पत्रों के हैडिंग्स बदलने लगे हैं। समाचार पत्र भी हमारी तरह आंख लगाये बैठे थे कि किसी भी समय हमें सूचना मिले, हम प्रकाशित करें। सारा राजस्थान आंख लगाये बैठा है। विधान सभा की ओर देख रहा है। वित्त मन्त्री की ओर देख रहे हैं, आज भी कोई उत्तर आ जाये। एक पत्र ने छापा शराब बन्दी न करना सरकार की नपुंसकता का द्योतक है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

तो कई पत्रकारों के नाम हैं, मैं पढ़ नहीं सकती हूं चश्मा नहीं है आज मेरे पास। नशाबन्दी की बात को कहां तक बताऊं ? यह नशाबन्दी की राजनीति में उलझ रहे हैं। मास्टर साहब हमारी एक मीटिंग में नहीं गये तो माननीय मास्टर साहब पर आरोप हो गये ···

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इस बात की व्यवस्था कर दी जाय कि कहीं वित्त मन्त्री के कान में रूई तो नहीं है ? वे किसी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी से जो बातें कहनी चाहिये थीं वे गरीब साधू व्यक्ति को कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

महोदय, जनता पार्टी ने कहा है इस तरह लोगों को भड़का कर आखिर आप क्या स्थिति पैदा करने जा रहे हैं ? दुनियां भर से आक्षेप लग गये, हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी लेकिन कल भी उत्तर नहीं मिला। नशाबन्दी समिति का जो उद्देश्य है और ये चाहते हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं जल्दी ही खतम कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, शासन के द्वारा इसको दूर किया जाय। एक तरफ आप लोगों को शिक्षित करें और कहें कि इस बुराई से दूर रहें। 1966 से बनी हुई समिति है और सरकार ने ही इसे पनपाया है। सरकार ने पैसा दिया है ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया इस पर चर्चा न करें। आप काफी चर्चा कर चुकी हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बोलिये।

श्री कौशल किशोर जैन : आधा घण्टा हो गया इस प्रस्ताव पर बोलते, आखिर समय की भी सीमा होती है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्या आप अपनी चर्चा दो मिनट में समाप्त करें। कृपया विराजें।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है और मैं अपना समय उजला जी को दे रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नशाबन्दी समिति और मण्डल दोनों अलग अलग हैं और मैं कहना चाहती हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप जिस विषय पर बोलना चाहती हैं उस पर ही बोलें, दूसरे विषय पर मत बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नशाबन्दी मण्डल की आडिट रिपोर्ट है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(व्यवधान)

नशाबन्दी मण्डल ने यह कहा है नशा छोड़ो, देश को बचाओ, दारु का पीना देश का नाश।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सब इकट्ठा करके सदन की मेज पर रखवा दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह नशाबन्दी मण्डल का है ? शराब का शरीर के अंगों पर कुप्रभाव पड़ता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब इन सबको जला दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप देखिये यह हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, ईसा मसीह ने,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हजरत मोहम्मद ने, गुरु नानक देव ने जो हमारे सबके धर्म गुरु हैं उन्होंने सबने मद्य निषेध के लिए कहा है। ये सब मण्डल के छपवाये हुए हैं, अब मण्डल कैसे पैसे खा गया, यह मैं नहीं जानती हूं····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रेडियो, न्यूज पेपर में यह कहा जाता है कि सरकार ने कोई भी अनुबन्ध नहीं किया, कोई भी समझौता नहीं किया और हमारे बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने आन्दोलन स्थगित किया है। मुख्य मन्त्री जी जो घोषणा करने वाले हैं कहते हैं, मैं केबिनेट में फैसला लेकर घोषणा करूंगा। वह केबिनेट कब बैठेगी और कब फैसला करेगी ?

(व्यवधान)

मैं कहती हूं क्या हाउस में कोई मांग रखी जायेगी, इसके लिए····

एक माननीय सदस्य : बाबा साहब ही वापिस ले चुके हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहा यह जाता है शराब बन्दी कर देंगे, कभी क्या कह देते हैं ? कभी कहते हैं 3 अक्टूबर से बन्द कर रहे हैं। मैं पूछती हूं क्यों उत्पीड़ित करके जनता को लटकाया हुआ है ? स्पष्ट कीजिये, आप क्या कहना चाहते हैं, आप की क्या नीति है, आप क्या कहेंगे ? यह आज बहुत से लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह है। बहुत कुछ परिणाम भुगत चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर दिलवायें, अब हम असह्य हैं। हम कोई कदम उठायें उससे पहले मुख्य मंत्री जी को घोषणा कर देनी चाहिये····

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करना चाहती हूं, वित्त मंत्री जी को कि सदन के नेता महोदय ने बताया होगा कि वे करने वाले हैं। ये पूरे पोस्टर्स और पेम्फलेट्स, वृत्ति चित्र हैं। आज पूरा देश राजस्थान को देख रहा है। आशा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मन्त्री महोदय से उत्तर दिलवायेंगे।

श्री गुरु शरण छाबड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है....

श्री दिग्विजय सिंह : आप तो अपना टाइम उजला जी को दे चुके हैं।

श्री गुरु शरण छाबड़ा : मैं बोलना चाहता हूं....

श्री दिग्विजय सिंह : अभी आपने कहा है कि मेरा टाइम उजला जी को दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : शायद मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री गुरु शरण छाबड़ा : इसी के अन्दर है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसकी जानकारी ले लूंगा। माननीय सदस्य, आप आफ हैण्ड कुछ भी कहेंगे तो दिक्कत रहेगी। मैं देख लूंगा पहले।

श्री बहादुर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में दिया हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही आज सारी चर्चा कर सदन की कार्यवाही को स्थगित करना चाहते हैं तो बात दूसरी है वरना काफी चर्चा हो चुकी है ।

श्री भंवर लाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं ताकि सदन में माननीय वित्त मन्त्री जी जो गांधी वादी हैं वे अपने विचार स्पष्ट कर दें । वे क्यों मुंह छिपाये बैठे हैं, क्यों सदन के सामने चुप बैठे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : माननीय वित्त मंत्री जी बयान दे दें तो स्थिति स्पष्ट हो जाय ।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय वित्त मन्त्री जी सदन के सामने कह दें ।

श्री मूलचन्द डागा : मुख्य मन्त्री जी ने उनका मुंह बन्द कर दिया ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज वित्त विधेयक विचारार्थ लिया जाने वाला है....

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे अनुमति दें तो कुछ बोलूं । मुझे कल अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था कि तुमको मौका दूंगा ? आपकी अनुमति हो तो बोलूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिस विषय पर आश्वासन दिया था, उस प्रश्न को लेकर आप मिल चुके हो....

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं और उजला जी अध्यक्ष महोदय के कक्ष में मिलने गये थे । कक्ष में कहा था कि पहले आप बोलें फिर आप बोलें और अन्त में तुम बोलोगे और वास्तव में तो अब मैं अन्त में ही बोलने वाला ही रह गया हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अन्त में बोलना चाहते हैं तो फिर अन्त में ही बोल लेना ।

सुश्री पुष्पा जैन : आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह कहा है कि एलाचार्य मुनि श्री विद्या नन्द जी ने मद्य निषेध की बात कही है । मैं इस सदन में स्पष्ट कर देना चाहती हूं एलाचार्य मुनि श्री विद्यानंद जी ने अपने भाषण में नशाबन्दी के लिए जरूर कहा है लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि उनको किसी कानून की गिरफ्त में बन्द कर दिया जाय । मुनि जी ने यह कहा है कि मनुष्य यह महसूस करें कि यह बुरी चीज है ।

श्री मूलचन्द डागा : जो बुराई है वह बुराई ही कही जाएगी........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय बजरंगलालजी ।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय महोदय,

(श्री ईश्वरचन्द)

उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे लोग दरअसल में वित्त मंत्री पर हमला कर रहे हैं........

श्री मूलचन्द डागा : हम हमला कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम : हमला नहीं कर रहे तो क्या अभिनन्दन कर रहे हो ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ईश्वरचन्द्रजी, आप बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने श्री बजरंगलालजी का नाम पुकारा है वे ही बोलेंगे, कृपया विराजें।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं तो केवल दो लाइनें ही कहता हूं, वित्त मंत्रीजी

'वादा किया था फिर भी न आए मजार पर
हमने तो जान दी थी इसी एतबार पर"

श्री बालकृष्ण थानवी : शराब के पक्ष विपक्ष में जब शेर सुनाने का दौर चल पड़ा है तो मैं भी एक मिनट में एक कविता कह देना चाहता हूं।

बुद्धि भ्रष्ट हुई है जिणरी, वे ही दारू पीवे है
मानवता ने छोड़ दानवी, कुत्तों रे सय जीवे है
इणने चालू राखण सारू, जो बुद्धि ने वेचे है
अरे गरीबों की आंतडियों, सूं वे दारू खेंचे है
छोड़ो अड़ियल नीति अब भी,
मत, अबलाओं रो खून पियो
बन्द करो दारू-मारू ने,
मानव बणने घणा जियो
1-4-79 सूं ही, दारू नै है बन्द करो
नामर्दी ने दूर हटाओ,
बिना मौत थे मती मरो।"

साथ ही साथ मैं लोकनायक स्वर्गीय श्री जयनारायणजी व्यास की एक कविता की कुछ पंक्तियां भी सदन में प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। कारण, कि अगर 1 अप्रेल, 1979 से पूरे देश में पूरी शराबबन्दी नहीं की गई तो फिर क्या होने वाला है। यह कविता की इन पंक्तियों में वर्णित है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें।

श्री बालकृष्ण थानवी : लोकनायक श्री व्यासजी की कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं :—

"कल ही तुझ पर गाज गिरेगा,
तेरा सभी समाज गिरेगा
तख्त गिरेगा—ताज गिरेगा
महल गिरेगा—राज गिरेगा
नहीं रहेगी सत्ता तेरी
बस्ती तो आबाद रहेगी
जालिम तेरे इन जुल्मों की
बाकी केवल याद रहेगी।"

श्री मोहनलाल (केकड़ी) : पीते समय सब भूल जाते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, शराबबन्दी का मामला बहुत गंभीर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मामला है। माननीय सदस्यों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। माननीय सदस्य कोई भी इस तरह की हल्की फुल्की बात मत बोलिये।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में शेर–कविता आदि उद्धृत करना

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन है या कोई शायरी का स्थान ? जनता पार्टी के ही सदस्य इस तरह से हल्का व्यवहार कर रहे हैं और कल भी डिबेट चल रही थी तब भी कर रहे थे। आज वित्त मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और एक-एक दिन गम्भीर हो रहा है, सदन में बहुत गम्भीर मसले पर विचार हो रहा है, राजस्थान भर में उद्विग्नता का वातावरण है, चारों ओर सनसनी फैली हुई है और राजनैतिक स्थिति जिस गम्भीरता से आगे बढ़ रही है, उस समय में इस प्रकार की हल्की फुल्की शायरी करना और कविता के माध्यम से सदन की गम्भीरता के वातावरण को बदला जा रहा है, इसको आप रोकने की व्यवस्था करें। क्या इस तरह से आप शायरी और कविता करने की सदन में इजाजत देगें ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंगलाल।

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य शेरो शायरी करें, मद्य निषेध के समर्थन में या विरोध में, किसी भी तरह उचित नहीं है। पहले भी इस तरह की व्यवस्था हो चुकी है, आप मुलाहिजा करें कि इस तरह सदन में शेरो-शायरी नहीं होगी। लेकिन पिछले दो सालों के जनता पार्टी के शासन में आने के बाद उधर पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य शराब के मामले में शेरो शायरी कर रहे हैं तो इस सदन को आपने बना दिया है....

श्री मूलचन्द डागा : मयखाना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय रामनारायणजी।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो बिराज जाऊंगा लेकिन आप कोई व्यवस्था दीजिए और अपने सदन के बारे में सोचिए। विधान सभा में व्यवस्था हो और उसी जगह पर शेरो शायरी करके यहां की व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। जिस महत्वपूर्ण और गम्भीर मसले पर चर्चा हो रही है उसको जनता पार्टी के सदस्य गम्भीरता से, सीरियसली लेते ही नहीं हैं। आसन यदि यह मानता है कि हमें इस सदन में बैठ कर इस तरह से शेरो शायरी करने का अधिकार है तो इस डिबेट को बन्द करवा दीजिए.... ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य रामनारायणजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं कहना चाहूंगा कि आसन की अनुमति के बिना भी माननीय सदस्य कुछ भी बोल जाते हैं और उसके बोलने के क्रम में इस तरह के उद्धरण आ जाते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी विद्वता को चुनौती नहीं देता लेकिन आप अपने सचिवालय को कंसल्ट करिये। आज नहीं तो कल व्यवस्था दे दीजिए, इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। आज अगर व्यवस्था नहीं दे सकते तो कल दे दीजिए। इसके अन्दर आप सरकार का मुंह मत देखिये, मेरा यह विरोध है। माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट आफ आर्डर रखा है, वह बहुत वजन रखता है। यह सदन की गम्भीरता को खतम कर रहे हैं.......

श्री जगदीशचन्द्र : मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं........

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाइये।

श्री जगदीशचन्द्र : फिर व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। माननीय सदस्य, मैंने यह नहीं कहा था कि स्थगन प्रस्तावों के द्वारा या ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के द्वारा जब हम गम्भीर विषयों पर चर्चा कर रहे हों उस समय इस तरह की शेरो शायरी हो या ऐसी कोई भाषण-बाजी हो जिससे सदन की गम्भीरता में कमी आए। इसकी अनुमति आसन के द्वारा नहीं दी जाती है। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य अगर बिना आसन की अनुमति के बोलते हैं, तो माननीय सदस्यों का भी कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसे माननीय सदस्य को रोकें और उनको किसी प्रकार का सहयोग न दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब के प्रश्न के ऊपर पिछले कई महीनों से राजस्थान सरकार, राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य और राजस्थान की जनता ये सब उद्वेलित हैं। पहले मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि यदि घाटे की पूर्ति केन्द्रीय सरकार कर देती है तो हम राजस्थान में पूर्ण शराब बन्दी कर देंगे। वित्त मंत्रीजी ने कहा कि पूर्ण शराब बन्दी 1 अप्रेल, 79 से करना यह मेरे सिद्धान्तों का प्रश्न है। मैं इस सिद्धान्त के प्रश्न पर अटल हूं। हालांकि मैं बहुत नर्म हूं, बहुत मुलायम हूं, लेकिन जहां सिद्धान्तों का प्रश्न आता है तो मैं अडिग हूं। जब यहां हाउस में बजट पेश हुआ, उससे पहले राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, इस प्रश्न पर कोई रोशनी नहीं डाली गई। बजट में सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उसमें भी कुछ नहीं कहा गया लेकिन फिर बताया गया कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। सरकार को अपनी घोषणा करनी बाकी है। आबकारी मंत्री ने कहा कि आबकारी की डिमाण्ड पास कर दें, हम घोषणा करेंगे और उनके इस आश्वासन पर हाउस ने डिमाण्ड पास कर दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप प्रोसीडिंग्स का मुलाहिजा करेंगे, गौर फरमायेंगे तो उसमें माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह एलान किया था कि आप डिमाण्ड पास कर दीजिए, डिमाण्ड पास करने का यह अर्थ नहीं है कि हम इसको एक्साईज में काम में लेंगे बल्कि हम इसको प्रोहिबिशन के काम

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

में लेंगे। इसको प्रोहिबिशन की डिमाण्ड समझ लें। यह सरकार की तरफ से बोलते हुए वित्त मंत्रीजी का रिकार्डेड स्टेटमेंट है। इसके बाद आज एप्रोप्रियेशन बिल आ रहा है, उसमें भी एक्साईज के बारे में डिमाण्ड है जो हम पास कर चुके हैं। प्रश्न यह है कि यह सदन से सारी कार्यवाही कराई जा रही है, डिमाण्ड पूरी पारित करवाई जा रही है और इस आश्चर्य की स्थिति में करवाई जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन को प्रिसाइड कर रहे हैं जो इस बात का प्रतीक है कि इस देश में लोकतन्त्र है। सदियों से इस विश्व के विभिन्न भागों में लोकतंत्र रहा है। शायद लोकतंत्र के इतिहास में कहीं कोई आप इस तरह की घटना नहीं पायेंगे, बुनियादी सिद्धान्त है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि No taxation without representation. यह रिप्रेजेण्टेशन की बात रही है। जनता पर जो हम टैक्स लगा रहे हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की राय जानना आवश्यक है, यह उनका अधिकार है, उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा है। यहां पर डिमाण्ड पास करा ली। अभी भी सदस्यों को जानकारी नहीं है कि वह एक्साईज के काम में आएगी या प्रोहिबिशन के काम में। अब आप एप्रोप्रियेशन बिल पास कराने जा रहे हैं, फिर भी हमको जानकारी नहीं है कि यह एप्रोप्रियेशन बिल का अमाउन्ट एक्साईज के काम में आएगा या प्रोहिबिशन के काम में आएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इतिहास रहा है, उसमें कभी भी इतनी बड़ी भयंकर बात, इतनी बड़ी विडम्बना आज तक नहीं रही। विश्व के लोकतंत्र के इतिहास के अन्दर आप कहीं पर भी बता दें कि डायरेक्ट टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेण्टेशन। पब्लिक रिप्रेजेण्टेटिव्ज को अच्छी तरह से समझाया बुझाया जाता है, उनको बताया जाता है कि किस काम में यह पैसा लिया जाएगा। यहां पर किस तरह से असलियत से भ्रम में डाल कर पैसा पास करवाया जा रहा है यह लोकतंत्र को चुनौती है। इस तरह की मिसाल नहीं है कहीं पर, रिप्रेजेण्टेटिव्ज को टैक्सेशन के बारे में बखूबी मालूम रहा है। मैं यह नहीं कहता कि शराबबन्दी कीजिए, मत कीजिए। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र जिसके लिए जयप्रकाश नारायण आपने प्राणों की आहूति दे रहे हैं, जिस लोकतंत्र को वापिस लाने के लिए, दूसरी आजादी को लाने के लिए, मानवता के जिस मसीहा ने इतनी वेदना सही है और सह रहा है, अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को जिसने पंगु बनाया, क्या इस तरह का लोकतंत्र कायम करने के लिए? क्या जय प्रकाश नारायण ने इसीलिए आहूति दी कि लोकतंत्र के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जाए और उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए? इसलिए मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि आज जो बिल आ रहा है, एक्साईज की डिमाण्ड पहले पास की जा चुकी है, क्या यह सब लोकतंत्र के साथ हमारा मजाक नहीं है? क्या यह लोकतंत्र का मखौल नहीं उड़ाया जा रहा है? आज जो कुछ हो रहा है, मान्यवर, वह निश्चित तौर से लोकतंत्रीय तरीका नहीं है। लोकतंत्र के नियमों का पालन करने की ओर इस सरकार का ध्यान निश्चित तौर से नहीं है। यह सरकार यह न मान कर चले कि हम उनकी हर

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

बात की हां में हां मिला कर चलेंगे। हम यहां पर चुप रह कर यह वेदना नहीं सह सकते हैं। हम कमिटेड हैं सिद्धान्तों के प्रति, उस लोकतंत्र के प्रति और यदि यह सरकार इस लोकतंत्र के प्रति उपेक्षा दिखाएगी, इस लोकतंत्र का मखौल उड़ाएगी तो निश्चित तौर से हम उस सरकार के साथ बंधे हुए नहीं हैं। यदि यह सरकार लोकतंत्र पर चोट करेगी, इस सदन के अधिकारों पर चोट करेगी तो हम उसके प्रति पाबन्द नहीं हैं। हम उन सिद्धान्तों के प्रति कमीटेड हैं, वचन-बद्ध हैं जिसके लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आहूति दी है। इसलिए, मान्यवर, यह जो प्रश्न है, यह कोई मामूली प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न आज तक के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आया है। हमारा लोकतंत्र के प्रति सच्चा डेडीकेशन होना चाहिए। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि शराब बन्दी के सिलसिले में सिर्फ यह ही प्रश्न नहीं है कि शराब बन्दी की जाए। मान्यवर, सदन में जब यह मामला है, जब माननीय सदस्यों को इसे तय करना है तो इस सदन की इससे बड़ी अवहेलना, इस सदन की इससे बड़ी अवमानना और कोई नहीं हो सकती है, इस सदन से बाहर का कोई व्यक्ति आकर इस सम्बन्ध में सरकार को, सदन को कोई दिशा दे। मान्यवर, इमर्जेन्सी के काले 19 महीने गुजरे हैं, जब भारतवर्ष के अन्दर अन-कान्स्टीट्यूशनल पावर काम कर रही थी, लेकिन आज भी दादा धर्माधिकारी के नाम पर ऐसी पावर, एक्स्ट्रा कान्स्टीट्यूशनल पावर काम कर रही है जो सदन के सदस्यों को निर्देश दे रही है। लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी इन्डिविजूअल इस डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन से बड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी इन्डिविजूअल इस देश से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी इन्डि-विजूयअल इस देश के कान्स्टीट्यूशन से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी इन्डिविजूअल इस देश की व्यवस्था से बड़ा नहीं हो सकता है। मान्यवर, इस सदन को यह शिकायत है कि जब यह मैटर इस सदन के अन्दर पेश है तो इस सदन के बाहर के व्यक्ति को मुख्य मंत्री ने, खास कर कोई उनकी इच्छा का व्यक्ति इसकी पंचायती का काम करे, तो इससे बड़ी सदन की और क्या अवमानना हो सकती है? यह इस सदन की सबसे बड़ी अवहेलना है। लोकतंत्र में इस सदन की इससे बड़ी अवमानना आज तक नहीं हुई है, सिवाय 19 महीनों को छोड़ कर, जो काले 19 महीने थे। तो मेरा उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन है कि जब यह घटना घट रही है और आप इस सदन की प्रोसी-डिंग्स को प्रिसाइड ओवर कर रहे हैं, तो यह आज लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है, लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जो अर्थ है, जो कन्टेन्ट है, जो आब्जेक्ट हैं, जो लोकतंत्र के इनग्रिडेन्टस् हैं, आज उन सब की अग्नि परीक्षा है। इस सदन को सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि हमारा लोकतंत्र का स्वरूप क्या हो, किस स्वरूप में यह लोकतंत्र चले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या हमारे लोकतंत्र का वह स्वरूप हो जिसमें हमारी सरकार मनमाना आचरण करे, सदन के सदस्यों से चाहे जैसा टैक्स,

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

टैक्सेशन के प्रपोजल्स पास करा लें, बात कुछ और करे और प्रपोजल्स कुछ और पास करावे ? सरकार सदस्यों को जो डिक्टेशन देना चाहती है, सदन को डिक्टेशन से चलाना चाहती है, तो यह जो दोनों विसंगतियां हैं, मान्यवर, यह लोकतंत्र में साथ साथ नहीं चल सकती हैं। मान्यवर, लोकतन्त्र के इतिहास में मेरा निवेदन है कि इससे ज्यादा विसंगति और कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, जैसा कि इस सदन में हो रही है। हमारी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ और है। मेरा निवेदन है कि शराबबन्दी का मसला जिस ढंग से लिया गया है, यह न केवल लोकतंत्र, सदन की परम्परा, मर्यादा का नहीं, प्रतिष्ठा का ही नहीं, यह आज लोकतंत्र का प्रश्न बन गया है ? इसलिए मान्यवर मैं यह कह रहा हूं कि शराबबन्दी का मामला यहां पर आता या नहीं आता है, शराबबन्दी होती है, अभी 13 जिलों में शराबबन्दी लागू है, अब 20 जिलों में शराबबन्दी हो जाएगी और कभी 26 जिलों में हो जाएगी, प्रश्न यह नहीं है। यह सब काम तो डिक्टेटर भी कर सकता है, कोई राज भी कर सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : हम कमिटेड हैं परन्तु इस तरह के हालात चलते रहे हैं तो सदन मूक बैठा देखता रहेगा, ऐसा नहीं है। सदन तो यह चाहता है कि लोकतन्त्र के जो नियम हैं, जो अस्त्र हैं, उनको रखने की जो प्रक्रिया है, उस लोकतन्त्रीय मान्यता के आधार पर कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री गोकुल भाई ने कहा कि मैं आमरण अनशन करूंगा शराब बन्दी कराने के लिए। यह उन्होंने कोई पहली बार नहीं कहा है। इस सरकार में जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने यह देखा है कि सन् 66 से, पिछले 14 साल से श्री गोकुल भाई ने शराब बन्दी कराने के लिए कहा है–मैं आमरण अनशन करूंगा पर वे कभी बैठे नहीं हैं। शायद इसमें वे कोई इन्हेरेन्ट प्रिविलेज अपने पास रखते हैं। आज गोकुलभाई के नाम पर झगड़ा हो रहा है। कोई सत्य कहता है या झूंठ गोकुलभाई के बारे में। कोई ऐसे व्यक्ति हैं। उनको कोई संकोच नहीं होता है। वे 14 साल से यह कह रहे हैं। कभी उनके पास जयप्रकाश जी की चिट्ठी आ जाती है, कभी इन्दिरा जी की चिट्ठी आ जाती है, कभी दादा धर्माधिकारी आ जाते हैं। कहा गया कि दादा धर्माधिकारी ने मना कर दिया है आमरण अनशन पर मत बैठो और वही गोकुल भाई नशाबन्दी मण्डल के अध्यक्ष हैं, जिसको इस सरकार से 9 लाख रुपये की एड मिलती है। यह सरकार यह एड देती है। एक तरफ सरकार नशाबन्दी मण्डल के माध्यम से लोगों को यह कहती है, यह प्रचार करवाती है शराब बन्दी करो, शराब मत पीओ और दूसरी ओर वही सरकार शराब की दुकानें चलाती है ....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बजरंग लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बीच में अन्तराल देकर मैं अपनी बात को इस्टेब्लिश करना चाहता हूं। मेरी बात रेलेवेन्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, आप निश्चित तौर पर मुझे पाबन्द कर सकते हैं इस पर यदि मैं इर्रेलेवेन्ट बोल रहा हूं। मुझे कोई बोलने का शौक भी नहीं है। इस सेशन में वैसे भी मेरा गला खराब हो रहा है। फिर भी यदि कोई बात मैं इर्रेलेवेन्ट कहूं तो आप रोक सकते हैं।

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि गंगानगर शुगर मिल जिसके बारे में जिसके लाखों, करोड़ों के घोटाले के बारे में इस सदन में चर्चा हुई है, वित्त मन्त्री से यहां पर पूछा गया था। इसी गंगानगर शुगर मिल के द्वारा यह शराब बेची जाती है। जयपुर शहर में 11 दुकानें हैं। वित्त मन्त्री महोदय के विभाग द्वारा ही इन 11 दुकानों पर छापा मारा गया था और गंगानगर मिल की इन 11 दुकानों में से 8 दुकानों पर मिलावट पाई गई। यह शराब चाहे प्राइवेट व्यापारी बेचें, चाहे सरकार अपने आई. ए. एस. अधिकारी जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी हैं, उसकी निगरानी में बेचे, यह पाया गया है कि इन 11 में से 8 दुकानों पर यह शराब पानी मिला कर बेची जाती है। इस तरह करोड़ों का यह घोटाला है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कि क्या इस तरह का आइटम रखना सरकार के लिए आवश्यक है? जो आइटम हमारी सरकार को भ्रष्ट करे, समाज को भ्रष्ट करे, इसके आफिसरों को भ्रष्ट करे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं सरकार की जो मजबूरियां हैं वह कोई दूसरी नहीं हैं। हमारे जो आई. ए. एस. आफिसर हैं, उनको यह स्काच और दूसरी शराब रिश्वत के रूप में मिलती है। चाहे वह रघु सिन्हा का स्थान हो, चाहे कानोडिया का घर हो, चाहे वह रूंगटा का घर हो। इन सब जगह पर हमारे इन आई. ए. एस. आफिसर को रिश्वत के तौर पर, तौर तरीकों पर यह पिलाई जाती है। इससे उनके इन-इन रिश्वत के तौर तरीकों पर पाबन्दी लग जाती है। इसलिए मान्यवर, मुख्य मंत्री का सही इरादा होने के बावजूद, क्योंकि मैं इस बात का साक्षी हूं कि वे शराब नहीं पीते हैं, इस नौकरशाही ने उनका गला दबाया है।

मान्यवर, आपको जानकारी होगी आज हमारी यह नौकरशाही किस तरह से हावी है, किस कदर से यह ताकतवर है, वह इस शराब को जारी रखना चाहती है और उसने यह नारा लगवा दिया कि शराब नहीं रहेगी तो यह सरकार भी नहीं रहेगी। इसलिए यह कहा गया कि शराब बन्दी होती है तो शेखावत भी नहीं रहेंगे, शेखावत पद त्याग कर दें। यह किसने ड्राफ्ट किया है? यह इसी नौकरशाही ने किया जो शराब बन्दी नहीं चाहती है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, कल ही मुनि सुशीलकुमार जो जैन धर्म के नेता हैं, सन्त हैं, उन्होंने कहा है कि शराब बन्दी की मांग का समर्थन करो। यही महावीर स्वामी ने कहा है, जिस

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

महावीर स्वामी के श्री कौशलकुमारजी अनुयायी हैं। ये ही श्री कौशलकुमारजी यहां पर कहते हैं, शराब बन्दी नहीं करने का पक्ष लेते हैं ..

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न
स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार का समापन

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, On a point of order, Sir.

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 56 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें यह स्पष्ट कहा गया है "परन्तु प्रारम्भ होने के दो घंटे के भीतर भीतर वाद विवाद समाप्त हो जाएगा", स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और न कोई प्रश्न ही रखे जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 12 बजे से यह स्थगन प्रस्ताव शुरू हुआ है और 2 बजे समाप्त हो जाना चाहिए था। इस पर आप व्यवस्था दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : यह नियम यहां पर लागू नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है। माननीय सदस्य नियम 56 जब लागू होता जब किसी स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है और उस पर चर्चा होती है। आज तो कोई स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये गये हैं। जो चर्चा हो रही है, वह अस्वीकृत स्थगन प्रस्तावों पर हो रही है।

श्री कौशलकिशोर जैन : तो अस्वीकृत स्थगन प्रस्तावों पर चार घंटे चर्चा नहीं चल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंगलालजी, आप विराजें।

मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप इस प्रश्न पर कई नई बात कह सकते हैं। कई नई बात आप चर्चा में उठा सकते हैं परन्तु फिर भी डिस्कशन के लिए कोई न कोई सीमा तो होनी चाहिए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बहुत चर्चा हो चुकी है। आप एक नई बात कहें, कह सकते हैं, काफी सीमा तक कह सकते हैं। इसके लिए एक सीमा होती है। इसलिए मुझे आशा है आप इसको जल्दी से समाप्त करेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या उन छोटे बच्चों के दिल में बाप के प्रति सम्मान पैदा होगा? उस देश में भी, जहां देश छोड़ दिया उस देश में बाप के प्रति शराब के कारण से बच्चों के मन मे क्या भावना पैदा होती है? इसलिये मेरा निवेदन है ....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आखिर सरकार की मंशा क्या है जो कि वह एपोप्रियेशन बिल को पास करवाना चाहती है?

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और मैं दो

(श्री गुलमोहम्मद)

शब्दों में माननीय नेता महोदय को कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले माननीय नेता महोदय ने बात कही थी कि अमेरिका, यूरोप, रूस, ब्रिटेन और जापान में शराबबन्दी की गई थी लेकिन वह वापिस चालू कर दी गई क्योंकि वहां क्राइम बहुत बढ़ गये थे। यह बात कहते हुए उन्होंने वहां शराब वापस चालू कर दी। माननीय नेता महोदय के कहे अनुसार शराब बन्द करने से क्राइम बढ़ेंगे, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि एक नसीहत करने वाले मुल्ला नसरूद्दीन जी थे। रोज नसीहत करते थे जिस प्रकार गोकुलभाई करते हैं शराबबन्दी करो। इसी प्रकार एक व्यक्ति मुल्ला नसरूद्दीन नसीहत किया करते थे। एक दिन शराब पीने वाले लोगों ने उन्हें पकड़ लिया मुल्ला जी को, और यह कह कर घर ले आये कि बच्चा बीमार है, तुम उसके तावीज बना दो। वह मुल्लाजी उनके कहे अनुसार आ गए और एक तहखाने में ले गए और वहां उनको बन्द कर दिया तहखाने में, यह कह कर कि अगर तुम जान बचाना चाहते हो तो इस कमरे में तीन चीजें रखी हैं। उन तीनो में से तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें जो पसन्द हो वह कर लो। अगर तुमने तीनों में से एक काम कर लिया, तुमको छोड़ देंगे अन्यथा तुम्हें जान से मार देंगे। उस कमरे में तीन चीजें क्या थी, उस कमरे एक औरत थी, एक बच्चा था जिसके पास नंगी तलवार रखी थी और एक शराब की बोतल थी। लोगों ने कहा कि यह औरत है, चाहे इसके साथ बलात्कार कर लो और यह बच्चा है जिसके पास नंगी तलवार पड़ी है, चाहे इसे कतल कर दो और चाहो तो दूसरी साइड में शराब की बोतल है उसे पीलो। इनमें ने एक काम कर लीजिये। तो हम आपको छोड़ देंगे। बहुत नसीहत करते थे, आज पकड़ में आए हो। उन्होंने सोचा, अगर बलात्कार करूंगा तो यह उचित नहीं होगा। मालिक मुझे बख्शेगा नहीं और बच्चे को कतल करूंगा तो मालिक मुझे नहीं बख्शेगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने क्या किया जो तीसरी चीज पड़ी थी शराब की बोतल, वह शराब की पूरी बोतल उठाई और पीली। उसके बाद पूरी बोतल पीने के बाद जो सरूर उनके जिस्म में आया, मुख्य मंत्री जी जानते होंगे, बोतल पीने के बाद क्या हिम्मत आती है, वह शराब पीते ही मस्त हो गया। निगाहें औरत की ओर गईं और उन्होंने उस औरत के साथ बलात्कार चालू किया तो बच्चा रोने लगा। बच्चे का रोना जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो नंगी तलवार ने उस बच्चे को कतल कर दिया। तो अब आप स्वयं जान सकते हैं कि शराब क्राइम बढ़ाती है या घटाती है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इससे क्राइम घटता है, इससे क्राइम कम नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन करना चाहूंगा। जो 109 सदस्यों ने लिख कर दिया है कि वे शराबबन्दी के पक्ष में हैं फिर ऐसी कौन सी बात रह गई जिसके कारण आपने दूसरी साइड में उसके विरोध में दस्तखत कराने चालू कर दिये। माननीय नेता महोदय, जब इस प्रकार की बात चलती है तो हमारे दिल में बहुत ठेस

(श्री गुल मोहम्मद)

पहुंचती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब 109 ने दस्तखत किये हैं, प्रधान मंत्रीजी को रिप्रेजेण्टेशन भेजा है तो दिक्कत क्या है अब शराब बन्द करने में, शराब ऐसी बुराई है जो व्यक्ति को बरबाद कर देती है। जिनके घरों मे अनाज नहीं होता, बच्चे बिलखते हैं, रोटी के मोहताज होते हैं और वह गरीब शराब पीता है। आप शराब के ठेके पर जाइये। वहां मालदार नहीं मिलेंगे। आप जाकर देखिये माननीय नेता महोदय, वहां वे व्यक्ति मिलेंगे जो झोंपड़ियों में रहते हैं वे जाकर शराब पीते हैं। उनके बच्चे बिलबिलाते रहते हैं। उनकी हालत देखी नहीं जाती इसलिये मेरा निवेदन है कि आप आज ही शराबबन्दी की घोषणा करने की कृपा करें ताकि गरीब जनता को राहत मिल सके।

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल सकते हैं, लेकिन दो मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्री जी से और माननीय सदस्यों से और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। आज राजस्थान में शराबबन्दी के मामले को लेकर यह स्थिति हो गई है कि राजस्थान में लोकतंत्र समाप्त होकर व्यक्ति विशेष का राज कायम हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वित्त मंत्री जी से बार बार कहलवा रहे हैं कि कल स्टेटमेंट देंगे, परसों देंगे, यह पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, प्रजातंत्र को खतम करना चाहते हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के शराबबन्दी के फैसले को मुख्य मंत्री जी आप धर्माधिकारी से नहीं करा सकते। आपको यह फैसला कराना है तो राजस्थान विधान सभा के जो सदस्य हैं, उनसे यह फैसला करवायें या सरकार घोषणा करे। हम नहीं चाहते कि लोकतंत्र को व्यक्ति विशेष के हाथ में बंद कर लें, जेब में बन्द कर लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधान सभा के 109 माननीय सदस्यों ने आपको मेमोरेण्डम दे दिया, लिखकर दे दिया शराबबन्दी के लिए, उसके बाद भी आप परवाह नहीं करते हैं। आप सदन को रोज आश्वासन देते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो सरकार को घोषणा करनी चाहिए। प्रधान मंत्री को बार बार इस बारे में कहने में शर्म आती है, लेकिन शराबबन्दी के मामले में आपकी गवर्नमेंट चुप बैठी है और परवाह नहीं करती है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी कुछ नहीं कहते हैं और रोजाना शराबबन्दी का मसला विधान सभा में खड़ा कर देते हैं। आप पहले ही घोषणा कर देते और पहले ही नीति निर्माण करके घोषणा कर देते तो स्थगन-प्रस्तावों की जरूरत नहीं आती और यह जो जुलूस आ रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं थी, और पटाखे चलाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना

(श्री नवरंगसिंह)

चाहूंगा कि राजस्थान सरकार यह चर्चा का विषय बना रही है और लाखों लोगों की नजर रोज इस ओर उठी रहती है और चारों तरफ राजस्थान सरकार आरोप और चर्चा का विषय बन गई है। मैं यह नहीं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार पर आरोप लगे। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह सारी चर्चाएं जो फैल रही हैं, इनको दूर करने के लिए सदन में घोषणा करें कि शराबबन्दी करनी है या नहीं करनी है। रोज केबिनेट के नाम पर घोषणा को टालते हैं। हमें यह दूसरी आजादी हासिल हुई है, उस पर कुठाराघात कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इन सारी बातों को दूर करने के लिए वह घोषणा करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर श्री गोकुलभाई भट्ट अनशन पर बैठेंगे तो वह त्यागपत्र दे देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री को गोकुलभाई भट्ट ने नहीं बनाया है। राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि विधायकों ने मुख्य मंत्री को चुना है। हमें गोकुलभाई भट्ट की आवश्यकता नहीं। विधान सभा में घोषणा करके इसको समाप्त करें। आज इस सदन को धोखा दिया जा रहा है। राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं आपकी मार्फत पुरजोर शब्दों में अपील करूंगा कि आज शराबबंदी की घोषणा करें। आप आज घोषणा करें ताकि आने वाले बिलों और प्रस्तावों में हम रुचि ले सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार को निवेदन करूंगा कि आपने यहां पर घोषणा की कि आप पान खाते हैं और आप पान नहीं खायेंगे तो दिक्कत होती है, पर यह शराब है पान नहीं। यह शराब आर्थिक स्थिति खराब कर देती है। यदि राजस्थान को आप अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, नेता महोदय, आपने कहा है कि 56 पर्सेन्ट लोग हमारे यहाँ पर गरीबी की रेखा के नीचे हैं, तो माननीय नेता महोदय, इस 56 पर्सेन्ट गरीबी की रेखा के नीचे की जनता को अगर आपको आगे बढ़ाना है, गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाना है तो राजस्थान में आपको शराबबंदी करनी पड़ेगी, और शराबबंदी किये बिना उनकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकेगी और वे गरीबी की रेखा से आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए पुरजोर शब्दों में मैं मांग करूंगा कि सदन में आज इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल ऐरन।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े गम्भीर विषय पर सदन में चर्चा चल रही है। बहुत अर्से तक राजस्थान प्रदेश सबसे पहले श्री गोकुलभाई भट्ट की तरफ देखता रहा और एक ऐसा वातावरण बना जिसमें हमारे प्रदेश के लोगों को यह आशा थी कि 1 अप्रैल, 1979 से राजस्थान में नशाबन्दी लागू कर दी जायगी। किन्तु वह वातावरण बनने के बाद हमारे मुख्य मंत्री ने जोश में आकर एलान कर दिया कि अगर गोकुलभाई भट्ट अनशन पर बैठेंगे तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। लेकिन क्या हुआ ? त्यागपत्र देना कोई आसान बात

(श्री भंवरलाल ऐरन)

नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री ने बम्बई में बैठकर जयप्रकाश नारायणजी के समक्ष शायद यह बात रखी कि किसी को पंच बनाया जाय और दादा धर्माधिकारी को, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वह देश के नेता हैं, समाज के नेता हैं, किन्तु उनके ऊपर असर डाला गया और खुद श्रद्धेय गोकुलभाई भट्ट से यह कहलवाया गया कि पंच मुकर्रर कर दो और पंच के नाम से उस घोषणा को रखा जा रहा है, किन्तु यहां इस प्रदेश के सामने एक प्रश्न उठा है यहाँ के डेरे तम्बू उठने के बाद अगर डेरे तम्बू उठ गये तो खुद इस प्रकार का वातावरण बनायेंगे कि केवल 7 जिलों में नशाबन्दी की जायेगी, और 2 अक्टूबर, 1980 से पूर्ण नशाबन्दी की जायगी। हमें दुःख हुआ। दादा धर्माधिकारी इस प्रदेश के नेता नहीं हैं और न गोकुलभाई भट्ट इस प्रदेश के नेता हैं। यदि उन्होंने अनशन तोड़ दिया तो क्या राजस्थान का वित्त मंत्री अपना व्रत तोड़ देगा? हम इस समय राजस्थान प्रदेश में उत्सुक हैं और हमारे वित्त मन्त्रीजी की ओर चारों तरफ से प्रदेश की नजरें लगी हुई हैं, और हम वित्त मंत्रीजी से आश्वासन चाहते हैं। उनकी चालें खुलती जा रहीं हैं। आप मंत्री मण्डल की बैठक में उपस्थित नहीं हुए जिसमें कि शराबबंदी की चर्चा होने जा रही थी, तो आखिर यह क्यों हुआ? इस विधान सभा में कैसे वह यह कहना चाहते हैं कि सब ठीक हो जायगा, आप एक-दो दिन इन्तजार करें। अब इंतजार करने की घड़ियां खतम हो चुकी हैं। मैं वित्त मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने दृढ़ विश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञा पर अटल रहेंगे और राजस्थान में 1 अप्रैल, 1979 से नशाबन्दी करने का एलान करेंगे या अपने पद से हट जायेंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम मेरे पास ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूची में नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकार्षण प्रस्ताव की जो सूची मेरे समक्ष है उसमें आपका नाम नहीं है। माननीय सदस्य, विराजिये।

माननीय बहादुरसिंहजी आप भी विराजिये।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है।

श्री बहादुरसिंह : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे पास जो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूची है उसमें आपका नाम नहीं है।

श्री बहादुरसिंह : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है और सिर्फ एक मिनट लूंगा। मैं केवल 4 शब्द अपनी बात के लिए कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, सिर्फ एक मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्राप बिराजिये, कृपया। ग्रापकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री बहादुरसिंह : बड़ा ग्रहम् प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं ग्रनुमति नहीं दे रहा हूं, कृपया बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : दो, दो मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : मुझ पर विश्वास करें। माननीय रामनारायणजी ग्राप ग्रादर्श की बात करते हैं तो ग्रासन पर कुछ विश्वास करेंगे। मैं ग्रनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं विनम्र ग्राग्रह कर रहा हूं कि दो मिनट में ही......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं नहीं दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : दीजिये, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ग्राप बिराजिये। इतना समय ग्रौर दिया गया है।

श्री बालकृष्ण थानवी : मेरा प्रस्ताव भी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय थानवी साहब, ग्रापका नाम है नहीं, कृपया बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में काफी उद्विग्नता है इस प्रश्न को लेकर। ऐसा प्रतीत होता है कि न गोकुलभाई भट्ट ग्रामरण ग्रनशन करेंगे ग्रौर न भैरोंसिंहजी गद्दी छोड़ेंगे। नसीराबाद से ग्राने वाले माननीय विधायक वित्त मंत्रीजी को क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं। ग्रगर ग्राप में हिम्मत है ग्रौर इतनी कान्सीयन्स है तो एप्रोप्रियेशन बिल विचाराधीन है ग्रौर एप्रोप्रियेशन बिल में वह डिमाण्ड पास करायेंगे वित मन्त्रीजी। इसी लिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस एप्रोप्रियेशन बिल में एक्साईज की डिमाण्ड 27 या 27॥ करोड़ वित्त मंत्रीजी एप्रोप्रियेशन करना चाहते है तो इस ग्राइटम को डिलीट किया जाय तो हम ग्रापके साथ हैं।

समिति के प्रतिवेदन
जन लेखा समिति का सातवां, ग्राठवां, नवां व दसवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन– माननीय श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी, सभापति जनलेखा समिति, 1978–79 को समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :—

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जन लेखा समिति 1978–79 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

1. विनियोग लेखे 1973–74 में बताये

(श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी)

गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर जनलेखा समिति का सातवां प्रतिवेदन।

2. वर्ष 1973–74 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पूरक प्रतिवेदन (सिविल) से सम्बन्धित जनलेखा समिति का आठवां प्रतिवेदन।

3. विनियोग लेखे 1974–75 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर जन लेखा समिति का नवां प्रतिवेदन।

4. वर्ष 1973–74 और 1974–75 के लिये नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियों) से सम्बन्धित पंजीयन एवं मुद्रांक तथा खनिज एवं भूगर्भ विभागों से सबंन्धित मामलों पर जनलेखा समिति का दसवां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

व्यवस्था का प्रश्न

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की पुनरावृत्ति

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान्, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : कहिये।

श्री फतहसिंह : श्रीमान्, 27 मार्च, 1976 को महाराजकुमार प्रतापसिंह की किन्हीं परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उस बात को लेकर 29 मार्च, 1979 को दो माननीय सदस्यों द्वारा श्री मीठालालजी मीणा तथा श्री मूलचन्दजी सामरिया द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधान सभा में रखा गया। वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया लेकिन 30 मार्च, 1976 को आज से पूरे तीन वर्ष पहले उस पर राज्य सरकार की तरफ से तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने वक्तव्य दिया और फिर उस पर खुलकर चर्चा हुई। श्रीमान्, उस पर श्री मीठालालजी मीणा ने भाग लिया, श्री मूलचन्दजी सामरिया ने भाग लिया, श्री अजीतसिंहजी ने भाग लिया, श्री राजेन्द्रसिंह जी ने भाग लिया, श्री हरिसिंहजी ने भाग लिया, श्री सज्जनसिंहजी ने भाग लिया, श्रीमती नगेन्द्रबाला ने भाग लिया और श्री जयकिशनलालजी ने भाग लिया और कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस चर्चा में भाग लिया। श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि इसमें रूल 259 लागू होता है। ऐसे प्रस्ताव की, जिसमें सारवान रूप से ऐसे ही प्रश्न के समान कोई प्रश्न उठाया गया हो, जिस पर सदन उसी सत्र में विनिश्चय कर चुका हो, किसी भी अवस्था में पुनरावृति नहीं की जायेगी। इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि इसी सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा स्थगन प्रस्ताव आया हो, उस पर विचार आए हों तो, फिर तीन वर्ष पहले आये हों और सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया जा रहा हो तथा खुल कर चर्चा हो चुकी हो, उस पर अभी इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती। मेरे दूसरे व्यवस्था के प्रश्न पर बाद में बोलूंगा, पहले इस पर व्यवस्था दें।

(120)

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो सवाल हैं....

मेजर श्री फतहसिंह : आज यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कई माननीय सदस्यों ने दिया है उसमें श्री मूलचन्द सामरिया भी शामिल हैं और उस वक्त भी शामिल थे जिन दो माननीय सदस्यों ने उस समय प्रस्ताव दिया था उनमें भी आप शामिल थे इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, जो नियम का हवाला माननीय मेजर साहब ने फर्माया है उसमें साफ है कि यदि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है तो सदन का टाइम नहीं लिया जायगा। लेकिन इसमें यह बात नहीं है। उसके बाद समितियां और आयोग बैठ गए हैं और परिस्थितियां बदल गई हैं। आज वह प्रस्ताव मैच्योर्ड स्थिति में है। आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यह नहीं कहा जायगा, आज प्रश्न यह नहीं है कि महाराजकुमार प्रतापसिंह की हत्या हो गई, आज प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने हत्या की उनको क्या सजा दी जाय ?

(व्यवधान)

(व्यवस्था–सूचक घण्टी)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिये—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ईश्वरचन्द्रजी, आप भी बिराजिये। व्यवस्था के प्रश्न पर हर माननीय सदस्य के विचार जानना आवश्यक नहीं है।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो इन्दिरा गांधी का मामला माना गया है— Continuance of the session. यह सेशन एण्ड हो गया है। इसलिए सेक्शन 259 लागू है, आप मुझे सुनिये 259 में सारा क्लीयर है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फतहसिंह जी का जो प्रश्न है उसके सम्बन्ध में अभी निश्चित व्यवस्था तो नहीं दे सकता। लेकिन मैं इस मत का हूं कि वह लागू नहीं होता। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं कि किस परिप्रेक्ष में वह दिया गया है और क्या चर्चा चाही गई है। उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य अगर विचार व्यक्त करना चाहें तो अवसर दूंगा।

"प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत सेवा में निवेदन है कि आपातकाल के दौरान दिनांक 27 मार्च, 1976 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के षडयन्त्र के परिणाम स्वरूप युवराज प्रतापसिंह की हत्या की गई थी। इस बाबत राजस्थान सरकार ने कानसिंह आयोग बिठाया जिससे इस जघन्य कांड में श्री हरिदेव जोशी भू. पू. मुख्यमन्त्री व कई

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रशासनिक अधिकारियों को दोषी पाया गया। मल्हन कमेटी को इसके आगे की कार्यवाही सुझाने हेतु नियुक्त किया गया है। यह मामला प्रदेश के जनतांत्रिक लोगों को आन्दोलित किये हुए है, और जांच आयोग में जिन लोगों को दोषी पाया है, यदि उनके विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्यवाही करके उन्हें दण्डित नहीं किया गया तो राजस्थान की जनता आन्दोलित होगी। अतः इस महत्वपूर्ण व जन भावनाओं को छूने वाले मामले की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।"

मैं इस मत का हूं कि जिस नियम का हवाला दिया गया है वह यहां लागू नहीं होगा। फिर माननीय सदस्य कोई कहना चाहते हैं कि 259 लागू होता है तो मैं अनुमति दूंगा। जो यह कहना चाहते हैं कि लागू होता है, वे कह सकते हैं।

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान, सही बात तो यह है कि जिस भाषा का प्रयोग इस प्रस्ताव में किया गया है कि कानसिंह कमीशन द्वारा इन अमुक अधिकारियों को दोषी पाया गया। कानसिंह कमीशन की रिपोर्ट इस सदन के पटल पर नहीं रखी है। इसलिए हमारा कहना है कि पहले तो रिपोर्ट सदन के पटल पर आये तो हमको मालूम तो हो कि क्या रिपोर्ट है। इसलिए यह आवश्यक है। उनको कैसे मालूम कि कानसिंह ने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या लिखा है ? अखबारों

(व्यवधान)

ने लिखा है कि रिपोर्ट में अमुक अधिकारियों को दोषी पाया। इसलिए मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को आदेश दें कि वह रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रखी जाए, उसके बाद उस पर चर्चा की जाए।

श्री ईश्वर चंद्र : जैसा मेजर साहब ने बताया, कानसिंह रिपोर्ट और मल्हन रिपोर्ट, उसका मसला जब पूरा प्रस्ताव पढ़ा गया तब सामने आया। जो बिजनेस आज सर्क्युलेट हुआ है उसमें है अलवर के भूतपूर्व युवराज श्री प्रतापसिंह की हत्या के सम्बन्ध में और उसी सम्बन्ध में दिनांक 30-3-76 को इसी आधार पर कि उनकी हत्या की गई है, श्री मूलचन्द सामरिया ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था और दिनांक 30-3-76 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने उसका उत्तर दिया था। अब इसमें एक प्रश्न निहित हो गया कि मल्हन व कानसिंह रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वह रिपोर्ट हमारे सामने नहीं हैं। जहां तक सवाल है हत्या के मामले का, इसी तरह पहले भी प्रश्न उठाया गया था कि जिला प्रशासन ने ज्यादती करके उनकी हत्या कर दी और आज उसी तरह का मामला है कि जिला प्रशासन दोषी है या नहीं....

श्री कौशल किशोर जैन : जिला प्रशासन दोषी है, वह तो मूवर ही बतायेंगे। वह क्या कहना चाहते हैं, इन्फरेंस ड्रा कैसे कर रहे हैं ?

श्री ईश्वर चन्द्र : इसलिए मेरा निवेदन है कि जो शब्द लिखे हैं:

" A motion raising question

(श्री ईश्वरचन्द्र)

substantially identical with one on which the House has given a decision in the same session, in no case be repeated."

अगर आपने कानसिंह आयोग रिपोर्ट व मल्हन कमेटी रिपोर्ट का रेफरेंस इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दिया है व उसको माइनस कर रहे हैं, आप माइनस कर दें, क्योंकि इस आगस्ट हाउस में वह पेश नहीं हैं तो सबस्टेंशली मामला वह रह जाता है। संशन की परिभाषा नियमों में है। कहीं यह नहीं है कि संशन परटेन्स टू इयर 1976 आर 1977। संशन मीन्स संशन। जिसको बुलाया जाता है "Session means the period from the time the Assembly meets at the summons of the Governor to the time when it is prorogued by the Governor."

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : विधान सभा कौन सी ?

श्री ईश्वरचन्द्र : आप नहीं समझ पायेंगे, आपके प्रति मेरी सहानुभूति है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप ही नहीं समझ रहे हैं आपको तो कुछ कहना है इसलिए कह रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : समरगुहा का फैसला हुआ है। कांग्रेस सदस्यों ने यह सवाल उठाया था कि तथाकथित ब्रीच आफ प्रिविलेज किया गया है, पिछले संशन का था, इसमें नहीं आ सकता। लेकिन हमारी लोक सभा के अध्यक्ष ने स्वीकार किया और उनको सजा दी गई।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : सत्र की परिभाषा बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई बाल की खाल खींचना चाहे तो खींचने दीजिए।

श्री ईश्वर चन्द्र : अगर कानसिंह व मल्हन रिपोर्ट को छोड़ दें, तो प्रस्ताव आइडेंटिकल है। इसलिए इस पर 295 के तहत डिस्कशन वोइड है।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 131 का सवाल है, इसमें 256 का सवाल नहीं है। क्या अर्जेन्सी है इस मामले की कि आज के आज डिसकस किया जाए ? सवाल यह है कि कानसिंह आयोग बिठाया गया। सदन में में मुख्य मन्त्री का स्टेटमेंट है कि कानसिंह आयोग की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। शाह कमीशन की रिपोर्ट सदन में रखी गई। उसके बाद मल्हन कमेटी बैठी। मल्हन कमेटी व शाह कमीशन ने गलती यह की कि कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट के अन्तर्गत सेक्शन 8 बी....

श्री रघुनन्दन व्यास : 131 लागू होता है, और डागाजी बोल रहे हैं। इस प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं है....

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्षजी, आपने 259 के बारे में आर्गूमेंट्स एडवांस करने के बारे में अलाउ किया, आपकी व्यवस्था हो चुकी, उसको चैलेंज कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्य सूची में आज ले लिया है। इसलिए उस पाइंट को स्ट्रेस न करें।

श्री मूलचन्द डागा : मुख्य मंत्री ने पिछले सेशन में बयान देते हुए कहा था कि कानसिंह रिपोर्ट आने पर सदन की मेज पर रखी जाएगी और उसके बजाय उन्होंने मल्हन कमेटी को उसके जांच करने के आदेश दिए। मुझे मालूम है कि मल्हन कमेटी ने यह निर्णय लिया कि कानसिंह आयोग ने कानून की अवहेलना की है, उन्होंने कानून की पालना नहीं की। कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट····

श्री किशनसिंह भाटी : यह बात तो जब डिस्कशन होगा तब मैरिट्स के आधार पर कह सकते हैं। अब कौन सी स्टेज है ?

श्री उपाध्यक्ष : केवल पासिंग रेफरेंस दे रहे हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : डागाजी कहते हैं कि मुख्य मंत्री ने कहा था कि रिपोर्ट सदन में रखेंगे। अगर रिपोर्ट दो साल न आए तो भी इस सदन को इस पर बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए।

श्री किशनसिंह भाटी : It is nothing but delaying.

श्री मूलचन्द डागा : No question of delayeing. जो आदमी सदन में नहीं हैं, बहुत से नहीं हैं, कई सरकारी कर्मचारी इसमें इन्वाल्व्ड हैं, वे सदन में नहीं आ सकते, हमने रिपोर्ट देखी नहीं····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी, आप विराजिए। आपके आर्ग्यूमेंट्स कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, यह बात गलत है। आपके सामने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर न आने के कारण सदस्यगण उस रिपोर्ट को पढ़ नहीं पाए और आज उसके आधार पर कुछ माननीय सदस्य उस पर चर्चा करने लग गए हैं....

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : What is the relavency behind his statement ?

श्री मूलचन्द डागा : विधान सभा सर्वोच्च सत्ता है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री मूलचन्द डागा : एक मिनट सुनिए। मैं अपनी बात कहूंगा। बहुमत के आधार पर चर्चा हो जाए तो कर लीजिए। बाकी

(श्री मूलचन्द डागा)

न्याय के आधार पर दोनों रिपोर्ट्स सदन की मेज पर आनी चाहिएं और उसके दो दिन बाद चर्चा उठाने का अवसर दें, नहीं तो मामला जिस आधार पर रख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आत्महत्या की····

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री मूलचन्द डागा : बैठ तो जाऊंगा। जो इस सदन के सदस्य न हों, हमारा कर्त्तव्य है कि हरेक आदमी के हित की रक्षा की जाए।

श्री रामकिशोर (सिकराय) : पहले नोटिस दिया जाए, वोटिंग होती है।

श्री मूलचन्द डागा : नो, नो।

श्री उपाध्यक्ष : किसी माननीय सदस्य ने कहां तक सुना, यह उनके विवेक पर निर्भर है। जब आपने पाइंट आफ आर्डर रेज किया, मैंने कहा आपको अवसर दूंगा, आपको मैंने अवसर दिया। आपके पाइंट आफ आर्डर का जहां तक स्कोप है, आपके आर्ग्यूमेंट्स रेलेवेंट नहीं हैं, बिराजिए।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है कि क्या यह दोनों रिपोर्ट जो आपने इन्क्वायरी की, उन रिपोर्ट के बिना ही उनकी चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह चुका हूं कि चर्चा समाप्त करें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्शन आफ बिजनेस के रूल 131 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, इसमें कानसिह कमीशन का उल्लेख है। कमिश्नर फार इन्क्वायरी एक्ट के अन्तर्गत जब शाह कमीशन बैठा तो भारत सरकार ने सभी राज्यों को इस बात के आदेश दिये थे कि कोई दूसरा कमीशन इमर्जेन्सी एक्ट्स के लिए नहीं बैठा सकते। इसका मतलब यह है कि कानसिह कमीशन कोई कमीशन नहीं है। कानसिह वन मैन कमेटी थी। इसलिए मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कानसिह कमीशन द्वारा इन्क्वायरी एक्ट के अन्तर्गत····

श्री किशनसिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : No point of order at this stage. It can not be raised at this stage.

श्री किशन भाटी : It can be raised.

श्री मूलचन्द डागा : No, You can't.

श्री रघुनन्दन व्यास : At any moment it can be raised.

जब कोई बात पैदा हो उसी समय उठाया जा सकता है।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरा यह प्वाइन्ट आफ आर्डर था कि राजस्थान सरकार बैठा सकती है या नहीं यह आज के दिन रेलेवेन्ट नहीं है....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : यह विरोधी दल के माननीय सदस्य अपने भूतपूर्व नेता श्री हरिदेव जोशी को बचाना चाहते हैं....

श्री मूलचन्द डागा : Any point of order can only be raised under the proviso of Rule 256.

श्री किशनसिंह भाटी : He is challenging unnecessarily. He is creating wrong impression.

श्री शंकरलाल : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के तहत किसी ऐसे अविलम्ब लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। और वह इसलिए किया जाता है कि सरकार या सम्बन्धित मन्त्री महोदय उस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करें। यह एक ऐसी घटना है जिस पर ध्यान सरकार का पहले से ही आकर्षित कर दिया और सरकार ने एक आयोग बैठा दिया और उसके बाद कमीशन बैठा दिया। यह ऐसी घटना नहीं है जिसके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की अब जरूरत पड़ी हो। सरकार का ध्यान पहले आकर्षित हो चुका है और उसके बाद एक ट्रिब्यूनल बैठ गया और 123 प्रक्रिया का नियम है। उसके तहत तो यह है कि कोई अगर विचाराधीन है तो चर्चा होगी....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

श्री कौशल किशोर जैन : श्री हरिदेव जोशी को बचाना चाहते हैं यह लोग।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर पहले ही है।

श्री मूलचन्द डागा : No point of order can be raised under rule 295.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किशनसिंह जी, जरा विराजें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : No point of order can be raised. You, please, see the rule.

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय 131 पर आपका डिसीजन हो चुका है....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा था कि निश्चित राय तब दूंगा जब माननीय सदस्यों को सुन लूं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : He can not raise. Otherwise everybody will raise the point of order and there will be no end to it.

श्री किशनसिंह भाटी : आपने कहा था कि····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किशनसिंह जी जरा बिराज जायें। मैंने यह कहा था कि इस समय में इस मत का हूं और फिर भी मैं, माननीय सदस्य जो इस बारे में बोलना चाहेंगे पर्टीकूलर काल अटेन्शन मोशन रूल 259 में कवर होता है, 259 से बाहर है, वह माननीय सदस्य जरूर बोल सकेंगे। उनको अवसर दूंगा और उनको अवसर देने के बाद....

श्री किशनसिंह भाटी : 259 के बाहर बोल रहे हैं। 259 के अन्दर जरूर बोलें हमें एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। आप बिराजें।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही खेद है और बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इस सदन में कोई भी सदस्य बोलना चाहे और व्यवस्था का प्रश्न उठाये ...

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह माननीय सदस्य बीच में इन्ट्रप्ट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : He is interupting the proceeding. He should be asked to sit down.

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : हम इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कौशलजी आप बैठें। मैंने क्या व्यवस्था दी है, मुझे जानकारी है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह नियम 129 के तहत उठाया है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसलिए दिये जाते हैं कि किसी मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाये। अलवर के भूतपूर्व महाराज कुमार की हत्या का मामला ऐसा नहीं है कि जिसके लिए सरकार का ध्यान अब आकर्षित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया इस प्रश्न पर नहीं बोलें। कृपा कर बिराज जायें।

(व्यवधान)

. मूलचन्द सामरिया : आज जनता में आक्रोश है। उसकी त फ ध्यान सरकार का आकर्षित करना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको चैलेन्ज किया जा रहा है और कह रहे हैं कि मैं बोल कर रहूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : We can challange it. We haye every right to challenge it.

श्री कौशलकिशोर जैन : आप आसन का चैलेन्ज नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई चर्चा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैंने यह निवेदन किया है कि जिन बातों का इसमें समावेश है, कानसिंह कमीशन और मल्हन कमेटी की रिपोर्ट, उनके प्रतिवेदन पटल पर आने पर चर्चा हो जाये।

श्री मूलचन्द डागा : Yes, we agree. This is correct.

श्री शंकरलाल : मेरी बात पूरी करने दीजिए ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शंकरलाल जी, आप विराजें। आपको अवसर दूंगा लेकिन एक बार विराजें मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जहां इस प्रश्न के 131 के स्कोप में आने का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ने इस विषय को कार्यसूची में लेकर व्यवस्था दे दी है। अब केवल रूल 259 के स्कोप के बारे में है कि इसके अन्तर्गत इस प्रश्न को उठा सकते हैं या नहीं। मेरा यह कहना है कि यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है या नहीं, इस पर चर्चा नहीं करें।

श्री फतहसिंह : हमको यह कहने का अधिकार है या नहीं, इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। इस प्रश्न पर चर्चा नहीं होगी।

श्री फतहसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था सर्व श्री कौशल किशोरजी जैन, गंगासहाय, टीकमचन्द कांत। उनका प्रस्ताव अस्वीकार हो गया था।

श्री कौशलकिशोर जैन : स्वीकार हो गया है। हमारे चारों के नाम हैं।

श्री शंकरलाल : आपने जो व्यवस्था दी, स्वीकार है लेकिन पीड़ा व दुःख है कि सदन की ऐसी परम्परा रही है....

श्री किशनसिंह भाटी : यह इस विषय पर बोल रहे हैं।

Page No. 124

(128)

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : इस सदन के अन्दर....

मेजर श्री फतहसिंह : मैंने जो सूचना दी, माननीय सदस्य शायद समझे नहीं। जिन चारों माननीय सदस्यों के नाम लिये, उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया माननीय अध्यक्ष महोदय ने।

श्री मूलचन्द डागा : यह कौन सा तरीका है....

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : जो अजेंडा हाउस के सामने है उसी पर चर्चा की जाये।

श्री कौशलकिशोर जैन : अस्वीकार नहीं हुए हैं, चारों माननीय सदस्यों के नाम हैं आज बोलने के लिए।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे को लेकर मुझे इस बात की बहुत पीड़ा और दुःख है कि इतने वर्षों बाद भी इस सदन में परम्परा डाली जा रही है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बाद या पहले सरकार द्वारा जब कमीशन नियुक्त हो गया, कानसिंह आयोग नियुक्त हो गया, तो सरकार ने जो इस बारे में कार्यवाही करनी थी, अब सरकार बता दे कि उसके बारे मे कुछ करना चाहते हैं। अब आप ध्यान आकर्षण करेंगे। पूर्व में ध्यान आकर्षण हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये आप।

श्री शंकरलाल : फालतू सदन का समय नष्ट किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष ने कभी ऐसी व्यवस्था नहीं दी....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

हमें अधिकार है, हम व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें आप।

श्री शंकरलाल : सरकार का ध्यान-आकर्षण हो चुका, सरकार की इन्क्वायरी हो चुकी। ध्यान आकर्षण करना है तो यह करें कि आयोग के बारे में, कमेटी के बारे में....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी, आप चर्चा करना चाहते हैं या व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

श्री बजरंगलाल : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने कृपा पूर्वक यह फर्माया कि जिस प्रश्न को एडमिट करके माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्य सूची में शामिल कर किया है उस पर और विचार नहीं हो सकता। मैं आपसे एक बात की व्यवस्था चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष बार-बार यहां बैठकर यह कहते रहते हैं, मेरा माईण्ड ओपन है। वे कभी भी जो बात प्रोविजनल तय करते हैं, उसके बारे में कभी

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

नहीं कहते हैं कि कोई बात विचारणीय हो उस बात में सन्तोष हो जाये अपने पूर्व निर्णय में परिवर्तन या संशोधन....

श्री किशन सिंह भाटी लीगल बात यह है आप इसको री-ओपन नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको कहने तो दीजिये।

श्री शंकरलाल : आपको अधिकार है....

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, आप रूल 131(5) देख लें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा इतना निवेदन है कि प्रोविजनली माइन्ड अप्लाई करके अध्यक्ष महोदय एक निर्णय पर पहुंचते हैं। उसके बाद यदि कोई बात उनकी निगाह में लाई जाती है, या उनके स्थान पर जो कर्त्तव्य निर्वाह कर रहा हो, तो ओपन माइन्ड वाली बात बन्द हो जायेगी और प्रश्न फाइनली डिसाइडेड बाई दी स्पीकर मान लिया जायेगा। यदि विचारणीय है....

श्री किशन सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निर्णय दे चुके हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : Rule 131(5) is quite clear in this connection. You kindly see it.

श्री किशनसिंह भाटी : He should talk about Rule 259.

श्री ईश्वरचन्द्र : Rule 131(5) is quite clear and it can be raised after the questions.

श्री किशनसिंह भाटी : श्रीमान, 259 के अगेंस्ट में भी नहीं सुनेंगे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कहने तो दीजिये, कृपया विराजिये।

श्री मूलचन्द डागा : मोशन हमारा है....

श्री किशनसिंह भाटी : I cannot be raised. Motion cannot be discussed.

श्री ईश्वरचन्द्र : यह रूल के तहत क्वेश्चन आवर के फौरन बाद इस मामले को लिया जा सकता है। आप क्लाज 5 से बाहर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह दो वर्षों की परम्परायें हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिये जा रहे हैं। इसके बाद 131 की बात पैदा हो गई। यह तो भविष्य में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वह निर्णय करे कि

(श्री रघुनन्दन व्यास)

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को कार्य सूची में किस स्टेज पर रखा जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्यसूची में समाविष्ट कार्य की पूर्ति तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति के अनुसार सदन का समय बढ़ाया जाता है जब तक कि कार्यसूची में समाविष्ट कार्य पूरा न हो जाये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय ...

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिए

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की पुनरावृत्ति

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो फर्माया कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची में लेकर इस बारे में फाइनल निर्णय ले लिया है उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। उस बारे में एक माननीय सदस्य ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है। मैं इस बारे में एक मिनट आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अध्यक्ष की व्यवस्था तो कई बार होती है। सरसरी तौर पर जब मोशन आता है, सूची में ले लिया जाता है। लेकिन बाद में कोई आपत्ति उठाई जाती है और फैक्ट्स आपके सामने आये हैं, अब आप पुनर्विचार कर सकते हैं एवं कई व्यवस्थाएं पहले भी हुई हैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अब आप हमको सुनकर नई व्यवस्था दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है। इस प्रश्न पर अपना मत व्यक्त कर चुका हूं। इसकी पब्लिक इम्पार्टेंस के बारे में, अविलम्ब लोक महत्व के बारे में आश्वस्त हूं। इसलिए आपको चर्चा उठाने नहीं दूंगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपकी अनुमति से मैं अर्ज कर रहा हूं। आपने जो अपनी व्यवस्था दी है तो उस व्यवस्था के विरुद्ध जो माननीय सदस्यों ने कहा है, अगर आप माइन्ड चेंज करें तो मुझे भी मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अपना माइन्ड चेन्ज नहीं कर रहा हूं....

इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है और व्यवस्था के प्रश्न के रूप में काल अटेन्शन मोशन जो बिजनेस में रखा हुआ है उसमें रूल आउट करने के लिए भी है। मैं यह मानता हूं कि कार्यसूची में माननीय अध्यक्ष महोदय की सहमति से या उनकी आज्ञा के अनुसार कोई कार्य रख दिया जाता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय उसको वापिस रिवाइव भी कर सकते हैं। जो

(श्री उपाध्यक्ष)

वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्रीमान हेगड़े साहब, उन्होंने भी इस प्रश्न पर अपना मत व्यक्त किया वे कि अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद में री-ओपन भी हो सकते हैं। लेकिन किन किन सीमाओं में कहां तक हो सकते हैं ? यह प्रश्न के बारे में आज के जितने तर्क हुए हैं उससे मैं इस प्रश्न को री-ओपन करना उचित नहीं समझता हूं।

जहां तक अविलम्बनीय लोक-महत्व का प्रश्न है और जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में रखा गया है वह अविलम्बनीय लोक महत्व का ही प्रश्न होता है। 259 में तीन बातें हैं—एक तो जो इश्यू आज उठाया जा रहा है वह पहले किसी सत्र में उठा लिया गया है। दूसरा पाइन्ट उसमें यह है कि उस पर डिसीजन होना चाहिए—ये दो बातें आवश्यक है "A motion raising a question substantially identical with one on which the House has given a decision in the same session shall in no case be repeated."

तीन बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि जिस सेशन में उठाया गया उसी सेशन में आइडेन्टिकल रूप में उठाया जाना चाहिये और हाउस का डिसीजन होना चाहिये। माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं ये तीनों ही बातें लेप्स नहीं होती हैं। जो आज प्रश्न उठाया जा रहा है और जो पूर्व चर्चा में उठाया गया था वह आइडेन्टिकल नहीं था। दूसरा, जिस सेशन में उठाया गया वह सेशन आज कन्टीन्यूड नहीं है। हाउस का सेशन कमेन्स होता और प्रोरोग भी होता है, और यह माना जाय कि एक सेशन बराबर कन्टीन्यू रहता है तो प्रोरोग का उसमें सवाल नहीं रहेगा। बहुत से पाइन्ट लेप्स भी हो जाते हैं और यह मान लिया जाता है कि सेशन कन्टीन्यू है तो जो बहस होती है वह बाद में पुन: प्रारम्भ भी हो जाती है। माननीय सदस्य ईश्वरचन्द्रजी ने जो पाइन्ट उठाया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। जहां तक हाउस का डिसीजन हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत से प्रश्न चर्चा के दौरान आते हैं और चर्चा के दौरान मत व्यक्त किए जाते हैं लेकिन हाउस का डिसीजन, बहुत कम मोशन होते हैं, जिनमें लिया जाता है। हाउस की सहमति से एडजोर्नमेंट मोशन, काल अटेन्शन मोशन के रूप में चर्चा हो जाती है और बाद में चर्चा समाप्त भी हो जाती है और दूसरे बिजनेस ले लिए जाते हैं। लेकिन चर्चा होने से यह नहीं मान लिया जाता है कि हाउस का निर्णय हो गया है। जो एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में 76 में चर्चा चली है, मैं नहीं मानता हूं कि उसमें हाउस ने निर्णय लिया है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने, ट्रेजरी बेन्चेज के अन्य माननीय मन्त्री महोदय ने अपनी कोई बात रखी होगी, लेकिन सदन ने निर्णय नहीं लिया है। इसमें एक प्रश्न माननीय शंकरलालजी ने उठाया, माननीय मूलचन्द जी डागा ने उठाया, माननीय फतहसिंह जी ने उठाया कि कोई भी चर्चा, अगर चर्चा किसी इन्क्वायरी रिपोर्ट से सम्बन्ध रखती है तो जब तक वह रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत नहीं हो जाय, तब तक चर्चा नहीं हो सकती है। मैं इस मत का नहीं हूं।

(श्री उपाध्यक्ष)

रिपोर्ट अगर कोई कमीशन के दौरान पेंडिंग हैं तो किस स्टेज पर पेंडिंग हैं, उस स्टेज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और जब कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत कोई कार्यवाही चली है–माननीय कानसिंह ने रिपोर्ट दी है. इसलिए अब कोई सब-जूडिस मैटर भी नहीं रहा है। इसलिए जहां तक रिपोर्ट प्रस्तुत होने का प्रश्न है जो माननीय सदस्य ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाना चाहते हैं, वे माननीय सदन के नेता महोदय हैं–मुख्य मन्त्री जी, उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट की क्या स्टेज है और क्या एक्शन लिया जा रहा है? जो चर्चा आज मानसिक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली है मैं नहीं मानता कि किसी नियम के तहत यह चर्चा वर्जित है। इसलिये जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, मैंने ध्यान पूर्वक सुनी है और उसी के आधार पर यह व्यवस्था दे दी है। जो काल अटेन्शन मोशन के रूप में चर्चा की जा रही है, वह नियमों के अनुकूल है और मैं चर्चा की अनुमति देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस व्यवस्था के सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन आपने अभी एक संकेत दिया है कि चर्चा उठाने के लिए भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है कि कानसिंह रिपोर्ट सदन में रखी जाय। कई माननीय सदस्य जानते हैं किसी भी आयोग की रिपोर्ट, जो इस प्रकार के प्रश्न पर जांच करते हैं, सरकार को प्रस्तुत करने में दिक्कत नहीं है। परम्परा यही रही है कि कमीशन की रिपोर्ट के साथ सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्या एक्शन लिया जा रहा है, उसके साथ प्रस्तुत की जाय। यदि सदन चाहे कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है, वह बतावें तो वह मुश्किल है। लेकिन इस चर्चा में कानसिंह समिति की रिपोर्ट का लाभ लेना चाहें तो सरकार को उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में कोई आपत्ति नहीं है–आज भी चर्चा की जा सकती है और बाद में भी की जा सकती है। माननीय सदस्य तय कर लें, हम कल रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : सदन के नेता ने न्याय की बात कही है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सरकार से हम यह जानना चाहेंगे कि उन्होंने उस कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है और यह दायित्व सरकार का है कि सरकार ने अपना क्या मानस बनाया है? वह मानस लेकर सदन में आयें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि आपने व्यवस्था दे दी लेकिन आज माननीय रतनलाल जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न, प्रश्न आवर खतम होने के बाद उठाया था और बड़े जोर से यह कहा गया था कि विरोधी पक्ष बहुत समय ले रहा है। अब जीरो आवर के लिए हम यह व्यवस्था चाहते हैं और सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी व्यवस्था दी थी। और उन्होंने कहा था आधा समय तो विरोधी पक्ष ले लेता है और आधा समय सत्ता पक्ष के मान-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नीय सदस्य ले लेते हैं। तब हमने कहा था कि जो भी स्थगन प्रस्ताव आते हैं, आप और हम सहयोग देने को तैयार हैं। हर एक माननीय सदस्य को 2-2, 5-5 मिनट देकर समाप्त कर सकते हैं। यह हमने कहा और हम सहयोग देने को तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय ने यह कहा दोनों पक्षों को, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है, यह समय कौन ले रहा है इसका निर्णय भी आप दे दें ताकि बार बार समस्या नहीं आये और हमारे ऊपर इसका चार्ज नहीं लग सके। यदि आपको सूट होता है तो पांच पांच मिनट खड़े होकर बोलने के लिये आज्ञा दे दें जीरो आवर में। विरोधी पक्ष का दायित्व है और वे अपनी पावर्स को एक्सर्साइज करते हैं ताकि आइन्दा यह न हो कि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक शून्य काल सत्ता पक्ष लेता रहे और शून्य काल चलता रहे। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मंजूर अली : उपाध्यक्ष महोदय, आपने तीनों पाइन्ट्स के बारे में व्यवस्था दे दी। आपकी व्यवस्था के आने के बाद नेता महोदय ने जो कुछ फर्माया कि रिपोर्ट तैयार है और रिपोर्ट सदन में पेश की जा सकती है। यह दोनों रेफरेन्स हैं। 131 का वह एतराज है जो माननीय ईश्वरचन्द्रजी ने उठाया है। वह भी नजर सानी कर दूं। वह है "131(5) The proposed matter shall be raised after the question and before the list of business is entered upon and at no other time during the sitting of the House."

आज क्वेश्चन आवर के बाद यह बिजनेस शुरू हो चुका है। उसके बाद नेता महोदय का स्टेटमेंट आया है कि कल रिपोर्ट आ सकती है। तो उचित यह होगा कि बजाय आज के कल ले लें।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसकी भी व्यवस्था दे दूंगा, आप बिराजें।

श्री शंकरलाल : मेरे प्रश्न पर भी साथ ही दे दें। मैं भी साथ साथ ही निवेदन कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री शंकरलाल : मेरी व्यवस्था का प्रश्न दूसरा। है वह यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश होने के बाद सम्बन्धित मंत्री द्वारा सरकार की तरफ से उत्तर आता है। अभी सरकार की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक जवाब के रूप में स्थिति स्पष्ट कर दी....

श्री किशनसिंह भाटी : यह कोई उत्तर नहीं है....

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये हम अपनी बात कहना चाहते हैं....

(व्यवधान)

और ये चाहते हैं जो पाप इन्होंने इमर्जेन्सी में किये हैं, जिनके कारण सारी दुनिया उद्वेलित हो रही है, वे डिलेइंग टैक्टिक्स अपना कर रोकना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : सदन के नेता महोदय द्वारा जो भी स्थिति का स्पष्टीकरण सामने आया है, मैं समझता हूं कि उसको देखते हुए इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सदन के नेता के जो विचार थे वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिए जाने के अन्दर बाधक नहीं हो सकते। जब अध्यक्ष महोदय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज रखा है तो कोई भी कार्यवाही करने के पहले इसको लिया जाना आवश्यक है। सदन के नेता का यह प्रस्ताव है, वैसे परम्परा तो यह है कि सरकार अपना फैसला साथ में लेकर आती है, उसके बिना भी चाहे तो वह रिपोर्ट पेश की जा सकती है। उस रिपोर्ट पर कार्यवाही तो गवर्नमेंट को करनी है। राज्य सरकार उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही करना चाहती है, यह मुद्दा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आएगा। आज उस रिपोर्ट के गुण दोष को नहीं देखना है क्योंकि कानसिंह और मल्हन की रिपोर्ट सदन के समक्ष नहीं आई है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : आप क्या बोल रहे हैं?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जो आपकी समझ में नहीं आएगा।

(व्यवधान)

आप अदालत में पैरवी करते हो। यहां थानेदारों के खिलाफ बोल सकते हो। आपने इस सदन में बोल कर थानेदार को सस्पेंड करवाया है और ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर आप इनकी पैरवी कर रहे हो। आप सदन की प्रतिष्ठा को नीचे गिरा रहे हो....

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या कह रहे हैं? मेरी बात तो सुनिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह रिपोर्ट सामने आने दीजिए। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है यह मालूम हो जाएगा। आपने इन इमर्जेन्सी के अपराधियों की पैरवी करके इस सदन की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, कृपया विराजें आप।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि

(श्री एच. एन. शर्मा)

माननीय ईश्वरचन्द्र भटनागर ने रूल 131(5) की ओर ध्यान आकर्षित किया है। दो और दो तो चार ही होते हैं। यह स्पष्ट है कि दो और दो चार ही होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस पर आज बहस न कर कल रखी जावे तो अच्छा होगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : रिपोर्ट आज हाउस के सामने नहीं है लेकिन हम बोल सकते हैं। अरे जे. पी. की आत्मा दुखेगी। जे. पी. ने कहा था कि आपातकाल के गद्दारों को दण्डित किया जाएगा....

श्री एच. एन. शर्मा : जे. पी. ने यह नहीं कहा था कि सदन में इतने जोर जोर से बोलना। जे. पी. ने यह भी आदेश नहीं दिया कि इस तरह से चिल्लाना।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जनता से वोट इसीलिए लिए थे कि आज आप उनकी पैरवी करोगे ?

श्री एच. एन. शर्मा : जे. पी. ने यह नहीं कहा था कि जोर से बोलना, जोर से चिल्लाना....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है। आप अपने आपको डाक्टर लोहिया का अनुयायी बताते हो और इन इमर्जेन्सी के गद्दारों की पैरवी करते हो, इससे अपमानजनक बात और क्या हो सकती है ?

He is hundred percent. right.

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट आफ आर्डर। कोई माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य के बारे में इस तरह से नहीं कह सकता : How can he impute motive against the Hon'ble member ?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तुम क्या कर रहे हो।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, विराजें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : नियमों की बातें करके तुमने सदन की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया है। यह इस बात का प्रमाण है कि You are paid for that.

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं माननीय गुप्ताजी से निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुख्य मन्त्री पर आरोप लगाये तो कभी महत्वपूर्ण कार्यवाही नहीं की। परन्तु अफसोस है कि आज आप विरोधी पक्ष से मिल कर इस सदन की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण

(श्री ईश्वरचन्द्र)

चाहता हूं, मुझे भी अपनी बात कहने दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। ईश्वरचन्द्र जी, आप भी बिराजें। मैं कुछ कहना चाहूंगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : You can not speak like that. You please sit down. You should not advocate the culprits.

श्री रघुनन्दन व्यास : इमर्जेन्सी के अत्याचारियों का समर्थन कर रहे हो, ईश्वरचन्द्र जी इसीलिए खड़े हुए हो।

श्री ईश्वरचन्द्र : कानसिंह ने कलेक्टर के खिलाफ लिखा है, आप किस तरह से आरोप लगा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कोई माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता।

श्री किशनसिंह भाटी : पूर्व सरकार की इमर्जेन्सी की ज्यादतियों की चर्चा करना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता कुछ कहना चाहते हैं, सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : माननीय सदस्यों को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए।

श्री किशनसिंह भाटी : इसलिए उत्तेजित होना पड़ता है कि इमर्जेन्सी के गद्दारों के कारनामे सदन के सामने आयें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतने ज्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी विषय पर कोई मेम्बर कोई बात रूल्स के अन्तर्गत कहता है तो उसे हमें शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। उसके बजाय उसकी नीयत पर इस तरह से आक्षेप लगायें....

श्री किशनसिंह भाटी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री मूलचन्द डागा : नेता के बोलते हुए बीच में पाइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर किस जगह पर उठाया जाता है, किस स्टेज पर उठाया जाता है इसके भी नियम हैं। आप बिराजें।

श्री किशनसिंह भाटी : यह तो आप पर ही है। मैं जानता हूं कि आप नहीं उठाने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइंट ग्राफ ग्रार्डर रेज करने की प्रोपराइटी भी होनी चाहिये, स्टेज भी होनी चाहिए।

श्री किशन सिंह भाटी : श्रीमान, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि ग्रगर वे सदन के नेता हैं तो हम भी सदन में ग्राते हैं। ये लोग हमेशा सदन के नेता की ग्रालोचना करते हैं, ग्राज ही सदन के नेता के प्रति प्रेम कैसे हो गया?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा हूं कि चर्चा हो, इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय की रूलिंग हो चुकी। वह चर्चा हो इसमें किसी को कोई ग्रापत्ति नहीं है ग्रौर न होनी चाहिए। एक पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर रेज किया गया कि चर्चा नहीं हो सकती, उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय की रूलिंग हो गई कि इस पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद वह प्रकरण तो समाप्त हो गया। ग्रब दूसरा प्रकरण ग्रारम्भ होता है कि चर्चा ग्रभी तत्काल ग्रारम्भ की जावे या नहीं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को, इस प्रश्न के ऊपर चर्चा उठाने से पहले ज्यादा ग्रच्छा हो कि कान सिंह रिपोर्ट का ग्रध्ययन करलें....

इसके बाद,

(व्यवधान)

ग्राप मुझे बोलने दीजिए।

ग्रध्ययन करने के बाद इसके ऊपर ग्राप चर्चा उठायेंगे तो उस चर्चा का लाभ सदन को भी होगा....

श्री किशन सिंह भाटी : इस पर बाद में डिटेल में पूरी चर्चा होगी। मैं ग्रशोक मेहता कमेटी का उदाहरण ग्रापको देना चाहता हूं। उस रिपोर्ट पर सदन में बहस हुई थी। The same procedure should be adopted for this also and we should not deviate from that. There should not be separate procedure for this.

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को जो एक्शन लेना है वह एक्शन गवर्नमेंट लेगी, मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं। कानसिंह समिति ने जिस मामले की जांच की है, उस जांच में जो बातें हमारे सामने ग्राई हैं, जब वह मेम्बर के सामने ग्रा जाएंगी तो मेम्बर ठीक प्रकार से सरकार को जानकारी, सुझाव दे सकते हैं। इसमें मुझे कोई ग्रापत्ति नहीं है। माननीय किशन सिंह जी चिन्तित हैं, इस प्रश्न को ग्राज ही लेना चाहते हैं तो मुझे कोई ग्रापत्ति नहीं है....

श्री किशन सिंह भाटी : इसलिए कह रहे हैं कि यह 4–5 दिन से पेन्डिग था। ग्राज ग्रा गया है। सुबह से सारा ग्रपोजीशन यह वह बात उठा रहा है। हम तो समझते थे कि ग्रपोजीशन इसमें को-ग्रापरेट करेगा। पांच महीने से कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास है। सरकार के पास यह रिपोर्ट

(श्री किशनसिंह भाटी)

आने के बाद क्या कार्यवाही की गई है ? यह लोक महत्व का सवाल है। ठेले, गाड़ी वालों के प्रश्न पर सुबह से अपोजीशन बोल रहा है। अपोजीशन इसको लाइटली ले रहा है, इसको ट्विस्ट करके रखा जा रहा है। यह नर हत्या का मामला है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : क्या ठेले गाड़ी वालों और राजा महाराजाओं में फर्क है ? राजा-महाराजा हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गये हैं ? राजा-महाराजाओं से ठेले, गाड़ी वाले ज्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए।

श्री किशनसिंह भाटी : किसी को राजा-महाराजा से एलर्जी हो तो इस प्रश्न पर मैं नहीं बोलता। यह तो उनकी हत्या का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह अलवर कांड महत्व का है। इसमें तत्कालीन चीफ मिनिस्टर हरिदेव जोशी को दोषी माना गया है। यह पहला कमीशन है....

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं कहता हूं कि इसको पहले लिया जाए....

श्री रघुनन्दन व्यास : जब भुट्टो को फांसी दी जा सकती है, फांसी की सजा दी जा सकती है तो हरिदेव जोशी को क्यों नहीं दी जा सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : भूतपूर्व मुख्य मन्त्री इसमें इन्वाल्व्ड है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस पर बहस होनी चाहिये। पहले हो जाये। ये रेडी वालों के प्रश्न के बारे में कह रहे थे, वे प्रश्न हम ज्यादा उठाते हैं। यह नहीं हो सकता है। रेडी वालों का प्रश्न तो होगा ही। राजा-महाराजा से ज्यादा हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हैं। फिर भी मैं इस पर बहस के पक्ष में हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : इसमें दो दिन की डिले की गई है। मैं इस पक्ष में हूं, इमर्जेन्सी के दौरान किसी पर जुर्म हुआ है उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह सवाल उठाया जाना चाहिये, मैं इस पक्ष में हूं। आप यह कह रहे है कि राजा महाराजा है इसलिए यह महत्वपूर्ण है, गांव वाला मारा जाए, वह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : फिर राजा-महाराजा मरे, चाहे मार्क्सवादी मरे, यह प्रश्न है एक नेक इन्सान के कत्ल का।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप राजा और रेडी वालों में क्यों फर्क कर रहे हैं....

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मजदूर और राजा दोनो बराबर हैं। इसमें एक्स

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

चीफ मिनिस्टर की बात है इसलिए इम्पार्टेन्स है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सदस्य इसी तरह से आसन की अनुमति के बिना बोलते रहेंगे तो मुझे इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुझे इस बारे में माननीय श्योपतसिंह, माननीय रामकृष्ण दास गुप्ता से विशेष तौर से निवेदन करना है कि माननीय किशनसिंह जी को भी कहना है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं तो जब इन्होंने रेडी वालों का कहा तब बोला हूं। आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं ? ये रेडी वालों का अपमान कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मेरे बिहेवियर पर आपको आपत्ति है तो मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इंट्रप्शन होना स्वाभाविक है लेकिन हर स्टेज पर इस तरह से इण्ट्रप्शन करना चाहें, सदन में बिना अनुमति के बोलें, आसन की बिना अनुमति के बोलें और फिर बोलने पर लगाम न रखें, बोलते ही जायें, आसन बराबर घंटी बजाता रहे, उसकी तरफ ध्यान न देकर अपनी बात कहते रहें, तो मुझे इसके लिए कम से कम यह व्यवस्था करनी होगी कि यह बात रिकार्ड न हो। यह कहन पड़ेगा। इस तरह की प्रवृत्ति रही है, माननीय सदस्य विशेष तौर से इस प्रकार की प्रवृत्ति को दोहराते रहते हैं, मुझे यह खेदपूर्वक कहना पड़ेगा, मैं आइन्दा कम से कम जो वह बात कहते हैं, उसको रिकार्ड नहीं करने के लिए निर्देश दूंगा।

दूसरी जो बात उठायी गई है, माननीय सदस्य को अधिकार है कि वे इस पर चर्चा करें लेकिन सदन के नेता महोदय ने इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिया है, उसको भी गम्भीरता से लेना चाहिये। माननीय सदस्य नेता महोदय के सुझाव के बावजूद अगर चर्चा आरम्भ करना चाहते हैं तो उनको चर्चा करने का पूरा अधिकार है। माननीय सदस्य श्री ईश्वरचन्द भटनागर ने रूल 121 के उपनियम 5 की ओर भी मेरा ध्यान दिलाया है। मैं इस मामले में यह कहना चाहूंगा कि बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं, वे आफिशियल बिजनेस होते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे होते हैं....

(व्यवधान)

माननीय श्योपतसिंह जी, क्या मैं बैठ जाऊं ? आप यह स्वाभाविक मुद्रा बार-बार दोहरा रहे हैं। कृपया आप कह दीजिए। मैं अपना उत्तर पूरा नहीं कर पाया हूं....

(व्यवधान)

श्री अजीत सिंह : डे और टाइम फिक्स किया जाए। किस दिन यह रिपोर्ट सदन में पेश हो जायेगी।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय सदन के नेता महोदय ने यह कहा

(श्री कौशल किशोर जैन)

है कि इस पर कल विचार किया जाए। मेरा ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव है। तो इस पर टाइम फिक्स कर दिया जाय, कल या उसके पश्चात् इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि अभी इस पर बहस शुरू की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आपका ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव नहीं है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैंने प्रस्ताव किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कहने का अधि- है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सदन की मंशा ली जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य, जिनका ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव है, ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं उठाना चाहते हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है। माननीय नेता महोदय ने फर्माया है, सरकार क्या एक्शन लेना चाहती है इसकी जानकारी मिले तो बोलने में सुविधा होगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : अगर नेता महोदय फर्माते हैं कि एक साथ जवाब देंगे तो कम से कम इतना फर्मा दें कि किस तारीख तक एक्शन लेंगे और कब तक कार्य-वाही करने के बाद जवाब देंगे ? अगर कोई कार्यवाही नहीं होती, सरकार ने कोई मानस नहीं बनाया तो फिर कोई मतलब ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : यह ज्यादा अच्छा होता कि उस समय चर्चा हो जाती। सदन के माननीय सदस्यों का मूड ऐसा है, फिर भी मैंने निवेदन किया कि रिपोर्ट को देख कर चर्चा करते तो ज्यादा अच्छा रहता....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह अगर-मगर मत लगावें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर मूड ऐसा हो. यह मैंने कहा। रिपोर्ट आ जाय, उसको माननीय सदस्य पढ़ लें। पढ़ने के बाद चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसीलिए रिपोर्ट आने के बाद चर्चा हो और सरकार उस समय अपना मानस भी बताये कि क्या एक्शन लेना चाहती है। इसलिए कल तक के लिए इसे स्थगित किया जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : फिर यह सारा टाइम क्यों बरबाद कर दिया सदन का।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री श्योपतसिंह मकासर - चर्चा इसी समय शुरू होनी चाहिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : इस समय नहीं होनी चाहिए, हमें कल तक के लिए....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अब तक सदन का वेल्यूएबल टाइम इस बात के लिए खर्च हुआ कि आज ही बहस शुरू होनी चाहिए और जब बहस शुरू की जा रही है तो...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिहजी, बहुत ज्यादा समय लगा चर्चा में, चर्चा इस बात की थी कि इस विषय को चर्चा का विषय बनाया जाय या नहीं। शायद आप उपस्थित नहीं थे। अब अगर आप कोई भी बात कहना चाहते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में कि इस प्रश्न पर चर्चा हुई यह चर्चा परमिटेड है या नहीं और स्वीकृति दी जाय या नहीं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम कह रहे थे कि शुरू करने के लिये बाकायदा सदन के नेता ने कहा....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजें।

(व्यवधान)

मैं केवल एक ही बात पूछना चाहूंगा, जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है वे क्या चर्चा करना चाहते हैं ? कोई कंडीशनल बात नहीं होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : सदन के नेता महोदय ने फर्मा दिया है कि कल सदन की मेज पर रिपोर्ट रख दी जाय इसलिये कल रिपोर्ट आने के बाद चर्चा फर्मावें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में जैसा कि मूलचन्द जी सामरिया, कोशल किशोर जी जैन ने कहा और सदन के माननीय नेता ने सुझाव दिया कि कल रिपोर्ट रख देंगे तो कल रिपोर्ट सदस्यों को मिलने पर विचार हो जाय, उसमें हमें एतराज नहीं है। हम जिद नहीं करते। अपोजीशन की बात मानते हैं। कल रिपोर्ट देख कर उस पर बहस शुरू की जाय।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : सदन के नेता महोदय की ओर से प्रस्ताव आया कि सदन में रिपोर्ट रख दी जाय उसके बाद....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा स्थगित हुई।

विधायी कार्य

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें कि चर्चा कब तक के लिए स्थगित की गई ?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा स्थगित कर दी गई।

श्री मूलचन्द सामरिया : कब तक के लिये ?

श्री उपाध्यक्ष : इतना ही आवश्यक है अभी कहना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उपाध्यक्ष महोदय, उसका उत्तर दिलवा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपका कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूची में नहीं है । उसका उत्तर आये, यह आवश्यक नहीं है । माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दे सकते हैं, सदन के नेता भी उत्तर दे सकतें हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आज ही उत्तर दिलवा दिया जाय । मैं नहीं कहती कि अभी दें । थोड़ी देर बाद उत्तर दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आज एप्रोप्रियेशन बिल पर वित्त मन्त्रीजी उत्तर देंगे । उस समय दे सकते हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उनसे कहला दें ।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होने सुन लिया है, वे चाहेंगे तो उत्तर दे देंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय फर्मायें । उनसे कहला दीजिये कि उत्तर देने की स्थिति में हैं या नही ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजलाजी, कृपया बिराजें । मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी को इतना ही कह सकता हूं कि आवश्यक समझें तो उत्तर अवश्य दें दे ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री हरिसिंह (यातायात मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक की पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करता हूं ।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : मैं राज-

(श्री आदित्येंद्र)

स्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 1, सन् 1979) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1979

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाला विधेयक।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास जी माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, जा विनियोग विधेयक हमारे सामने विचाराधीन है उस पर 1095 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार, राजस्थान के कंसोलिडेटेड फन्ड्स में से खर्च करने के लिये सदन की मोहर लगाना चाहती है। श्रीमन्, इस विधेयक पर चर्चा करते वक्त मैं सदन के सामने निवेरन करना चाहता हूं कि जो 1095 करोड़ रुपये राजस्थान की इकानोमी में बजट के जरिये से खर्च होंगे और उसके साथ में भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है और दूसरे राज्यों ने अपने बजट पेश किये हैं उनसे अरबों, करोड़ों रुपये हमारी अर्थ व्यवस्था में आयेंगे। इस पर, श्रीमन्, पहले इस सदन में चर्चा की जा चुकी है। अब फिर दोहराता हूं। विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा था कि इस तरह से रुपया जब ज्यादा अर्थ-व्यवस्था में आता है तो इन्फ्लेशन होता है और चीजें महंगी होती जाती हैं। आपके 1095 करोड़ में से, श्रीमन्, जो 275 करोड़ रुपया है वह प्लान्ड एक्सपेन्डीचर है बाकी नान-प्लान्ड एक्सपेन्डीचर है। नान-प्लान एक्सपेन्डीचर के अन्दर डवलपमेंन्ट एक्सपेन्डीचर का पर्सेन्टेज 7 पर्सेन्ट है बाकी जो खर्चा है वह प्रोडक्टिव खर्चा नहीं है। इसलिए 1095 करोड़ में से मुश्किल से 300 करोड़ प्रोडक्शन पर खर्च होगा और बाकी खर्चा नान-प्रोडक्शन पर होगा। इस सूरत में वह इन्फ्लेशन पैदा करेगा और चीजों में महंगाई पैदा करेगा।

भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके ऊपर इस सदन में चर्चा हुई थी, पर मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि 1 पर्सेन्ट वह इन्फ्लेशन क्रियेट करेगा। श्रीमन्, मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो बजट पेश हुआ है, जो उन्होंने कर लगाये हैं, जो इन्फ्लेशन का ट्रेन्ड पैदा किया गया है, जो मार्केट के अन्दर मनी करेन्सी का इन्फ्लेशन हुआ है वह 15 पर्सेन्ट से अधिक हुआ है। यह सब बातें मिल कर महंगाई 1 पर्सेन्ट नहीं बल्कि और ज्यादा होगी। यह मैं स्वयं कोट नहीं कर रहा हूं लेकिन श्री मोहन धारिया, जो जनता

(श्री मथुरादास माथुर)

पार्टी के मिनिस्टर हैं और भारत सरकार में मिनिस्टर हैं, पालियामेंट में यह कहा है कि इन्फ्लेशन 1 पर्सेंट नहीं होगा और जो फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा है कि 1 पर्सेंट महगाई करेगा उससे मैं सहमत नहीं हूं और मेरा विभाग भी सहमत नहीं है। श्रीमन्, मैं इतना ही ही नहीं कहना चाहता हूं, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी और इकोनोमिस्ट ने लिखा है वह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी और सदन में उस पक्ष वालों का एक बड़ा अखबार है जिसको "आर्गेनाइजर" के नाम से पुकारते हैं। इस अखबार के लिए उनके दिलों में बहुत बड़ी श्रद्धा है........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस अखबार में आपका विश्वाश है ?

श्री मथुरादास माथुर : उस अखबार में मेरा विश्वास है कि नहीं लेकिन इस मामले में विश्वास है जो उसमें लिखा है ,एडिटोरियल........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलिये ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा विश्वास है कि नहीं। आप यह बताइये कि आपको मेरा विश्वास है कि नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके विश्वास का सवाल नहीं। आर्गेनाइजर के बारे में पूछ रहा हूं। आर्गेनाइजर पर आपका विश्वास है, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है।

श्री कौशलकिशोर जैन : विश्वास है इसीलिए तो कह रहे हैं। इसीलिए आप मिनिस्टर बना रहे थे कल।

श्री मथुरादास माथुर : आर्गेनाइजर की और पालिसीज मे कतई विश्वास नहीं है। इस अखबार में किसी इकानामिस्ट को कोट किया है और उसके साथ साथ दूसरे अखबारों ने भी दूसरे इकानामिस्टों के बयान लिखे है वे उनसे मेल खाते हुए है। एडिटोरियल में लिखा है उससे इस अखबार का संबंध नही है। इन्होंने श्री ब्रह्मानन्द, जो एक माने हुए इकानामिस्ट है, की बजट पर जो टिप्पणी है उसके लिए लिखा है....

"The uncoverd gap of Rs. 1,4000 crores and market borrowings of Rs. 1,850 croses will pump an additional 3,000 crores of money in the economy. This will mean a 15% increase in money supply. As against this, the production is expected to go up by 3.5% We can, therefore, expect an 11% increase in the prices."

मैं यह चीज कोट कर रहा हूं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक दफा ऐसे अखबारों में छप गया इससे आप लोगों को एतराज होगा लेकिन यह

(श्री मथुरादास माथुर)

आपके ही अखबार में छपा है। इसलिए कोट किया है। श्री ब्रह्मानन्द, जो बड़े इकानामिस्ट हैं, ने बताया कि भारत सरकार के बजट से 11 प्रतिशत प्राइसेस बढ़ेंगी। उसके साथ ही मैंने पहले मोहन-धारिया को कोट किया है जो सोशलिस्ट इकानामिस्ट हैं और भारत सरकार के मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में यह कहा था कि वे एक पर्सेन्ट से एग्री नहीं करते है। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि एक पर्सेन्ट की बात नहीं है। केरोसिन में 22 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी इन्क्रीज हुई। कुकिंग गैस में 52 पर्सेन्ट एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी है, मैचेज के अन्दर 19 पर्सेंट, जब कि काफी के अन्दर 19 पर्सेन्ट, पैट्रोल में 15 पर्सेन्ट स्कूटर में 52 पर्सेन्ट, बसेज में 15 पर्सेन्ट, सिगरेट में 3 पर्सेन्ट, इसके साथ साथ इंडिस्ट्रीयल शोप में 25 से 100 पर्सेन्ट। यह एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ी है और साथ में मनी सरप्लस भी बढ़ा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भारत सरकार ने इस बजट के जरिये जो हमारी इकानामी में डियरनेस पैदा किया है, महंगाई पैदा की है वह 11 पर्सेन्ट है। मुख्य मंत्रीजी ने जब उस दिन भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट को कोट करते हुए कहा था, मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि वह एक पर्सेन्ट नहीं, 11 पर्सेन्ट है और 11 पर्सेन्ट से भी ज्यादा हो सकता है।

उसके साथ पार्लियामेंट के दूसरे और मेम्बर्स भी इस एक पर्सेन्ट को गलत समझते हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा महंगाई पैदा कर रहा है।

श्री केदारनाथ: मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपने ब्रह्मानन्द का नाम कोट किया तो यह वही ब्रह्मानन्द है जिन्होंने सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान के लिए कहा था, It is a plan for continuous economy.

श्री मथुरादास माथुर : ब्रह्मानन्द को कोट किया है। वह बजट के बारे में कोट किया है। आप प्लान की बात कह रहे हैं कि क्या हुआ।

मेरा यह स्टेटमेंट है, श्रीमन्, भारत सरकार के बजट, दूसरी रियायतों के डेफिसेट बजट, भारत सरकार के टैक्सेशन और राजस्थान के टैक्सेशन और दूसरी जितनी सरकारें हैं उनके टैक्सेशन और उसके साथ में मनी सरकुलेशन में बढ़ोत्तरी, इन तीनों फैक्टर को मिल कर हमारे इस मुल्क में इन्फ्लेशन पैदा करेंगे और प्राइसेस को अधिक करेंगे। प्राइसेस जैसा कि भारत सरकार ने कहा, एक पर्सेन्ट बढ़ी है, वह ठीक नहीं है। मैंने आपको ब्रह्मानन्द को कोट किया है जो कि इकानामिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि 11 पर्सेन्ट प्राइसेस भारत सरकार के बजट से बढ़ेंगी

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दें कि आज इन्फ्लेशन कितना है?

श्री मथुरादास माथुर : आज का इन्फ्लेशन अभी इस वक्त क्या है, वह जब डियर-

(श्री मथुरा दास माथुर)

नेंस के बारे में बताऊंगा कि कितना इन्डेक्स बढ़ गया तब कहूंगा। मैं इस सदन में कह चुका हूं इससे पहले।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम बजट जब रखते हैं तो हमारे सामने 2-3 बातें होती हैं, बजट किसलिए रखना चाहते हैं, बजट का पर्पज क्या है ? बजट का पर्पज हमारा यह होता है कि हम अपनी इकानामी में गति पैदा करें, एम्प्लायमेंट को पैदा करें, डिस्पेरिटी को रिमूव करें और फिर उसके बाद सोशल रेमेडीज जो हैं वे अवेलेबल करायें। इस पर्पज के लिए बजट रखा जाता है और उस पर्पज के साथ प्राइसेस को कन्ट्रोल नहीं कर पाते है। ऐसी सूरत में बजट इन्फ्लेशनरी ट्रेण्ड पैदा करेगा और उसका नतीजा यह होगा कि लोगों को बजट से सहूलियत मिलने के बजाय बड़ी तकलीफ हो जायेगी।

श्रीमन्, मैं अब दूसरे पॉइन्ट पर आ रहा हूं। श्रीमन्, मैं कह रहा था, प्राइस इन्फ्लेशन क्या था और किस तरह से वह हमारे हॉलसेल प्राइस इन्डेक्स पर असर करता है। 52-53 को हंड्रेड मान लें तो 1976-77 में प्राइस इन्डेक्स 436 था जब कि 78 में 382 हो गया। अब मेरा निवेदन है आज के इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के बारे में कि वह आने वाले साल में और बढ़ जायेगा तो होल सेल प्राइस का इन्डेक्स नम्बर बढ़ जायेगा और होल सेल प्राइस इंडेक्स का नम्बर बढ़ने के बाद उसका नतीजा यह होगा कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स फिर डियरनेस मांगेंगे। भारत सरकार ने दे दिया। आपको भी देना पड़ेगा। वह फिर इन्फ्लेशनरी ट्रेण्ड होगा। इससे हम एक वीसियस सर्किल में पहुंच रहे हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि यह बजट आगे जाकर प्रोडक्शन कितना बढ़ाता है उससे हमारी इकानामी में बढ़ोतरी होगी या नहीं, सालाना इसके बारे में ध्यान रखना होता है। मगर मैं यह समझता हूं कि यह 2, 3, व 3, 5 भारत सरकार के इकानामिक लास के लिये है लेकिन आपका बजट ग्रोथ मोटिवेटेड नहीं है। ग्रोथ ओरियेन्टेड नहीं है। इतना रुपया लगा कर, 1905 करोड़ रुपया लगा कर कौन सी इकानामिक ग्रोथ आप हासिल कर लेंगे ? तो मेरा यह निवेदन है कि यह जो बजट रूटीन वे में स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट है, जिसमें सोशल पर्पज के लिये, इकानामिक पर्पज के लिए राजस्थान के अन्दर इकानामी जनरेट करने के लिये, यह बजट हमें सेल्फ-सफिसियेन्सी की ओर ले जायेगा, इसकी मुझे आशा नहीं है।

श्रीमन्, आपने जितना रुपया इसमें रखा है और जो रुपया आज तक रखा रहा है, आखिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन औरइण्डस्ट्रियल प्राडक्शन का सवाल है। यह तो खुशी की बातहै कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मानसून ठीक होने की वजह से कहीं कहीं ओले पड़ने से पड़े अकाल ग्रस्त एरियाको छोडकर, ऑन दी होल ठीक रहा है। प्रोड्यूस में बढ़ोतरी हुई है कमी नहीं हुई। अगर मानसून फेल हो जाय तो सारी इकानामी डिवास्टेड हो जायगा और आप इण्डस्ट्रियल सैक्टर, पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर और कोआपरेटिव सैक्टर में कुछ भी नहीं कर

(श्री मथुरादास माथुर)

पायेंगे। मैं यह निवेदन करता हूं कि जितना टोटल इन्वेस्टमेन्ट है प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर, कोग्रापरेटिव सैक्टर, कम्पनीज ग्रौर कार्पोरेशन में 31-3-78 को 33.65 करोड़ का था ग्रौर 34 करोड़ 71 लाख 31.3.79 तक है, यह टोटल इन्वेस्टमेन्ट है। यह ग्रापने कोग्रापरेटिव सैक्टर ग्रौर पब्लिक सैक्टर के जरिये किया है। इससे डिविडेन्ड क्या मिला? इससे रिटर्न क्या मिला? 33 लाख ग्रौर 15 हजार —1 पर्सेन्ट। मैं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, ग्रापसे यह कहना चाहूंगा कि इतना इन्वेस्टमेन्ट ग्रापने किया ग्रौर रिटर्न है एक पर्सेन्ट। इतना रुपया ग्रगर एफ. डी में होता तो 10 पर्सेन्ट रिटर्न मिलता। एम्प्लायमेन्ट भी बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं किया। ऐसी सूरत में ग्रापको गौर से सोचना है। जब तक ग्राप प्रोडिक्टिविटी पैदा नहीं करोगे, तब तक रिटर्न नहीं मिलेगा ग्रौर रिटर्न नहीं मिलेगा तो कोई फायदा ग्राम ग्रवाम को नहीं होने वाला है। हिन्दुस्तान में भी रिटर्न एक पर्सेन्ट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रिटर्न एक पर्सेन्ट की जगह ग्रगर दो पर्सेन्ट भी हो जाता तो एक्साइज ड्यूटी 665 करोड़ की लगाने की जरुरत नहीं रहती। इसलिए ग्रापने जो एन्टरप्राइजेज लगाये, इनकी सिच्युएशन को देख लीजिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी इन्डस्ट्रियल कन्सर्न्स हैं, इन सबमें घाटा ही घाटा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: एक काम कर दीजिये, पुराने वर्षों से तुलना करके बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर: क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इन्वेस्टमेन्ट को ग्रौर रिटर्न को।

श्री मथुरादास माथुर: कई एण्टरप्राइज बहुत पुरानेहै ग्रौर कई ग्रभी लगे हैं। पुराने एण्टरप्राइजेज में कई मुनाफा भी करते हैं ग्रौर कई में घाटा भी होता है,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनका एक पर्सेन्ट रिटर्न नहीं होगा। एक पर्सेन्ट हुग्रा है क्या कभी?

श्री मथुरादास माथुर: यह कोई दलील नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दलील नहीं कहता, ग्रापको बताने के लिए कह रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : यह दलील देकर मुख्य मन्त्रीजी ग्राप कैसे पांच साल निकालोगे? उस वक्त घाटा था, ग्रब क्यों है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रब नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : जितने भी इनवेस्टमेंट हैं उनके ऊपर ग्रासानी से कई सुझाव दिये जा सकते हैं। इण्डस्ट्री पर तो जब बहस होगी तब सुझाव दूंगा। मैं ग्रभी तो यह बता देना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे प्रोडक्शन, रिटर्न नहीं ग्रा रहा है। नॉन-प्रोडक्टिव की वजह से

(श्री मथुरादास माथुर)

इन्फ्लेशनरी ट्रेंड क्रियेट हो रहा है, जो आम अवाम की गर्दन तोड़ रहा है। इसलिए आपका बजट कोई अच्छा बजट नहीं है।

बजट भाषण में सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन की बात कही गई। सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन का एक अजीब माहौल है, वह माहौल यह है कि श्रीमान वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन को कोसा है और कहा है कि हमारे साथ अन्याय किया गया। श्रीमान, मुख्य मन्त्रीजी ने भी बजट भाषण के जवाब में इण्टरवीन करते हुए कहा तो उन्होंने उसकी तारीफ की और बराबर तारीफ की। हमने आपकी स्पीच सुनी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक पाइन्ट पर कहा है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं न तो सेवन्थ फाइनेन्स कमीसन को कण्डेम ही करता हूं और न एप्रिशिएट करता हूं। यह बड़ा मुश्किल हो जायगा, आपके बजट भाषण को देखा। आपने कहा है कि ज्यादा मिला है। यह बात कहने की नही थी फिर भी कही गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन में आपने कहा कि पहले से ज्यादा रुपया मिला। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन का डिवोल्यूशन 4.7 प्रतिशत है और सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन का डिवोल्यूशन 4.59 पर्सेन्ट है। इसलिए आप पर्सेन्टेज के लिहाज से पैसा कम लेकर आए। मात्रा में रुपया ज्यादा मिला क्योंकि सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन ने 9609 करोड़ का डिवोल्यूशन किया था और अब सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन ने 20824 करोड़ का डिवोल्यूशन किया है। इसलिए रुपया तो नेचरली ज्यादा होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन ने राजस्थान के साथ जस्टिस नहीं किया। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने पर्सेन्टेज घटाया, बीस हजार करोड़ की जगह हमको दिया 4.7 करोड़। इसकी वजह यह है कि कमीशन ने कम कर दिया। मैं यह भी नहीं कहता कि राजस्थान सरकार ने पैरवी अच्छी नहीं की और लोगों का सहयोग नहीं लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को बराबर कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि क्राइटेरिया बदल देते हैं। सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन में क्राइटेरिया था पापूलेशन और पर केपिटा इन्कम का और सेवन्थ फाइनेन्श कमीशन में क्राइटेरिया रेश्यो आफ पावर्टी लाइन के नीचे आ गया। आपने दलील दी है कि रोंग फिगर्स लिये और आल इन्डिया बेसिस पर वही माने गए।

श्री रामनारायण चौधरी : वह असेसमेन्ट रोंग नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आज की पोजीशन में हमसे ऊपर कौन है, महाराष्ट्र भी हमसे ऊपर है और हमारे से बैटर है पावर्टी लाइन में। उसमें तीन ग्रुप किए गए पुअर, लेसर पुअर और हिल स्टेट। हमको लेसर, पुअर में माना है और दस नम्बर पर रखा है। एक उड़ीसा या दो-तीन स्टेट नीचे हैं। हमसे सब बैटर समझे गये हैं। जब यह केलकुलेशन किया गया है तो हम घाटे में रहेंगे। क्षेत्र को नहीं देखा। उनके मुकाबले हमारा बड़ा एरिया है, नांन-प्लान एक्स-

(श्री मथुरादास माथुर)

पेण्डीचर, कैपिटल एक्सपेण्डीचर हमारे यहां ज्यादा होता है। इन पर उन्होंने गौर नहीं किया। इसलिए हमे यह घाटा हो गया। सातवां वित्त आयोग अपना काम पूरा करके चल दिया, यह कोई स्थाई चीज नहीं है। अब इस घाटे को योजना आयोग ने पूरा कर लिया। हम तो गाडगिल फार्मूला पर लड़ते थे कि यह फार्मूला सही नहीं है। अब योजना आयोग ने जो फार्मूला दिया वह तो और भी बदतर है। तो योजना आयोग के फार्मूला से पहले से घाटा सातवें वित्त आयोग से पहले से घाटा है, यह भारत सरकार के पास जो रुपया है वह अंडर डवलप्ड राज्यों के लिए है, कैसे हल करेंगे ? हमको पर कैपिटा 350) रुपया डिवोल्यूशन मिला है। नान—प्लान रेवेन्यू गेप में सरप्लस मिला है जो छठे प्लान में फीड करेगा। फिर भी दूसरे राज्यों के मुकाबले में हमें जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। हमारा नान प्लान रेवेन्यू गैप 2115 करोड़ है। उसके बजाय 663 करोड़ रुपये वित्त आयोग ने दिए। नतीजा यह हुआ कि हमारा सरप्लस २२० करोड़ रुपए रह गया। वरना हमारी बात मान लेते तो कम से कम 103 करोड़ रुपये और मिलते तो आज प्लान बड़ा बन जाता। आज वितीय संस्थाओं से कर्जा लेकर प्लान को बड़ा कर रहे हैं मगर बेसिकली हमारा कन्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वह नान प्लान रेवेन्यू गैप बड़ने के बाद सातवें वित आयोग से ज्यादा रूपया मिलता तो स्थिति ठीक रहती।

इसके अलावा हमारा जो करों में हिस्सा है, उस फार्मूला को बदलना चाहिए। फार्मूला बदलने से हजारों का फर्क हो जाता है तो डिवोल्यूशन की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। अब मैं कैपिटल खर्चे पर आता हूं। मैंने भी वित्त आयोग के सामने पैरवी की थी कि नॉन प्लान रेवेन्यू गैप को पूरा करें। ज्यादा मिला भी है लेकिन हमारा कैपिटल एक्सपेंडीचर ज्यादा हो रहा है। राजस्थान स्क्रैच से शुरू हुआ था, कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था अब ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, राजस्थान में पर केपिटा इन्फ्रास्ट्रक्चर की कास्ट दूसरे राज्यों से दुगुनी तिगुनी होगी because of distances, because of historical background and because of past fuedal legacy. सब बातें होने के कारण हम पर बहुत कर्जा हो गया। कर्जा पूरा करने के लिए वित्त आयोग के सामने जाते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। उन्होंने क्या किया ? जो टोटल कर्जा है वह 1300 करोड़ रुपये का है, 900 करोड़ भारत सरकार का कर्जा है, भारत सरकार कुछ माफ करे। भारत सरकार ने तीन तरह के ऋण दिए प्राडक्टिव, अनप्राडक्टिव व सेमी-प्राडक्टिव। राजस्थान के पूरे 900 करोड़ के कर्जे को उन्होंने सेमी प्राडक्टिव माना है। जो उन्होने 30 साल में 4.75 प्रतिशत व्याज से वापस लेने का फैसला किया। यह तो टीक है लेकिन जो अनप्राडक्टिव लोन है उसको माफ करना चाहिए था। जो अकाल में, वाढ़ में वेज एण्ड मीन्स के लिए हमें लेना पड़ता हैं। समय-समय पर वह कर्जा कुल मिला कर 278.14 करोड़ का है। यह तो माफ होना चाहिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गलती हमारी नहीं है। भूतपूर्व सरकार ने जब पिछले वित्त आयोग के सामने सारे लोन्स को कंन्सोलीडेट किया था उसके बाद में जब सारी स्थिति वित्त आयोग के अवार्ड के रूप में आनी चाहिए थी, उस समय प्राडक्टिव और अनप्राडक्टिव दोनों आइटम्स को को शामिल किया था ?

श्री मथुरादास माथुर : जब राज्य सरकार की छठे वित्त आयोग से बात हुई थी तो मैं इन्वाल्व्ड नहीं था। मगर उसकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। इस केपिटल पर कर्ज की देनदारी पर छठे आयोग ने हमारी बात मानी नहीं। हम सातवें आयोग और भारत सरकार से मांग करते हैं कि राज्य सरकार को अकाल पर, बाढ़ पर, ओला वृष्टि पर और वेज एण्ड मीन्स के ऊपर खर्च करना पड़ा, 271.4 करोड़ और बाकी देने हैं, वह कर्जा माफ होना चाहिए। अगर वह माफ नहीं होंगे तो स्थिति कठिन हो जाएगी। उसके साथ हमने यह कहा था कि आगे भी अकाल वगैरह के लिए खर्चा सेंट पर्सेन्ट भारत सरकार दे। लेकिन उन्होंने मांग नहीं मानी और वित्त आयोग की बात भी नहीं मानी। तो बार बार अकाल आता है, इसके कारण हम दूसरे राज्यों के मुकाबले में फर्स्ट या सैकण्ड स्टेट हैं। इसलिए हमारी मांग है कि अनप्राडक्टिव लोन भारत सरकार को बिल्कुल माफ करना चाहिए। अभी मामूली 45 करोड़ ही माफ किया।

नेचरल कन्डीशन्स के लिए मेरी मांग है कि सेंट पर्सेन्ट हमको दें, प्रोहिबिशन के लिए सिर्फ एक्साइज ड्यूटी पर ही 50 प्रतिशत देकर खतम करना, यह काफी नहीं है। सेल्स टैक्स से रेवेन्यू होती है, हर साल 7-8 करोड़ रुपये की आय होती है, इसमें भी भारत सरकार को 50 प्रतिशत देना चाहिए। यह क्लेम भारत सरकार के आगे पेश करना चाहिए नहीं तो जो राज्य प्रोहिबिशन करेंगे वे घाटे में रहेंगे। इसलिए यदि मोरारजी भाई प्रोहिबिशन चाहते हैं तो सेंट पर्सेन्ट नहीं तो कम से कम 50 पर्सेन्ट बेसिस पर सेल्स टैक्स कम्पेन्सेट करें। तो सातवें वित्त आयोग के बारे में जो खास बातें थीं मैंने उनका विवेचन किया है....

श्री उपाध्यक्ष : कितना समय और लेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : 10-15 मिनट। इसी साल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना पड़ेगा। भारत सरकार के बजट प्रस्तावों से महंगाई बढ़ रही है, राज्य सरकार दोषी है और दूसरी सरकारें भी दोषी हैं। यह नान प्लान खर्चा है। उसके साथ आने वाले 5 वर्षों में अकाल पड़ेंगे। उन्होंने जो नेचरल कैलेमिटीज का फार्मूला बनाया है, वह सैटिस्फैक्ट्री नहीं है। हमने सेंट पर्सेन्ट मांगा था। इसलिए अकाल, बाढ़ व महंगाई भत्ता ये 5 साल चलेंगे, उसका रुपया राज्य सरकार कहां से लाएगी ? फिर उसके बाद में ब्याज का सवाल आएगा ? प्लान से रुपया खर्च न करेंगे तो रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। ऐसी हालत में सातवें वित्त आयोग से मैंने निवेदन किया था कि या तो आयोग स्थाई हो ताकि हर साल जाकर उनसे हम बात करलें। नहीं तो, सातवां आयोग जो पैसा देता हो ऐसा मिकेनिज्म डवलप करे जिससे कुछ रुपया एडवांस में अ

(श्री मथुरादास माथुर)

ग्राने वाली विपदाओं के लिए दे वरना ग्रंडर ढवलप्ड स्टेट, जिनका रेवेन्यू सरप्लस कम हैं; विकास नहीं कर सकेंगे।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रब सातवें ग्रायोग में यह बात नहीं हो सकती, वह योजना ग्रायोग से ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करे। यहां सदन में मुख्य मन्त्री व वित्त मन्त्री ने कहा था कि हमने योजना का ग्राकार बड़ा कर दिया है। लेकिन उसके बाद नेट रिजल्ट क्या हुग्रा? हमने घी डाला, शक्कर डाली, खूब ग्रच्छा हलुवा बनाने की कोशिश की मगर हलुवा पका नहीं कच्चा है तो स्वाद नहीं ग्राएगा। उसके बाद बड़ी योजना से इकानामिक ग्रोथ नहीं होती है। A fat man is rarely a healthy man. हम सोचते हैं कि रुपया कहां से लाएं? कुछ तो फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से ज्यादा रुपया कर्जा ले लिया। कुछ भारत सरकार ने दिया। भारत सरकार का पैसा जनता का है। दो सोर्सेज हैं: एक योजना ग्रायोग, दूसरा वित्त ग्रायोग।

तो प्लानिंग कमीशन जो रुपया बांटता है वह ज्यादा बांट देगा ग्रौर इधर कम बचेगा तो मेरा मतलब यह है कि ग्रभी ग्रापके प्लानिंग के ग्रन्दर सेल्फ सस्टेनिंग इकानामी स्टेट की पैदा नहीं होगी। जब तक प्राडक्टिव पर्पज के लिए प्लान नहीं होता तब तक वह प्लान सिर्फ एक ऐसे ग्रादमी की तरह है जिसकी हैल्थ नहीं होती। इसलिए जो ग्रापका इनवेस्टमेंट है ग्रौर रिटर्न है वह रिटर्न इकानामी में कितना रि-फ्लो होता है। यह तो उसी तरह हो गया कि किसी की दस हजार की ग्रामदनी करवा दी ग्रौर उसको सोना खरीदवा दिया। वह कोई इकानामी ग्रोथ नहीं कर सकता।

ग्रब मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में 275 करोड का प्लान है। ग्रापके यहां पर जो रुपया इनवेस्ट होता है? वह इनवेस्टमेंट के जरिये ग्रापकी कम्पनी का क्या इनवेस्टमेंट है? ग्रापके कार्पोरेशन का क्या इनवेस्टमेंट है? इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्सिग का क्या इनवेस्टमेन्ट है? तो ग्रापने बैंकों के लिये बहुत बड़ी बात कह दी कि इतने बैंकों के ग्राफिसेज खुल गए। इसके लिए तो धन्यवाद। इससे हमें सन्तोष नहीं होता। हम तो यह जानना चाहते हैं कि ग्राज बैंकों का इनवेस्टमेन्ट हमारी इकोनोमी में कितना है? हमारे लोग कितना रूपया जमा करा रहे हैं? कन्ट्री का एवरेज डिपोजिट 247 है ग्रौर हमारा पर केपिटा डिपोजिट 342 है ग्रौर विथड्राग्रल 149 है। इसका मतलब यह है कि या तो नेशनेलाइज्ड बैंक में भी हमारी जनता के डिपोजिट ज्यादा हो रहे हैं ग्रौर बैंकों का रुपया निकल कर प्राइवेट सैक्टर में इनवेस्ट हो रहा है वह कम हो रहा है। ऐसी सूरत में मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा कि ग्राप पहले के ग्रांकड़ों से कह सकते हैं कि हुग्रा लेकिन ग्राज भी जितना इन्वेस्टमेन्ट पर केपिटा बैंकों में है उतना डिपोजिट नहीं है। इस सूरत में हमें बैंकों पर जोर डालना चाहिए कि हमारे यहां के जो डिपोजिट लें उतना तो कम से कम कर ले, नेशनल एवरेज पर नहीं ग्राते हैं तो। कोग्रापरेटिव सैक्टर में ग्रापने 100 करोड़ का किया था वह 62 करोड़ ह

(श्री मथुरादास माथुर)

हुआ। बैंकों के इनवेस्टमेन्ट को देखलें। प्राइवेट कम्पनी का 181 करोड़ का हुआ है।

अब इन्स्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग जो हमारे यहां पर होता है वह दूसरी स्टेट के मुकाबले में आप देख लें। आज जरूरत इस बात की है और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आपको एक डिपार्टमेंट ऐसा खोलना चाहिए फाइनेन्स में और सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो कि इनवेस्टमेंट को ही लुक-आउट करे। इनवेस्टमेंट चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे कोआपरेटिव सेक्टर में हो, एल० आई० सी० से है या नेशनेलाइज्ड बैंक से हो या किसी भी सोर्स से हो। हमारे यहां पर जो इनवेस्टमेंट है वह उसी को परशू करे। ऊपर इनवेस्टमेंट होगा इकानामी में तब जाकर प्राडक्टिव पर्पज् के लिए होगा और तब जाकर इकानामिक ग्रोथ बढ़ेगी और आगे जाकर सेल्फ इकानामी पैदा कर सकेंगे।

आपको तो बजट की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि कौन हलवाई अपने हलुवे को खराब बताता है ? मगर हम खाने वाले महसूस कर रहे हैं कि इसमें न तो इकानामिक ग्रोथ है, न एम्प्लायमेंट पोटेन्शल है। आपने कहा था कि दस साल के बाद में बेकारी की समस्या को हल कर देंगे लेकिन बैकलाग ही इतना बड़ा है कि आप यह कर नहीं सकते। मैंने बजट स्पीच में भी बोलते समय कहा था कि वह आंकड़े बढ़ते ही जाते हैं। ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। त्यों त्यों एम्प्लायमेंट की समस्या को हल करने की कोशिश की तो वह बढ़ती ही जा रही है। आपका बजट न तो इकानामिक ग्रोथ वाला है, न सेल्फ सस्टेनिंग इकानामी डवलप कर रहा है, न अनएम्प्लायमेंट को दूर कर रहा है। आपका बजट श्रीमान मंहगाई पैदा कर रहा है तो आपका बजट क्या कर रहा है ? आपका बजट इन्फ्लेशन पैदा कर रहा है, डीयरनेस पैदा कर रहा है, प्राब्लम्स क्रियेट कर रहा है और फिर पैसा नहीं होने से गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की स्ट्राइक होती है, डीयरनेस पैदा कर रहा है और चारों तरफ से प्राब्लम्स क्रियेट कर रहा है। हां एक काम जरूर कर रहा है कि सड़कें बना रहा है और स्कूल खुल रहे हैं। यह तो कोई सेठ साहूकार भी करता है। बिड़लाजी पिलानी में बहुत बड़ा कालेज चलाते हैं उससे कोई इन्कलाब नहीं आता है। बजट तो वह होता है जो इकानामिक ग्रोथ करे, अनएम्प्लायमेंट को हल करे, सेल्फ सस्टेनिंग इकानामी डवलप करे, डिस्पेरिटी को मिटाये।

इस बजट को देखा जाये तो हमारे यहां डिस्पेरिटी है वह नहीं मिट पा रही है, हमारे यहां अनएम्प्लायमेंट है जो और भी बढ़ती जा रहा है। जो मिनिस्टर जिस इलाके से आता है वह अपने विभाग का पूरा फायदा उठाता है और जैसे किसी मंत्री के पास शिक्षा है तो वह अपने इलाके में स्कूल ही स्कूल खोल देता है। इसलिए मेरा मुख्य मन्त्री जी सुझाव है कि आप अपने मन्त्री मंडल के पोर्टफोलियो हर छठे महीने बदलते रहें ताकि शिक्षा आज एक के पास है तो कल दूसरे को दे दें तो वह फिर अपने यहां कर लेगा ताकि पांच सालों में डिस्पेरिटी तो नहीं बढ़े....

श्री कौशलकिशोर जैन : मापदण्ड के अनुसार स्कूल खुले हैं।

श्री मथुरादास माथुर : श्रीमान, अब मैं आखिरी बात कहकर आपसे छुट्टी लूंगा क्योंकि मुझे आपको देखने से बहुत भय लगता है।

मैं यह निवेदन करता हूं कि सदन में अन्त्योदय के लिए बहुत कहा गया और गरीबों की दुहाई देकर कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी आप जवाब दे दें कि यह जो बजट का 1059 करोड़ रुपया आप खर्च करेंगे। यह जो पावर्टी लाइन से नीचे हैं उनके लिए इसमें से कितना खर्च कर रहे हैं? मुख्य मन्त्री जी मैंने बहुत कोशिश की इस बारे में स्टेटिस्टिक्स देखने की लेकिन मुझे कहीं मालूम नहीं पड़े। मेरा ऐसा अन्दाजा है कि आखिर हम रुपया लाते हैं वह चाहे इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूशन से लायें चाहे गरीबों के नाम पर और पावर्टी लाइन हमारी कम होनी चाहिए, इस नाम से लाते हैं। आप इस बजट को देखें। आप इन्डस्ट्रीज लगाते हैं उसके लिए सब्सिडी देते हैं मगर उस गरीब का क्या है जो पावर्टी लाइन से नीचे है? पावर्टी लाइन के ऊपर वाले जो मार्जिनल हैं या ऊपर हैं वह फायदा उठा लेते होंगे। इस बजट में से जो पावर्टी लाइन से ज्यादा नीचे के लोग हैं और जो आपके हिसाब से हों उनके लिए बता दें कि आप कितना खर्च करेंगे? आप बतायें कि पावर्टी लाइन से नीचे लोगों के लिए कितना पर्सेन्टेज रुपया खर्च होता है जिससे कि पावर्टी लाइन ऊपर आये। बजट का दस पर्सेन्ट भी I am subject to correction उन पर खर्च नहीं होता है फिर आप बजट क्यों बनाते हैं? किसी भी ब्यूरोक्रेट को दे दें कि वह आपको आंकड़े बनाकर दे दे और भारत सरकार से रुपया मांग कर ले आइए और कुछ इन्स्टीट्यूशन से उधार ले लें। मैं कहता हूं कि बजट वह दस्तावेज है जो सोशियो इकानामी स्ट्रक्चर को बदलकर नयी दिशा की ओर समाज को मोड़ता है। ऊपर वाले नीचे आयें और नीचे वाले ऊपर आयें। फाइनेन्स फोर प्रास्परीटी में जो गरीब हैं उनके ऊपर 10 पर्सेन्ट भी खर्च नहीं होता है और बाकी बड़े पून्जीपति सब्सिडी लेते हैं, लोगों को तनख्वाह मिलती है। यह आपके अन्त्योदय में प्रचार के लिये जरूर फायदा है। प्रचार के लिए आपने कुछ किया तो सही। अन्त्योदय का बजट कितना है? उसके अलावा पावर्टी लाइन के नीचे जो हैं, जो लैन्ड लैस हैं उनके लिऐ कितना है? शिड्यूल्ड कास्ट के लिए कितना है? लेवर्स हैं उनके लिए आपका कितना बजट है? मेरा यह निवेदन है कि आपका बजट पावर्टी लाइन के नीचे वालों के लिए बजट नहीं है। आपका इकानामिक ग्रोथ नहीं है। आपका बजट जनता पार्टी का जो एक तोहफा दे रहे हैं राजस्थान के अवाम को, महंगाई का है। इकानामी की कमर तोड़कर आप खुश हो रहे हैं, बजट का स्वागत किया जा रहा है। मुख्य मन्त्री जी, बावजूद दलीलों आपरी के, मैं आपका स्वागत तो कर सकता हूं, लेकिन बजट का नहीं।

समिति का प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री बन्सी लाल सारस्वत।

कार्य सलाहकार समिति का 13वां प्रतिवेदन

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 13 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया नहीं। टाइम आगे बढ़ेगा क्या? इसमें नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : 5 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग फिर है जो नहीं आया है उसमें एड्जस्ट करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि 6 तारीख को बिजनेस एडयावजरी कमेटी की पुनः बैठक है, उसमें एडजस्ट किया जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा : बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी इसलिये बनती है कि सारे माननीय सदस्यों को सुविधा मिले। आप बार बार अपना माइंड बदलते हैं क्योंकि निश्चित प्रोग्राम पर नहीं चलते।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : 13 तारीख तक का एक साथ कार्यक्रम दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : कई बार मैंने सदन में यह बात देखी है। आपने जो छुट्टी डिक्लेयर की है 7,8 की, फिर चेन्ज कर देंगे। जिनको कहीं जाना होता है....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको कहीं कोई बुलाता ही नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : औद्योगिक पालिसी के ऊपर आपने 13 तारीख रखी है। पहले आपने डिमान्ड्स को बचा लिया। अब 13 तारीख को लास्ट डेट रखी है। उस समय माननीय सदस्य कम होंगे।

श्री मूलचन्द डागा : अभी आप ने कहा, कानसिंह आयोग पर चर्चा होगी, प्रोग्राम में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में डागाजी की पार्टी के नेता मथुरादासजी, रामनारायणजी की पार्टी के नेता परसरामजी, दोनों उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में जो कुछ निर्णय लिए वही रखे जा रहे हैं। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं...

श्री मूलचंद डागा : नेता महोदय, यह तरीका गलत है। नेताओं का काम ज्यादा रहता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रहता। हमें पूरा विश्वास है।

श्री मथुरादास माथुर : हमने कहा था कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिये टाइम रखिये। आपके 17 प्रतिनिधि हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके प्रतिनिधि यह शिकायत नहीं कर सकते कि हम बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपाधापी करते हैं।

श्री मूलचंद डागा : क्या एक दिन में दो दो बिल रखे जा सकते हैं? Is it possibe ?

(श्री मूलचन्द डागा)

2, 3, 4 बजे तक तो जीरो आवर होता है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : 5।। बजे तक जीरो आवर।

श्री मूलचन्द डागा : सदन के रूल्स हैं। 11 से 5 बजे तक।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : न तो इसमें कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल है....

श्री वृद्धिचन्द जैन : अकाल और बाढ़ के बारे में अध्यक्ष महोदय ने विश्वास दिलवाया है वह भी लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान और उदयपुर विश्व विद्यालयों के प्रतिवेदन आये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या कन्सीडर किया है, क्या यही सारा डिसकस किया जायेगा ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह प्रतिवेदन सभी माननीय सदस्यों के पास पहुंच गया है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 13 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वाकृत)

सदन की सहमति के अनुसार कार्य सलाहकार समिति का 13 वां प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1979

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंसीलाल सारस्वत।

(खड़े नहीं हुए)

श्री मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

(खड़े नहीं हुए)

श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में ही समाप्त करता हूं। मान्यवर मैं अधिक समय नहीं लूंगा। सदन का मूड़ ऐसा है जल्दी समाप्त हो जाये।

श्री कौशलकिशोर जैन : आज तो गणगौर है, जल्दी की जाये।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता माननीय मथुरादास माथुर ने जो बातें कही हैं, उनको दोहराऊंगा नहीं। पिछले दो वर्षों में मुख्यमन्त्री जी ने राजस्थान की तस्वीर को

(श्री रामनारायण चौधरी)

जितना कमजोर मिरेबल डिफिक्ट कर सकते थे उसमें कोई कमी नहीं की है। जो एड्जस्टिव लगा सकते थे। 30 वर्ष के कांग्रेस के शासन में राजस्थान को....

जो भूखा नंगा, नंग धडंग सौंपा है, उसके विकास में वे लगे हुए हैं लेकिन मुख्य-मन्त्रीजी इस बात को तो मानेंगे कि जिस राजस्थान की पावर्टी लाइन में 56 प्रतिशत जहां राजस्थान नीचे था किस वक्त में वह सही नहीं था। कांग्रेस के पिछले शासन में वह 43 पर्सेन्ट था और राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और तामिलनाडू, इन प्रदेशों से राजस्थान के अन्दर पिछले वर्षों में पावर्टी ज्यादा हो गई। राजस्थान के विकास का स्ट्रक्चर ज्यादा कायम हुआ और राजस्थान की बहबूदी उससे बढ़ी और जिसका रिटर्न अब आ रहा है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस बात में कोई कमी नहीं रखी। सेविन्थ फाइनेन्स कमीशन के लिए मैं यह कहूं कि उन्होंने पैरवी नहीं की, उन्होंने पैरवी इसके बारे में की कि यहां से मन्त्री मण्डल के प्रस्ताव, पत्रों द्वारा या और कोई दूसरे जरिये से कमी नहीं रखी लेकिन जो पैटर्न सारे देश में किया गया कि जिस प्रदेश में पावर्टी लाइन से लोग ज्यादा नीचे हैं, अन्तिम पंक्ति में जो लोग ज्यादा खड़े हैं वह पैटर्न में राजस्थान के लिये कहते हैं घाटा हुआ है, इसको घाटा क्यों मानते हो, जहां पावर्टी लाइन में राजस्थान सबसे आखिरी लाइन में नहीं है तो जिस स्थिति में है, उसे भी आपको अनुभव करना चाहिये।

पिछले वर्षों में जो योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान में काम हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं के रिजल्ट्स तत्काल नहीं आ सकते थे वे इस वक्त और अब भी आ रहे हैं। क्या मुख्य मन्त्रीजी यह मानते है कि दो वर्ष में जो योजनाएं दी उससे कोई लाभ अभी मिला है? राजस्थान के उद्योग मन्त्री, राजस्थान के मुख्य मन्त्री, राजस्थान के एग्रीकल्चर मन्त्री क्या यह बता सकते हैं कि कौन से इन दो वर्षों में उद्योग बढ़े हैं, कौन सी एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हुई है और कौन सी गरीबी मिटी है? जिससे राजस्थान में अन-एम्प्लायमेंट मिटा हो। जो योजनाएं कांग्रेस शासन में बढ़ी हैं और जो इन्फ्रा स्ट्रक्चर मोटिवेट हुआ है उसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी नहीं कह सकते हैं कि आपने कोई कमाल हासिल कर लिया है।

अन्त्योदय योजना ठीक है कि जो आखिरी पंक्ति के 4–4, 5–5 व्यक्ति हैं उनको उठाने का एक सिलसिला कर रहे हैं। लेकिन मीन्स क्या दे रहे हैं? इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या दे रहे हैं? उसको भैंस दे देते अथवा दो गायें दे देते हैं बकरी दे देते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या आप काश्तकार के घर पैदा हुए हैं? और आप जानते हैं कि भैंस और गाय की इकोनोमिक कितनी हैं और क्या भेड़ बकरियों की इकोनोमिक है? ओवर आल राजस्थान में किसी की भेड़ें, किसी की गायें, किसी की भैंसें केवल आपने इधर उधर कर दी तो इस अदला बदली से राजस्थान का ओवर आल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति के पास 50 भेड़ें थीं उसके पास से 10 लेकर दूसरों को दे दीं तो 50 में से 10 तो उसकी काट ली, उसके पास तो 40 ही रह गईं और टोटल तो राजस्थान में 50 भेड़ें ही रहीं। ए

(श्री रामनारायण चौधरी)

से उठाकर बी की दे दी–इससे राजस्थान के प्रोडक्शन पर क्या असर हुआ है ?

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस समय आपने अन्त्योदय की योजना लागू की थी उस समय जो भेड़-बकरियों की कीमत थी वह 100) रु. थी लेकिन उस गरीब को 150) रु. में मिली। उसके भाव बढ़ गये। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका इतना डिफेक्टिव रखा था कि गरीब मारा गया। मैं कहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी आप अपने सूत्रों से जानकारी करा लीजिए जिन लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, भैंसें अन्त्योदय में रखी हैं उनकी माली हालत भी पहले से बढ़ी नहीं है। कहने को तो वन-थर्ड सब्सिडी दी है लेकिन वह टेम्प्रेरी मेजर है। उसमें भी मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि गांवों में 50 प्रतिशत या जो सब्सिडी का प्रपोर्सन है गांव के मनी लेण्डर ने खाते में जमा कर लिया और उस गरीब के पास नहीं पहुंच सका। मुख्य मन्त्री जी चाहें तो मैं अपने क्षेत्र के नाम बता दूं। और कई जगह तो कुछ पैसे वापिस दे देते हैं। राजस्थान का ओवर आल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, और जो व्यक्ति पहले केनाल में था, या चाहे वह हरियाणा में था, पंजाब में था, दिल्ली में था कहीं भी 10-15 रुपये कली के भट्टों पर कमाता था। लेकिन वह आजभेड़ बकरियों के पीछे मारा मारा फिर रहा है, और जो उसकी पहले की आमदनी थी वह भी बन्द हो गई। इनकम पर–केपिटा जब बनेगा तो मान्यवर बढ़ नहीं सकेगा। ऊंट और ऊंट गाड़ा होता है। उसकी भी इकोनोमिक भी मुझ से छिपी नहीं है और आप भी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप शान्ति से घर में जाकर, सिविल लाइन में जाकर, सीने पर हाथ रख कर विचार करिये कि ऊंट और ऊंट गाड़ा कितना इकोनोमिक है। जो व्यक्ति पहले भट्टों पर और दूसरे कार्य किया करता था वह उससे ज्यादा नहीं कमा सकता है। आज फीडर की मंहगाई, उसके स्वयं की लेबर को देखते हुए क्या वह अपना जीवन यापन कर सकता है ? अब आप सोचते हैं कि एक भी आदमी अन-अम्प्लायड नहीं रहा। अन-एम्प्लायड को जमीन मिल गई लेकिन उसको जमीन भी वह दी गई जिसका अधिकांश का अलाटमेंट हो चुका था और अलाटमेंट नहीं हुआ तो वह जमीन पथरीली है जो बिल्कुल अन-उपजाऊ है। इस प्रकार की जमीनें अन्त्योदय वालों को दी हैं। कइयों के कब्जे दिये हैं और कइयों को अभी कब्जे ही नहीं दिये गये हैं। उन्होंने कब्जों के लिए आश्वासन दिया था लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या दूदू में, घाटवा में, टौंक में, कब्जे दिए गए हैं ? उनको अभी जमीनों का कब्जा नहीं मिल रहा। एक एक गरीब के 200-200, 300-300 रुपये तो खर्च हो गये और फिर भी जमीनों का कब्जा नहीं मिला। आज मैंने मामला उठाया था जहां भट्टों पर काम करते थे वे भी यहां 8-8 महीने से बैठे हुए हैं। उनका भट्टों का काम भी गया। वह कमाई भी गई और इधर 200-200, 300-300 रुपये और खर्च हो गये। यह कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पिल नहीं है, जनरल बात निवेदन कर रहा हूं कि इन दो सालों में आपने

(श्री रामनारायण चौधरी)

किसी प्रकार का इनफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में कायम नहीं किया। जिससे आप यह कह सकें कि अन-अम्प्लायमेंट को 10 साल में खतम कर सकेंगे। बल्कि आपके दो साल के शासन में अनअम्प्लायमेंट बड़ा है। आपने उसको खतम करने के प्रयत्न नहीं किये। आप अन्त्योदय में एम्प्लायमेंट की बात करते हैं....

(समय- समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं फिर निवेदन करता हूं कि अन्त्योदय में अनएम्प्लायड नहीं थे वे कुछ न कुछ कमा रहे थे और उससे आप बेटर काम नहीं दे सकते हैं।

मान्यवर, आप दो बार घण्टी बजा चुके हैं, मैं इसको क्या समझूं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। काफी चर्चा कर चुके हैं, पांच मिनट के समय के लिए आपने कहा था।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपका हुकूम मानता हूं। माननीय सदस्यों की मंशा को देखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आपने बड़ा खौफनाक विधेयक प्रस्तुत किया है। जिससे राजस्थान की जनता को कोई मदद नहीं मिलेगी। जिससे देश के अन्दर मुद्रा स्फिति बढ़ेगी, इससे मंहगाई बढ़ेगी, इससे अनएम्प्लायमेंट बढ़ेगा, सभी तरफ बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबों के ऊपर प्रहार होगा और गरीब और ज्यादा गरीब हो जायेंगे और अमीर और अमीर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे भी इसका विरोध करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट एप्रोप्रियेशन की स्टेज में आ गया है। पहले तो मैं एप्रोप्रियेशन बिल पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिल में जो डिमाण्ड्स हैं, हमने सैंक्शन कर दी हैं लेकिन जब तक एप्रोप्रियेशन बिल हम पारित नहीं करते हैं तब तक कोई भी राशि व्यय करने का गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है। जब हम इस प्रकार का अधिकार दे रहे हैं राशि को व्यय करने के लिए तो हम यह भी चाहते हैं कि उसके एक एक पैसे का सदुपयोग हो और उसके अन्दर पैसा खर्च करने में पूरे मन्त्री मंडल के सदस्य पूरी सादगी बरतें। जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी है उसमें कम से कम व्यय करके और सिम्पलीसिटी को अडाप्ट इसमें जितने भी, जो पैसा है उसका सही तरीके से उपयोग किया जावे। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में वर्तमान में जो जल प्रदाय दरें हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि यह तो निर्णय ले लिया गया है कि जो इसकी रेट्स थी भू-राजस्व की, उस सम्बन्ध में तो निर्णय ले लिया गया है. और इस सम्बन्ध में घोषणा कर दी है लेकिन जो जल प्रदाय की दरें हैं, उन जलप्रदाय की दरों में ग्रामीण योजनाय जो

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अक्टूबर, 76 से पूर्व निष्पादित योजनायें हैं। प्रति परिवार सात साढ़े सात रुपये से दस रुपये परन्तु जो डीजल द्वारा संचालित हैं, इन स्कीमों के अन्तर्गत प्रति परिवार सात की जगह 17) रुपये होंगे। मेरा कहना यह है कि हमारे जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं और बाड़मेर है, जैसलमेर है, और जहां कि पानी का भयंकर संकट है. वहां पर जितनी ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें डीजल सेंट्स से चलती हैं, उनमें जब रेट्स बढ़ा देते हैं, 17) रु० कर देते हैं तो वह बहुत ही मंहगी पड़ेगी। मैं यह समझता हूं कि डीजल सेंट्स से जो पानी निकालते हैं वह मंहगा पड़ता है, विद्युत के मुकाबले में थर्मल प्लांट के मुकाबले में। परन्तु यह डीजल सेंट्स से मंहगा पड़ने पर भी इस सम्बन्ध में हमारे एरिया की कंडीशन को देखना चाहिए कि वहां पानी का इतना संकट है। तो इसको देखते हुए यह जो रेट लगाई गई है डीजल सेंट की अधिक रेट है। जो दूसरी रेट्स लगाई गई है, उसके अनुसार ही यह रेट्स भी लगाई जानी चाहिए और इसका असर डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी क्षेत्र में पड़ेगा जो कि अविकसित हैं और पानी के लिए बहुत कष्ट पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में गौर किया जावे। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में भी घोषणा करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और वह यह है....

(व्यवधान)

मैं पाइन्ट ही कहूंगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय जी शराबबन्दी के बारे में अवश्य घोषणा करें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : काफी हो गया।

श्री वृद्धिचंद जैन : शराबबन्दी के बारे में मेरे बहुत से साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं भी इस मत का हूं, कांग्रेस की सरकार के समय भी मैंने बराबर इस पर जोर दिया था कि जब तक शराबबन्दी नहीं होगी तब तक अपनी प्रगति नहीं हो सकेगी। गरीब आदमी ऊपर नहीं उठ सकता। मेरा मत है कि जब तक नसबन्दी और नशाबन्दी दोनों कार्यक्रमों को सरकार पूरी दिलचस्पी के साथ में क्रियान्वित नहीं करेगी, तब तक आप कितने ही कार्यक्रम रखें, कितनी ही योजनाएं बनाएं आप विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा सकते, आप उन्नति नहीं कर सकते।

श्री एच. एन. शर्मा : आप भी भूख हड़ताल पर बैठ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जब भी हम इस बात को इस सदन में रखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट और राजस्थान के वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट इस देश के अन्दर मंहगाई लायेंगे, तो उस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री बहुत सीधी भाषा में यह कह देते हैं कि राजस्थान के बजट से बहुत थोड़ी मंहगाई बढ़ेगी और वह एक पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं होगी। मुझे

(160)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

बड़ा अफसोस होता है और अफसोस खास तौर से इसलिए होता है कि यह राजस्थान का विधान सभा का सदन है। यह माणक चौक की चौपड़ नहीं है। यह राजस्थान विधान सभा का भवन है। जहां पर हम एक जिम्मेदाराना तौर पर आंकड़ों पर यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो टैक्स लगाया है आपने उन टैक्सों का असर पड़ेगा किस पर? इस बार भारत सरकार ने किसी को बख्शा नहीं। चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो, चाहे पेंट्रोल हो, चाहे दूसरी चीजें हों और राजस्थान सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। चाहे रसोई पकाने की गैस हो, चाहे राजस्थान का किसान जो पानी सिंचाई करता है वह बिजली हो, चाहे वह सिंचाई के दूसरे साधन हों। यही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है। जब कभी भी जिक्र करते हैं तो बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया करते हैं और इसके मुकाबले के तौर पर यही कहते हैं कि हमने इतने क्षेत्रों में सड़कों पर इतना खर्चा किया और अब हम 78-79 में इतना खर्चा कर देंगे और इतना वह कर देंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और मेरी समझ में नहीं आता कि जब यह सवाल सामने आता है कि इस राजस्थान विधान सभा में सरकार ने कितने टैक्सेज पहले लगाए थे और इस 79 के अन्दर राजस्थान सरकार ने कितने जनता के ऊपर टैक्स लगाये हैं तो उसके लिए कहीं कोई आंकड़े नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में यह पहला मौका है कि इतने अधिक टैक्स इस सरकार ने लगाये हों और सरकार के सामने कोई व्यक्ति आये हों। उपाध्यक्ष महोदय, किसान आये और एक ट्रांसपोर्टेशन वाले आए और इन्होंने किसान और ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर इतना अधिक टैक्स लगाया और वह टैक्स अमीरों पर नहीं लगाया। इन्होंने बस पर टैक्स लगाया तो बस पर कौन चलेगा? गरीब आदमी चलेगा। वे कारों में बैठने वाले लोग नहीं चलेंगे। रेल के फर्स्ट क्लास में चलने वाले लोग नहीं चलेंगे? आखिर इसमें कौन जाएगा? उसमें गरीब आदमी जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की इस बात के लिए अपनी ओर से भर्त्सना करता हूं कि इस सरकार ने बजट प्रस्तुत किया तो इस बात को बतलाना चाहिए था कि पिछले साल इतना काम किया और उसमें इतना अचीवमेंट किया और इस साल कितना काम करना चाहते हैं। परन्तु इस बात को क्योंकि यह उनके खिलाफ पड़ती है, बजट से इग्नोर किया गया है। मैं आपको थोड़े आंकड़े बताता हूं। मैं इस सरकार के ऊपर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि कोई भी इम्पार्टेन्ट स्कीम हो, कोई भी इम्पार्टेन्ट बिल हो, उसी रोज रखेंगे जिस दिन कि माननीय सदस्य ज्यादा व्यस्त होते हैं। आज भी इसी तरह से यह बिल पास करवाना चाहते हैं। जल्दी से पास करवायेंगे, यह बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और एक ही उदाहरण देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। बिजली के लिए मैंने कहा कि जो फ्लेट रेट है, उसके बारे में इस सदन के अन्दर सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि फ्लेट रेट बन्द होनी चाहिए। किसानों के ऊपर इतनी अधिक रेट लगाई गई है।

इसके साथ ही एक उदाहरण ट्रांसपोर्टर्स के सम्बन्ध में देना चाहता

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले राजस्थान के अन्दर जो भी ट्रक्स चलते थे, जो भी बसें चलती थीं, ट्रक जो चलते हैं, जो बसें चलती हैं, बैंक नेशनलाइजेशन का इसमें हाथ है। बैंक नेशनलाइजेशन की तरफ अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि इस राजस्थान के अन्दर ही नहीं, हिन्दुस्तान के अन्दर आज जितने ट्रक चलते हैं वे ट्रक्स पहले ड्राइवर्स के या छोटे लोगों के ट्रक या कम पैसे वाले लोगों के ट्रक्स नहीं थे। परन्तु बैंक नेशन-लाइजेशन की ही देन है और आज आप सर्वे करा लें कि 85 पर्सेंट ट्रक्स उन लोगों के हैं जो ड्राइवर हैं या मध्यम वर्ग के हैं। इन लोगों ने अपने ट्रक बैंक नेशनलाइजेशन की वजह से बैंक से लोन लेकर बनाये हैं। आज गरीबों को जो बैंक नेशनलाइजेशन से फायदा हुआ है तो आज सरकार की निगाह भी केवल उनके ऊपर ही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी आपकी निगाह भी गई है इन पर, वह आंख भी बहुत बेतुकी है। एक बात ख्याल करने की है कि अगर हरियाणा के अन्दर टैक्स कम होंगे, पंजाब में टैक्स कम होंगे तो हमारे ट्रक वाले पंजाब और हरियाणा में चले जाएंगे। वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। राजस्थान में आने की जो परमीशन फी है वह दे कर आ जाएंगे। तो आपको नुकसान होगा। ट्रक वालों के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। इससे आपको नुकसान होगा। पहले जो ट्रक्स की व्यवस्था थी, आल राजस्थान का अलग से ट्रक था। डीजल ट्रक और ऐसे ट्रक थे। छोटे छोटे लोग खरीदते थे। ये छोटे छोटे गांव में काम करते थे। उनके पास बीस हजार, पन्द्रह हजार की कीमत के ट्रक होते थे। किसी के पास चालीस हजार का ट्रक होता है। अब जो नये ट्रक आते हैं वे डेढ़ लाख, पौने दो लाख के करीब आता है। राजस्थान में खरीदे हुए ट्रक चलेंगे तो 35 हजार के ट्रक हैं। पहले डीजल का था। उपाध्यक्ष महोदय, केवल आपको बताना चाहता हूं, डीजल के ट्रक पर केवल थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता था। इसमें अन्तर है। आल राजस्थान का होने की वजह से 700 रुपये टैक्स का देना पड़ेगा जबकि पहले उसको इससे कम देना पड़ता था। मैं यहां तक कहूं कि 70.93 पर्सेन्ट कर की बढ़ोतरी आपने ट्रान्सपोर्ट में की है। रूट्स डीजल आपने खतम कर दिया। आल राजस्थान में 400/450 के बजाय 700 आपने कर दिया है। गुड्स टैक्स आपने भी बढ़ा दिया है। यह जो टैक्स बढ़ाया है इसका असर गरीब आदमी पर पड़ेगा, जो किसान है और जो छोटे व्यापारी हैं, उन पर इस टैक्स का असर पड़ेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि यह ठेका मत लो कि हम सब व्यवस्थाएं इस तरह से करना चाहते हैं। जो रीजन की व्यवस्था थी, वह किसी न किसी आधार पर थी। रूट की जो व्यवस्था थी वह भी किसी न किसी आधार पर थी। आल राजस्थान, नेशनल परमिट, इनकी भी व्यवस्था किसी न किसी सिद्धान्त पर आधारित है। इस-लिए वित्त मंत्री महोदय आप इस बारे में सोचें। मैं ट्रान्सपोर्ट मंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि आप भी इस बारे में विचार करें। यह दोष मैं सरकार पर लगाना चाहता हूं। यह कहना चाहता हूं कि इस से कहीं से कोई फायदा नहीं मिलेगा।

एक माननीय सदस्य कह रहे हैं

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

दो काम करने पड़ेंगे। एक नशाबन्दी और दूसरा नसबन्दी। नसबंदी का फायदा इन्होंने उठाया है और ये ऐसी नशाबंदी करेंगे कि न तो नसबंदी होगी और न नशाबंदी होगी। चाहे नसबंदी का सवाल हो, चाहे नशाबंदी का सवाल हो, जब तक लोगों का मन रहेगा, आप कल यह कह रहे थे नसबंदी के चक्कर में कांग्रेस गई और नशाबंदी करोगे तो यह जनता सरकार जाएगी। मान लें, आपका जो भी तरीका है, उसको आपको सोचना, समझना पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सरकार की भर्त्सना करता हूं। न तो इसने बेरोजगारी हटाने का जो वायदा था, वह पूरा किया है, न इस सरकार ने नेशनलाइजेशन के बारे में कोई ठोस कदम उठाया है, न रोजगार देने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। सरकार ने कोईनई बात इस बजट में नहीं की है। केवल टैक्स का अतिरिक्त बोझा लाद दिया है। अतः इसके बारे में सोचें। यह सरकार गरीबों की मसीहा बनना चाहती है तो कम से कम गरीबों के लिए तो कुछ करे। इस तरह से वह केवल काम के बदले अनाज की योजना को कह कर गरीब को समझाना चाहती है। जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, भाई भतीजावाद व्याप्त है। इन सबका प्रबन्ध करके कारगर कदम उठावें तभी सम्भव हो सकता है कि गरीब आदमी को कोई लाभ मिले।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री महोदय।

(विराम)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस कभी साइलेन्ट नहीं रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से केवल एक बात जानना चाहता हूं। वे शायद मुख्य मंत्रीजी की इन्तजार में हैं। मांग संख्या 13 जो एक्साइज के सम्बन्ध में है, जो आपने काम किया, उससे बड़ी विचित्र स्थिति में आप पड़ जाएंगे। मुख्य मंत्रीजी, इस हाउस में कोई बोल नहीं रहा था तो इसलिए मैं खड़ा हो गया। आपको सजगता, जागरूकता का बड़ा ख्याल है। अब आप बोलना शुरू करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले विरोधी दल के नेता महोदय के प्रति आभार प्रकट करूंगा कि वास्तव में लोकतन्त्र में विरोधी पक्ष की जिस प्रकार की एक भूमिका होनी चाहिए, वह इस कार्य से, इस बीच में उन्होंने इस प्रकार से निर्वहण की है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में फाइनेन्स कमीशन और प्लानिंग कमीशन से राजस्थान को कितनी धनराशि प्राप्त हो रही है, उसकी मैं पहले से विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस रूप से बातों को रखा है, उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्य को सबसे ज्यादा चिन्ता इस बात की थी कि केन्द्रीय सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है और वहां के फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने एक्सर्साइज करके बताया है कि इस सारे टैक्सेशन के कारण मूल्य केवल एक पर्सेन्ट बढ़ेंगे। उन्होंने आर्गेनाइजर समाचार पत्र में छपे हुए लेख का उदाहरण देकर बताया है कि प्राइसेज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ज्यादा बढ़ रही हैं। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे यह ध्यान होता कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य आर्गेनाइजर लाकर उसके उद्दरण प्रस्तुत करने वाले हैं, तो मैं भी कई अर्थशास्त्रियों के लेख जो बजट प्रस्तुत होने के बाद विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं, उनके उद्दरण उनके सामने रख देता और उनको यह बता भी देता कि केवल एक अर्थशास्त्री ने कह दिया, उसके कारण से प्राइसेज में इतनी बढ़ोतरी हुई। वह अपेक्षा करके चलते हैं कि इतना ही नहीं बढ़ा है, अर्थशास्त्रियों ने जैसा अभी उन्होंने खुद ने उल्लेख किया है, माननीय सदस्य जो मंडावा से आते हैं, इसका विरोध भी करते हैं, फाइनेन्स कमीशन के सामने पावर्टी लाइन के प्रश्न को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया, एक तरफ जो पहले की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के आधार पर राजस्थान में 56% के लगभग लोग गरीबी की रेखा के नीचे निवास करते थे, डांडेकर और रथ ये दोनों अर्थशास्त्री हैं, इन दोनों ने अपना फार्मूला लेकर यह बताया है कि राजस्थान में 56 पर्सेन्ट नहीं केवल 43 पर्सेन्ट लोग ही गरीबी की रेखा के नीचे निवास करते हैं। 13 पर्सेन्ट का अन्तर तो अर्थशास्त्रियों के द्वारा ही निकाले गये फार्मूले के बीच में आया है। इससे यह विश्वास करने की स्थिति नहीं है कि एक अर्थशास्त्री ने कह दिया इसलिए प्राइसेज 11 पर्सेन्ट बढेगी। माननीय माथुर साहब समाचार पत्र पढ़ते हैं और मेरा विश्वास है कि उन अर्थशास्त्रियों के लेख भी उन्होंने पढ़ें होंगे। जिनके द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि इस बजट के कारण से प्राइसेज एक पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। मैं इस बात को तो मानता हूं कि माननीय माथुर साहब ने पिछली साल भी यह कहा था कि जब हमने बजट प्रस्तुत किया, प्राइसेज बहुत बढ़ेंगी। केन्द्रीय सरकार ने बजट प्रस्तुत किया उस समय भी कहा और राज्य सरकार ने बजट प्रस्तुत किया, उस समय भी कहा कि कीमतों के भाव बहुत बढ़े। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस समय उनकी पार्टी की सरकार बजट प्रस्तुत करती थी और उस समय सरकार की तरफ से कहा जाता था कि हमने जितने टैक्सेज लगाये उनके भाव नहीं बढे। लेकिन आपको मालूम होगा 1976 में इमर्जेंसी थी, 1977 तक रही। जिसमें सारे व्यापारी आपके कंट्रोल में, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट्स उस समय सही ढंग से उत्पादन दे रहे थे, जितनी भी कंपनीज, कारपोरेशंस थीं उनमें इतना भय था कि आपके कहे अनुसार सारा काम होता था। रुपयों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता था, स्ट्राइक्स नहीं होती थीं, किसी प्रकार का श्रमिक विवाद नहीं होता था। यह सब कुछ होने के बाद भी माननीय नेता महोदय जानते होंगे कि 1976–77 में 14.1 प्रतिशत भावों की वृद्धि हुई। इमर्जेंसी के टाइम में, जिसका आप बहुत गुणगान गाते हैं कि उत्पादन बढ़ गया, किसी ने हड़ताल नहीं की, आन्दोलन नहीं हुए विद्यार्थियों के झगड़े नहीं हुए। पुलिस के पास कोई काम नहीं रहा। उस स्थिति में भी प्राइसेज की बढ़ोतरी 14.1 प्रतिशत। और 1977 से 78

(भैरोंसिंह शेखावत)

तक, जिसके बारे में कई प्रकार के संदेह प्रकट किये गये थे इस समय में प्राइसेज की वृद्धि हुई केवल 2.7 प्रतिशत। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। कल एक अर्थ-शास्त्री ने कह दिया कि भाव बढ़ जायेंगे। यह आशंका निर्मूल है। किसी प्रकार का तथ्य नहीं है। अभी एक प्रश्न आया, माथुर साहब ने कहा कि राजस्थान में टोटल इन्वेस्टमेंट किया उसके रिटर्न्स कम आये। लेकिन पिछले वर्ष 22 लाख और इस वर्ष 33 लाख के रिटर्न्स आ रहे हैं। यानि 22 से 33 लाख के रिटर्न्स आते हैं तो 50% की बढ़ोतरी हुई और यदि पिछले सालों में कितना रिटर्न्स मिलता था उसको देखें और पिछले वर्ष से तुलना करें तो पता लगेगा कि जो कुछ हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें कुछ आना तो शुरू हुआ। फिर भी मुझे संतोष नहीं है। 33 लाख आये इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके अगेन्स्ट में 1 प्रतिशत ही क्यों आये? लेकिन जिस प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया उसमें कोई आसानी से कमी कर सकें ऐसी संभावना इतनी जल्दी नहीं रही। आज किसी भी पब्लिक इन्वेस्ट-मेंट में आपने ओवर हैड चार्जेज जिस प्रकार क्रियेट कर दिये उनको रिमूव करके बचत करना आज के युग में संभव नहीं है लेकिन एक वर्ष में आप चाहें कि हम इसको रिमूव कर दें, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होना चाहिये, उसे लेवल तक ला दें यह अब तक तो मैं समझता हूं, इनका तो राज्य अब दो रियासतों आन्ध्र प्रदेश और केरल में है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : कर्नाटक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारी कर्नाटक में है उसमें भी मैं समझता हूं कुछ व्यवस्था बनेगी, इसमें धीरे–धीरे सुधार की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन एक साथ जादू नहीं कर सकते हैं। मैं इससे संतुष्ट हूं कि कम से कम कई कारपोरेशंस घाटे में थीं, उनमें अब घाटा नहीं है, उनमें घाटे में कमी आई है। जिनमें किसी प्रकार का लाभ नहीं होता था उनमें लाभ की स्थिति आई है। इससे हम आशा करते हैं कि इसी व्यवस्था के अनुसार अगले वर्ष हमारे जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हैं उनमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेंस कमीशन के प्रश्न को लेकर माथुर साहब ने कुछ बातें कही हैं। मैं मानता हूं कि आज तक जितने भी फाइनेन्स कमीशन आये हैं उनमें आर्टिकल 275 के मातहत केवल ग्रान्ट-इन-एड लेने की कोशिश की है और मेरा निवेदन है कि हम भिखारी के रूप में जाना भी नहीं चाहते। लेकिन माथुर साहब को याद होगा कि छठे फाइनेन्स कमीशन तक जितने भी मेमोरेण्डम किये हैं उनमें आर्टिकल 275 के तहत हमने ग्रान्ट लेने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर दोहराना चाहता हूं ग्रान्ट लेने की प्रवृत्ति फाइनेन्शियल इंडिसिप्लिन जनरेट करती है। जो भी स्टेट कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर यह निश्चित रूप से रहेगी कि उसमें फाइनेन्शियल डिसिप्लीन नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें ग्रान्ट नहीं मिली, न मिल सकती है क्योंकि पिछले और इस फाइनेन्स कमीशन ने जो टोटल डिवोशन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया वह दुगुने से ज्यादा है इसलिए जो ग्रान्ट-इन-एड मिलती उसकी इस कारण आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कुछ मिली है उसके कारण यह न समझ कर चलें कि फाइनेन्स कमीशन ने बहुत कम दी। माथुर साहब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि फाइनेन्स कमीशन ने खूब दी लेकिन कुछ फार्मूलों के प्रश्न पर वे कहने लगे कि फाइनेन्स कमीशन को जो अवार्ड देना था वह तो दिया उसके बाद में क्या सहायता किसी राज्य को दी जाय यह काम फाइनेन्स कमीशन का होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि अवार्ड के बाद असिस्टेंस देने का प्रश्न खड़ा होगा लेकिन इसमें भी गलत फार्मूला किया, गाडगिल फार्मूला, जिसको हमने स्वीकार नहीं किया। विरोधी दल के माननीय नेता जानते हैं जिस समय गाडगिल फार्मूले से पहले कमीशन असिस्टेंस देता था उसका इस सदन में विरोध किया गया था लेकिन प्लानिंग कमीशन ने फार्मूला स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद जो कुछ भी हमें असिस्टेंस मिला उसी के आधार पर मिला। मैं माथुर साहब की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि 4200 करोड़ का डिस्वर्समेंट गाडगिल फार्मूले के आधार पर हुआ जिसका हमने विरोध किया और विरोध करके यह मांग की कि 60 प्रतिशत पापूलेशन का बेस माना गया है उसमें 50 प्रतिशत पापूलेशन का बेस माना जाय और 10 प्रतिशत एरिया का बेस माना जाय। अगर 10 प्रतिशत एरिया का बेस मान लिया जाता तो प्लान असिस्टेंस ज्यादा मिलती। दूसरा पहलू इस बात का है, माथुर साहब ने कहा कि जो टैक्स लगाते हैं और वसूल करते हैं उसके अन्तर का ज्यादा असिस्टेंस मिलना चाहिये। उसका प्रपोरेशन तय किया जाय जो हमारा हक बनता है। गाडगिल फार्मूले में 10 प्रतिशत के आधार पर भी है किसी राज्य में टैक्स अफर्ट्स कितने हैं, जो राज्य टैक्स अफर्ट्स नहीं करता उसके साधन नहीं बढ़ते। लेकिन भारत सरकार से गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत जो असिस्टेंस मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। दूसरा प्रश्न 2000 करोड़ का डिस्वर्समेंट अवश्य है उसमें 118 करोड़ गाडगिल फार्मूला और इन्कम एडजस्टेड टोटल पोपूलेशन इस फार्मूले के आधार पर 103 करोड़ मिले और 15 करोड़ का घाटा हुआ। अब इसकी पूर्ति के लिये मैं पहले ही कह चुका हूं, भारत सरकार ने हमको एश्योरेंस दिया है कि 1600 करोड़ प्लानिंग कमीशन के पास आज है उसमें से आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान को विशेष सहायता दी जायेगी। इससे मेरा विश्वास है कि घाटा नहीं रहेगा। चार हजार करोड़ सेन्टर स्पोन्सर्ड स्कीम्स के यदि कोई देखना चाहे तो उसके अन्तर्गत हमने पिछले वर्ष से ज्यादा पैसा नहीं लिया बल्कि कई राज्य सरकारों के मुकाबले में हमने ज्यादा पैसा लिया जो गाडगिल फार्मूले से ज्यादा होते हुए भी मांगे उसके अनुसार स्पेशली वर्ल्ड बैंक के जितने प्रोजेक्ट हैं उनके अन्तर्गत भी राजस्थान को ज्यादा रुपया मिल रहा है, मिला है और मिल रहा है। तो चाहे फाइनेन्स कमीशन ने जितना हम सोचते थे उतना नहीं दिया लेकिन उसके बावजूद भी जितना हम ले सकते थे उतना पैसा हमें मिला है।

एक प्रश्न को मैं फिर दोहराना चाहता हूं। पावर्टी लाइन का क्वेश्चन जिसको बेस

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

मानकर फाइनेन्स कमीशन ने असिस्टेन्स दी है, वह अब फार्मूला नहीं रहा। उसको एन. डी. सी. ने रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद में उसका असर क्या हुआ? तो उसके असर का केलकुलेशन तो अब होगा। अब केलकुलेशन के बाद में राजस्थान को कितना पैसा मिलना चाहिए, वह पैसा किस प्रकार से मिलेगा, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। मेरा विश्वास है कि इस नाते भी इस वर्ष और इस प्लान पीरियड में निश्चित रूप में कोई न कोई सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माथुर साहब ने एक बात कही कि आदमी जब मोटा हो जाता है तो वह हैल्थ की निशानी नहीं है। यह तो मैं मानता हूं कि मोटा आदमी तन्दुरुस्त हो, इस को मानकर कोई नहीं चलता है। 200 करोड़ धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इससे राजस्थान की बेहबूदी क्या होने वाली है? मैं आपकी जानकारी के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में इन्फ्रा स्ट्रक्चर जब तक तैयार नहीं होगा तब तक न गरीबी मिटेगी और न लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा। अब मुझे बता दें कि राजस्थान के लिए, इन्फ्रा स्ट्रक्चर के लिए पानी, बिजली, सड़क और अन्य यातायात, यह चार बातें हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इन्डस्ट्री।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इन्डस्ट्री तो बाद में आयेगी। यह आपका विषय नहीं है, वह माथुर साहब से बात कर लूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आप और माथुर साहब तो मिले हुए हैं, अन्दर ही अन्दर और फोर-फाइटिंग करते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माथुर साहब और हम मिले या नहीं लेकिन आप और मैं तो मिले हुए हैं, क्योंकि एक ही जगह के हैं। माथुर साहब तो बहुत दूर के है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके और मेरे बीच में तो बहुत लम्बी चौड़ी खाई है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : खाई तो मेरे और आपके बीच में नहीं है। खाई तो आपके और परसरामजी के बीच में हो सकती है।

मैं निवेदन कर रहा था, और मैं कहना चाहता हूं कि इरिगेशन और पावर पर 77–78 में 105 करोड़ खर्च हुआ और रिवाइज्ड 115 करोड़ है, 78–79 में 139 करोड़ खर्च हो गया और 79–80 में 157 करोड़ खर्च होगा। अब इन्फ्रा स्ट्रक्चर इससे बनेगा। आज बिजली गांवों में पहुंच जाय, छोटे उद्योग लगाने के लिए लोगों को बिजली मिल जाय, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इजाफा करने के लिए लोगों को बिजली मिल जाय तो आखिर यह इन्फ्रा स्ट्रक्चर बढ़ेगा। बिजली में जितना विस्तार होगा उतना ही औद्योगीकरण बढ़ेगा, उतना ही एम्प्लायमेंट का पोटेन्शियल क्रियेट होगा और उतना ही अनएम्प्लायमेंट की समस्या का समाधान होगा। आज आपने जो पैसा खर्च किया है मैं अन्दाजा लगा कर कहता हूं

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कि उसका नतीजा आगे आयेगा। मैं निवेदन करूंगा कि जो पर केपिटा पावर कन्जम्पशन आगे बढ़ा है और जो पक्के बिजली के कनेक्शन लगाये गये हैं, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ी है। 100 स्क्वायर किलोमीटर रोड्स का जो एवरेज हैं उसमें हम आगे बढ़े हैं। स्पेशल रोड पर लाख पापूलेशन जितनी होनी चाहिये उसमें हम आगे बढ़े हैं। साधारण रोड में हम आगे बढ़े हैं। आखिर यह इन्फ्रा स्ट्रक्चर तैयार होगा। वह तैयार होगा इन्फ्रा स्ट्रक्चर तो अनएम्प्लायमेंट की समस्या का समाधान अपने आप होगा। माथुर साहब चिन्ता कर रहे हैं अनएम्प्लायमेंट की और रामनारायणजी भी कह रहे कि गांवों में अनएम्प्लायमेंट है, और लोगों को 15–20 रुपये रोज मिलते थे, आजकल अत्योदय के चक्कर में फंस कर 5–10 रुपये कमाते हैं। मैं यह मानता हूं कि अन्त्योदय का आप पर असर बढ़ा है। आपने पहले इसकी प्रशंसा की है कि यह 20 सूत्री कार्यक्रम का अंग है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह किसने कहा है। न पहले कहा था और न अब कहता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने कहा था। मुझे याद है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का अंग है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने नहीं कहा। मैं आज भी अन्त्योदय योजना को लोगों के साथ फ्राड मानता हूं। मैं कन्विन्स करने को तैयार हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब आप बंद में कर दें।

श्री एच. एन. शर्मा : आप भी बड़े फ्राड हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई भी गरीबों के उत्थान का कार्यक्रम लिया जाय उससे आपको चिढ़ है।

श्री परसराम मदेरणा : होगी उनको चिढ़, लेकिन लिंक ने जो लिखा है उसको आप देख लें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह देख लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : वह देख लें कि अन्त्योदय के लिए क्या कहा है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : लिंक में यदि और कोई विषय आपकी पार्टी के खिलाफ लिखे हुए हों, तो उनको सही मानेंगे ? स्टैण्डर्ड तो एक होना चाहिए। अन्त्योदय के खिलाफ लिख दिया उसको आपने कोट कर दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रश्न अन्त्योदय का था।

श्री परसराम मदेरणा : अन्त्योदय के बारे में एक भी हिन्दुस्तान के इकानामिस्ट का नाम बता दें जिसने उसकी तारीफ की हो सिवाय सैन्ट्रल फाइनेन्स डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन के, जिसने यह कहा है कि 1 पर्सेंट इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आज जितने भी हिन्दुस्तान के लीडिंग पेपर्स में जितने भी

(श्री परसराम मदेरणा)

आर्टीकल आये हैं उन्होंने बताया है कि इन्फ्लेशन बढ़ान की कोशिश करेंगे। आप बता दें, किसी ने वैसा लिखा हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने मण्डावा से जो माननीय सदस्य आये हैं उनके लिए कहा है कि उन्हें अन्त्योदय के नाम से ही चिढ़ है। या तो यह चिढ़ इसलिए हो रही है कि वह जिस गांव में रहते हैं वहां का गरीब रोटी खाने लग गया है और गरीब जब रोटी खाने लग गया है तो उनके दबाव से निकल गया, और दबाव से निकल गया तो वह नाराज हैं। वापस कैसे वह गरीब उनके दबाव में आयें। मैं बता रहा हूं कि 27 हजार लोग आज ओल्ड ऐज पेन्शन ले रहे हैं। राज तो आपके पास भी था और लूले, लंगड़े, अपाहिज भी राज में बैठे थे उनको आप भी पेन्शन दे सकते थे। 27 हजार लोग पेन्शन पा रहे हैं। इससे आप अन्दाजा लगायें।

श्री परसराम मदेरणा : कितने पा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : 27 हजार।

श्री परसराम मदेरणा : पहले वाले कहां गये ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : पहले ओल्ड ऐज पेन्शन मिली ही नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : देवस्थान डिपार्टमेंट से जो ओल्ड ऐज पेन्शन मिलती थी ऐसे लोगों की संख्या 52 हजार थी। पहले जो देवस्थान से पेन्शन मिलती थी वह ओल्ड ऐज पेन्शन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कितनी 7, 8 रुपया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सारे पेन्शन पाने वालों की संख्या जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं इससे चार गुनी, पांच गुनी हो जायेगी। यह पेन्शन तो उन अपाहिजों और उन बूढ़ों को दी है जिनमें से कुछ लोगों को छोड़कर बाकी को पेन्शन नहीं मिली, उनको एक अभियान चला कर, पेन्शन फार्म भरा कर, पेन्शन देने की व्यवस्था की है। आखिर जिन्हें पेन्शन मिली और पेन्शन की व्यवस्था की इसमें और उसमें आप अन्तर समझेंगे।

अन्त्योदय के प्रश्न पर वह कहने लगे कि भैंस और गाय दे दी। मेरी समझ में नहीं आता कि उनको इसमें आपत्ति क्या है ? वह कहने लगे कि इससे भेड़ की कीमत बढ़ गई। अगर कीमत बढ़ेगी तो किसान की केपिटल बढ़ेगी, इसकी उनको चिन्ता नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं कि भेड़ की कीमत बढ़ गई और एक तरफ कहते हैं भेड़ उनको क्यों दे दी और जो पैसा दिया जा रहा है वह सीधा बोहरे के यहां जमा हो रहा है। वह कह रहे थे और गिनती करा रहे थे। मेरी जानकारी में नहीं है कि अन्त्योदय परिवार को नकदी पैसा दिया जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके उसमें है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको शिकायत है। गरीब की भलाई नहीं होनी चाहिए और गरीब दबा हुआ ही रहना चाहिए जिससे उस गरीब को जिस समय चाहें गरीब को उठाने का नारा लगा कर अपने साथ कर लें। वह जमाना गया। अब गरीब खड़ा हो गया है। गरीब आपकी बातों में विश्वास नहीं करेगा। वह अपने पैरों पर खड़ा होने लगा है। अब गरीब को 20 सूत्री कार्यक्रम और पांच सूत्री कार्यक्रम के नाम पर धोखा देने का समय नहीं रहा है।

श्री रणमल सिंह : आप अकेले ही इस तरह की सुन्दर बहस कर रहे है मगर यह दूसरे मंत्री नहीं कर सकते हैं। यह फर्क है।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : माननीय मुख्य मन्त्रीजी की व्याख्या तो आपको पसन्द आई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एम्प्लायमेन्ट के क्वेश्चन पर मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय माथुर साहब को चिन्ता हो रही है कि यह एम्प्लायमेन्ट ओरियेन्टेड बजट नही है और एम्प्लायमेन्ट कितना जनरेट होगा इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है। आप दोनों को याद होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में एम्प्लायमेन्ट का बैकलाग बहुत ज्यादा था और जब तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो योजनाकारों को चिन्ता हुई कि इतने बैकलाग को कैसे दिखावें क्योंकि और भी ज्यादा बैकलाग हो गया था। उन्होंने देखा कि यह विकराल रूप से सामने आएगा इसलिए उसमें दिखाया ही नहीं गया। जब सब जगह यह चर्चा हुई कि दूसरी पंचवर्षीय योजना तक आप बेकारों की संख्या बताते आए हैं तो तीसरी पंच वर्षीय योजना में क्यो नहीं बताई ? इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में कह दिया गया कि अभी यह फैसला नहीं कर पाए हैं कि बेकार किसको कहा जाए। बेकारों की परिभाषा करने में आपने दस वर्ष लगा दिये, बेकार किसको कहा जाए और बेकारों की संख्या कितनी है ? आपके शासन काल में बेकार की परिभाषा और बेकारों की संख्या नहीं दे सके। जिस सरकार को यह पता नहीं है कि बेकार की परिभाषा क्या है और बेकारों की संख्या कितनी है वह बेकारों की समस्या का समाधान नहीं कर सकती। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय माथुर साहब को बेकार की संख्या का तो पता लग गया।

उपाध्यक्ष महोदय, फूड फॉर वर्क में लोगों को काम मिला। आज बेकारों की समस्या नहीं है यह कोई भी नहीं कह सकता। जितने लोगों को काम मिला है....

श्री रामनारायण चौधरी : कितने दिनों के लिए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मिला है. इस चीज से इन्कार नहीं कर सकते।

श्री रामनारायण चौधरी : होली तक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: होली तक चाहे दीवाली तक। मेरे को रामनारायणजी का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तर्क समझ में नहीं आता। जो अच्छा काम करे वह होली और दीवाली में गया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह भी कहा गया कि इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स राजस्थान में ज्यादा नहीं है। बढ़ा है, इस बात को तो सबने स्वीकार किया लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा। अब आप सबको मालूम होगा कि 26 जिले नेशनल एवरेज से, बैंक की ब्रान्चेज के मामले में आल इण्डिया एवरेज से कम हैं। 26 जिलों में सदन को सुनकर दुःख होगा कि 18 जिले राजस्थान में हैं और ये अभी नहीं हुए हैं, ये तो लगातार चलते आ रहे हैं। यह देन हमारी नहीं है ? यह देन किसकी है ? अब हमने आर. बी. आई. से बात की है और यह तय किया है कि तीन वर्ष में राजस्थान को बैंकों की ब्रान्चेज के हिसाब से नेशनल एवरेज तक पहुंचा दिया जाएगा। आपको सुनकर खुशी होगी कि 193 ब्रान्चेज खोली गई हैं। दो वर्ष में बैंकिंग व्यवसाय के नाते जो हम एवरेज से नीचे आ रहे हैं उसकी पूर्ति करवा देंगे और जब बैंक ज्यादा होंगे, लोगों को बैंकिंग सुविधायें ज्यादा मिलेंगी तो इन्वेस्टमेन्ट ज्यादा होंगे। बैंकों से जितना इन्वेस्टमेन्ट होना चाहिए उसकी मात्रा भी बढ़ेगी । इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों को एम्प्लायमेन्ट भी अधिक मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने आज से कुछ समय पहले, शायद दो तीन दिन पहले........

श्री परसराम मदेरणा : कुछ वित्त मन्त्री जी के लिए भी छोड़िए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ताप्ती गैस के लिए सदन में मांग रखी। मैं समझता हूं, यह बहुत अच्छा कार्य किया कि ताप्ती गैस के सम्बन्ध में यहां पर इस प्रकार की मांग रखी गई। मैं सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि मैंने पैट्रोलियम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है और यह निवेदन किया है कि जितने भी नेचरल प्रोडक्ट्स हैं, समुद्र में जो चीजें उत्पन होती हैं वह किसी एक राज्य की बपौती नहीं हैं, वह नेशनल प्रोपर्टी है और नेशनल प्रोपर्टी के डिस्बर्समेन्ट में केवल एक ही राज्य की मोनोपोली हो जाय, इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि पैट्रोलियम मिनिस्टर ने इस बात को स्वीकार किया कि वह नेशनल प्रोपर्टी है और किसी एक स्टेट की बपौती नहीं है। उसके बाद में हमने यह भी प्रयत्न किया है कि राजस्थान में एक पैट्रोलियम काम्प्लेक्स हो, चाहे कहीं भी लगाया जाय इसकी चिन्ता नहीं, उदयपुर में आता है, चित्तौड़ में आता है, जालौर में आता है, किसी तहसील में आता है या ढाणी में आता है, मुझे इस बात की चिन्ता नहीं, मुझे चिन्ता इस बात की है कि राजस्थान में पैट्रोलियम काम्प्लेक्स स्थापित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में लगातार मैं प्रयत्नशील हूं। इतना ही नहीं, मैंने भारत सरकार से यह भी निवेदन किया है, मुझे एक्चुअल जगह तो मालूम नहीं बी–58 या बी–56 जहां यह गैस निकली है, उसके सम्बन्ध में भारत सरकार से कहा है और यह आरगूमेन्ट दिया है कि जितना फर्टिला-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इजर पैदा होता है राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, जितना कन्जम्प्शन होता है, यू. पी. में और मध्य प्रदेश में, जो कन्जूमर स्टेट हैं उनमें प्रोब्लम खड़ी होती है कई बार ट्रान्सपोर्टेशन की, जिस समय किसानों को फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है उस समय नहीं मिलता, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और लेबर चार्जेज बढ़ते है इसलिए गैस यहां रख कर उसकी खाद बना कर हरियाणा और पंजाब भेजनी चाहिए, तो वह कारखाना यहां क्यों नहीं लगाया जाय ? आपको मालूम है काण्डला से मथुरा रिफाइनरी में तेल जायगा पाइप लाइन से। हमने कहा यहाँ कारखाना बनता है तो कास्ट कम आएगी, एक बार पाइप लाइन में खर्चा होगा, धीरे धीरे उसका खर्चा निकलेगा और जब फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी कीमत भी कम आएगी। आपको यह जान कर खुशी होगी कि इस इश्यू पर भारत सरकार ने विचार-विमर्श करना शुरू कर दिया है। हम भी एक कन्सल्टेटिव कमेटी नियुक्त करने वाले हैं जो इस बात की सलाह देगी कि किस जगह पर पैट्रोलियम काम्प्लेक्स स्थपित किया जाय। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि भारत सरकार से फिर निवेदन करूंगा। इसके अलावा राजस्थान में आज तक जो सैण्ट्रल इन्वेस्टमेन्ट हुआ है है वह केवल 2.4 पर्सेन्ट है, यह अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। पिछली बार भी 2.4 पर्सेन्ट ही था। उसके बाद में थोडा ज्यादा हुआ है, लेकिन मैं 2.4 पर्सेन्ट से सन्तुष्ट नहीं हूं। हिन्दुस्तान में आज जो राजस्थान और पिछड़े राज्यों पर चार्ज लगाया जाता है कि इनमें इन्कम नहीं बढ़ाई जाती है, मैंने उन राज्य सरकारों से भी कहा कि राजस्थान और बाकी बैकवर्ड स्टेट पर यह चार्ज लगाया कि वे एफर्ट्स नहीं करते, इसके लिए मैंने यह आरग्यूमेन्ट दिया कि राजस्थान में 2.4 पर्सेन्ट इन्वेस्टमेन्ट है, किसी दूसरे राज्य में 5 पर्सेन्ट है जहां 5 पर्सेन्ट होगा वहां कारखाना लगेगा और उससे होने वाली आय से उसकी इन्कम बढ़ेगी, इसलिए यह कहना कि रिजर्व नहीं बढ़ रहे हैं, और गुजरात में बढ़ रहे हैं, उचित नहीं है। गुजरात में रायल्टी मिलती है 35 करोड पर हमें नहीं मिलती। इसलिए हमें इस बात की कोशिश करनी है कि सैण्ट्रल इन्वेस्टमेन्ट ज्यादा ज्यादा हो। इस बात के लिए हम प्रयत्नशील हैं। मैं समझता हूं, ज्यादा कहने के लिए नहीं है, बाकी वही है जो बजट स्पीच में था और माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सहयोग से राजस्थान जो स्टेगनेन्सी के चक्कर में फंस गया था उसको हम सब मिल कर आगे बढ़ायेंगे। इसलिए निवेदन करूंगा कि इस एप्रोप्रिएशन बिल को पारित किया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : यदि ताप्ती गैस के लिए भारत सरकार नहीं मानी तो आप भूख हड़ताल करेंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने जिस प्रकार से ताप्ती गैस का मामला उठाया, आप तैयार होंगे तो मैं भी हो जाऊंगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : स्वास्थ्य ठीक होगा इससे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बैठ कर निगरानी रखूंगा कि भूख हड़ताल के बावजूद भी कुछ खा तो नहीं रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपका पूरा ख्याल रखूंगा कि खाने के अलावा कुछ और तो नहीं कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आजकल मुख्य मंत्री माथुर साहब के लिए प्राण तक देने को तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माथुर साहब के प्राण लेने की कार्यवाही नहीं कर सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा आजकल माथुर साहब के लिए आप प्राण देने के लिए भी तैयार हो रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : रामनारायणजी को इस बात से रश्क है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रामनारायणजी भी हुश्न वाले होते तो उनके लिए भी मैं प्राण दे देता।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, 1979–80 का बजट पेश करने के बाद जो सारा वाद-विवाद हुआ उसके दौरान भी माननीय सदस्यों ने इस बजट के बारे में तरह-तरह की बातें कही और यह कहा कि यह बजट किसान विरोधी है, निराशाजनक है। माथुर साहब ने भी उस समय, मुझे स्मरण है, यही बात कही थी कि इस बजट के कारण और इन्फ्लेशन होगा और मंहगाई बढेगी। यह तो ठीक है कि आज की जो इकानामी है, वह डवलपिंग है और इस विकासशील अर्थ-व्यवस्था में थोड़ी बहुत मंहगाई बढना तो स्वाभाविक है। जब मनी सर्क्यूलेशन होगा तो मनी सर्क्यूलेशन होने से यह चीज तो होगी लेकिन आप एक बात की प्रसंशा करेंगे कि पहली बार जो अनुदान की मांगें विधान सभा में स्वीकृत की हैं वे 1095 करोड़ 67 लाख 58 हजार की हैं। इतनी धनराशि की मांगें पहले कभी मन्जूर नहीं हुईं। यह सही है कि यह रुपया खर्च किया जाएगा। यह काफी बड़ी रकम है और वह भी बिना कोई नए टैक्स लगाए। पिछली बार जो कर लगाए गये थे, वे 6 करोड़ के करीब थे लेकिन वे 6 करोड़ के भी केवल शराब पर लगाए गए थे और जगह कहीं पर भी टैक्स नहीं लगाए गए थे। इस वर्ष भी जो कर प्रस्तावित हैं उनमें से कुछ कर वापस लिए और जो भी कर लगाए गए वे 5 करोड़ से ज्यादा के नहीं होंगे। उनमें 8½ करोड़ की आमदनी नान-टैक्स की होगी। इस तरह से कुल 13½–14 करोड़ की होगी और जो बाकी 16 करोड़ रुपए हैं वे तो केवल जो भविष्य निधि है या तो कृषि उपज मंडी की जो रकमें हैं, वह सरकार के पास जमा रहेंगी। इस प्रकार से 16 करोड़ रुपए की आमदनी होगी तो इतना कम टैक्स प्रस्तावित करने के बावजूद दो वर्ष के अन्दर आप देखेंगे कि योजना जो पहले 168 करोड़ की थी वह 275 करोड़ की हो गई। इसके माइने 107 करोड़ इन दो तीन योजनाओं के बढाए गए और दोनों तीनों योजनाओं की विशेषता यह है कि अधिकतर जो पैसा होगा वह सिंचाई

(श्री आदित्येन्द्र) :

या विद्युत पर होगा जिनको प्राथमिकता दी गई हैं और इसके बाद कृषि एवं जो सम्बद्ध सेवायें है, जल प्रदाय योजना है उन पर या उद्योग व खनिज पर पैसा खर्च होगा। जब इन तमाम मदों पर खर्चा होगा तो यह भी तय बात है कि एम्प्लायमेंट भी बढ़ेगा और ग्रोथ भी बढेगा। इसलिए यह जो बजट है, एम्पलायमेंट ओरिएन्टेड है और ग्रोथ ओरिएन्टेड भी है। इसके परिणाम कुछ दिनों के बाद आयेंगे क्योंकि अभी तो यह पैसा एक प्रकार से अलग-अलग मदों में दिया गया है लेकिन एक वर्ष या दो वर्ष के बाद इसके परिणाम आयेंगे।

एक बात सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वह हुआ प्रोहिबिशन के बारे में। इसके लिए कहा गया कि जिन राज्यों में प्रोहिबिशन होगा वे घाटे में रहेंगे और जिन राज्यों में प्रोहिबिशन नहीं होगा, वे लाभ में रहेंगे। यह एक अजीब तर्क है जिस तर्क को सभी पढ़े लिखे लोग देते हैं। यह बात भूल जाते हैं कि जब प्रोहिबिशन होगा तो जैसे हमारे राजस्थान राज्य की आमदनी सन् 1977-78 में 27,55,00,000 थी उस समय भी अगर हम हिसाब लगा कर देखें तो कम से कम चौगुने रुपये जो शराब पीने वाले थे उनकी जेबों से गये। इसका मतलब यह कि 112 करोड़ गए। तो 112 करोड़ जब शराब से बचेंगे तो यह कहीं न कहीं और जगह खर्च किए जायेंगे। इसको खर्च करने वाला कोई सिनेमा देखेगा, कोई गाड़ियों में बैठेगा। तो इन तमाम चीजों में बदल कर लौटकर टैक्स के शक्ल में सरकार को आमदनी होगी। मैं इन्कार नहीं करता कि केंद्रीय सरकार ने केवल एक्साइज से होने वाली आमदनी का आधा दिया है और जो दूसरी आमदनी सेल्स टैक्स वगैरह से होती है उसके लिये कोई पैसा नहीं दिया। तो राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार के बीच यह चीज है जिसके लिए निरन्तर प्रयास होता रहेगा। यदि केन्द्रीय सरकार इसके लिये और मदद करती है तो उससे हमारी जो कुछ भी आमदनी बढ़ेगी उससे और भी विकास के काम हो सकेंगे।

एक बात यह भी कही जाती है कि प्रोहिबिशन करने से लॉ एण्ड आर्डर समस्या बढ़ेगी। यह अक्सर सभी पढ़े लिखे लोग कहते हैं। जो लोग शराब पीते हैं या शराब के नशे में मान लीजिये कोई गाड़ी ड्राइवर चलता है, विद्यार्थियों में अगर शराब का प्रचलन है, मजदूरों में प्रचलन है और अगर यही शराब चली जाये और अगर फैक्ट्रियों को बन्द किया जाये तो क्या उससे लाभ नहीं होगा? काम की क्षमता नहीं बढ़ेगी? ये सब चीजें होंगी। आवश्यकता इस बात की है कि वास्तव में हम सिन्सीयर हैं या नहीं। अगर हाफ हार्टेडली इस काम को करते हैं तो यह ठीक है तमाम बातें होंगी। जो कुछ भी बहस चली तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ जो कि बहुत से सदस्य कहते थे कि ऐसा करने से लॉ एण्ड आर्डर की समस्या बढ़ जायेगी और ऐसा करने से आपसी वैमनस्य बढ़ जायगा।

कभी कभी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से कुछ लीगेलिटी भी पैदा हो जायगी जिसका मुकाबला नहीं कर

(श्री आदित्येन्द्र)

सकते हैं। तो यह सब चीजें इसलिये हैं कि हम लोग उन चीजों के बारे में एक बार उस तरह से विचार नहीं करते। यह मान लिया कि यह एक्सपेरीमेंट दूसरे मुल्कों में फेल हो गया। अमेरिका में फेल हो गया, इंग्लैन्ड में फेल हो गया और एशिया में भी फेल हो गया होगा। जब वहां के लोग यहां आते हैं, मुझे याद है, 1955 में जब यहां पर खुश्चेव और बुल्गेनिन आये तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बातें कीं। हम लोग भी वहीं खड़े थे। उन लोगों ने एक ही बात कही कि आप इस मामले में कम से कम अगुआ बनें। हमें यह विश्वास है कि गांधी जी का जो मुल्क है उसके अन्दर आप कामयाब होंगे लेकिन हम तो फेल हो गए। ऐसा उन लोगों ने कहा। तो जब लोग यह कहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि प्राहिबिशन हमारे लिए कैसे नुकसान पहुंचाने वाला है? ऐसा लोग क्यों मानते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि प्राहिबिशन की मांग तो आप छोड़िये। आज सदन में 200 सदस्य हैं वह दिल से प्रतिज्ञा कर लें और आज ही संकल्प कर लें कि हम नशीली चीजों का व्यवहार नहीं करेंगे, आज से इसको छोड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि यह प्राहिबिशन अगले 6 महीने के अन्दर अपने आप स्वतः ही हो जायेगा। क्या आप इसके लिये तैयार हैं? मैं ऐसा मानता हूं इसके लिए तरह तरह के बहाने बनायेंगे और तरह तरह की बातें कहेंगे। कौन ऐसा है कि जो इस बात के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है? तो इन तर्कों से काम नहीं चलता ....

श्री मथुरादास माथुर : हम तो आपके साथ हैं।

श्री आदित्येन्द्र : हमारा जो निश्चित ध्येय है उसके लिए मुख्य मन्त्री जी कल एलान करेंगे और मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप ही एलान कर दीजिए। मेजोरिटी आपके साथ है।

श्री आदित्येन्द्र : यह मैं मानता हूं कि मेजोरिटी मेरे साथ है और मेजोरिटी ही नहीं बल्कि मैं यह भी मानता हूं कि सदन के 200 सदस्य साथ में हैं। चाहे वह सेवन करते होंगे फिर भी यह बात नहीं कह सकते कि शराब पीना अच्छा है और शराब नहीं छोड़ेंगे। तो मैं कहता हूं कि शायद यह कोई भी माननीय सदस्य नहीं कह सकता और बाहर जाकर भी नहीं कह सकता। यह ऐसी चीज है कि जिससे हमें डर लगता है। तो इस चीज को हमें मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और मद्य निषेध ईमानदारी से और दिल से लागू करना चाहिए। यह मेरी मान्यता है और सच्ची मान्यता है और मुझे विश्वास है कि यह जो इम्पलीमेन्टेशन होगा यह इम्पलीमेन्टेशन आगे जाकर इसी प्रकार से होगा। कहीं पर भी किसी तरह की ढिलाई नहीं होगी चाहे कोई सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्थान हो। जहां कहीं भी गड़बड़ी होगी उनको उसके लिए उसी तरह दण्ड मिलेगा।

दूसरी बात अभी एक माननीय सदस्य ने कही कि जो जलप्रदाय योजनायें हैं उन

(श्री आदित्येन्द्र)

योजनाओं पर टैक्स बढ़ा दिया गया है 17 रुपये और 12 रुपये। यह नहीं है।....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बीच में बोल रही हूं लेकिन मेरे मन में दुःख है। आज आप पूरी बात की घोषणा कर दें। आप हमारे वित्त मन्त्री जी हैं और आबकारी मन्त्री भी हैं। आप इसके बारे में घोषणा क्यों नहीं करते ? नेता महोदय भी बैठे हैं। यदि कोई बात है तो कह दें। आज कहने में क्या है, कल क्या हो जायेगा ? इतना तो साफ करें या मुझे कोई कड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य करेंगे उसके बाद घोषणा करेंगे।

श्री मंजूर अली : The prohibition will bring moral and economical revolution in the State.

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मन्त्री जी का इतना ध्यान आकर्षित कर दिया तो आप कम से कम घोषणा तो कर दें।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय सदस्या ने अपने विचार व्यक्त किये हैं तो मुझे लगता है कि उनकी मद्य निषेध के बारे में एक बड़ी भारी दुविधा है और चिन्ता है। मैं उनकी चिन्ता को समझता हूं लेकिन इस सम्बन्ध में आज ज्यादा न कह कर मेरे ख्याल से कल ही कहना ठीक रहेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल के लिए कसी पंडित ने बता दिया है क्या कि 31 को ही घोषणा होगी और वह भी हवन पूजन के बाद ही होगी ? किसी महात्मा ने आपको ऐसा बता दिया है तो उसका नाम बता दें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आज के दिन का महत्व है। आज के दिन राजस्थान का निर्माण हुआ था। आज के दिन घोषणा करेंगे तो उचित रहेगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय मन्त्री महोदय, राजस्थान की वर्षगांठ का तोहफा तो पेश कीजिए।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी यह निवेदन कर रहा था कि जलप्रदाय योजना की दरें बढ़ा दी गयी हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि मुझे यह बता दें कि कल क्या होने वाला है, आज क्यों नहीं करते ? ऐसी कौन सी बात है जो आज नहीं हो सकती और कल हो सकती है ? या यह मांग पास होने के बाद में हमें आप यहां पर लटका हुआ छोड़ देंगे। आप पैसा मंजूर करने जा रहे हैं फिर शराब बन्दी के ऊपर खर्च करेंगे या विक्रय करने के लिए पैसा मांग रहे हैं। हम आबकारी के लिए पैसा देने वाले नहीं हैं आपको। हम चाहते हैं कि इसको शराबबन्दी के लिए खर्च करें।

श्री मथुरादास माथुर: आनरेबल लेडी मेम्बर कह रही हैं तो आप ओब्लाइज कीजिए।

श्री आदित्येन्द्र : वह हो जायेगा। मैं यह बात निवेदन कर रहा था कि जलप्रदाय योजना की दरों में वृद्धि कर दी गयी है....

(व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरी राय वही है जो बम्बई में तय हुआ। मैं शराब-बन्दी के लिए समर्पित हूं इसलिए जो उन्होंने तय किया है वह मुझे स्वीकार है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : वह तय करने वाले कौन हैं? तय करने वाले तो हम हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : Manohar Singhji Mehta is in his true colour.

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट दिया है।

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्य के प्रशासन व्यय में वृद्धि हो रही है, प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : वित्त मन्त्री जी से एप्रोप्रियेशन बिल के उत्तर के बाद में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी के अनुरूप मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। मास्टर साहब, आपके राजस्थान में जो अनएम्पलायड लोग हैं, उनकी गिनती हम कुछ नहीं कर सके, आपने प्रारम्भ कर दी। 10 साल का समय दिया गया जिसमें राजस्थान में अन-एम्पालयमेंट मिटा देंगे। राजस्थान में अभी कितने अनएम्पलायड हैं? दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी हिन्दुस्तान के वित्त मन्त्री ने जो प्लान का आकार बढ़ाया है वह बढ़ाया है केवल 5 पर्सेन्ट और आपने बढ़ाया है 17 पर्सेन्ट। उन्होंने प्लान का आकार नहीं बढ़ाया है, आपने बढ़ा दिया। सेन्टर में कुल मिला कर 2000 करोड़ से ऊपर का डेफिसिट गैप रहेगा। आप कह रहे हैं प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, एक पर्सेन्ट से ज्यादा मंहगाई नहीं बढ़ेगी। माथुर साहब ने कुछ कह दिया। 1 पर्सेन्ट किस तरह से हुआ? जो टैक्स लगाये हैं, जिस तरह से रेट्स बढ़ी हैं, इनडेटडनेस आप राजस्थान में करने जा रहे हैं, प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस का जवाब दे चुका हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब फर्मा रहे थे जलप्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत जो कार्य चल रहे हैं उसके बारे में 17 पैसे की रेट में कमी करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 10 और 7 है। जो समय पर जमा करा देगा और जो समय पर नहीं करायेगा, उसे 2 रुपये अधिक देने पड़ेंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अगले वर्ष तक गरीबी कितने प्रतिशत घट जायेगी?

श्री रामनारायण चौधरी : 1 पर्सेन्ट बढ़ जायेगी।

श्री आदित्येन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1979 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : पहले विचारार्थ लिये जाने की सदन की सहमति लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1979 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे ? प्रश्न यह है कि....

श्री परसराम मदेरणा : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक मिनट के लिए बोलना चाहूंगा। एक तो मैं यह कहना चाहूंगा जो किताब दी है एन्युअल प्लान आफ राजस्थान 1978–79, तीन दिन पहले वितरित की है कल फाइनेन्शियल ईयर खतम हो रहा है। राजस्थान का एन्युअल प्लान अगर देरी हो गई थी सत्र जब प्रारम्भ हुआ था, उस वक्त देते। उस पर चर्चा हो सकती थी। अब यह अगले साल काम आ सकता है। पैरा नं: 3 में यह बात लिखी है

"The Planning Commission approved the annual plan outlays for the year 1977-78 as Rs. 168 crores. However, while presenting the budget estimates for 1977-78 the then finance minister announced an...."

जो मास्टर साहब कह रहे थे "increase of 8.04 crores thereby increasing the annual plan outlay to Rs. 176.04 crores.

176 करोड़ 4 लाख का प्लान तो कर दिया था दी दैन फाइनेन्स मिनिस्टर ने। एक तो मास्टर साहब यह कह रहे हैं, 168 करोड़ का प्लान था। इसमें 8 करोड़ कहां चला गया ? आप मुकर रहे हैं क्या ? प्लान का सीलिंग इन्क्रीज हुआ था या नहीं ? बार बार 168 की बात कह रहे हैं। पिछले साल भी कितनी ही बात आप कह गये, 72 करोड़ का घाटा है, फिर 62 करोड़, फिर 59 करोड़। टैक्स 500 करोड़ के लगाये। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले योजना 176 करोड़ की थी। 176 के बजाय दी दैन फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में 18 मार्च, 77 को कहा था, कुल मिला कर साल के अन्त में 200 करोड़ का हो जायेगा, आप की योजना 193 करोड़ की हो जायेगी। मुख्य मन्त्रीजी, आर्थिक समीक्षा में जहां कहीं, यदि प्राइस स्टेबिलिटी

(श्री परसराम मदेरणा)

की बात कही गई है, इन्डियन इकानामी के अन्दर फारेन एक्सचेन्ज का और फूड ग्रेन का रिजर्व होगा। यह बात आप कहते हैं तो पढ़ कर सुना दूं। प्राइस स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण इस कन्ट्री के अन्दर है तो वह यह है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बढ़ने से स्थिर रही है। प्राइसेस तो बढ़ी हैं। 1 पर्सेन्ट होलसेल प्राइसेस बढ़ने की बात है। फूड ग्रेन मैन फैक्टर रहा है। जब यह बात कह रहे हैं कि यह योजना के बड़े आकार के बने हैं। यह जो प्राइज स्टेबिलिटी रही है वह तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बढ़ने से रही है।

तीसरा प्रश्न रखना चाहता हूं वित्त मंत्री जी के सामने। प्रोडक्शन की जो कास्ट है, आज जो टैक्सेज लगे हैं, इससे कास्ट प्राइस बढ़ेगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन, राजस्थान के अन्दर उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं, इसका उत्तर देने की कृपा करें। कम से कम कमिटमेंट तो हाउस के अन्दर कर के जायें।

अनएम्पलायड के फिगर्स आपने दिये बजट स्पीच जुलाई, 77 में, फिर 78 के बजट भाषण में आपने अनएम्पलायड के फिगर्स दिये। अब आप नहीं कह रहे हैं। क्या सबको रोजगार दे दिया? रोजगार आपने दिया नहीं। काम के बदले अनाज योजना जरूर है। इसमें आपने 15 दिन का कैज्युल एम्पलायमेंट दे दिया। भूखा कोई नहीं मरेगा। अतिवृष्टि की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से और कातरा की वजह से फसलें खराब हुई थीं। लोगों को अनाज मिला है, यह बात जरूर है लोग भूखे नहीं मरेंगे। आप यह बतायें कितने लोग अनएम्पलायड हैं? प्राइस स्टेबिलिटी? रोजगार के बारे में, 168 वाला जो आंकड़ा आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको दोहराना नहीं चाहिये। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मन्जूर अली : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल नं. 2 और वित्त मन्त्रीजी के स्टेटमेंट में पालियामेंट्री प्रोसीजर से एम्बीग्युटी रह गई है। 15 सैकन्ड आपकेले ना चाहूंगा। यह जो एप्रोप्रियेशन बिल नं. 2 है इसमें वह आपूर्ति भी शामिल हैं जो शराब की आय से है। यह स्टेटमेंट दिया है, शराब बन्दी की जायेगी या नहीं की जायेगी इसके बारे में आप कल सुनें। अगर बयान यह आता है कि प्रोहिबिशन हो रहा है तो वह आमदनी जो इस बिल में शामिल हैं, शराब से होने वाली आमदनी इस एप्रोप्रियेशन बिल नं. 2 में शामिल है, उसको हम आज पास कर रहे हैं। अगर स्टैंटमेंट आ जाता है, शराबबन्दी कर दी जायेगी तो इसमें एम्बीग्युटी रह जायेगी।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : इसका अर्थ यह है कि 1 अप्रैल, 79 से शराबबन्दी नहीं करेंगे। वित्त मन्त्री जी मौन हैं।

श्री नूरा : मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। यह जो बजट आया है इसमें पहले सारी चर्चा हो चुकी है। जो टैक्सेज लगाये हैं वे सब गरीब वर्ग पर लगाये हैं। अनाज के बदले जो काम योजना है वह भी स्थायी हल नहीं है। जहां तक यह कहा मुख्य मन्त्री जी ने कि इतने लोगों को

(श्री नूरा)

पेन्शन मिलेगी–लूले लंगड़ों को। यह आपने पुरानी सरकार के नियमों को कार्य रूप में परिणित करके कुछ किया है लेकिन वह भी स्थायी हल नहीं है। इसमें तो बड़े पैसे वालों को फायदा हुआ है। गरीब लोगों को कोई पेन्शन नहीं मिलने वाली है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस वित्त विधेयक को रोका जाना चाहिये और इसे पास नहीं करना चाहिये।

श्री मंजूर अली : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। इसका मतलब है कि शराबबन्दी नहीं होगी। होगी तो इसका हल बताएं क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? शत प्रतिशत लोगों का यह मत है इसलिये मेरे इस आभास को बहुत से माननीय सदस्यों का आभास समझें। बहुत से माननीय सदस्यों के दिल में यह शंका है। अगर जवाब नहीं आता है तो इसका निश्चित अर्थ है कि शराबबन्दी नहीं होगी और होगी तो स्पष्टीकरण करें।

श्री परसराम मदेरणा : सर्वोदयी माननीय सदस्य, अभी तो नहीं हैं, चले गये। मैं बताना चाहता हूं न तो गोकुल भाई आमरण अनशन कर रहे हैं और न मुख्य मन्त्री जी गद्दी छोड़ रहे हैं। उनका एकछत्र राज्य हो जाय इसलिये आपको बलि का बकरा बना दिया।

श्री आदित्येन्द्र : बलि का बकरा कोई नहीं बनेगा, साहब।

श्री नवरंग सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। 83 माननीय सदस्यों ने 50 प्रतिशत जो सिंचाई की दरें बढ़ाई है उस विषय में एक ज्ञापन दिया है। उस सम्बन्ध में आपने क्या निर्णय लिया है, सदन को बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1979 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1979 को पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11–00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.54 बजे शनिवार दिनांक 31 मार्च, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

Page No. 176

(180)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 695 की सूची)

तहसील फलौदी जिला जोधपुर में संचालित औषधालयों की पंचायत समितिवार सूची

क्र० सं०	नाम औषधालय			
1.	राजकीय आयुर्वेद औषधालय, फलौदी			फलौदी नगरपालिका
2.	,,	,,	लोहावट	फलौदी पंचायत समिति
3.	,,	,,	पीलवा	,, ,,
4.	,,	,,	चाड़ी	,, ,,
5.	,,	,,	खींचन	,, ,,
6.	,,	,,	देनोक	,, ,,
7.	,,	,,	भाऊ	,, ,,
8,	,,	,,	शैतानसिंह नगर	,, ,,
9.	,,	,,	आमला	,, ,,
10.	,,	,,	छीला	,, ,,
11.	,,	,,	बावड़ी कलां	ग्राम पंचायत समिति
12.	,,	,,	वारू	,, ,,

————

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न 698 की सूची)

गिरफ्तार शुदा माल व मुलजिमान की सूची

क्रम सं०	नाम मुलजिमान	
1.	श्री गोकुल महाजन	इनके विरुद्ध चालान अन्तर्गत धारा 147/149/325/341/323 आई. पी. सी. में 20–7–78 को अदालत में पेश हो चुका है जो जेर तजबीज है।
2.	,, भीमा	
3.	,, हीरा डांगी	
4.	,, हुकमचन्द	
5.	,, हीरालाल पुत्र अगरेजी	
6.	,, हीरालाल पुत्र उघाजी	
7.	,, लाला	
8.	,, खेमा	यह सभी अभियुक्ति जमानत पर हैं। अन्वेषण जारी है।
9.	,, दल्ला	
10.	,, रोड़ा	
11.	,, पुंजा	
12.	,, जैया	
13.	,, मेघा पुत्र माला	
14.	,, खेमराज	
15.	,, मोहनलाल महाजन	
16.	,, गोतमलाल महाजन	
17.	,, सवलाल महाजन	
18.	,, हुकमचन्द	

बरामद शुदा माल की सूची

1. सांकली घादूड़ी
2. कान की भंवरी कड़ी बजनी 1 ग्राम, जिसमें 3 मोती है।
3. कांटा एक सोने का।

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

राजस्थान नहर क्षेत्र में अन्त्योदयी परिवारों को आवंटित भूमि

699. **श्री डूंगाराम पंवार (टीबी)** : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र उपनिवेशन में तहसीलों की सिंचित भूमि जो 8 किलोमीटर की सीमा में आती है उसकी कीमत राजस्थान सरकार ने किस आधार पर बढ़ाई है ? क्या इसका वर्गीकरण किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) राजस्थान नहर क्षेत्र में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कितने अन्त्योदय परिवारों को कितनी कितनीभूमि दी गई है ? क्या उन सबका कब्जा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस भूमि का आरक्षित मूल्य बढ़ाने का आधार इस भूमि का बडे कस्बों के समीप होने से अधिक मूल्यवान होना है। भूमि का वर्गीकरण वही है जो पहले से नियमों में किया हुआ है।

(2) राजस्थान नहर क्षेत्र से अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 1164 अन्त्योदय परिवारों को 8,943 बीघा भूमि का आवंटन किया जा चुका है। इनमें से 245 आवंटितियों को आवंटित भूमि का कब्जा दिया जा चुका है, शेष को कब्जा देने की कार्यवाही चालू है।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर के विचाराधीन व्यावसायिक भू-खण्डों की योजना

700. **श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नगर सुधार न्यास जोधपुर के पास कई व्यावसायिक भू-खण्डों की योजनाएं हैं जिन्हें नीलाम कर न्यास कर्मचारियों का खर्चा चलाया जा रहा है तथा विकास कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा हैं और इन भू-खण्डों में से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटन करने की कोई योजना नहीं है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार व्यावसायित्र भू-खण्डों के आवंटन में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कुछ प्रतिशत आवंटन करने की मंशा रखती है ? अगर नहीं, तो क्या राज्य सरकार की घोषणाएं मात्र जनता पार्टी का प्रचार है ?

उत्तर

जी हां, लेकिन यह सही नहीं है कि भू-खण्ड नीलाम कर न्यास कर्मचारियों का खर्चा चलाया जा रहा है तथा विकास कार्य बिलकुल नहीं हो रहा है। व्यावसायिक भू-खण्डों को नीलाम द्वारा ही बेचे जाने के नियम हैं इसलिए आवंटन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भूमि-भवन कर कानून के अन्तर्गत भूमि-भवन की मार्केट-प्राइस निश्चित करना

701. **श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)**

श्री नारायणसिंह (डिग्गी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूमि भवन कर कानून के अन्तर्गत भूमि भवन की मार्केट प्राइस निश्चित करने का क्या नियम है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने भूमि भवन कर अधिकारियों को भवनों की मार्केट प्राइस तय करने के लिये कोई गाइड लाइन्स बनाई ? यदि हां, तो वे क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि भवनों की मार्केट रेट निश्चित करने के नियम न होने के कारण भूमि भवन कर अधिकारी मन मानी कर रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार की गुन्जाइश है ?

(4) गत तीन वर्षों में भूमि भवन-कर के महकमों पर क्या खर्च हुआ तथा क्या आमदनी हुई तथा क्या बचत हुई ? अलग अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(6) क्या यह सही है कि भूमि भवन कर से खर्चा काटने के बाद बहुत थोड़ी आमद होती है तथा जनता को इस कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 की धारा 4 में मार्केट प्राइस निश्चय करने का प्रावधान है।

(2) भूमि एवं भवन कर विभाग के निदेशक द्वारा अधिनियम की धारा 22 बी के अन्तर्गत गाइड लाइन्स बनाई गई है। ये गाइड लाइन्स सार्वजनिक विभाग के स्टेन्डिग आर्डर एक्स 3 पर आधारित है।

(3) जी नहीं।

भूमि एवं भवनों की मार्केट प्राइस गाइड लाइन्स के अनुसार निश्चित की जाती है।

(4) गत तीन वर्षों के आय व्यय व बचत का विवरण निम्न प्रकार है :—

लाख रुपयों में—

वर्ष	आय	व्यय	बचत
1975-76	60.62	17.90	42.7?
1976-77	95.74	20.24	75.50
1977-78	82.48	21.72	50.76

(5) जी नहीं।

सीकर आगार में चालकों व परिचालकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार

702. **श्री रामदेवसिंह** (धोद) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सीकर आगार में माह दिसम्बर, 1978 या जनवरी, 1979 में चालकों व परिचालकों का कोई साक्षात्कार किया गया था ? अगर हां, तो उसमें कितने चालकों व परिचालकों का चयन किया गया ?

(2) क्या इस तरह का साक्षात्कार होने के पश्चात् चयनित चालकों व परिचालकों को निगम द्वारा नौकरी पर ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या चयनित चालकों व परिचालकों को नौकरी में न लगाकर निगम द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सीकर आगार में दैनिक वेतनभोगी चालक व परिचालक लिये जाते हैं ? यदि हां, तो चयनित चालक व परिचालकों को ड्यूटी पर न लेकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। 13 चालकों का व 220 परिचालकों का चयन किया गया था, जिनमें से 13 चालक एवं 11 परिचालक राष्ट्रीयकरण के कारण बेरोजगार हुए कर्मचारी थे। बेरोजगार कर्मचारियों के अतिरिक्त चयनित प्रत्याशियों की सूची निरस्त कर दी गई।

(2) बेरोजगार चयनित व्यक्तियों में से 6 को चालकों के पद पर तथा 11 को परिचालक के पद नियुक्ति दे दी गई है।

(3) उक्त 11 परिचालकों को सीकर आगार में नियमित नियुक्ति प्रदान की गई है। चयन सूची निरस्त हो जाने के कारण जनवरी, 79 के पश्चात् 6 व्यक्ति दैनिक वेतन पर भी सीकर आगार में परिचालक के पद पर कार्य हेतु रखे गये हैं। सीकर आगार में उक्त साक्षात्कार के पश्चात् चालकों की नियुक्ति दैनिक वेतन पर नहीं की गई हैं।

राज्य की माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

703. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले की किन किन माध्यमिक शालाओं में हैडमास्टर नहीं हैं तथा क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) चूरू जिले में ऐसी कितनी माध्यमिक शालायें हैं जिनमें एक से अधिक हैडमास्टर नियुक्त हैं ?

उत्तर

(1) चूरू जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्त हैं।

(2) एक भी नहीं।

मेलूसर (रतनगढ़) के सरपंच के विरुद्ध जालसाजी का मामला

704. **श्री जगदीशचंद्र शर्मा** (रतनगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मेलूसर (रतनगढ़ तहसील) के सरपंच के विरुद्ध पंचायत रेकार्ड में जालसाजी पूर्ण परिवर्तन करने एवं प्रोसीडिंग रजिस्टर फाड़ कर बदलने की सप्रमाण शिकायत इस पंचायत के बहुमत पंचों द्वारा 13 अगस्त 1978 को राज्य सरकार के समक्ष की गई थी ?

(2) क्या इस सरपंच के विरुद्ध जांच में अनावश्यक विलम्ब किया जाकर सरपंच को बचाने का प्रयास किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो सरपंच को मुअत्तिल करके उसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। जांच उप जिलाधीश रतनगढ़ से करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

श्री कालू गुर्जर की मृत्यु का मामला

705. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री कालू गुर्जर की मृत्यु 12-8-75 को जनरल हॉस्पिटल उदयपुर में हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री कालू को दिनांक 10-8-75 को पुलिस ने अचेत अवस्था में हॉस्पिटल के वार्ड नं. 4 में भर्ती कराया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री कालू का पिता उस समय पुलिस विभाग उदयपुर का ही कर्मचारी था, फिर भी उसे अपने बच्चे को हॉस्पीटल में भर्ती कराये जाने की कोई सूचना नहीं दी गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री कालू की मृत्यु पुलिस की पिटाई के कारण हुई ? यदि नहीं, तो किस कारण से हुई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) मृत्यु के कारणों के बारे में अभी गुप्तचर विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

मनोहर थाना में अल्पसंख्यकों की जीवन सुरक्षा

706. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री ईश्वरचन्द्र)

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष कस्बा मनोहर थाना जिला झालावाड़ में मुसलमानों द्वारा सामुहिक रूप से उनकी जीवन रक्षा करने व उन्हें आतंकित होने से बचाने हेतु जिलाधीश व एस. पी. झालावाड़ को प्रतिवेदन दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या प्रान्त में अल्प संख्यकों, हरिजनों व गिरिजनों को विशेष सुरक्षा देने व उनकी जान माल की हिफाजत करने के लिये विशेष गाइड लाइंस थानों को भेजी गई हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण देने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मुसलमानों द्वारा सामुहिक रूप से कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया था। कन्वीनर अन्जुमन इत्तहादे बाहमी, कोटा डिविजन बारां द्वारा गृह मन्त्रीजी को भेजे गये प्रतिवेदन की प्रति पुलिस अधीक्षक व जिलाधीश को भी भेजी गई थी। जिस पर पुलिस उप अधीक्षक, अकलेरा द्वारा जांच करवाई गई।

(2) प्रदेश में अल्प संख्यकों, हरिजनों व पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष सुरक्षा देने व उनकी जान माल की सुरक्षा हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा थानों को जारी किये गये निर्देशों के परिपत्र की प्रतिलिपियां संलग्न है।

(प्रतिवेदन की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बरड़ क्षेत्र की खानों का मलवा

707. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में जहां खानें हैं वहां खानों का मलवा राजस्व एवं वन विभाग की जमीन पर डाल रखा है ? यदि हां, तो इस मलवे से कितनी जमीन और रास्ते रुके हुए हैं ?

(2) क्या बून्दी सहायक अभियन्ता को कई बार ग्रामवासियों ने एवं स्वयं मैंने इस मलवे के बारे में शिकायत की थी परन्तु उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि खान के मलबों के कारण बरड़ क्षेत्र के निवासियों के रास्ते रोक दिये गये हैं जिनकी कई बार जिलाधीश को भी शिकायत हुई है ? यदि हां तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि बून्दी जिले के बरड़ क्षेत्र में जहां खानें है, वहां खानों का कुछ मलबा राजस्व एवं वन विभाग की जमीन पर खनन पट्टाधारियों द्वारा डाला हुआ है। मलवे से कितनी जमीन रुकी हुई है, उस बाबत राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया जाकर ही सही स्थिति बतायी जा सकती है। मलवे के कारण कोई आम रास्ता रुका हुआ नहीं है।

(खनिज मन्त्री)

(2) यह सही नहीं है कि ग्रामवासियों एवं माननीय विधायक महोदय की राजस्व भूमि में मलबे के बारे में शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। शिकायत प्राप्त होते ही सम्बन्धित पट्टाधारियों को शिकायत की जानकारी देते हुये शिकायत का निराकरण करने बाबत सूचित किया गया एवं नियमानुसार वांछित कार्यवाही की गई। क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय किसी भी ग्रामवासी को रास्ता रुकने बाबत कोई शिकायत लम्बित नहीं है। माननीय विधायक द्वारा की गई शिकायत पर वांछित कार्यवाही की जाकर उन्हें संबन्धित सहायक खान अभियन्ता द्वारा समय समय पर व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया जा चुका है।

(3) क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सही नहीं है कि खान के मलबों के कारण बरड़ क्षेत्र के निवासियों के रास्ते रोक दिये गए हैं। जिलाधीश से प्राप्त विभिन्न शिकायतों पर नियमानुसार जिलाधीश के निर्देशानुसार वांछित कार्यवाही की गई है एवं इस बारे में जिलाधीश को समय समय पर वांछित सूचना दी जाती रही है।

भरतपुर जिले की खान अवार पेय जल योजना

708. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जनता पार्टी के शासन की एक वर्ष की अवधि के समारोह के अवसर पर राज्य सरकार ने पेय जल योजना की वर्ष 1978–79 में भरतपुर जिले के ग्राम खान अवार योजना की स्वीकृति की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस योजना के लिये वर्ष 1978–90 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? यदि नहीं, तो योजना की स्वीकृति की घोषणा क्यों की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार भरतपुर जिले के ग्राम खान अवार पेय जल योजना को अब कोई धनराशि का प्रावधान कर रही है ? यदि हां, तो कितनी और यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी तथा इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले की खान अवार क्षेत्रीय योजना केन्द्र सरकार के त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 78–79 में प्रस्तावित की गई है। भारत सरकार द्वारा इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। योजना की अनुमानित लागत 7.04 लाख रु. है। राज्य सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति अभी जारी की जानी है।

(2) जल की उपलब्धि के अनुसार राशि आंवटित की जावेगी। इस योजना की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत करीब 7.04 लाख रु. है। क्षेत्रीय योजना को पूर्ण करने में सामान्यत: दो से तीन वर्ष लगते हैं।

अन्त्योदय योजना में चयनित परिवारों को सहायता

79. श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

Page No. 184

(188)

(श्री मोहम्मद जहूर)

(1) कामां क्षेत्र में वर्ष 1977–78 व 78–79 में कितने परिवार अन्त्योदय में चयनित किये गये हैं तथा सरकार द्वारा उन परिवारों में से कितने परिवारों को क्या सहायता दी गई है तथा बाकी परिवारों को सहायता अब तक किन कारणों से नहीं दी गई ?

(2) कामां क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन योग्य कितने व्यक्ति अभियान के दौरान चयनित किये गये उनमें से कितने व्यक्तियों को पेंशन मिलना प्रारम्भ हो गयी है तथा बाकी व्यक्तियों को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, इसका क्या कारण है ?

उत्तर

कामां क्षेत्र में अन्त्योदय के प्रथम चरण में 892 परिवारों का चयन हुआ था उनमें से वृद्धावस्था पेंशन 154 व्यक्तियों को भू-आवंटन, 42 परिवारों को ऋण सुविधा 120 परिवारों को, तथा 8 को रोजगार देकर लाभान्वित किया गया है। 318 परिवारों ने कोई भी सहायता व ऋण लेने से मना कर दिया, 145 परिवारों के ऊपर राजस्व, पंचायत समिति व बैंकों का अवधि पार ऋण बकाया है। 38 परिवारों का चयन अधिक आय व अधिक भूमि होने से गलत हो गया था उन्हें सूची से निकाल दिया गया है, 56 परिवारों को सहायता दिलाए जाने की कार्यवाही की जा रही है व 10 परिवार गांव छोड़ कर चले गये हैं। द्वितीय चरण में 366 परिवारों का चयन हुआ था। उनमें से 48 को वृद्धावस्था पेंशन द्वारा लाभान्वित किया गया है तथा 31 परिवारों ने कोई भी सहायता अथवा ऋण लेने से मना कर दिया है। शेष 287 परिवारों को सहायता दिये जाने की कार्यवाही चल रही है।

(2) प्रथम चरण के दौरान वृद्धावस्था पेंशन के लिये 154 व्यक्तियों का चयन किया गया था तथा सभी व्यक्तियों को पेंशन मिलनी प्रारम्भ हो गई है। द्वितीय चरण में वृद्धावस्था पेंशन के लिये 125 व्यक्तियों का चयन किया गया उनमें से 48 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 77 व्यक्तियों के लिये वितरण की कार्यवाही जारी है।

बंध छितोली का ठेका

710. **श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी-बाजार) : क्या मत्स्य विकास मन्त्री यह की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बन्ध छितोली का ठेका बिना हस्ताक्षर किये सहकारी समिति के अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए अन्य ठेकेदार को दे दिया गया ?

(2) उक्त कार्य के लिए सहकारी समिति का टेण्डर कितने रुपये का था व ठेकेदार का टेण्डर कितने रुपये का था ?

(3) क्या राज्य सरकार मत्स्य सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस तरह ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(मत्स्य विकास मन्त्री)

(2) बन्ध छितोली का टेण्डर वहीर टोंक मत्स्य विकास सहकारी समिति टोंक का रुपये 1,50,101/— का था तथा ठेकेदार का टेण्डर रु० 1,61'000/— का था।

(2) जी हां। राज्य सरकार मत्स्य-सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने हेतु वर्तमान में निम्न प्रकार से कार्यवाही कर रही है—

1) समितियों को नियमानुसार 12॥ प्रतिशत तक की छूट (प्राइस प्रिफरेन्स देकर जलाशय आवंटित करना।

2) कुछ विशेष बड़े जलाशयों को केवल आरक्षित मूल्य पर ही सहकारी समिति को आवंटित करना तथा ऐसे जलाशयों की ठेका राशि को दो किश्तों में जमा करवाना।

किशनगढ़ में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को हाउस रेन्ट अलाउन्स

711. श्री करतारसिंह (किशनगढ़): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में राज्य के किन किन नगरों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित मात्रा में हाउस रेन्ट अलाउन्स मिलता है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। हाउस रेन्ट अलाउन्स दिये जाने के वास्ते कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के किशनगढ़ नगर में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को नगर की लगभग 60 हजार जनसंख्या होने के बावजूद भी हाउस रेन्ट अलान्स नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार शीघ्र किशनगढ़ नगर में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित मात्रा में हाउस रेन्ट अलाउन्स देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य के जिन जिन नगरों/कस्बों में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मिलता है उनकी सूची संलग्न है। मकान किराया भत्ता उन्हीं नगरों/कस्बों में देय है जिनकी जनसंख्या गत जनगणना सन् 1971 के अनुसार 50,000 से अधिक है।

(2) गत जनगणना 1971 की मर्दुमशुमारी के अनुसार किशनगढ़ की आबादी 37,405 है। इस कारण वहां पर कार्यरत राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देय नहीं है।

(3) जी नहीं। किशनगढ़ की आबादी गत जनगणना सन् 1971 के अनुसार 50,000 से कम है।

वर्तमान में राजस्थान राज्य के निम्नांकित नगरों एवं कस्बों में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देय है:–

1–जयपुर
2–जोधपुर
3–उदयपुर
4–कोटा
5–बीकानेर
6–माउन्ट आबू
7–श्री गंगानगर
8–अजमेर
9–भीलवाड़ा
10–अलवर
11–भरतपुर
12–ब्यावर
13–टोंक
14–चूरू
15–पाली
16–सीकर

काम के बदले अनाज योजना में कराये गये कार्य

712. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि काम के बदले अनाज की योजनाओं को लेते समय ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र के फेमिन व बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के टूटे और अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने के कोई आदेश नहीं हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इस प्रकार के आदेश जारी करना उपयुक्त व आवश्यक मानती है ? यदि हां, तो ऐसे आदेश जारी करने में क्या कठिनाई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । इस योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के अधूरे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश दिये गये थे ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सामोद के महलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास

713. श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चौमू क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सामोद के ऐतिहासिक महलों को पर्यटन की दृष्टि से राज्य सरकार के पास पर्यटन केन्द्र बनाने का मामला विचाराधीन है ?

(2) क्या राज्य सरकार सामोद को पर्यटन केन्द्र बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(पर्यटन मन्त्री)

(2) फिलहाल कोई इरादा नहीं है। ये महल वहां के श्री राजेश्वरसिंह राव की निजी सम्पति है।

ग्राम पंचायत सोटवारा (झुंझुनू) को काम के बदले अनाज योजना में दिया गया गेहूं

714. **श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत सोटवारा जिला झुन्झुनू को काम के बदले अनाज योजना के तहत तीन सौ क्विटल के आसपास गेहूं प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो ग्राम पंचायत ने कुल कितने गेहूं का वितरण किया है ?

(2) क्या ग्राम पंचायत सोटवारा के सरपंच श्री गौरीशंकर द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाने की ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं पंचों ने कोई शिकायत की है ? यदि हां, तो उस शिकायत के प्राप्त होने पर जिलाधीश झुंझुनूं ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत, सोटवारा द्वारा 300 क्विटल, 24 किलो 600 ग्राम गेहूं का वितरण किया गया है।

(2) जी हां। जिलाधीश द्वारा इस मामले में सहायक अभियन्ता एवं सहायक जिलाधीश, झुन्झुनूं से जांच कराईगई है, जिसमें जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री गौरीशंकर संरपच, ग्राम पंचायत, सोटवारा के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम पंचायत खारापार के संरपंच द्वारा थाना गिड़ा को दी गई डकैती की सूचना

715. **श्रीमती मदनकौर (पचपदरा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बाड़मेर तहसील की ग्राम पंचायत खारापार (पुलिस थाना गिड़ा) के सरपंच ने थाना गिड़ा में दिनांक 1-12-78 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 20-11-78 को ग्राम सोहड़ा की सरहद में तीन आदमी ऊंटों पर और एक आदमी श्री जबरसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह की घोड़ी पर डकैती करने की नियत से ग्राम की स्थिति का जायजा लेने आये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट के प्रमाण स्वरूप स्वयं देखने वाले व्यक्तियों के बयान थाना गिड़ा में दिये गये ? यदि हां, तो उन दोनों मामलों पर पुलिस की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस घटना और उसकी रिपोर्ट के कुछ ही दिन बाद सोहड़ा के पड़ौसी गांव हीरा की ढाणी में श्री चन्दनमल के घर डकैती की घटना घटी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) यह सही है कि श्री चन्दनमल के घर हीरा की ढाणी में दिनांक 30-12-78 को डकैती की घटना घटी थी।

राजस्थान नहर क्षेत्र में जमींदारों को भू-आवंटन

716. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में राजस्थान नहर के अन्तर्गत शाखा नहरों के. वाई. डी., के. जे. डी., के डब्ल्यू. एम., बी. डी. जमीदारों को वर्ष 1974 में पुख्ता अलाटमेंट किया उस वक्त उन्हें सोलह किश्तें राज्य सरकार को देनी थीं ?

(2) क्या यह सही है कि आपातकाल के दौरान जो सोलह किश्तों में अदा करनी थीं इस राशि को दस किश्तों में ही अदा करने के आदेश जारी कर दिये गये ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त राशि दस किश्तों में अदा करने के आदेश करने से किसानों को अत्यधिक आर्थिक असुविधा हो रही है और वे समय पर किश्तें जमा नहीं करा पा रहे हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त राशि दस किश्तों के स्थान पर पुनः सोलह किश्तों में वसूल करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। 1955 से पूर्व के आवंटियों से 16 अर्द्ध वार्षिक किश्तें (आवंटन) तथा 1955 के बाद के आवंटियों के लिये 15 अर्द्ध वार्षिक किश्तें (611 वर्ग) निर्धारित थी। अन्य आवंटियों के लिये 14 से 20 वार्षिक किश्तें निर्धारित थी।

(2) जी नहीं। राजस्थान नहर क्षेत्र में 1975 में पारित किये गये नियमों में प्रारम्भ में 10 वार्षिक किश्तों पर भूमि की कीमत जमा कराने का प्रावधान किया गया था बाद में संशोधन दिनांक 13-3-76 द्वारा मूल्य संशोधन के साथ मूल्य की किश्तों की वसूली 10 से बढ़ा कर 15 कर दी गई है।

(3) जी नहीं। मूल्य के भुगतान की किश्तों के प्रावधान सारे परियोजना क्षेत्र के लिये एक हैं। 13-3-76 से आवंटित भूमि की किश्तें 15 कर दी गई है।

(4) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्योंकि, वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक है।

राज्य में खनिजों का सर्वेक्षण

717. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में खनिजों का सर्वेक्षण, उनका नियंत्रण, अभिसिंचन एवं उपयोग योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित उद्योग के रूप में नहीं किया जा रहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार उनकी सीमित मात्रा को ध्यान में रखकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से उनका सदुपयोग करवा रही है ?

(3) राज्य सरकार इस उद्यम व उद्योग को रोजगार खपाने में व राज्य के अर्थतन्त्र का मेरूदण्ड बना कर किस सीमा तक उन्नति करना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है राजस्थान में खनिजों का नियन्त्रण भारत सरकार के एम. एम. आर. डी. एक्ट के तहत किया जाता है एवं खनन पट्टे सीमांकित किये जाते हैं। खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा खनिजों की खोज एवं सर्वेक्षण को योजना बद्ध तरीके से किया जाता है। खनिजों का उपयोग भी नियन्त्रित रूप से किया जाता है।

(2) जी हाँ। राज्य सरकार खनिजों की सीमित मात्रा को ध्यान में रख कर ही खनन पट्टे देती है तथा इसे दृष्टिगत रख कर ही खनिजों के दोहन तथा उपयोग पर विशेष ध्यान रखा जाता है एवं खनिज-कन्जरवेशन एवं विकास नियम 1958 के अन्तर्गत भारतीय खान ब्यूरो द्वारा भी नियन्त्रण रखा जाता है।

(3) राज्य सरकार ने खनिज उद्योग में अधिकाधिक रोजगार प्रदान करने तथा अर्थतन्त्र को सुदृढ़ करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जैसे :—

1. बड़े खननपट्टों को निरस्त कर एकाधिकार समाप्त कर छोटे छोटे क्षेत्रों का आवंटन एवं खननपट्टों का वितरण।

2. नये नये खनन क्षेत्रों की खोज, उनका सीमांकन तथा अधिकाधिक खनन-पट्टे स्वीकृत करने की योजना।

3. खनिज आधारित उद्योगों को बढावा देना जिसके अन्तर्गत कई मिनी सीमेंट प्लान्ट तथा बड़े सीमेंट प्लान्ट लगाने के लिये खनन पट्टे देना।

4. सुदूर क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कर नये खनन क्षेत्र विकसित करना।

5. खनिज नीति को लागू कर उसके अन्तर्गत खनिजों का सर्वेक्षण एवं खनिज रियायतों की प्रक्रिया में सुधार हेतु कतिपय आवश्यक कदम उठाना।

6. राज्य की राकफास्फेट योजना के लिये खनन एवं परिस्करण हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम लागू करना ताकि भविष्य में इससे अधिकाधिक धन अर्जन किया जा सके।

राजस्थान राइस एण्ड आयल मिल प्राइवेट लिमिटेड हनुमानगढ़ में कार्यरत श्रमिक

718. श्री श्योपत सिंह मकासर

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

(हनुमानगढ़) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राइस एण्ड ऑयल मिल प्राइवेट लिमिटेड हनुमानगढ़ जन्क्शन में 30 अगस्त तक कितने श्रमिक कार्यरत थे व किन किन श्रेणियों में कब से कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या इस कारखाने में हड़ताल रही थी ? यदि हां, तो हड़ताल से पहले जो श्रमिक कार्यरत थे उनमें से अब कितने लोग काम पर हैं ? क्या समझौता हुआ था ? यदि हां, तो क्या उस समझौते को लागू किया गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान राइस आयल एण्ड मिल प्राइवेट लिमिटेड में 30 अगस्त तक 71 श्रमिक कार्यरत थें। श्रमिकों का वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों में निम्न प्रकार है :—

1. मिस्त्री	3
2. आपरेटर	3
3. फिटर	1
4. आयलमैन	3
5. लाईनमैन	4
6. लेथमैन	2
7. श्रमिक	55

(2) जी हाँ, कारखाने में हड़ताल दिनांक 26–10–78 से 22–11–78 तक रही थी। हड़ताल के पहले 78 श्रमिक उपस्थित थे उसमें से अब 59 श्रमिक उपस्थित हैं। जी हां, 22–11–78 को समझौता हुआ था और उस समझौते के कुछ अंश को छोड़कर शेष का पालन किया गया है।

केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स के सेवानिवृत्त वित्त अधिकारी की नियुक्ति

719. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए लागू सेवा नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि गत 31–12–1978 को शुगर मिल्स के वित्त अधिकारी श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता को सेवानिवृत्त किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त वित्त अधिकारी को पुनः उसी पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कब से एवं किसके आदेश एवं किस सेवा नियमों के तहत ?

उत्तर

(1) मिल कर्मचारियों पर लागू स्टेण्डिंग आर्डर्स की प्रति संलग्न है। जिन मुद्दों का स्टेन्डिंग आर्डर्स में उल्लेख नहीं है उन मुद्दों पर राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(2) जी हां।

(सहकारिता मन्त्री)

(3) जी हाँ। भारत सरकार द्वारा नियन्त्रण में लेने के पश्चात् श्री गुप्ता को मिल के कस्टोडियन ने उनमें निहित अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 1–1–79 से वित्त सलाहकार के पद पर आगामी आदेश होने तक पुर्ननियुक्त किया है।

(आदेश की प्राप्ति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिक्त पद

720. **श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक एवं अनुभाग अधिकारी के वर्तमान में कितने पद स्वीकृत है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त स्वीकृत पदों पर किस-किस श्रेणी में कितने कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पिछले 4 वर्ष में किन किन पदों के लिए चयन समिति किन किन तिथियों को आयोजित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) स्वीकृत पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) चयन समितियों की बैठकों की तिथियों का श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

सूची संख्या 1

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कनिष्ठ लिपिक एवं अनुभाग अधिकारी के वर्तमान में पद निम्न प्रकार से स्वीकृत हैं :—

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	106
2. कनिष्ठ लिपिक	173
3. वरिष्ठ लिपिक	98
4. सहायक	22
5. अनुभाग अधिकारी	16

सूची संख्या 2

इन पदों पर निम्न प्रकार से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति विभिन्न श्रेणियों में उनके सम्मुख दी गई संख्या में कार्य कर रहे हैं :—

पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	—
2. कनिष्ठ लिपिक	7	—
3. वरिष्ठ लिपिक	1	—
4. सहायक	1	—
5. अनुभाग अधिकारी	—	—

सूची संख्या 3

चयन समितियों की बैठकों की तिथियों का श्रेणीवार विवरण

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कोई चयन समिति सन् 1974 के पश्चात् नहीं हुई है।
2. कनिष्ठ लिपिक	सन् 1974 के पश्चात् कोई चयन समिति नहीं हुई है।
3. वरिष्ठ लिपिक	इस पद के लिये जुलाई 1974 के बाद दो चयन समितियां दिनांक 7–7–1978 व दिनांक 23–1–79 को हुई हैं।
4. सहायक	सन् 1974 के पश्चात् दो चयन समितियां दिनांक 6–10–78 व 26–10–78 को की गई हैं।
5. अनुभाग अधिकारी	इस पद हेतु सन् 1974 के पश्चात् दिनांक 3–6–1978 को एक चयन समिति हुई है।

मकराना में खान गिरने की घटना

721. **श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :** क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चार खाने मोठरंज वाली मकराना में गिर गई हैं ? यदि हां, तो सहायक अभियन्ता खनिज विभाग मकराना ने क्या कोई कार्यवाही ऐसी घटनाओं को रोकने की, की है ?

(2) खान गिरने पर राज्य सरकार किस तरह की सहायता खान मालिकों को देती है ? क्या कोई मकराना में सहायता दी गई है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) यह सही है कि मोटरेंज में तीन खाने गिरी है जो खाने गिरी है वो कच्ची हैं जिनको राज्य सरकार मान्यता नहीं देती है। ऐसी घटनाओ को रोकने के लिये नियमानुसार एम. एम. सी. आर. 1977 के अन्तर्गत पट्टाधारी जिनका खनन कार्य खतरनाक होता है सुचारु रूप से कार्य करने हेतु सुझाव दिये जाते है। जिनकी पालना नहीं होने पर नियमों से नोटिस देकर खनन पट्टा खण्डित करने का प्रावधान है।

(2) प्रश्न एक में दिलाई गई खानें कच्ची है जिनको राज्य सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। अतः सहायता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे अन्य खानों के मामले में ही पट्टाधारी का दायित्व है कि खनन कार्य सुव्यवस्थित वैज्ञानिक ढंग से करें और कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे निबटने का दायित्व पट्टाधारी का ही है। विभाग द्वारा इस प्रकार के मामलों में कोई सहायता नहीं दी जाती है।

ग्राम भैंसरोड़गढ़ में वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट

722. **श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) :** क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम भैंसरोड़गढ़, तहसील बेंगू जिला चितौड़गढ़ में राज्य सरकार ने वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

(2) क्या यह सही है धनराशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर देने के पश्चात् भी विभाग द्वारा कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है ? अगर हां, तो किन कारणों के फलस्वरूप कार्य शुरू नही किया जा रहा है ?

(3) उक्त वाटर ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट व नई पाइप लाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) पुनर्गठित जल प्रदाय योजना भैंसरोड़गढ़ में वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट के निर्माण हेतु 82,500/- रु. का प्रावधान रखा गया है।

(2) वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु निविदायें प्राप्त की जा चुकी हैं और वे विचाराधीन हैं, शीघ्र ही निर्णय ले लिया जावेगा।

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

(3) वाटर ट्रीटमेंट प्लांण्ट का कार्य ले आउट की तिथि से 7 माह में पूर्ण करने हेतु निविदा में समय रखा गया है। पाईप उपलब्ध होते ही पाईप लाईन का कार्य भी पूर्ण किया जायेगा।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था

723. **श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौहान (मावली)** : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार ने प्रत्येक 3000 की आबादी वाले गांवों में शुद्ध जल पहुंचाने हेतु ग्रामीण जल प्रदाय योजना लागू करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो मावली तहसील में भी उन गांवों में जहां 3000 से अधिक की जनसंख्या है वहां अब तक यह स्कीम लागू क्यों नहीं की गई?

उत्तर

जी नहीं। कई योजनायें जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित किये जाये व जल की उपलब्धी के अनुसार स्वीकृत की जाती है।

बड़ी सादड़ी (चितौड़गढ़) की पेय जल व्यवस्था

724. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी)** : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी (चितौड़गढ़) में पेयजल व्यवस्था अत्यन्त ही असन्तोषजनक है? यदि हां, तो क्या उसके लिए विभाग ने भी राज्य सरकार को सचेत कर दिया है?

(2) राज्य सरकार कब तक आवश्यक बजट एलाट कर इस अव्यवस्था को सुधारने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि बड़ी सादड़ी की पेयजल व्यवस्था अत्यन्त ही असन्तोषजनक है।

[2) अगले वर्ष धन की उपलब्धी के अनुसार कार्य किया जा सकेगा।

अनुसूचित जाति/जन जाति प्रकोष्ठ में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी

725. **श्री नाथूराम (बागीडोरा)** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति प्रकोष्ठ में कितने अधिकारी, कर्मचारी किस किस संवर्ग में 31-12-78 को कार्यरत थे तथा उनमें कितने अनुसूचित जाति व जन जाति के थे?

(2) क्या नियोजन कार्यालयों की अपेक्षा इस प्रकोष्ठ से से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बेरोजगारों को कम नौकरियां मिलती हैं तथा आरक्षित रिक्त स्थानों की पूरी पूर्ति नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो इस प्रकोष्ठ का क्या औचित्य है? यदि नहीं, तो इस प्रकोष्ठ में अनुसूचित

(श्री नाथूराम)

जाति/अनुसूचित जन जाति वद्ध के कुल कितने आशार्थी सूचि 31-12-77 को थे ? वर्ष 1978 में कितने पंजीकृत हुए ? कितनों को काम दिलाया गया तथा 31-12-78 को कितने काम की प्रतीक्षा में थे ? शैक्षणिक योग्यतानुसार सूची एवं किस किस विभाग में कितने कितने आरक्षित पद अवशिष्ट रहे, उनकी श्रेणी वांछित योग्यता के सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) प्रकोष्ठ का कार्य शिक्षा व नियोजन है। प्रकोष्ठ में 31-12-78 को नियोजन कार्य हेतु अधिनस्थ सेवा संवर्ग के तीन कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें एक अनुसूचित जाति का था।

(2) जी नहीं। प्रकोष्ठ द्वारा इन जातियों के व्यक्तियों को न केवल नियुक्ति में ही सहायता दी जाती है बल्कि सेवा सम्बन्धी सभी मामलों मेंसहायता दी जाती है। वांछित आंकड़े संलग्न परिशिष्ट (अ) तथा (ब) पर दिये गये है।

तारांकित 725 की सूची

परिशिष्ट (अ)

समाज कल्याण विभाग के नियोजन प्रकोष्ठ में पंजीकृत एवं इसके द्वारा नियुक्तियां दिलाये गये आशार्थियों की सूचना

क्र. सं.	योग्यता	31–12–77 तक पंजीकरण		31–12–77 तक नियुक्तियां		वर्ष 1978 में पंजीकरण		वर्ष 1978 में नियुक्तियां		आशार्थी जिन्होंने नवीनीकरण नहीं करवाया		शेष नौकरी के इन्तजार में	
		अनु० जाति	अनु. जन जाति	अनु० जाति	अनु. जन जाति	अनु० जाति	अनु. जन जाति	अनु० जाति	अनु. जन जाति	अनु० जाति	अनु. जन जाति	अनु० जाति	अनु. जन जाति
1	स्नातकोत्तर	479	382	360	98	39	30	53	48	28	210	77	56
2	स्नातक	1038	450	633	120	205	66	120	71	213	211	277	114
3	मैट्रिक	3076	459	95	44	665	309	348	106	2285	276	1013	342
4	नोन मैट्रिक	2498	455	124	68	835	255	336	120	1616	176	1257	346
	योग	7091	1746	1212	330	1744	660	857	345	4142	873	2624	858
		8837		1542		2404		1202		5015		3482	

(201)

परिशिष्ट (ब)

विभिन्न विभागों में अनुसूचित/जन जाति व आरक्षित पदों का शेष, वर्ष 1977–78

क्र० सं०	विभाग का नाम	राजपत्रित सेवा		अधिनस्थ सेवा		मन्त्रालयिक सेवा		चतुर्थ श्रेणी सेवा	
		अनु० जाति	अनु० जन जाति	अनु० जाति	अनु० जन जाति	अनु० जाति	अनु० जन जाति	अनु० जाति	अनु० जन जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	निदेशक भाषा विभाग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
2.	जिलाधीश झुंझुन्नू	,,	,,	,,	,,	2	3	,,	,,
3.	,, सीकर	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	,,	,,
4.	,, बीकानेर	,,	,,	,,	,,	2	3	,,	7
5.	,, नागौर	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
6.	,, झालावाड़	1	,,	पूर्ण	,,	,,	,,	,,	,,
7.	,, टौंक	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
8.	,, चितौड़गढ़	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	3

Page No. 198

(202)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. जिलाधीश	जयपुर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	2	1	पूर्ण	पूर्ण
10. ,,	जैसलमेर	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	2	,,	5
11. ,,	डूंगरपुर	,,	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	,,	,,
12. ,,	अलवर	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
13. ,,	पाली	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
14. ,,	सवाई माधोपुर	,,	,,	,,	,,	2	2	1	,,
15. ,,	अजमेर	,,	,,	,,	,,	2	पूर्ण	,,	,,
16. ,,	बून्दी	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	,,	1	1
17. ,,	भीलवाड़ा	,,	,,	,,	,,	1	1	पूर्ण	2
18. ,,	सिरोही	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	,,	तूर्ण
19. ,,	चुरु	,,	,,	,,	,,	,,	2	,,	,,
20. ,,	कोटा	,,	,,	,,	,,	1	3	,,	1
21. ,,	जोधपुर	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	,,	पूर्ण
22. ,,	जालौर	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
23. ,,	भरतपुर	,,	,,	,,	,,	,,	5	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	जिलाधीश उदयपुर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
25.	,, गंगानगर	,,	,,	,,	,,	4	5	,,	,,
26.	,, बांसवाड़ा	,,	,,	,,	,,	1	पूर्ण	1	1
27.	मुख्य अभियन्ता माही व बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा	,,	,,	2	,,	पूर्ण	,,	5	पूर्ण
28.	आयुक्त सहायता विभाग	,,	,,	पूर्ण	,,	,,	,,	पूर्ण	,,
29.	अधीक्षक, आरक्षी, भ्रष्टाचार, जयपुर	,,	,,	11	13	,,	,,	,,	,,
30.	विकास आयुक्त, जयपुर	,,	,,	4	3	,,	,,	,,	,,
31.	पंजीयन सहकारी समितियां, जयपुर	2	,,	पूर्ण	पूर्ण	2	2	,,	,,
32.	निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर	पूर्ण	,,	5	1	3	3	5	3
33.	निदेशक, भेड़ व ऊन, जयपुर	16	96	3	13	3	3	पूर्ण	2
34.	निदेशक, राजस्थान नहर मण्डल, जयपुर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	,,	पूर्ण
35.	निदेशक प्राच्य विद्या, जोधपुर	,,	,,	4	5	47	,,	,,	,,
36.	आयुक्त उपनिवेश, बीकानेर	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	,,	,,	,,

Page No. 200

2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37,	महा निरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रण अजमेर.	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	1
38,	निदेशक, कालेज शिक्षा, जयपुर	,,	,,	,,	,,	1	,,	2	पूर्ण
39.	राज्यपाल सचिवालय	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	1	पूर्ण	,,
40.	निदेशक भूमि एवं भवन कर	,,	,,	,,	1	4	3	,,	,,
41.	निदेशक यातायात	,,	,,	4	2	2.	पूर्ण	,,	4
42.	कार्मिक (क–1) विभाग	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	20	25	3	पूर्ण
43.	कार्मिक (क–4) विभाग	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	,,
44.	निदेशक पर्यटन विभाग	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
45.	मुख्य अधीक्षक मोटर गैरेज	,,	,,	,,	,,	,,	1	,,	,,
46.	मुख्य लेखाधिकारी	,,	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	1	3
47.	आयुक्त भू प्रबन्धक, जयपुर	,,	,,	,,	,,	,,	7	पूर्ण	पूर्ण
48,	आयुक्त वाणिज्य कर	,,	,,	,,	3	2	6	,,	,,
49.	मुख्य वन संरक्षक	,,	,,	7	7	7	पूर्ण	2	3
50.	मुख्य अभियन्ता पी. डब्लू. डी.	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	24	18	पूर्ण	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	निदेशक नियोजन सेवा, जयपुर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
52.	निदेशक, राज्य बीमा	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	1
53.	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	,,	,,	36	30	,,	2	1	,,
54.	पंजीयन राजस्व मण्डल, अजमेर	,,	,,	16	26	9	27	1	2
55.	मुख्य नगर नियोजक, जयपुर	1	1	4	3	1	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
56.	मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं वोयलर्स	1	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	,,	,,	,,
57.	मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य, उदयपुर	पूर्ण	,,	14	20	2	1	,,	,,
58.	सचिव लोक सेवा आयोग, अजमेर	,,	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	4	,,	,,
59.	महानिरीक्षक आरक्षी, जयपुर	,,	,,	213	221	7	3	9	9
60.	विद्युत निरीक्षक, जयपुर	,,	,,	1	3	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
61.	आयुक्त आवकारी विभाग, उदयपुर	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	1	,,	,,	,,
62.	होम (ग्रुप 12) अभियोजक	,,	,,	,,	,,	29	25	,,	4
63.	निदेशक, समाज कल्याण	,,	,,	,,	,,	,,	1	,,	पूर्ण

205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	सचिव राजस्थान पंचायत व स्वायत्त अधीनस्थ सेवा आयोग, जयपुर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
65.	निदेशक, पशु पालन विभाग	23	16	13	7	,,	,,	2	3
66.	निदेशक अभिलेखाकार, जयपुर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण
67.	आयुक्त मरुस्थल	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
68.	निदेशक हरीशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान	,,	,,	,,	1	2	1	,,	,,
69.	आचार्य मेडिकल कालेज, बीकानेर	,,	,,	1	पूर्ण	1	पूर्ण	,,	,,
70.	आयुक्त देवस्थान, उदयपुर	,,	,,	पूर्ण	,,	पूर्ण	1	,,	,,
71.	मुख्य अभियन्ता ग्राउण्ड वाटर, जोधपुर	22	4	41	23	7	17	61	92
72.	निदेशक कृषि विभाग, जयपुर	,,	,,	31	36	1	2	2	2
73.	निदेशक राष्ट्रीय केरटकौर, जयपुर	,,	,,	16	12	16	13	13	27
74.	निदेशक अल्प बचत योजना, जयपुर	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण,
75.	निदेशक लेखक और मुद्रण सामग्री	,,	,,	3.	9	,,	,,	,,	,,

(207)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76.	निदेशक संस्कृत शिक्षा	22	4	12	13	पूर्ण	पूर्ण	1	1
77.	निदेशक जिला गजेटियर्स, जयपुर	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	,,	पूर्ण	पूर्ण
78.	निदेशक पुरातत्व संग्रहालय	2	2	3	,,	1	3	,,	,,
79.	पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपील	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	,,	पूर्ण	पूर्ण	1	5
80.	आयुक्त जागीर, जयपुर	,,	,,	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण
81.	श्रम आयुक्त जयपुर	,,	,,	,,	9	,,	,,	,,	,,
82.	परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, जयपुर	,,	,,	,,	,,	3	1	,,	,,
83.	निदेशक जन सम्पर्क, जयपुर	,,	,,	,,	,,	1	3	,,	,,
84.	निदेशक जन शक्ति, जयपुर	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	,,	,,
85.	सचिव सैनिक एवं वैमानिक मण्डल, जयपुर	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
86.	आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग	,,	,,	,,	,,	,,	1	,,	,,
87.	आयुक्त राजकीय पुनर्वास विभाग जयपुर	,,	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	,,	,,

Page No. 204

228

1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
88.	निदेशक सतर्कता विभाग, जयपुर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
89.	निदेशक खान एवं भू विज्ञान, उदयपुर	,,	,,	,,	4	,,	1	,,	,,
90.	निदेशक आयुर्वेदिक विभाग, अजमेर	,,	,,	53	42	1	3	13	,,
91.	निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	,,	,,	1046	900	15	21	21	,,
92.	निदेशक ओरिएण्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर	,,	,,	1	1	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	,,
93.	प्राचार्य मेडिकल कालेज, उदयपुर	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	,,	,,	,,	,,
94,	प्राचार्य मेडिकल कालेज जोधपुर.	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,	,,
95.	प्राचार्य मेडिकल कालेज अजमेर	,,	,,	1	,,	,,	,,	1	,,
96.	प्राचार्य मेडिकल कालेज जयपुर	,,	,,	1	1	,,	,,	पूर्ण	,,
97.	मैनजर विश्व खाद्य कार्यक्रम	,,	,,	पूर्ण	पूर्ण	,,	1	,,	,,
	योजना, बीकानेर	,,	,,	,,					
98.	निदेशक मूल्यांकन विभाग, जयपुर	,,	,,	,,	,,	,,	पूर्ण	,,	,,

(209)

राजस्थान न्यायिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के वेतनमानों में भिन्नता

726. **श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर)**: क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान न्यायिक एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में वेतनमानों का भेदभाव क्यों व क्या है ?

(2) राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के बराबर न्यायिक अधिकारी को वेतनमान दिलाने तथा उक्त भेद मिटाने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

(3) न्यायिक अधिकारियों को आवास आदि की व्यवस्था हेतु प्रशासनिक अधिकारियों पर क्यों निर्भर रहना पड़ता है ? क्या यह उनके स्वतन्त्र कार्य संचालन में परोक्ष हस्तक्षेप अथवा दबाव नहीं है ?

(4) राजस्थान सरकार सस्ता व तुरन्त मौके पर न्याय देने की दृष्टि से क्या चल न्यायालयों की (भ्रमणशील न्यायालय) स्थापना करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

(5) न्यायपालिका का कार्यपालिका से पूर्ण पृथककरण करने की दृष्टि से क्या राज्य सरकार राजस्व संबंधी मामले व कुछ "माईनर एक्ट्स" के बचे हुये मसले भी न्यायालयों को सौंपना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा व राजस्थान न्यायिक सेवा की वेतन शृंखलाये अलग-अलग हैं जो निम्न हैं—

1. राजस्थान न्यायिक सेवा		2. राजस्थान प्रशासनिक सेवा	
मुन्सिफ एवं न्यायिक मजि०	750–1350	साधारण शृंखला	750–1350
व्यवहार न्यायाधीश	930–1500	वरिष्ट वेतन शृंखला	1150–1650
मुख्य न्यायिक मजि०	1250–1700	चयन वेतन शृंखला	1550–1900

ये सेवायें अलग-अलग है। भेदभाव का प्रश्न नहीं रहता।

(2) वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है जो सभी सेवाओं की वेतन शृंखलाओं के बारे में विचार करेगी।

(3) जिला सेशन न्यायाधीशों के लिये उनके सभी मुख्यालयों पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिये जयपुर को छोड़ कर सभी जगह राजकीय आवास आरक्षित किये गये हैं। जिला मुख्यालयों व जिले में अन्य स्थानों पर राजकीय आवास आवंटन करने के लिये

(210)

(विधि मंत्री)

नियम बने हुये है। आवासीय गृह समिति हर जिले में गठित है जिसका अध्यक्ष जिलाधीश होते हैं। यह समिति राजकीय आवास आवंटित करती है।

(4) रेलवे एवं यातायात मजिस्ट्रेटों के न्यायालय भ्रमणशील होकर कार्यरत हैं इसके अलावा राज्य में चल न्यायालय स्थापित करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(5) राजस्व मामलों के तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रकरणों को छोड़कर सभी दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई न्यायायिक न्यायालयों में होती है। राजस्व सम्बन्धी मामले न्यायिक न्यायालयों को सुपुर्द करना अभी विचाराधीन नहीं है।

नगरपालिका क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना

727. **श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन)** : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि काम के बदले अनाज की योजना केवल ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लागू की गई है व नगरपालिका क्षेत्रों को इससे वंचित रखा गया है?

(2) नगरपालिका क्षेत्र में इस योजना को लागू करने की राज्य सरकार की क्या नीति है?

उत्तर

(1) भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ही कियान्वित की जा सकती है, नगरपालिका क्षेत्रों में नहीं।

(2) नगरपालिका क्षेत्र में इस योजना को लागू करने का अनुरोध राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजा गया था जो स्वीकार नहीं किया गया है।

राज्य में सूचना केन्द्र

728. **श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)**: क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में जिला मुख्यालयों पर कितने सूचना केन्द्र हैं?

(3) इस वर्ष किन किन स्थानों पर सूचना केन्द्र खोले जावेंगे?

(3) राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर सूचना केन्द्र कब तक खुल जावेंगे?

उत्तर

(1) 9 सूचना केन्द्र हैं।

(2) वर्ष 1978-79 में भीलवाड़ा व श्री गंगानगर में सूचना केन्द्र खोले गये हैं। वर्ष 1978-80 में भरतपुर, बाड़मेर व जैसलमेर में सूचना केन्द्र खोले जावेंगे।

(3) राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर यथाशीघ्र सूचना केन्द्र खोलने के प्रस्ताव है, ज्यों ज्यों धन उपलब्ध होता जायेगा इन प्रस्तावों को क्रियान्वित किया जावेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15–3–79)

भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा के पुत्र के खिलाफ जमीन के आवंटन सम्बन्धी मामला

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : क्या उपनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री सत्यपाल, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अपने नाबालिग पुत्र के नाम चक 32 एस. टी. जी. में 90) बीघा जमीन पुख्ता आवंटित शुदा को बाद में बेच दिया है ?

(2) क्या राज्य सरकार श्री सत्यपाल के खिलाफ कोई फौजदारी मामला दर्ज करवाने की सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) श्री सत्यपाल, उसकी धर्मपत्नी श्रीमती रतनीदेवी व उसके लड़के के नाम कितनी जमीन है और सन् 1964 से आज तक इन लोगों ने कितनी कितनी जमीन बेची है और कितनी-कितनी खरीदी है ? सूची मय तारीख बेचनामा व मालीयत सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां, केवल 10) बीघा न कि 90) बीघा नाली संकेन्ड पुख्ता आवंटन कराई थी जिसे बाद में बेच दी हैं ।

(2) जी नहीं । इनके खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है । आवंटन निरस्त करने का मामला विचाराधीन है ।

(3) सूची संलग्न हैं ।

———

Page No. 208

परिशिष्ट–30 मार्च, 1979–परिशिष्ट

तारांकित प्रश्न संख्या 271 की सूची

फहरिस्त रकबा खरीद एवं बेचान श्री सत्यपाल भूतपूर्व सरपंच के लड़के एवं औरत के नाम तहसील सूरतगढ़ (राजस्व)

भूमि खरीद								भूमि बेचान								
क्रम सं०	नाम सत्यपाल सरपंच. के लड़के एवं औरत जिसके नाम खरीद किया	नाम चक	रकबा बीघों में	किस्म	तारीख सन्	ना0 जिससे खरीद किया		क्रम सं०	नाम सत्यपाल सरपंच के लड़के एवं औरत जिसको भूमि का बेचान किया	नाम चक	रकबा बीघा में	किस्म	तारीख बेचान	नाम जिसको भूमि बेचान की	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	श्री विजयपाल पुत्र	2 S.G.M.	51)	नहरी	68	मोटा S/o उमा कुम्हार	1.	1.	विजयपाल नाबालिग सत्यपाल	25 PBN	51)9	नहरी	12-5-62	गुलाबसिंह	17500-	
2.	,,	43 S.T.G.	6)	नाली II	3-5-62	पूर्णदेवी मुन्दडा।	—	—	—	—	—	—	—		—	मौजूद है
									विजयपाल नाबालिग सत्यपाल	32 S.T.G.	51)2	नाली II	11-6-63	भूरसिंह, गुरमेलसिंह पिता मंगलसिंह	9000/–	,,
										,,	41)3 10)	,,	11-6-63	गुरजनसिंह सुखचैनसिंह पिता मंगलसिंह	11000/–	

नोट—32 S.T.G. का रकबा 10) बीघा श्री विजयपाल की कमी पूर्ति में आवंटन हुआ था जो बिना खातेदारी बिना स्वीकृति बेचान की है।

ह० तहसीलदार
सूरतगढ़
(गंगानगर)

Page No. 209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	रतनीदेवी पत्नि सत्यपाल	2 S.G.M.	20)	नहरी	68	मोटा S/o उमा कुम्हार		1.	रतनीदेवी पत्नि श्री सत्यपाल	2 S.G.M.	15(ııı)1	नहरी	11-6-63	सुखमन्दरसिंह S/o मानसिंह	22000/-	
											2)	,,	12-5-72	मुखिया S/o नेतराम	12000/-	
											6)	,,	12-5-72	मलकियतसिंह	19683/-	
4.	रतनीदेवी पत्नि सत्यपाल	24 P.B.N.	25)	बरानी	69	छोगाराम हरीजन			रतनीदेवी पत्नि सत्यपाल	24 P.B.N.	25)	बरानी	13-1-75	केसरा जोतराम बावरी	25000/-	
									नोट—इस रकबा का दावा 175 RTS चल रहा है ।							
5.	रतनीदेवी पत्नि सत्यपाल	45 S.T.G.	10)	नाली	II	21-6-73 मूलचन्द S/o भानीराम ब्राह्मण	25000/-		रकबा मौजूद है ।							

ह० तहसीलदार
सूरतगढ़
(गंगानगर)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16-3-79

थाना फागी में दर्ज हत्या का मामला

300. **श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री रतन लाल खटीक पुत्र श्री बालूराम निवासी माधोराजपुरा की हत्या दिन के तीन बजे भाकरोटा में वहां के कुछ व्यक्तियों द्वारा लाठियां मार कर करदी गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसी दिन दिनांक 27-5-77 को थाना फागी जिला जयपुर में कर दी गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्तक्षेप की वजह से उक्त हत्याकांड को दफना दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में डाक्टर ने उसे चोटों से मारा जाना बताया है ?

(4) इतना सब होते हुए भी रतना हत्या कांड के अभियुक्तों को अभी तक नहीं पकड़े जाने तथा दण्डित नहीं किये जाने का राज क्या है ?

(5) क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के रतना की हत्या करने वाले अभि-युक्तों का पता लगाकर दण्डित करने में सफलता प्राप्त करेगी ?

उत्तर

(1) दिनांक 27-5-77 को रात 11.30 बजे श्री विरदीचन्दपुत्र बालूराम खटीक ने थाना फागी में यह रिपोर्ट की थी कि उसका छोटा भाई रतन लाल सुबह ग्राम गोपालपुर उगाई हेतु गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर उसे शक है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) अभियुक्त लक्ष्मण को गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 3–9–77 को अदालत में चालान पेश किया गया था जो दिनांक 23–12–78 को अदालत द्वारा बरी किया गया।

(5) अन्य अभियुक्तों के खिलाफ प्रमाण उपलब्ध होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न सं० 695 की सूची)

विभागीय बजट की सूचना

1.	विभाग का वर्ष 1978–79 का कुल वार्षिक संशोधित बजट	618–99 लाख रुपये में ।
2.	आयुर्वेदिक चिकित्सा का बजट	607–45 ,,
3.	यूनानी चिकित्सा का बजट	7–28 ,,
4.	होम्योपेथिक चिकित्सा का बजट	2–31 ,,
5.	प्राकृतिक चिकित्सा का बजट	1–25 ,,

नोट :— यूनानी औषधालयों व चिकित्सालयों को रोगी संख्या के आधार पर 3–90 लाख रुपये का औषध बजट उक्त प्रावधान के अतिरिक्त भी दिया जाता है ।

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न 890 की सूची

(कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग, सीकर)

चालू सत्र में पदोन्नति द्वारा रिक्त पदों का विवरण :—

क्रम सं०	नाम विद्यालय		रिक्त पदों की संख्या	पदों की पूर्ति का विवरण लगाये गये अध्यापकों के	
1		2	3	4	
1.	उ. प्रा. वि.	हरदास का बास	एक	श्री मिसरीलाल	30–6–78
2.	,,	ढाणी जोरावरसिंह	,,	,, धन्नसिंह	13–9–78
3.	,,	नं0 4 नीम का थाना	,,	,, गोकुलचन्द	12–9–78
4.	,, मा0 वि0	सैंसवा	,,	,, गंगाधरसिंह	14–9–78
5.	उ. प्रा. वि.	नागवा	,,	,, मोतीलाल वर्मा	17–11–78
6.	मा. वि.	छात्र की नांगल	,,	,, रामेशवरलाल	5–9–78
7.	,,	मडूट जैन	,,	,, सुर्दन गुप्ता	30–8–78
8.	उ. प्रा. वि.	विष्णु पुलिस लाईन सीकर	,,	,, हरिमोहन पाठक	20–9–78
9.	,,	दूदवा	,,	,, बनवारी लाल	20–9–78
10.	,,	सुभाष फतेहपुर	,,	,, चम्पालाल	14–9–78
11.	,,	नवटिया फतेहपुर	,,	,, फुलचन्द	26–9–78
12.	,,	न0 1 नीम का थाना	,,	,, गणेशी राम	11–9–78
13.	,,	गारिडा	,,	,, ताराचन्द	9–9–78
14	,,	रीगस	,,	,, रामनरेश यादव	30–9–78
15.	,,	बावरी	,,	,, लालाराम	24–11–78
16.	,,	ओरयां	,,	,, नारायण सिंह	7–11–78
17.	,,	मा. वि. दत्तर	,,	,, मुरारी लाल स. अ.	30–8–78
18.	,,	रडवास	,,	,, हेमचन्द	22–9–78
19.	,,	विभोर	,,	,, बनवारी लाल	30–5–78

(215)

1	2		3	4	
20.	मा. वि.	तारपुरा	एक	श्री चौथमल	23–12–78
21.	,,	दार्ता	,,	,, मदन लाल	23–12–78
22,	उ. प्रा. वि.	खाल	,,	,, गोरधनसिंह	14–9–78
23.	,,	पनवाले	,,	,, सुरेशचन्द	7–1–78
24.	,,	कोटडी धायलान	,,	,, गोपालसिंह	11–8–78
25.	,,	दीनवा लाखवाणी	,,	,, रघुवीर सिंह	14–9–78
26.	मा. वि	मुण्डरू	,,	,, बलदेव सुतार	19–7–78
27.	उ. प्रा. वि	नी न० 3 नीम का थाना	,,	,, जवाहरमल सैनी	16–7–78
28.	,,	गुढ़ा	,,	,, हुकमचन्द सैनी	15–7–78
29.	मा. वि.	घोद	एक	,,	
30.	,,	माउण्डा खुर्द	,,	रिक्त	
31.	उ. प्रा. वि.	डासरोली	,,	,,	
32.	मा. वि	रघुनाथगढ़	दो	,,	

क्र० सं० 19 पर अंकित विद्यालय में एक पद सरप्लस था तथा पदोन्नति हो जाने के कारण पद यथावत रह गये हैं।

(कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग सीकर)

सत्र 78–79 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्राप्त 23 पदों का विवरण

क्रम सं०	नाम विद्यालय		आवंटित पद संख्या	अध्यापक पद स्थापन विवरण	
1.	उ. प्रा. वि	मोटडावास	एक	श्री महाप्रसाद	18–7–78
2.	,,	मनस पुरा	,,	,, ननाराम	14–9–78
3.	,,	खिखगापागाण	,,	,, भंवर लाल	28–7–78
4.	,,	खोटिया	,,	,, दारका प्रसाद	9–7–78
5.	,,	बिछोसपुरा	,,	,, सीताराम शर्मा	11–9–78
6.	,,	किशोरपुरा	,,	,, दुर्गाप्रसाद शर्मा	4–8–78
7.	,,	करगो खबखड़ा	,,	,, अजयपाल	20–11–78
8.	,,	राजास	,,	,, काशीराम	7–11–78
9.	,,	चाभीवाड	,,	,, ताराचन्द	18–7–78
10.	,,	खुडोमियान	,,	,, अर्जुनसिंह	8–7–78
11.	,,	बगडी	,,	,, राजेन्द्र प्रसाद	14–7–78
12.	,,	दीसदर	,,	,, नोरंगलाल	7–7–78
13.	,,	षसास	,,	,, प्रभुदयाल	19–7–78
14.	,,	टाटणवा	,,	,, उदयसिंह	19–7–78
15.	,,	गुढ़ा	,,	,, बहादुर सिंह	19–7–78
16.	,,	गोमावाली	,,	,, मोती लाल सैनी	29–7–78
17.	,,	न्यानको गुदा	,,	,, राम रिछपाल	20–7–78
18.	,,	छोलूराम ढिवरिवाद	,,	,, छोटूराम	4–8–78
19.	,,	नाखेर	,,	,, गिरधारी लाल	22–8–78
20,	,,	न. 4 नीम का थाना	,,	,, गोकुलचन्द	12–9–78
21.	,,	मेफरादपुरा	,,	,, परसराम मीणा	14–9–78
22.	,,	बलफसर	,,	,, वृज मोहन	8–9–78
			22 कुल		

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग सीकर

नव क्रमोन्नत विद्यालय सत्र 1978–79

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पदों की संख्या ग्रेड II (पी० टी० आई)	ग्रेड III	अध्यापकों के व्यवस्था विवरण	पी० टी० आई०
1	2	3	4	5	6
1.	राज० मा० वि० मून्ड्रू	3	1	श्री उदाराम (30–6–78) श्री रेखाराम (31–8–78)	श्री जनार्दन (6–3–78) श्री दिनलाल (4–3–77)
2.	,, महरोली	3	1	श्री सज्जनसिंह (3–1–78) श्री तेजसिंह (11–9–78)	श्री रिछपालसिंह (20–7–78) श्री झाबरमल
3.	,, गऊटकोस	3	1	श्री रमेईला (24–8–78) श्री बनवारीलाल (13–12–78)	श्री बनवारीलाल (13–12–78) श्री घनश्याम (26–11–78)
4.	,, श्रीमाधोपुर	3	1	श्री रामेश्वरलाल (2–9–78) श्री सीताराम (28–8–78)	श्री जीमनलाल (25–8–78) श्री बिहारीलाल (11–7–78)
5.	,, गणेश्वर	3	1	श्री रामचन्द्र सेवरा (17–8–78) श्री मूलचन्द (28–1–79)	श्री श्यामसुन्दर (25–8–78) श्री कन्हैयालाल (29–11–78)

1	2	3	4	5	6
6.	राज० मा० वि० श्री पीतमपुरी	3	1	श्री हरिनारायण (19–9–78)	श्री मोहनलाल (8–9–78)
				श्री तुलसीराम (8–8–78)	श्री पोखरमल (26–11–78)
7.	,, पीपलाटा	3	1	श्री लालसिंह (4–5–78)	श्री जगनसिंह (6–9–78)
				श्री शंकरलाल (23–9–78)	श्री जगदीश नारायण (6–10–78)
8.	,, सिरोही	3	1	श्री नन्दरामसिंह (28–8–78)	श्री नारायणलाल (9–9–78)
				श्री कालीचरण (21–10–78)	श्री मानीराम (8–10–78)
9.	,, दादियारामपुरा	3	1	श्री रामकुमार (23–9–78)	श्री रामचन्द्र जाटव (13–9–78)
				श्री सुरतबाई (20–11–78)	श्री मनोहरसिंह (16–12–78)
10.	,, बावड़ी	3	1	श्री कुरडाराम (30–6–78)	श्री बंशीधर (11–9–78)
				श्री बल्लूसिंह (23–6–78)	श्री तालराम (26–11–78)
11.	,, कोटडी लूहरावास	3	1	श्री रमेशचन्द्र (24–8–78)	श्री नन्दलाल (26–8–78)
				श्री मखन्नलाल (23–8–78)	श्री नेमीचन्द (28–11–78)
12.	,, सुगारा	3	1	श्री ईश्वरसिंह (1–2–79)	श्री रामूदीन (17–7–78)
				श्री कौरसिंह (4–9–78)	श्री बाबूलाल (25–11–78)
13.	,, धर्मशाला बैरी	3	1	श्री दीपाराम (2–9–78)	श्री केसरसिंह (10–7–78)
				श्री वीरबलसिंह (20–1–79)	श्री सुलतानसिंह (1–7–78)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, सीकर

सत्र 1978-79 क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची एवं स्वीकृत पद

क्र० सं०	नाम विद्यालय	स्वीकृत 2 ग्रेड अध्यापक
1	2	3
1.	उ० प्रा० वि० कोटरी	1
2.	„ सरगोठ	1
3.	„ महुवा	1
4.	„ मंडकेली	1
5.	„ गजनेरी	1
6.	„ कांसली	1
7.	„ नीमेडा	1
8.	„ डासपुरा	1
9.	„ रैनावा	1
10.	„ दौलतपुरा	1
11.	„ बिरानिया	1
12.	„ राजपुरा (फतेहपुर)	1
13.	„ गुत्यावास	1
14.	„ मोरगा	1
15.	„ जयतुसर माताकाली	1
16.	„ भोजासर	1
17.	„ राजपुरा (दांतारामगढ़)	1
18.	„ फूलबजट (III ग्रेड)	22
	योग	II ग्रेड 17
		III ग्रेड 22
		कुल पद 39

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, सीकर

सत्र 1978–79 क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालय एवं स्वीकृत पद

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद II ग्रेड	(पी० टी० आई०) III ग्रेड
1	2	3	4
1.	रा० मा० वि० मूण्डरू	3	1
2.	,, महरोली	3	1
3.	,, गऊटकोस	3	1
4.	,, श्रीमाधोपुर	3	1
5.	,, गणेश्वर	3	1
6.	,, पीतमपुरी	3	1
7.	,, पीपलाटा	3	1
8.	,, सिरोही	3	1
9.	,, दादियारामपुरा	3	1
10.	,, बावड़ी	3	1
11.	,, कोटडीलूहारावास	3	1
12.	,, सुगारा	3	1
13.	,, धर्मशालाबैरी	3	1

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग सीकर

उच्च प्राथमिक विद्यालय जो सत्र 1978–79 में क्रमोन्नत हुई

क्र० सं०	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद 2 ग्रेड	अध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी विवरण
1	2	3	4
1.	उ० प्रा० वि० कोटरी	1	श्री सुनतीराम (30–8–78)
2.	,, सरगोठ	1	,, मुरलीधर ,,
3.	,, महुवा	1	,, देवेन्द्रकुमार झा (5–9–78)
4.	,, मंडोली	1	,, बिहारीलाल (4–12–78)
5.	,, गजनेरी	1	,, जमालसिंह (30–8–78)
6.	,, कांसली	1	,, रामनिवास शर्मा (21–8–78)
7.	,, निमेडा	1	,, भंवरलाल शर्मा (28–2–79)
8.	,, जुगलपुरा	1	,, दुर्गादत्त (8–9–78)
9.	,, रैनावा	1	,, नवल किशोर (11–9–78)
10.	,, दौलतपुरा	1	,, धन्नीराम आर्य (12–1–79)
11.	,, बिरानिया	1	,, कन्हैयालाल (28–2–79)
12.	,, राजपुरा (फतेहपुरा)	1	,, बच्चनसिंह (12–12–78)
13.	,, गुत्यावास	1	,, सीताराम (9–12–78)
14.	,, घोणा	1	,, भागीरथसिंह (14–10–78)
15.	,, जयतुसर माताकाली	1	,, अमरसिंह (30–9–78)
16.	,, भोजासर	1	,, केसरदेव शर्मा (20–11–78)
17.	,, राजपुरा (दांतारामगढ़)	1	,, नौरंगलाल (9–12–78)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर शिक्षा विभाग (राज०)

नवीन क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालय सत्र 77–78 जिनकी स्वीकृति चालू सत्र में प्राप्त हुई है। नये स्वीकृत पदों के एवं अध्यापकों का पूर्ति विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद II ग्रेड जो प्राप्त हुये है।	अध्यापक व्यवस्था जो की गई है	
1	2	3	4	5
1.	मा. वि. बदरावत	2	1) श्री सैयद गफ्फार अली	2–9–78
			2) श्री जगदीशप्रसाद	19–1–74
2.	मा. वि. हुडासी मासौली	2	1) श्री जगवीरसिंह	28–8–78
			2) श्री नवरंगलाल	8–9–78
3.	मा. वि. रघुनाथ गढ़	2	1) श्री दुर्गाप्रसाद	26–8–78
			2) श्री सुभाषचन्द्र	8–9–78
4.	मा. वि. तारापुर	2	1) श्री महेन्द्रकुमार	23–8–78
			2) श्री गोपाल शर्मा	1–2–78
5.	मा. वि. भण्डा सुरेरा	2	1) श्री केसरीमल	9–9–78
			2) श्री ईश्वरचन्द्र	11–9–78
6.	मा. वि. आणोद (श्रीमाधोपुर)	2	1) श्री जगदीशप्रसाद	31–8–78
			2)	
7.	मा. वि. जीवा (सुजानगढ़)	2	1) श्री नातूराम	1–9–78
			2) श्री ओमप्रकाश	11–9–78
8.	मा. वि. मापीहैड	2	1) श्री मालीराम	2–9–78
			2) श्री लक्ष्मीनारायन	2–9–78
9.	मा. वि. खटेरा	2	1) श्री चौथमल	11–7–78
			2) श्री गिरधारीलाल	3–8–78

1	2	3	4	5
10.	मा वि. नांगल नाथूसर	2	1) श्री नन्दकिशोर	29–6–78
			2)	
11.	मा. वि. डाडूण	2	1) श्री पोखरसिंह	4–9–78
			2) श्री सीताराम शर्मा	7–9–78
12.	मा. वि. वल		1) श्री श्रीचन्द	16–9–78
			2) श्री मूलचन्द	20–9–78
13.	मा. वि. मौरिया	2	1) श्री फूलसिंह	9–9–78
			2) श्री पोखरमल	20–11–78

सचिव/–
जिला शिक्षा अधिकारी,
सीकर

(224)

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 853 की सूची)

परिशिष्ठ–1 (ग)

राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता

उ०— सितम्बर 1978 में उपस्थित छात्रों की संख्या

	जयपुर		कोटा		उदयपुर		जोधपुर		बीकानेर		अलवर		भरतपुर		भीलवाड़ा		नागौर		पाली		श्री गंगानगर		खेतड़ी		रतनगढ़		सीकर		बांसवाड़ा		कुल	
उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०	नि०	उ०
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
25	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	16	25
22	16	10	....	....	16	19	16	20	16	16	16	16	....	....	....	....	16	17	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	16	5	128	125
37	....	....	16	20	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	32	38	....	....	32	19	....	....	33	45	....	....	....	....	32	28	177	187
46	32	41	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	16	23	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	80	110
24	24	37	12	15	12	16	12	15	12	17	12	13	12	10	....	....	12	15	12	13	12	16	24	31	12	22	12	17	12	14	216	275
22	16	15	....	....	....	....	16	21	....	....	....	....	....	....	....	....	16	22	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	64	80
....	16	28	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	16	28
....	16	16	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	16	16
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	16	12	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	16	12
....	....	....	....	....	16	23	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	16	23	32	23

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
दो वर्षीय पाठ्यक्रम																													
17.	फार्म मेकेनिक	प्रथम वर्ष	....	....	16	24	16	18	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	16	20	....	....	....	....	....	....	....	....	....
		द्वितीय वर्ष	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
18.	फिटर	प्रथम वर्ष	32	31	32	58	16	20	16	23	16	16	16	12	16	19	16	20	16	18	16	21	16	20	16	19	16	22	16
		द्वितीय वर्ष	32	23	32	60	16	12	16	16	16	14	16	8	16	14	16	17	....	....	16	11	....	....	....	....	16	16	16
19.	मशीनिष्ट	प्रथम वर्ष	12	15	12	13	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
		द्वितीय वर्ष	12	8	12	16	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
20.	वायरमैन	प्रथम वर्ष	16	22	16	21	16	23	16	24	16	18	....	....	16	24	16	18	16	19	16	24	....	....	16	15	16	23	16
		द्वितीय वर्ष	16	14	16	22	16	13	16	18	16	18	16	11	16	14	16	12	16	20	16	7	16	15	....	....	16	15	....
21.	टर्नर	प्रथम वर्ष	12	13	12	12	12	15	12	17	12	14	12	16	12	16	12	12	12	14	....	....	12	12	12	15	12	17	12
		द्वितीय वर्ष	12	11	12	12	12	5	12	9	12	11	12	7	12	13	12	9	12	13	....	....	12	14	12	9	12	11	12
22.	पैटर्न मेकर	प्रथम वर्ष	16	19	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
		द्वितीय वर्ष	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
23.	इलेक्ट्रीशियन	प्रथम वर्ष	16	20	16	19	16	20	16	23	16	20	16	16	16	21	16	20	16	19	16	19	16	16	16	20	16	20	16
		द्वितीय वर्ष	16	8	16	14	16	9	16	14	16	15	16	8	16	15	16	17	16	17	16	16	16	15	....	....	16	17	16
24.	इन्स्ट्रूमेन्ट मेकेनिक	प्रथम वर्ष	....	....	....	....	16	19	....	....	....	16	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
		द्वितीय वर्ष	16	13	....	....	16	15	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
25.	रेडियो मेकेनिक	प्रथम वर्ष	16	14	16	10	16	18	....	....	16	16	....	....	16	20	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
		द्वितीय वर्ष	16	10	16	11	....	....	16	15	16	14	....	....	16	15	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	16
26.	रेफ्री. एंड एयर कडीशनिंग	प्रथम वर्ष	16	20	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
		द्वितीय वर्ष	....	....	16	15	....	....	....	....	16	18	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
27.	सर्वेयर	प्रथम वर्ष	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	16	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

परिशिष्ट (ग)

राजस्थान में औद्योगिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता

शैक्षणिक योग्यता :—

(i) आठवी कक्षा अथवा उच्चतर परीक्षा से उत्तीर्ण :

(अ) एक वर्षीय पाठ्यक्रम

1. ब्लेक स्मिथ
2. कारपेन्टर
3. डीजल मेकेनिक
4. शीटमेटल
5. वैल्डर
6. मोल्डर
7. पेन्टर
8. पलम्बर
9. टैक्सटाईल मैकेनिक
10. निर्माण एवं खनन यन्त्र चालक
11. बुक बाईन्डर

(ब) दो वर्षीय पाठ्यक्रम

1. फार्म मैकेनिक
2. फिटर
3. मशीनिष्ट
4. वायरमैन
5. टर्नर
8. मोटर मैकेनिक

(ii) माध्यमिक अथवा उच्चतर परीक्षा पास (एक वर्ष के पाठ्यक्रम)

1. हैन्ड कम्पोजिंग एवं प्रूफ रीडिंग
2. प्रिन्टिंग मशीन आपरेटर

(iii) माध्यमिक परीक्षा अथवा उच्चतर परीक्षा गणित और विज्ञान के एच्छिक विषय लेकर उत्तीर्ण (दो वर्ष के पाठ्यक्रम)

1. रेडियो मैकेनिक
2. सर्वेयर
3. ड्राफ्टसमैन सिविल
4. ड्राफ्टसमैन मैकेनिकल
5. पेटर्न मेकर

(iv) माध्यमिक परीक्षा अथवा उच्चतर परीक्षा विज्ञान के एच्छिक विषय लेकर उत्तीर्ण (दो वर्ष के पाठ्यक्रम)

1. इलेक्ट्रोशियन
2. इन्स्टुमेन्ट मैकेनिक
3. रेफ्रीजरेशन एवं एयर कण्डीशनिंग

(v) स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण (एक वर्ष के पाठ्यक्रम)

1. स्टेनोग्राफी अंग्रेजी
2. स्टेनोग्राफी हिन्दी

उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध न होने पर उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को स्टेनोग्राफी व्यवसाय में प्रवेश दिया जा सकेगा ।

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION RAJASTHAN, JODHPUR

INSTITUTION/TREASURY WISE ACTUAL EXPENDITURE FIGURES FOR THE YEAR 73–74 to 77–78

Name of Institute/ Treasury.	YEAR 1973–74	YEAR 1974–75	YEAR 1975–76	YEAR 1976–77	YEAR 1977–78
JAIPUR	8,20,868	9,73,900	9,94,500	12,13,300	15,23,700
AJMER	5,90,306	7,89,700	8,15,300	11,29,300	12,37,700
JODHPUR	5,69,408	9,00,800	9,51,600	8,98,100	11,90,300
UDAIPUR	2,84,083	3,59,200	3,53,300	8,74,300	5,36,400
KOTA	3,18,248	4,86,500	5,50,000	6,34,600	7,31,600
ALWAR	2,58,306	2,89,400	3,31,600	3,46,400	4,22,000
BIKANER	2,20,498	2,55,800	2,85,700	3,08,100	3,42,300
BHARATPUR	2,49,748	3,36,200	3,38,100	3,32,600	3,56,600
BHILWARA	2,20,899	2,72,600	2,70,700	3,20,700	3,64,300
PALI	1,44,999	1,70,800	2,24,200	2,23,000	3,41,000
NAGOUR	1,27,082	1,88,300	2,16,800	2,58,300	2,79,800
GANGANAGAR	1,59,082	1,98,900	2,11,400	2,42,900	2,65,100
RATANGARH	1,45,160	1,93,800	2,12,300	2,31,200	2,91,200
KHETRI	1,95,581	2,27,200	2,49,700	2,73,800	2,92,800
SIKAR	1,43,736	1,64,900	1,85,700	2,15,800	2,51,500
BANSWARA	—	—	—	—	4,08,800
TOTAL	44,47,999	58,08,000	61,90,900	75,02,400	88,35,100

परिशिष्ट ख

निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।

केन्द्र/कोषागार अनुसार प्राप्तियों की तालिका वर्ष 1973-74 से 1977-78

संस्था/कोषागार का नाम	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
अजमेर	9477/-	15737/-	12492/-	16338/-	11536/-
अलवर	4650/-	6717/-	5660/-	5697/-	4970/-
बीकानेर	1670/-	1257/-	764/-	2708/-	2340/-
भरतपुर	6397/-	4332/-	3006/-	1995/-	1719/-
भीलवाड़ा	4848/-	7489/-	11645/-	7699/-	6757/-
बांसवाड़ा	—	—	—	472/-	500/-
रतनगढ़ (चूरू)	1070/-	2225/-	1765/-	1673/-	5829/-
गंगानगर	745/-	962/-	1290/-	1656/-	1755/-
जयपुर	20611/-	18518/-	7927/-	12434/-	13358/-
जोधपुर	4416/-	4000/-	4590/-	7675/-	13392/-
कोटा	5775/-	6013/-	7413/-	6725/-	20205/-
खेतड़ी	1145/-	1241/-	970/-	4585/-	3350/-
नागौर	693/-	595/-	1100/-	2340/-	2670/-
पाली	526/-	510/-	567/-	1527/-	1997/-
सीकर	385/-	472/-	2025/-	600/-	1400/-
उदयपुर	3006/	4280/-	8257/-	8295/-	6915/-

228

परिशिष्ट 7

(अतारांकित 655 की सूची)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग बांसवाड़ा राजस्थान

दिनांक 31–12–77 तक के चिट्स पार्ट टाइम कर्मचारी फिक्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सूची

क्रम सं०	नाम च० श्रे० कर्मचारी	पद स्थापन स्थान	वेतन श्रृंखला
1	2	3	4
1.	श्री रामा	रा०उ०प्रा० वि० केरवाड़ा	171/–
2.	,, रुकमण	,, बस्सी वाड़ा	150/–
3.	,, सुखीराम	,, सेमलिया	150/–
4.	,, बुदा	,, खेड़ा	150/–
5.	,, बामुकन्द	,, दोसला	150/–
6.	,, दुला	,, सोडीपामा	150/–
7.	,, नाथूराम	,, चन्द्रया	150/–
8.	,, रुपला	,, कानोता	150/–
9,	श्रीमति रेखा	,, गोविन्दपुरा	150/–
10.	श्री राम	,, मोडी जयपुर	150/–
11.	,, बाबूलाल	,, फलवा	150/–
12.	,, घासीराम	,, बहारासाय	150/–
13.	,, करनेग	,, दुलाखा	150/–
14.	,, अपरण	,, नाहोद्रव	150/–
15.	,, रतन	,, विडिबा वाया	150/–
16.	,, रमेशचन्द्र	,, कुसला	150/–
17,	,, देवकृष्ण	,, रामगढ़	150/–

1	2	3	4
18.	श्री बुशणी	रा० उ० प्रा० वि० बयाना	150/-
19.	,, कालुसिंह	,, सेकाई	150/-
20,	,, मेरा	,, मोटी बस्सी	150/-
21.	,, मंगला	,, चानण	150/-
22.	,, श्यामलाल	,, डूंगरिया	150/-
23.	,, शंकरलाल	,, मुमणीमद (बांस०)	150/-
24.	,, कालिया	,, नारली	150/-
25.	,, श्रीदेव	,, लान्दू	150/-
26.	,, बदरु	,, नलदा	150/-
27.	,, जानकी	,, वनाधारी	150/-
28.	,, झमरा	,, घोरे	150/-
29.	,, कृष्ण गोपाल	,, गुड़ो	150/-
30.	,, चमन	,, बावाड़ा	150/-
31.	,, धुलिया	,, मावलदा	150/-
32.	,, नानूराम	,, नायला	150/-
33.	,, विट्ठलदास	,, रोहिड़ा	150/-
34.	,, लालजी	,, मीमसौर	150/-
35.	,, वरदीया	,, नवीनकुशलगढ़	150/-
36.	,, कुरीया	,, टिम्बेड़ा बडा	150/-
37.	,, तीजिया	,, भलेर	150/-
38.	,, बदामीलाल	,, बड़लिया	150/-
39.	,, मन्छाराम	,, माटो टाण्डा	150/-
40.	,, छगनलाल	,, तेजपुर	150/-
41.	,, चौखा	,, वरेठ	150/-
42.	,, लालचन्द	,, खेरवा	150/-
43.	,, जगदीशचन्द्र	,, सालिया	150/-

(231)

1	2	3	4
44.	श्री देवीसिंह	रा० उ० प्रा० वि० नाहरपुरा	150/-
45.	,, कानजी	,, शक्करवाडा	150/-
46.	,, लालेग	,, बावनपाड़ा	150/-
47.	,, सरदारसिंह	,, सुन्दनपुर	150/-
48.	,, वेस्ता	,, मिण्डारमा	150/-
49.	,, तुलसीराम	,, इटाउवा	150/-
50.	,, भेरु	,, सुन्दनी	150/-
51.	,, बाबूलाल	,, मोहन पुरा	150/-
52.	,, नारायणलाल	,, टामटिया	150/-
53.	,, लूणा	,, कुशलगढ प्रथम	150/-
54.	,, रकमा	,, बडलिया	150/-
55.	श्रीमति जमनाबाई	,, नई आबादी (बास०)	150/-
56.	श्री गोतमलाल	,, सियापुर	150/-
57.	,, मनजी	,, मुण्डासेल	159/-
58.	,, शम्भूडा	,, बड़ीपडाल	150/-
59.	,, नारायण लाल	,, मोहन कोलोनी (बास०)	150/-
60.	,, रकमा	,, देवदा	150/-
61.	,, गंगाराम	,, परतापुर	150/-
62.	,, जोकिया	,, कोरी	150/-
63.	,, ख्यातिलाल	,, कडस	150/-
64.	श्रीमति कमला बाई	,, नई आबादी (बास)	150/-
65.	श्री सीताराम	,, कानिया	150/-
66.	,, नानूलाल	,, घावडी	150/-
67.	,, नारावणलाल	,, मण्डेला बाड़ी	150/-
68.	,, भेरालाल	,, फोकर	150/-
69.	,, कुशाल	,, सेमावासा	150/-
70.	,, किशन	,, पाठगुम	150/-

(232)

1	2		3	4
71.	श्री नानुलाल	रा० उ० प्रा० वि०	कासन	150/-
72.	श्रीमति सुमन देवी	,,	कोटहासबाड़ा (बास०)	150/-
73.	श्री मनोहर लाल	,,	उदयपुरा	150/-
74.	,, गोपी	,,	टोडाभीम	150/-
75.	,, विनीत	,,	राखी	150/-
76.	,, रामा	,,	गुडगाम (बास)	150/-
77.	,, पृथ्वीसिंह	,,	डुबरा बडी	150/-
78.	,, रामजी	,,	बरोडिया	150/-
79.	,, गौरीशंकर	,,	बडोलि गोमित	150/-
80.	,, मोतीलाल	,,	डाबटिया राठौड़	150/-
81.	,, पुनमचन्द	,,	रोहववाड़ी	150/-
82.	,, दिनेश	,,	पावड़ीवाड़ा	150/-
83.	,, मोहनलाल	,,	सुनलाव	150/-
84.	,, सुखलाल	,,	बिलौदा	150/-

जिला शिक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा

कार्यालय जिला शिक्षा कर्मचारी, शिक्षा विभाग बांसवाड़ा राजस्थान

घाट टाईज फिक्स 150/– वेतन प्राप्त कर्मचारियों की

सूची :— 23/12/78 को नियुक्त

क्र.स0	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	वेतन
1	2	3	4
1.	श्री बुघा	रा. उ. प्रा. विद्यालय सावरिया	160/–
5.	,, अनिल	,, जोटवाडा	150/–
3.	,, मती जागर बाई	,, चिडियांघास	150/–
4.	,, मति कशपुरी बाई	,, कटवाडा(कटवाडा)	150/–
5.	,, मति मेवकुवर	,, वोदिकावाडा(वांघवाडा)	150/–
6.	,, सस्कवारा	,, कुरुक्षेत्र(नो स0)	150/–
7.	,, कवरा	,, वेडा	150/–
8.	,, मोहनलाल	,, व्हाना	150/–
9.	,, भेरु	,, केलवाडा	150/–
10.	,, शंकर लाल	,, माइट	150/–
12.	,, तवर सिह	,, कोडाला	150/–
12,	,, रमेश चन्द्र	,, कोडाला	150/–
13.	,, सुखलाल	,, मृथ्वीमंज (काण)	156/–
14.	,, बाबू लाल	,, कोशी (पिपलबूट)	150/–
15.	,, हसिघी	,, माक्सदा	150/–
16.	,. भलो	,, पनशारी	150/–
17.	श्रीमती ड्योडी	,, समाड़ा	150/–
18.	श्री रामलाल	,, बोटी बस्सी	150/–
19.	,, रमेश चन्द्र नागर	,, सान्दू	150/–
20.	', कबरा	,, बजवाना	150/–
21.	,, नटवर लाल	,, नापला	150/–
22.	,, बुद्धमति सथल	,, माक्षेलप (वांसल)	150/–
23.	श्रीमती मलाव	,, मामलोर	150/–
24.	,, लक्ष्मण मांड़ा	,, ओडी सेजयुर	150/–
25.	,, यलिया	,, मछारलाव	150/–
26.	,, कुवंर	,, लंकाई	150/–

1	2	3		4
27.	श्री बर्सासिह	रा. उ. प्रा. वि.	रामगढ़	150/-
28.	,, बोधमल खटारा	,,	मडकोला	150/-
29.	,, मार्लासिह	,,	कग्रवा	150/-
30.	,, श्रोकार लाल	,,	मथुरा	150/-
31.	,, नारायण लाल	,,	कोटनाना	150/-
32.	,, कन्हैया लाल	,,	मांर	150/-
33.	,, काजुसिह	,,	डूवरिया	150/-
34.	,, पदम शंकर	,,	बकिला	150/-
35.	,, छाल सेनी	,,	हेमसिला	150/-
36.	,, राकेश चन्द्र	,,	कुण्डला	150/-
37.	,, नरेन्द कुमार	,,	नहदा	150/-
38.	,, सुनील	,,	गढी	150/-
39.	,, विजय	,,	मषीन कनुगढ	150/-
40.	,, मदवा	,,	कुहाला	150/-
41.	,, शांतिलाल	,,	रोछिडा	150/-
42.	,, प्रेम	,,	बस्सीबाड़ा	150/-
42.	,, गगांराम	,,	कटोर (चिवडा छलाई)	150/-
44.	,, नाथूलाल	,,	सानवा	150/-

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न 858 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

सन् 1977–78 एवं 1978–79में उर्दू विषय की कक्षाएं जिनमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रारम्भ की गई है, उनकी जिलावार संख्या निम्नांकित प्रस्तुत है—

क्र.सं.	जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या छात्र	छात्रा	कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	–	1	1
2.	अलवर	4	–	4
3.	झुन्झनू	1	–	1
3.	करौली (स० मा०)	2	–	2
5.	बीकानेर	19	1	21
6.	चुरू	–	–	–
7.	जोधपुर	5	3	8
8.	जालौर	1	–	1
9.	नागौर	4	–	4
10.	कोटा	4	–	4
11.	बून्दी	1	–	1
12.	बांसवाड़ा	1	–	1
13.	भीलवाड़ा	2	–	2
14.	चित्तौड़गढ़	1	–	1
15.	उदयपुर	1	–	1
	महाविद्यालय			
1.	राजकीय महाविद्यालय, टोंक	1	–	1

परिशिष्ट "ब"

नियमानुसार 10 विद्यार्थियों द्वारा उर्दू विषय की मांग करने पर उर्दू विषय खोला जाता है, इसी क्रम के अनुसार सन् 1977–78 एवं 1978–79 में जिन स्कुलों में उर्दू विषय खोला गया है उसकी जिलावार संख्या निम्नानुसार है—

क्र. सं.	जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या छात्र	विद्यालयों की संख्या छात्रा	कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	–	1	1
2.	अलवर	4	–	4
5.	झुंझनू	1	–	1
3.	करौली (सवाई माधोपुर)	2	–	2
5.	बीकानेर	19	1	20
6.	चुरू	–	–	–
7.	जोधपुर	5	–	8
8.	जालौर	1	–	1
9.	नागौर	4	–	2
10.	कोटा	4	–	4
11.	बून्दी	1	–	1
12.	बांसवाड़ा	1	–	1
13.	भीलवाड़ा	2	–	2
14.	चितोड़गढ़	1	–	1
15.	उदयपुर	1	–	1
	महाविद्यालय			
1.	राजकीय महाविद्यालय, टोंक	1	–	1

परिशिष्ट "स"

राज्यों में जिले वार उर्दू विषयों की संख्या नियमानुर जिलावार प्रस्तुत है—

जिले का नाम	उर्दू विभागों की संख्या
1 2	3
1. अजमेर	63
2. अलवर	4
3. भरतपुर	1
4. जयपुर	45
5. झुंझुनू	34
6. सीकर	25
7. करौली	20
8. टोंक	40
9. बीकानेर	14
10. चूरू	34
11. जोधपुर	27
12. जालौर	1
13. नागौर	33
14. कोटा	33
15. बून्दी	1
16. भीलवाड़ा	7
17. झालावाड़	10
18. चित्तोड़गढ़	4
19. उदयपुर	20
20. गंगानगर	–
21. बाड़मेर	–

Page No. 236

1	2	3
22.	जैसलमेर	–
23.	सिरोही	–
25.	पाली	–
25.	बांसवड़ा	4
29.	डूंगरपुर	2

महाविद्यालय

जिले का नाम		महाविद्यालय का नाम	प्राध्यापकों की संख्या
1	2	3	4
1.	टोंक	राजकीय महाविद्यालय, टोंक।	3
2.	उदयपुर	राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	1
3,	अजमेर	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	1
4.	कोटा	राजकीय महाविद्यालय, कोटा	1
5.	सीकर	राजकीय महाविद्यालय, सीकर	1

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 859 की सूची)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग, सीकर

उन अध्यापकों की सूची जिन्होंने चिकित्सा-प्रमाणपत्र के आधार पर अपना स्थानान्तरण चाहा था ।

क्र.सं.	नाम अध्यापक मय पदस्थापन स्थान	चिकित्सा का आधार स्थानान्तरण चाहा	स्थानान्तरण न होने का कारण
1	2	3	4
		तृतीय वेतन शृंखला अध्यापक	
1.	श्री अलीमुद्दीन भाटी स. अ. रा. उ. प्रा. वि. सिडोटछोटी	(स्वयं रूग्णता बीमारी से पीड़ित) वैद्य का प्रमाण-पत्र	स्थानान्तरण निति में रुग्णता के कारण स्थानान्तरण करने का उल्लेख न होने के कारण
2.	श्री हरनाथसिंह स. अ. रा. उ. प्रा. वि. रींसावा	(स्वयं उदर रोग से पीड़ित) वैद्य प्रचार्य औषधालय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र	,, ,,
3.	श्री ओंकारमल सैनी स. अ. रा. उ. प्रा. वि. दादियारामपुराम	बच्चा के पोलियो रोग	स्थानान्तरण निति में पोलियो का से पीड़ित पर स्थानान्तरण करने का उल्लेख परन्तु व

240

1	2	3	4
			अध्यापक द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया तथा न ही समय पर कार्यालय को पेश किया गया।
4.	श्री नागरमल गुप्ता स. अ. रा. मा. वि. गढ़ पोंगवी	(पत्नी के विपटी का वलसर) चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्रा. स्वा. केन्द्र मूण्डरू (सीकर)	स्थानान्तरण निति इस रोग का उल्लेख नहीं होने के कारण।
		द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक	
1,	श्री मदनलाल शर्मा स. अ. रा. मा. वि. गुरारा	(बच्चे के पोलियो रोग) चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय खण्डेला प्रमाण-पत्र	अध्यापक का स्थानान्तरण निति के अनुसार रा. मा. वि. कोटडी (ल.) में रिक्त पद पर किया गया।
2,	श्री मोहनलाल गुप्ता प्र. अ. रा. उ. प्रा. वि. कल्याणपुरा (थोई)	(पत्नी हाईपरटेंशियन हृदय रोग से पीड़ित) चिकित्सा अधिकारी राज. चिकित्सालय अजीतगढ़	निति के अनुसार स्थानान्तरण पीथलपुर किया।
3.	श्री मालीराम शर्मा स. अ. रा. उ. प्रा. वि. हरजनपुरा	(स्वयं के टी. बी. रोग)	स्थानान्तरण निति में टी. बी. रोग से पीड़ित पर स्थानान्तरण का उल्लेख नहीं होने के कारण तथा प्रमाणपत्र संलग्न नहीं प्राप्त।

1	2	3	4
4.	श्री महावीर प्रसाद शास्त्री स. अ. रा. जी. डी. रूईया मा. वि.	स्वयं के लोप्र—ब्लड प्रेशर	स्थानान्हरण नीति में बीमारी का उल्लेख न होने के कारण।
5.	श्री सीताराम पारीक स. अ. उ. प्र. वि. दूजोक	पत्नी के टी. बी. मेडिकल आफिसर, सीकर का प्रमाण-पत्र	,, ,,
6.	श्री अशोककुमार स. अ. रा. उ. मा. वि. रींगस	माताजी परलेसंस के रोगी चिकित्सा अधिकारी, सीकर का प्रमाण-पत्र	स्थानान्तरण निति में इस रोग का उल्लेख न होने के कारण।
7.	शार्दुलसिह स. अ. रा, मा. वि. खूड	बच्चों के टी. बी. कनिष्ठ विमेषज्ञ शिशुरोग कल्याण अस्पताल, सीकर का प्रमाण-पत्र	स्थानान्तरण नीति में टी. बी. का उल्लेज न होने के कारण।

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न सं. 860 की सूची)

वर्तमान में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की जिलेवार सूची

जिले का नाम	संस्था का नाम	कार्यरत केन्द्रों की सं०
1	2	3
जैसमेर	शिक्षा विभाग	94
जालौर	,,	100
नागौर	,,	100
सिरोही	,,	100
श्रीगंगानगर	,,	100
अलवर	,,	92
बांसवाड़ा	,,	100
झालावाड़	,,	100
टोंक	,,	100
कोटा	,,	160
डूंगरपुर	,,	100
बून्दी	,,	97
चूरू	,,	100
पाली	,,	100
झुन्झुनू	,,	100
भीलवाड़ा	भीलवाड़ा प्रौढ़ शिक्षण समिति	65
बाड़मेर	प्रौढ़ शिक्षण समिति	93
जोधपुर	शिक्षा विभाग	60
जयपुर	शिक्षा विभाग	60
	लोक शिक्षण संस्थान	25

1	2	3
उदयपुर	सेवा मन्दिर	229
	राजस्थान विद्यापीठ	150
	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ	150
बीकानेर	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति	157
अजमेर	अजमेर प्रौढ़ शिक्षण समिति	50
	कुल योग	2581

नेहरू युवक केन्द्र जो भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं, राज्य के 16 जिलों में कुल 442 केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

इस प्रकार राज्य में इस समय कुल 3023 केन्द्र चल रहे हैं।

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 864 की सूची)

वर्ष 1951 से अब तक की अवधि में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिणित किये गये बन्दियों की सूची ।

क्र.सं	बन्दी का नाम पिता का नाम	जुर्म दफा	मृत्यु दण्ड की सजा का दि.	न्यायालय का नाम जहां से सजा दी गई	मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिणित किए जाने की तिथि	मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिणित किये जाने के आदेश दिए जाने वाले न्यायालय का नाम
1.	2.	3	4	5	6	7
1.	हरजी पुत्र पदमा	302ता.हि.	30–1–1951	सैशन जज बांसवाड़ा	1–12–1951	महामहिम राष्ट्रपति
2.	चरण सिंह पुत्र सन्ता सिंह	,,	22–3–1953	,, गंगानगर	5–8–53	,,
3.	बलवन्त सिंह पुत्र गंगापाल सिंह	,,	22–3–1953	,, ,,	5–8–53	,,
4.	वजर सिंह पुत्र चमन सिंह	,,	16–6–1953	,, ,,	26–2–54	,,
5.	राम सिंह पुत्र बाघ सिंह	,,	12–3–1957	एडी. सैशन जज गंगानगर	–	,,

1	2	3	4	5		6	7
6.	हरनेक सिंह पुत्र कृपाल सिंह	302 ता.हि.	30–11–1959	सेशन जज	गंगानगर	27–2–60	महामहिम राष्ट्रपति
7.	हापूड़ा पुत्र मांगू	„	31–10–1966	„	जोधपुर	27–2–60	„
8.	मनी राम उर्फ अमर चन्द पुत्र सीता राम	„	12–2–1968	„	जयपुर	11–8–69	„
9.	साही राम पुत्र उदा राम	„	28–2–1968	„	गंगानगर	11–8–68	„
10.	जीवन सिंह पुत्र कुछाल सिंह	302, 307 429, ता.हि.	26–9–1970	„	पाली	22–9–72	„

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 866 की सूची)

क्र. सं.	जिला	ऊंट भत्त की संख्या
1	2	3
1.	जयपुर	50
2.	अजमेर	16
3.	अलवर	18
4.	भरतपुर	—
5.	सवाई माधोपुर	6
6.	जोधपुर	118
7.	बाड़मेर	169
8.	जैसलमेर	184
9.	जालौर	93
10.	नागौर	149
11.	पाली	112
12.	सिरोही	23
13.	बीकानेर	70
14.	चूरू	33
15.	गंगानगर	57
16.	झुंझुनूं	57
17.	सीकर	71
18.	उदयपुर	43
19.	बांसवाड़ा	6
20.	भीलवाड़ा	19
21.	चित्तौड़गढ़	14

1	2	3	4	5
22.	डूंगरपुर			2
23.	कोटा			20
24.	बून्दी			—
25.	झालावाड़			—
26.	टोंक			8
				1338

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 868 की सूची)

शिड्यूल (II)

एपेनडिक्स 'ए' (II)

सामान की स्केल जो सिविल पुलिस के लिये निर्धारित है।

क्र.सं.	सामान का नाम	तादाद	काम में लेने की अवधि
1	2	3	4
1.	गर्म अंगोला क़मीज	1	5 वर्ष
2.	सूती कमीज काली	3	1 ,,
3.	हाफ पेन्ट काली	3	2 ,,
4.	पतलून (पेन्ट) काली	4	2 ,,
5.	एम्यूनोन बूट	1 जोड़ा	3 ,,
6.	काली चप्पल	1	1 ,,
7.	गर्म जर्सी काली	1	1 ,,
8,	ग्रेट कोट गर्म काली	1	7 ,,
9.	गर्म जुराब खाकी	3	1 ,,
10.	होर्स टोप गर्म	1 जोड़ा	2 ,,
11.	एन्कलेट बटन	1	2 ,,
12.	बड़े बटन	10	7 ,,
13.	मिडियम बटन	15	7 ,,
14.	छोटे बटन	2	7 ,,
15.	चमड़े की बेल्ट मय क्लेस्प	1	8 ,,
16.	किट बेग	1	6 ,,
17.	सोलज़र बेजेज आर. पी.	2 जोड़े	5 ,,
18.	विसिल मय विसिल कार्ड	1	5 ,,
19.	हैड कानस्टेबल के लिये चिवरन्स	1	6 ,,
20.	लेन्स हैड कानि के लिये चिवरंस	1	6 ,,

1 2	3	4
21. हेवरसेक	1	8 वर्ष
22. लाठी	1	8 ,,
23. सर्विस केप	2	1 ,,
24. लाल पगड़ी	1	2 ,,
25. सफेद तुर्रा	1	2 ,,
26. फ्रिन्जेज नीली	2	2 ,,
27. कुर्ता नीला	1	2 ,,
28. सिलिंग वेग	1	8 ,,
29. केनवास यू	2 जोड़े	1 ,,
30. बनियान बावेदार	2	1 ,,
31. दरी आर. पी.	1	6 ,,
32. वाटर बोतल	1	6 ,,
33. मच्छर दानी	1	6 ,,
34. बरसाती मय टोपी	1	7 ,,
35. स्टील हेलमेट	1	10 ,,
36. कम्बल	1	3 ,,
37. बटन स्टीक मेटल	1	8 ,,
38. चमड़े की पालिस काली एवं भूरी (Tins)	2 प्रत्येक	–
39. बुर्श पालिस काले एवं भूरी (Tins)	2	2 वर्ष
40. मेटल पालिस (Tins)	2	1 ,,
41. लोहे का बक्सा (किट बाक्स)	1	10 ,,
42. लोहे की चारपाई	1	10 ,,
43. लेदर पेज	1	6 ,,
44. केप बैंज आर. पी.	2	5 ,,

नोट:—(1) किट बाक्स एवं चारपाई बैरेक की प्रापरटी समझी जावेगी एवं यह व्यक्तिगत किट के साथ नहीं दी जावेगी। इनका निस्तारण उनकी प्रयोग में लाने की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी इनको प्रयोग में लाने की स्थिति पर निर्भर होगा।

(2) माउन्टेड पुलिस के आदमियों को निम्नलिखित सामान मिलेगा।

1. हाफ ब्रिचेज कोर्ट	दो साल के लिये चार ट्राउजर्स के बजाय।
2. गर्म पट्टी	ऐन्कलेट के बजाय दो साल के लिये 2.
3. क्रास बेल्ट	8 साल के लिये एक

पी. टी. एस. में तैनात स्टाफ को निम्नलिखित सामान निर्धारित स्केल के अलावा और दिया जावेगा।

(1) कमीज	(2) सर्विस केप	(3) लाल पगड़ी
(4) कुर्ता नीला	(5) केनवास शू	(6) बनियान
(7) चमड़े की पालिस	(8) मेटल पालिस	

नोटः—(3) मेटल सामान उनको प्रयोग में लाने की और अवधि के बाद भी काम में लिया जावेगा, जब तक की वह पूर्णतया नाकारा नहीं हो जाता है।

सेरीमोनियल ड्रेस निम्न प्रकार होगी—

(1) के. डी. स्लेक्स (2) तुर्रा सफेद (3) शर्ट के.सी. एवं शर्ट एन्गोला सर्दी में।

(2) पी.टी. ड्रेस में खाकी नेकर, केनवास शू एवं बनियान होंगे।

(3) सरदारों को हर साल एक पगड़ी अतिरिक्त दी जावेगी।

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 869 की सूची)

छोड़े गये क्षेत्रों की सूची

क्र.स.	नाम पट्टाधारी	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्र क्रय करने की तिथि	क्षेत्र जो कम किया गया	विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मोहनलाल मोदी, सोजत रोड	निकट ग्राम धना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर प्लाट नं. 2	17–5–77 से 24–5–77	10.899 व.कि.मी	16–11–78
2.	श्री रवि प्रकाश मिश्रा, कोटा	निकट ग्राम मूडकसली तहसील बिलाडा जि. जोधपुर प्लाट नं. 5	18–4–77 से 22–4–77	10.872 व.कि.मी.	16–11–78
3.	श्री रसीद खां, बोरूदा	निकट ग्राम बौरूदा तहसील बिलाडा जि. जोधपुर प्लाट नं. 11	27–4–77 से 30–4–77	10.67 व.कि.मी.	16–11–68

1	2	3	4	5	6
4.	सर्वश्री सोजत लाईम कम्पनी, सोजत	निकट ग्राम अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली	22–4–77 से 6–5–77	10.6 व.कि.मी.	23–11–78
5.	श्री केवलचन्द भाण्डोस, सोजत	निकट ग्राम खारिया तहसील सोजत जिला पाली	4–4–77 से 11–4–77	10.6 व.कि.मी.	23–11–78
6.	श्री राजेन्द्र सिंह कपाड़, सोजत	निकट ग्राम मण्डल तहसील सोजत जिला पाली	12–4–77 से 15–4–77	10.6 व.कि.मी.	23–11–78

विज्ञप्ति राजस्थान राजपत्र में दिनांक 16–2–78 को प्रकाशित हुई।

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर (राज0)

क्रमांक संख्या/के/मिस/लाइम/65/1962 दिनांक 7–11–78

विज्ञप्ति

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली 1977 के नियम 56 के प्रयोजनार्थ सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जोधपुर के तहसील बिलाड़ा के ग्राम मुरकासनी के निकट खनिज लाईम स्टोन के प्लाट न0 5 में श्री रविप्रकाश मिश्रा द्वारा छोडे गये 10.872 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र राजस्थान राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि को छोड़कर 30 दिन पश्चात् पुनः स्वीकृति हेतु रिक्त घोषित किया जाता है। रिक्त घोषित होने वाले क्षेत्र के लिये 1 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र के लिये आवेदन पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 5 के तहत स्वीकार किये जायेंगे, आवेदन पत्र नियत तिथि में प्राप्त करने के लिये संबंधित कार्यालय खुला रहेगा, यह क्षेत्र स्वीकृति के समय भूमि के वास्तविक सीमांकन पर आधारित होगा। एक आवेदन पत्र में केवल एक ही भू-खण्ड (1 वर्ग कि0 मी0) के लिये विचार किया जावेगा।

ह0 सज्जनमल चोरड़िया
खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग जोधपुर

विज्ञप्ति राजस्थान राजपत्र में दिनांक 16–2–78 को प्रकाशित हुई।

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर, राज०

क्रमांक संख्या/के/मिस/लाइम/65/1962 दिनांक 7–11–78

विज्ञप्ति

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली 1977 के नियम 56 के प्रयोजनार्थ सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जोधपुर के तहसील बिलाडा के ग्राम अरना के निकट खनिज लाइम स्टोन के प्लाट न. 2 में से श्री मोहनलाल मोदी द्वारा छोडे गये 10,899 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र राजस्थान राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि को छोडकर तीस दिवस पश्चात पुन: स्वीकृति हेतु रिक्त घोषित किया जाता है, रिक्त घोषित होने वाले क्षेत्र के लिये एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये आवेदन पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 1977 के नियम 5 के तहत स्वीकार किये जायेंगे, आवेदन पत्र नियत तिथि में प्राप्त होने के लिये संबंधित कार्यालय खुला रहेगा। यह क्षेत्र स्वीकृति के समय भूमि के वास्तविक सीमांकन पर आधारित होगा। एक आवेदन पत्र में केवल एक ही भू-खण्ड (1 वर्ग कि. मी.) के लिये विचार किया जावेगा।

ह0/सज्जनमल चोरडिया
खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
जोधपुर।

255

विज्ञप्ति राजस्थान राजपत्र में दिनांक 16-11-78 को प्रकाशित हुई

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राज0, जोधपुर ।

क्रमांक संख्या/जोध/मिस/लाइम/65/1962 दिनांक 7-11-78

विज्ञप्ति

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 1977 के नियम 56 के प्रयोजनार्थ सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जोधपुर तहसील बिलाडा के गांव बोरुन्दा के निकट खनिज लाइमं स्टोन के प्लाट न0 11 में श्री रशीद खां द्वारा छोड़े गये 10.87 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र राजस्थान राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि को छोडकर 30 दिन पश्चात् पुनः स्वीकृति हेतु रिक्त घोषित किया जाता है। रिक्त घोषित होने वाले क्षेत्र के लिये एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये आवेदन पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 1977 के नियम 5 के तहत स्वीकार किये जावेंगे । आवेदन पत्र नियत तिथि को प्राप्त करने के लिये संबंधित कार्यालय खुला रहेगा । यह क्षेत्र स्वीकृति के समय भूमि के वास्तविक सीमांकन पर आधारित होगा। एक आवेदन पत्र में केवल एक ही भू-खंड (1 वर्ग कि0मी0) के लिये विचार किया जायेगा ।

ह0 सज्जन मल चोरडिया
खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग जोधपुर

विज्ञप्ति राजस्थान राजपत्र में दिनांक 23–11–78 को प्रकाशित हुई

प्रतिलिपि

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सोजत सिटी

क्रमांक :–ख० अ०/सोजत सिटी/सीग्रो 11/78/206 दिनांक 11–11–78

विज्ञप्ति

अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1977 के नियम 56 के प्रयोजनार्थ सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पाली तहसील सोजत में गांव अटवडा मण्डला व छारिया के निकट चूने के पत्थर के खनन पट्टे 10 वर्ग मील के क्रमशः सर्व श्री सोजत लाईम कम्पनी, श्री राजेन्द्रसिंह कछवाह एवं केवलचन्द माण्डोल के नाम स्वीकृत थे तथा सभी के स्वीकृत क्षेत्र में सभी पार्टियों द्वारा 15 वर्ग किलोमीटर का शेष क्षेत्र रखते हुए शेष क्षेत्र उनके द्वारा छोड़ दिया गया है।

अतः छोडे गये तीनों क्षेत्रों को रिक्त घोषित किया जाता है एवं रिक्त क्षेत्रों में एक एक वर्ग किलोमीटर के आयातकार (जहां तक सम्भव हो) भू-खण्ड आवंटन हेतु राजस्थान राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि को छोड़कर 30 दिन पश्चात् पुनः स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं एक वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र स्वीकृति के समय भूमि के वास्तविक सीमांकन पर आधारित होगा।

छोड़े गये क्षेत्रों के नक्शे कार्यालय में किसी भी दिन कार्यालय समय में देखे जा सकेंगें।

हस्ता/–
राजकुमार जैन
सहायक खनि अभियन्ता, सोजत सिटी

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 870 की सूची)
राज्य में दिनांक 31–12–78 को भूमिहीनों की संख्या

क्र. सं.	जिला	भूमिहीनों की संख्या जिन्हें भूमि आवंटित करनी है				सागड़ी प्रथा से मुक्त बंधक श्रमिक	अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति	योग
		अनु० जाति	जनजाति	सैनिक	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	1713	44	44	780	–	–	3088
2.	अलवर	4706	1125	–	5041	–	1892	12764
3.	बांसवाड़ा	1265	1296	–	2545	–	1221	6327
4.	बाड़मेर	2054	1190	–	3432	–	2886	9562
5.	भरतपुर	12638	2759	143	9172	–	–	24712
6.	भीलवाड़ा	6999	3844	24	15017	62	2025	27971
7.	बीकानेर	631	1	–	654	–	296	1582
8.	बून्दी	957	417	28	–	–	1902	3304

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	चित्तौड़गढ़	1795	1777	2	2105	–	3260	8939
10.	चूरू	1341	74	41	872	–	1289	3617
11.	डूंगरपुर	1515	5343	2	3996	–	–	10856
12.	गंगानगर	5010	21	3	15028	–	2983	23045
13.	जयपुर	12376	2608	19	7264	–	7535	29802
14.	जैसलमेर	226	154	–	1034	–	257	1671
15.	जालौर	1737	1560	–	2056	–	896	6249
16.	झालावाड़	3515	1199	–	4253	–	595	9662
17.	झुंझूनू	5548	401	123	1289	–	2060	9421
18.	जोधपुर	5542	741	–	7115	–	2675	15973
19.	कोटा	4076	3307	88	6228	46	5374	19159
20.	नागौर	7315	141	27	2717	–	5030	15230
21.	पाली	1418	325	33	1789	10	636	4211
22.	सवाईमाधोपुर	7624	2910	82	8137	3	1194	19950
23.	सीकर	7610	1185	–	11917	–	836	21548

258

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	सिरोही	725	669	–	924	8	–	2326
25.	टोंक	310	271	4	328	–	770	1683
26.	उदयपुर	992	1277	39	903	–	2755	5969
	कुल योग :—	99638	35143	702	114636	132	48367	298618

जून, 1977 के बाद 31-12-78 तक कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की जिलेवार सूची

(क्षेत्रफल एकड़ों में)

क्र० सं०	जिला	नोन कमॉण्डि क्षेत्र		कमाण्ड क्षेत्र	
		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1.	अजमेर	2235	4016	8	13
2.	अलवर	3713	4288	–	–
3.	बांसवाड़	4978	8501	15112	21934
4.	बाड़मेर	1735	26804	–	–
5.	भरतपुर	3501	4667	186	265
6.	भीलवाड़ा	6183	14005	208	453
7.	बीकानेर	1623	38150	–	–
8.	बून्दी	8156	17968	4055	10114
9.	चित्तौड़गढ	7732	18161	543	761
10.	चूरू	250	1373	–	–
11.	डूंगरपुर	11581	14572	–	–
12.	गंगानगर	3186	19253	5399	16094
13.	जयपुर	8152	18139	19	13
14.	जैसलमेर	1714	48054	747	47402
15.	जालौर	1310	5137	–	–
16.	झालावाड़	17829	21277	19	17
17.	झुंझुनूं	97	311	–	–
18.	जोधपुर	615	6131	–	–
19.	कोटा	2581	6181	342	1151
20.	नागौर	286	1547	–	–
21.	पाली	1382	3982	64	248
22.	सवाईमाधोपुर	2415	6344	265	591
23.	सीकर	193	357	–	–
24.	सिरोही	1792	4191	402	690
25.	टोंक	9507	15523	462	505
26.	उदयपुर	30737	57855	2401	3453
	कुल योग:--	133483	366787	30932	103704

परिशिष्ट—16

(अतारांकित प्रश्न 874 की सूची)

सूची

जिला न्यायाधीशों व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को आवासीय सुविधाएं तथा टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कई स्थानों पर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटों को भी आवासीय सुविधा उपलब्ध हैं।

262

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न सं० 878 की सूची)

प्रथम प्रश्न की सूची

क्र० सं०	नलकूपों का नाम	नलकूपों की संख्या	चालू नलकूपों की संख्या	अपूर्ण नलकूपों की संख्या	जुड़े हुए ग्रामों के नाम
1	2	3	4	5	6
1.	फलौदी नं० 1, 2 व 3	3	3	—	फलौदी व मलार रिज क्षेत्र
2.	शैतानसिंह नगर	2	1	1	(1) शैतानसिंह नगर (2) पोलासर (3) कालासिरिया (4) जान्या (5) बनेऊ
3.	आमला नं० 1	1	1	—	(1) आमला
4.	सिरड़ा नं० 1 व 2	2	1	1	(1) सिरडा (2) ठेकरा (3) टेपू (4) साडा (5) घोलिया (6) दर्जवी (7) खेतसर (8) खाखुरी (9) खोडकिवा (10) देवासरी

1	2	3	4	5	6
5.	खोंखरा चारण नं० 1 व 2	2	2	—	(1) खोखरा चारण (2) खोखरा पटावता (3) लेसरा घाटिया (4) केनबसर (5) जैसला
6.	(ओखरा चम्पासर) बोतीना नं० 1	1	1	—	(1) मालेवरा (2) चम्पासर (3) अजासर (4) रोहिया.
7.	(वाडी) बोतीना नं० 1	1	1	—	(1) वाडी (2) वोतीला
8.	बिठडी	2	1	1	(1) विठडी (2) मोजेरी (3) डोपारडी
9.	लोहावट	2	1	1	(1) लोहावट जाटावास (2) लोहावट विश्नोईवास
10.	देनोक	1	1	—	देशोक
11.	पीलवा	2	2	—	(1) पीलवा ग्राम व आसपास की ढाणीयां

तृतीय प्रश्न की सूची

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	नलकूप की संख्या
1.	बालासर	1
2.	शैतानसिंह नगर	2
3.	बीठडी	3
4.	सिहोड़ा	1
5.	चौबीसा	1
6.	लोहावट	1
7.	आंवल	1
8.	भोजासर	1
9.	प्रियाल	1
10.	पीलवा	2
11.	पालीवा	1
12.	शिकमकोर	1
13.	ढेलाड़ा	1
		17

265

परिशिष्ट–18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 882 की सूची)

प्रश्न के भाग एक की सूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम	(जनसंख्या 1971)
1.	भसीना	583
2.	टेलां	632
3.	भोगतला	25
4.	वेघप	755
5.	वमलारा प्रसूला	1639
6.	सूदडा	1120
7.	कारवोता	